



The Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016

Act No. 11 of 2016

Amendments appended: 12 of 2021, 6 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, वृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 2016 ई0

चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 128/विधायी एवं संसदीय कार्य/2016

देहरादून, 07 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2016 को दिनांक 04 अप्रैल 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, सन 2016 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016

(अधिनियम संख्या- 11 वर्ष 2016)

भाग -एक

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

धाराएँ

- 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ
- 2 परिभाषाएं

भाग-दो

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत

अध्याय-दो

ग्राम सभा की स्थापना और संगठन तथा ग्राम पंचायत की स्थापना एवं संरचना(संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

- 3 ग्राम सभा संगठन सदस्यता कृत्य तथा बैठकें आदि
- 4 ग्राम पंचायत संगठन एवं परिसीमन
5. ग्राम पंचायत का संघटन तथा पुनर्संघटन
6. जनसंख्या में परिवर्तन एवं पंचायत क्षेत्र के किसी भी स्तर की नगर पंचायत में सम्मिलित हो जाने का प्रभाव
7. पंचायतो के स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना
8. ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता
9. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

अध्याय-तीन

ग्राम पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

10. ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान
11. ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था
12. ग्राम पंचायत और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल
13. निर्वाचन की पद्धति
14. ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

अध्याय-चार

पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

15. ग्राम पंचायत की स्थिति में पद त्याग
16. ग्राम पंचायत के प्रधान पद की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति
17. प्रधान के पद की अस्थाई रिक्ति की दशा में प्रबन्ध

18. प्रधान, उपप्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव
19. ग्राम पंचायत द्वारा चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार
20. ग्राम पंचायत का बाह्य नियंत्रण

अध्याय—पांच

ग्राम पंचायत की बैठकें तथा कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

21. ग्राम पंचायत की बैठकें
22. ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य
23. ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य
24. सार्वजनिक सडकों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों का अधिकार
25. ग्राम पंचायत द्वारा सफाई के सुधार
26. विद्यालयों, चिकित्सालयों के अनुरक्षण तथा सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के अधिकार
27. ग्राम पंचायतों द्वारा अभ्यावेदन तथा सिफारिशें
28. ग्राम पंचायत द्वारा योजना तैयार करना
29. उपविधियाँ बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत के अधिकार
30. ग्राम पंचायत के समस्त अधिकारी/कर्मचारी लोक सेवक होंगे
31. ग्राम पंचायत द्वारा अधिकारों का सम्पादन
32. ग्राम पंचायत के प्रधान के कर्तव्य एवं अधिकार
33. ग्राम पंचायत का कार्यालय
34. ग्राम पंचायत के प्रधान उपप्रधान को अपने अधिकार सौंपना
35. ग्राम पंचायत की समितियाँ

अध्याय—छः

ग्राम पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

36. ग्राम पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी/सचिव
37. ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य
38. ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका के बीच विवाद
39. ग्राम पंचायत में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

अध्याय—सात

ग्राम पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

40. ग्राम निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना
41. भूमि प्रबन्धक समिति की स्थापना
42. भूमि प्रबन्धक समिति के कार्य
43. ग्राम पंचायत में निहित सम्पत्ति
44. ग्राम पंचायत का बजट तैयार और पारित करना
45. ग्राम पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा

अध्याय—आठ

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

46. ग्राम पंचायत के कर एवं आय के अन्य स्रोत
47. ऋण लेने का अधिकार
48. करों में ग्राम पंचायत का अंश
49. ग्राम पंचायत को देय धनराशियों की वसूली

भाग—तीन

क्षेत्र पंचायत

अध्याय—नौ

क्षेत्र पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

50. क्षेत्र पंचायत की संरचना एवं उसका निगमन
51. क्षेत्र पंचायत का संघटन तथा पुनर्संघटन
52. क्षेत्र पंचायत को स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना
53. क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिये अनर्हता
54. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

अध्याय—दस

क्षेत्र पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

55. क्षेत्र पंचायत का प्रमुख एवं उप प्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख तथा सदस्य का निर्वाचन
56. क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था
57. क्षेत्र पंचायत और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल
58. निर्वाचन की पद्धति
59. क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

अध्याय—ग्यारह

पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

60. क्षेत्र पंचायत के पदाधिकारियों के पद त्याग
61. क्षेत्र पंचायत में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति
62. क्षेत्र पंचायत के प्रमुख की अनुपस्थिति में व्यवस्था
63. प्रमुख, उप प्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख तथा कनिष्ठ उपप्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव एवं बैठकों की गणपूर्ति
64. क्षेत्र पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार
65. क्षेत्र पंचायतों का बाह्य नियंत्रण

अध्याय—बारह

क्षेत्र पंचायत की बैठकें एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

66. क्षेत्र पंचायत की बैठकें एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार तथा प्रशासन
67. क्षेत्र पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य
68. क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना
69. क्षेत्र पंचायत के समस्त अधिकारी लोक सेवक होंगे
70. क्षेत्र पंचायत द्वारा अधिकारों का सम्पादन
71. क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के कर्तव्य एवं अधिकार
72. क्षेत्र पंचायत का कार्यालय
73. पंचायतों के प्रमुख द्वारा ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख या पंचायतों को अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रतिनिधायन
74. क्षेत्र पंचायत में समितियां

अध्याय—तेरह

क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

75. क्षेत्र पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी
76. क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य
77. क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण
78. क्षेत्र पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद
79. क्षेत्र पंचायत में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

अध्याय—चौदह

क्षेत्र पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

80. क्षेत्र निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना
81. क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पत्ति
82. क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार और पारित करना
83. क्षेत्र पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा

अध्याय—पन्द्रह

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

84. क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण
85. क्षेत्र पंचायत को देय धनराशियों की वसूली

भाग—चार

जिला पंचायत

अध्याय—सोलह

जिला पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

86. जिला पंचायत की संरचना एवं उसका निगमन

87. जिलों में परिवर्तन का प्रभाव
88. जिला पंचायत का संघटन तथा पुनर्संघटन
89. पंचायतों के स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का दूर किया जाना
90. जिला पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता
91. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

अध्याय—सत्तरह

जिला पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

92. जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य का निर्वाचन
93. जिला पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था
94. जिला पंचायतों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल
95. निर्वाचन की पद्धति
96. जिला पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि

अध्याय—अटारह

पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

97. जिला पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य का पद त्याग
98. जिला पंचायत में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति
99. जिला पंचायत के अध्यक्ष की व्यवस्था
100. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव
101. जिला पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार
102. पंचायत के विघटन का परिणाम

अध्याय—उन्नीस

जिला पंचायत की बैठकें एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

103. जिला पंचायत की बैठकें
104. विद्यालयों तथा चिकित्सालयों के अनुरक्षण तथा सुधार हेतु जिला पंचायतों के अधिकार
105. जिला पंचायत द्वारा योजना तैयार करना
106. उपविधियाँ बनाये जाने के सम्बन्ध में जिला पंचायत के अधिकार
107. जिला पंचायत के समस्त अधिकारी लोक सेवक होंगे
108. जिला पंचायतों द्वारा अधिकारों का प्रयोग और सम्पादन
109. जिला पंचायत के अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार
110. जिला पंचायतों के कार्यालय
111. पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष या पंचायतों को अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रतिनिधायन
112. जिला पंचायतों में समितियाँ

अध्याय—बीस

जिला पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

113. जिला पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी
114. जिला पंचायत के कर्मचारियों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग
115. जिला पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य
116. जिला पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण
117. जिला पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद
118. जिला पंचायतों में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

अध्याय—इक्कीस

जिला पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

119. जिला निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना
120. जिला पंचायत में निहित सम्पत्ति
121. जिला पंचायत द्वारा बजट तैयार और पारित करना
122. जिला पंचायतों के लेखों की सम्परीक्षा

अध्याय—बाईस

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

123. कर, जो जिला पंचायत द्वारा आरोपित किए जा सकते हैं
124. राज्य सरकार का जिला पंचायतों के प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार
125. जिला पंचायत का करारोपण हेतु निर्देश देने का संकल्प

भाग—पांच

अध्याय—तेईस

नियम, विनियम तथा उपविधियाँ

126. राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार
127. कार्य-संचालन आदि के लिए विनियम बनाने का अधिकार
128. पंचायतों हेतु राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति

भाग—छः

अध्याय—चौबीस

प्रकीर्ण उपबंध

129. प्रकीर्ण उपबंध

अध्याय—पच्चीस

प्रकीर्ण

130. त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एवं परिसीमन संख्या का अनुपात
131. निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध

132. निर्वाचन सम्बन्धी विषयों में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निषेध
133. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निरीक्षण आदि हेतु नियत प्राधिकारी
134. पंचायतों के सन्दर्भ में राज्य सरकार के अन्य अधिकार और कर्तव्य
135. विहित प्राधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य तथा संस्थाओं का निरीक्षण
136. नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार
137. आपात स्थिति के समय राज्य सरकार के पंचायतों के प्रति असाधारण अधिकार
138. त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों को उनके पद से पृथक किया जाना
139. राज्य सरकार का पंचायतों को विघटित करने का अधिकार
140. अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन
141. कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति
142. पंचायतों में समानान्तर संस्थाओं के गठन का निषेध
143. पंचायतों का अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने तथा ऐसी संस्थाओं के जिनका वह प्रबन्ध नहीं करती हो, सहायता करने का अधिकार
144. पंचायतों के कार्यों का संचालन और अधिकारों का प्रयोग
145. समितियों के अधिकार व कृत्य
146. राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिहित किया जाना
147. इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन करने की शास्ति
148. अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति
149. नियमों तथा उपविधियों का अतिलंघन
150. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की सम्पत्ति की अन्तःक्षेपित करने की शास्ति
151. जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा
152. अपीलें
153. कतिपय मामलों में अभियोजन का निलंबन
154. अपराध का शमन करने की शक्ति
155. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उनके अधिकारियों और सेवकों के विरुद्ध सिविल वाद
156. कार्यवाहियों की वैधता
157. पंचायतों को सहायता देने तथा अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस की शक्तियाँ तथा कर्तव्य
158. वित्त आयोग एवं पंचायतों की निधि
159. भूमि प्रबन्धक समिति का कार्य
160. सदस्य तथा अधिकारी, भूमि प्रबन्धक समिति के साथ संविदाओं आदि में स्वत्व नहीं अर्जित करेंगे
161. संयुक्त समिति
162. संपत्ति को संक्रमित करने का अधिकार
163. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा संविदाएँ
164. विभव तथा सम्पत्ति पर कर का आरोपण जारी रहना

165. विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की शर्तें और निबन्धन
166. विभव तथा सम्पत्ति कर की ग्राम पंचायतों के माध्यम से वसूली
167. कर रोपण के लिए प्रस्तावों का तैयार किया जाना
168. प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया
169. जिला पंचायत का करारोपण हेतु निर्देश देने का संकल्प
170. राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार
171. दायित्व बतलाने का आधार
172. कर के सम्बन्ध में अपील
173. कालावधि तथा अध्यर्थित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना
- 174.. व्यय
175. कराधान के विषय में दीवानी और दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक
176. व्यावृत्तियां
177. निर्धारण, वसूली अथवा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम
178. करों में ग्राम पंचायतों का अंश
179. शुल्क और पथ कर—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की संपत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिए शुल्क
180. करों तथा कुछ अन्य देयों की वसूली
181. ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशा में प्रक्रिया
182. वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार
183. भूमि के किराए की वसूली
184. अन्य अचल सम्पत्ति के लिए लगान या किराये की वसूली
185. राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन
186. वृत्त—पुस्तिकाओं तथा कर—निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा
187. पंचायतों के अभिलेखों की सिद्धि की रीति
188. पंचायतों के कर्मचारियों को लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाये जाने पर निबन्धन
189. सदस्यों द्वारा पंचायतों के निर्माण कार्यों तथा रजिस्ट्रों का निरीक्षण
190. देय धनराशियाँ
191. न्याय पंचायत की स्थापना
192. मानदेय और भत्ते
193. अधिभार
194. निरसन

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016
{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016}

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से सम्बन्धित विषयों के समेकन तथा उसके आनुषंगिक विषयों को उपबन्धित करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

भाग-एक

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 है।
विस्तार, प्रारम्भ (2) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 अथवा छावनी परिषद् अधिनियम, 1924 या तत्सम्बन्धित अधिनियमों के अधीन कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाये, के सिवाय सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।
(3) यह अधिनियम तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएं 2. जब तक कि प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-
(1) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;
(2) "ग्राम सभा" से किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से गठित और धारा 3(क) के अधीन स्थापित कोई निकाय अभिप्रेत है;
(3) "ग्राम्य क्षेत्र" से जिले में सभी स्तर के नगर निकाय क्षेत्रों तथा छावनी क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों में ग्राम के रूप में अभिलिखित हो अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित ग्राम भी सम्मिलित है;
(4) "ग्राम पंचायत" से धारा 4(1) के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;
(5) "क्षेत्र पंचायत" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत तथा उसके अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत की कोई समिति, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कृत्य व कर्तव्य का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत या अपेक्षित समिति भी सम्मिलित है;
(6) "खण्ड" से कोई विकास खण्ड अभिप्रेत है;
(7) "गृह" के अन्तर्गत कोई दुकान, गोदाम, छादक (शेड) तथा गाड़ी या पशु रखने के लिए प्रयुक्त कोई बाड़ा अभिप्रेत है;
(8) "जिला पंचायत" से इस अधिनियम के अधीन निगमित जिला पंचायत अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जिला पंचायत की कोई समिति तथा उसके जिला पंचायत का कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक सम्मिलित है, जिसके द्वारा जिला पंचायत के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कृत्यों का सम्पादन करना प्राधिकृत या अपेक्षित हो, भी सम्मिलित है;

- (9) "पिछड़े वर्गों" से उत्तराखण्ड में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियमावली जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट व्यवस्था अभिप्रेत है;
- (10) "अनुसूचित जातियों" से ऐसी जाति अभिप्रेत है, जो "संविधान" के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियां समझी जायं;
- (11) "अनुसूचित जनजातियों" से ऐसी जाति अभिप्रेत है तो "संविधान" के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियों के रूप में विहित की जायं;
- (12) "अनुसूचित बैंक" से "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में" प्रयुक्त शब्द "अनुसूचित बैंक" अभिप्रेत है;
- (13) "नगर क्षेत्र" से नगरपालिका अधिनियम के अधीन उसकी दी गयी परिभाषा अभिप्रेत है। इसमें नगर क्षेत्र में नगर निकायों के सभी स्तर की निकायों के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र सम्मिलित होंगे;
- (14) "छावनी" तथा "छावनी बोर्ड" के वही अर्थ होंगे, जो छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन इन शब्दों के लिए दिए गए हैं;
- (15) "भूमि प्रबन्धक समिति" से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत की भूमि प्रबन्धक समिति अभिप्रेत है;
- (16) "पंचायत" से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के अधीन तीनों स्तरों के लिए गठित "पंचायतें" अभिप्रेत हैं;
- (17) "पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों" से ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र पंचायतों के सन्दर्भ में किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला पंचायत के सन्दर्भ में, किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अभिप्रेत हैं;
- (18) "सम्बन्धित पंचायत यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सन्दर्भ में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष" से क्रमशः इन संस्थाओं के प्रधान या उप प्रधान, प्रमुख या उप प्रमुख तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अभिप्रेत हैं;
- (19) "पंचायत कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में नियोजित व उसकी सेवा में हो, भले ही वह वेतन राज्य सरकार के कोष से पाता हो;
- (20) "कलेक्टर" जिला मजिस्ट्रेट व सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट का किसी पंचायत के सम्बन्ध में यथास्थिति, उस जिले या परगना अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी पंचायत संगठित की गई हो, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से और शब्द कलेक्टर में एडिशनल कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट में एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट में एडिशनल मजिस्ट्रेट भी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कृत्य या अधिकार प्रतिनिहित किया हो;
- (21) "जिला मजिस्ट्रेट " से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 के अधीन नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
- (22) "जिला स्तर के अधिकारी" से जिले का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करें;
- (23) "राज्य निर्वाचन आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

- (24) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" से किसी ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे किसी जिले में निर्वाचक नामावली को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (25) "सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे एक या उससे अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो;
- (26) "वित्त आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 243-झ के अधीन संगठित वित्त आयोग अभिप्रेत है;
- (27) "राज्य निर्वाचन आयुक्त" से राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, इस रूप में पदाभिहित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो।
- (28) "न्यायाधीश" से ऐसा जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा नामांकित या कोई अन्य जिला दीवानी न्यायाधिकारी भी है;
- (29) "मण्डल", "जिला" या "तहसील" के वही अर्थ होंगे, जो भू-राजस्व अधिनियम, 1901 में क्रमशः "मण्डल" जिला तथा "तहसील" के लिए दिए गए अभिप्रेत हैं;
- (30) "मण्डलायुक्त" से भू राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन उस मण्डल के अधीन उस मण्डल के लिए नियुक्त मण्डलायुक्त अभिप्रेत है, जिसके भीतर यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करती हो तथा उक्त अधिनियम के अधीन उस मण्डल के लिए नियुक्त अपर आयुक्त भी इसके अन्तर्गत है;
- (31) "जनसंख्या" से ऐसे अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई ग्रामीण जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों;
- (32) "त्रैमास" से तीन माह की वह अवधि अभिप्रेत है, जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में से किसी माह के प्रथम तारीख से प्रारम्भ हों;
- (33) "नियत" से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम द्वारा नियत अभिप्रेत है;
- (34) "नियत प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिए नियत प्राधिकारी के रूप में राजपत्र से विज्ञापित किया गया हो;
- (35) "नियम" से इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर बनाये गये नियम अभिप्रेत है;
- (36) "उपविधि" से इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर बनायी गयी उपविधि अभिप्रेत है;
- (37) "विनियम" से इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;
- (38) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (39) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (40) "विधान सभा की निर्वाचन नामावली" से राज्य विधान सभा की किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन तैयार की गयी हो;

- (41) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार या भारतीय संघ के किसी राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (42) "सार्वजनिक सड़क" से ऐसे मार्ग, सड़क, गली, चौक, सहन तंग गली या रास्ते अभिप्रेत है, जिससे होकर जनता को आने-जाने का अधिकार हो और इसके अन्तर्गत दोनों तरफ की गन्दे पानी की नालियां या मोरियां और उनमें मिली हुई सम्पत्ति की नियत सीमा तक की कोई भूमि है, भले ही किसी बरामदे या दूसरी ऊपर की इमारत का छज्जा ऐसी भूमि के ऊपर हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी सड़क, पुल, गली, चौक, सहन तंग गली या रास्ता सम्मिलित नहीं है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय अधिकारी के स्वामित्व में हो, उसके द्वारा संधारित किया जाता हो अथवा उसके द्वारा उसकी मरम्मत की जाती हो।
- (43) "जन सेवक" से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम सं० 45 वर्ष 1860) की धारा 21 में दी गयी परिभाषा के अनुसार जनसेवक अभिप्रेत है;
- (44) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;
- (45) "सार्वजनिक सम्पत्ति यथा सार्वजनिक भूमि" से ऐसा सार्वजनिक भवन, बाग, बगीचा अथवा अन्य स्थान अभिप्रेत है, जहां तत्समय जनता चाहे कोई भुगतान करके अथवा अन्य प्रकार से की जा सकती है अथवा वहां की अनुमति प्राप्त हो;
- (46) "सरकार की सेवा में व्यक्ति" से अभिप्राय जिला सरकारी अभिभाषक (काउंसिल) अपर सहायक जिला सरकारी अभिभाषक या कोई अन्य अभिभाषक, जिसे सरकार ने नियुक्त किया है परन्तु जिसे मासिक वेतन न दिया जाता हो, राज्य सरकार में सरकारी अभिभाषक पूर्णतया अवैतनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार की सेवा में निवृत्त हो गया हो, से नहीं है;
- (47) जिला नियोजन समिति से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य, छ के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (48) "परिवार" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह अभिप्रेत है, जिसमें पति-पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता, भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहते हो तथा एक ही चूल्हे में बना भोजन करते हो।

भाग-दो

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत

अध्याय - दो

ग्राम सभा की स्थापना और संगठन तथा ग्राम पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

ग्राम सभा संगठन 3. तथा बैठकें आदि

(क) ग्राम सभा- राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिये या ग्रामों के समूह के लिये ग्राम सभा, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थापित करेगी;

परन्तु यह कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाय, वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव का नाम ग्राम सभा के नाम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) ग्राम सभा की सदस्यता- प्रत्येक ग्रामसभा क्षेत्र में निवास करने वाला वह वयस्क व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, ग्राम सभा का सदस्य होगा (प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकारी होगा।)

(ग) ग्राम सभा स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों का दूर किया जाना—यदि किसी ग्राम सभा के स्थापित करने या ग्राम सभा का संचालन करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वासन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बन्ध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अधिनियम में व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय में अन्तिम और निश्चायक होगा।

(घ) ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य—(1) प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष त्रैमासिक आधार पर कुल चार सामान्य बैठक होगी। इस सामान्य बैठक की अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जायेगी ;

परन्तु यह कि प्रधान किसी समय स्वयं, विहित अधिकारी के लिखित निर्देश पर अथवा सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम 1/5 सदस्यों की मांग पर, ऐसी मांग के तारीख से तीस दिन के भीतर असाधारण सामान्य बैठक आहूत कर सकेगा,

परन्तु यह और कि यदि यथापूर्वोक्त बैठक आहूत में प्रधान द्वारा चूक की जाती है तो विहित प्राधिकारी उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसी बैठक आहूत कर सकेगा।

(2) ग्राम सभा की बैठकें केवल सार्वजनिक/सरकारी भवनों अथवा ग्राम पंचायत के किसी खुले स्थान पर ही आयोजित की जायेगी।

स्पष्टीकरण— प्रधान/उप प्रधान के घर आहूत बैठक की कार्यवाही अवैध मानी जायेगी।

(ड.) ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए गणपूर्ति— ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों में से कुल परिवारों की संख्या में से आधे परिवारों के प्रतिनिधियों संख्या अनिवार्य होगी।

स्पष्टीकरण— स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या के 1/10 अथवा कुल परिवारों से 1/4 परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति। परिवार की संख्या का निर्धारण परिवार रजिस्टर के आधार पर किया जायेगा।

(च) ग्राम सभा के कृत्य/शक्तियां— (1) ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को अपनी सिफारिश और सुझाव दे सकेगी—

(एक) ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो:

(दो) पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट:

(तीन) ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि:

(चार) ग्राम के भीतर प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम :

(पांच) ऐसे अन्य सभी जनहित विषय मामले जैसे नियत किये जाएं:

(2) ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक् विचार करेगी।

(छ) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन भी करेगी, अर्थात्—

(क) सामुदायिक (कल्याण) कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना,

(ख) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुँचाना,

ग्राम पंचायत संगठन एवं परिसीमन

(ग) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना।

4. 1-ग्राम पंचायत (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम, या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में यथासाध्य पांच सौ तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य एक हजार में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगी;

परन्तु यह कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य दो हजार तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य दस हजार या इससे अधिक नहीं होगी, किन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व पर गठित ग्राम पंचायतें, जब तक आवश्यक न हो, यथावत् बनी रहेंगी;

परन्तु यह और कि राजस्व ग्राम को "पंचायत क्षेत्र" की घोषणा के प्रयोजनार्थ विभाजित नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार आदेश द्वारा परिहार्य अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में उक्त प्रतिबन्ध शिथिल कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समय:

(क) किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करने या उससे निकालकर, परिष्कार कर सकेगी।

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, या

(ग) यह घोषणा कर सकेगी कि कोई क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

(घ) ग्राम पंचायत का संघटन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जायेगा जो नियत किया जाय और तदपरान्त ग्राम पंचायत को सम्यक् रूप से संघटित समझा जायेगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो;

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत के गठन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान सहित न्यूनतम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जाये।

(3) ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, जब तक कि अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त नहीं किया जाय, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा।

(4) प्रधान ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होगा।

(5) ग्राम पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जायेगा।

2-पंचायत क्षेत्र का परिसीमन- (1) पंचायत क्षेत्रों का परिसीमन ऐसे रीति से किया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(2) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ऐसे पंचायत क्षेत्र ज्ञात नाम से ग्राम पंचायत जो कि निगमित निकाय होगी, गठित की जाएगी।

(3) किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या-

(1) 1000 तक हो, 7 सदस्य,

- (2) 1001 से 2000 तक हो, 9 सदस्य,
- (3) 2001 से 3000 तक हो, 11 सदस्य,
- (4) 3001 से 5000 तक हो, 13 सदस्य, और
- (5) 5001 से अधिक हो, में 15 सदस्य होंगे।

3- ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में महिला सदस्य को सभापति के रूप में ऐसे नियुक्त किया जायेगा जैसा नियमों में विहित किया जाय।

5. ग्राम पंचायत का गठन तथा पुनर्गठन
राज्य सरकार प्रत्येक जिलों में ग्राम पंचायत के वर्तमान क्षेत्र यदि कोई हों तो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो, उनके गठन या पुनर्गठन का प्रबन्ध करेगी।
6. जनसंख्या में परिवर्तन अथवा पंचायत क्षेत्र के किसी भी स्तर की नगर पंचायत में सम्मिलित हो जाने का प्रभाव
यदि किसी ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया जाए तो वह ग्राम पंचायत नहीं रह जायेगी और उसकी परिसम्पत्ति तथा दायित्व नियत रीति से निस्तारित किये जाएंगी। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग सम्मिलित कर लिया जाए, तो उतना भाग उसकी अधिकारिकता से कम हो जाएगा और स्वतः ऐसा भाग क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की अधिकारिकता क्षेत्र में नहीं रहेगा।
7. ग्राम पंचायत के स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का दूर किया जाना
यदि किसी ग्राम पंचायत के स्थापित करने या संचालन करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वचन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बंध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बंध में, जिसके लिए इस अधिनियम में व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय में अन्तिम और निश्चयक होगा।
8. ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता
(1) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप-प्रधान नियुक्त होने के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह होगा, यदि -
(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह घोषित किया गया हो;
परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो वह इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष की आयु से न्यून है,
(ख) वह ग्राम पंचायत का वैतनिक सदस्य है।
(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, इसमें सहायता प्राप्त विद्यालय में सेवारत अध्यापक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे।

- (घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया है।
- (ङ.) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये, ग्राम पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा है।
- (च) किसी नगर निकाय का सदस्य है।
- (छ) वह अनुत्मोचित दिवालिया है।
- (ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है।
- (झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है।
- (ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया है।
- (ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है।
- (ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है।
- (ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है।
- (ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है।
- (ण) उसे इस अधिनियम की धारा 137 के अधीन पद से हटा दिया गया है, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत नहीं हो गई है;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर उपधारा (5) के अधीन अनर्हता नहीं रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट उपधाराओं के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

- (त) यदि किसी महिला प्रधान, उप प्रधान, एवं सदस्य के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निर्वहन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

- (2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता:— इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्वाचन-विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, अथवा किसी ऐसे पद या

स्थान पर जो ग्राम पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगी।

(3) शौचालय न होने पर अनर्हता— (क) यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बंधित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है, वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवारी हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जाना:— (क) यदि किसी सदस्य से सम्बंधित प्रविष्टि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाये तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ऐसे पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा;

(ख) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खण्ड (क) अधीन ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह ग्राम पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना नहीं रहेगा।

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय— यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी है या नहीं तो ऐसे प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि यदि कोई अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है तो ऐसे व्यक्ति का नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से, जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण काट दिया गया हो, तत्काल फिर से रख दिया जाएगा,

(6) अभिलेख आदि देने में चूक करने की अनर्हता एवं दण्ड— (क) प्रत्येक कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्यकाल पूर्ण करने पर पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति को तत्काल अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में चूक करेगा तो यह कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ख) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा एतदर्थ जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(ग) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पद पर रहा हो, उत्तराधिकारी अथवा नियत प्राधिकारी से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के फलस्वरूप वह किसी आगामी पंचायत निर्वाचन में प्रतिभाग करने के लिए अर्ह नहीं होगा।

(7) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध— कोई व्यक्ति न तो ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार हो सकेगा, और न ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक पद धारण कर सकेगा।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली 9.

(1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन एक ऐसी निर्वाचक नामावली तैयार की जायेगी जैसा नियमों में विहित किया जाये।

(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन करेगा;

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत, के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम तारीख के पश्चात् एवं उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन उस निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में तैयार की गई समझी जायेगी और वह ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

अध्याय-तीन

ग्राम पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

ग्राम पंचायत का 10. प्रधान और उप प्रधान ग्राम पंचायत का एक प्रधान और एक उप प्रधान होगा जो क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। प्रधान और उपप्रधान का निर्वाचन आदि ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाये।

ग्राम पंचायतों में 11. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के (चौदह) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर ऐसी जनसंख्या ज्ञात की जा सकेगी;

परन्तु यह और भी कि कुल आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई से अन्यून स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

(2) उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक के अध्याधीन किसी ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए।

स्पष्टीकरण- इस धारा में उपबन्धित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

- ग्राम पंचायत और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल 12. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत यदि उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपनी प्रथम बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, न की उससे अधिक, बनी रहेगी।
(2) किसी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त नहीं कर दिया जाए तो सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।
(3) इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी पंचायत के प्रधान, उप प्रधान का कार्यकाल सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा।
- निर्वाचन की पद्धति 13. किसी ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सदस्य के पद के लिए निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली अथवा ई.वी.एम. द्वारा होगा;
परन्तु यह कि पंचायतों को इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने के लिये निवारित नहीं करेगी।
- ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि 14. (1) ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य स्तर पर गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के पद हेतु संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।
(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत कर सकेगी।

अध्याय-चार

पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

- ग्राम पंचायत की स्थिति में पद त्याग 15. (1) किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्बोधित स्वःहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा;
परन्तु यह कि स्वःहस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिन के भीतर यदि त्याग पत्र स्वीकृत न हो तो तदपश्चात् त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत समझा जायेगा और त्याग पत्र देने वाले पदाधिकारी पन्द्रह दिन के पश्चात् अपने पद पर नहीं रह जायेगा तथा ऐसा पद ऐसी तारीख से स्वतः रिक्त समझा जायेगा।
- ग्राम पंचायत के प्रधान पद की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 16. यदि ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने अथवा पद की शपथ लेने से इनकार करने या किसी कारण से रिक्त हो जाये तो यथासम्भव उस पद की पूर्ति उसके शेष कार्यकाल के लिए, ऐसी रीति से भरा जायेगा जैसा विहित किया जाये;
परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्तियां होने के तारीख को यदि पंचायतों का कार्यकाल छः माह से कम हो तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।
- प्रधान के पद की अस्थाई रिक्ति की दशा में प्रबन्ध 17. जब प्रधान अनुपस्थित हो, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो और उप प्रधान का पद रिक्त हो या जब उप प्रधान, प्रधान के पद की रिक्ति के दौरान इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा है भी अपने कृत्यों में असमर्थ हो तब जिस तारीख को अनुपस्थित प्रधान अथवा उप प्रधान जब तक अपने कर्तव्यों को पुनः सम्भालें उस तारीख तक इस अधिनियम में विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

18. प्रधान, उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव
- (1) प्रधान- तत्समय ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक चौथाई से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले न्यूनतम पांच सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) उप प्रधान में अविश्वास का प्रस्ताव- प्रस्ताव के अभिप्राय का लिखित नोटिस विहित अधिकारी को सम्बोधित होगा। ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से आधे सदस्यों द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा नोटिस व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) ग्राम पंचायत के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही- प्रधान, उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस का सरसरी तौर से परीक्षण करने के उपरान्त अविश्वास प्रस्ताव हेतु एक विशेष बैठक आहूत करेगा और ऐसी बैठक हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद से अन्यून अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति भी करेगा। अविश्वास प्रस्ताव हेतु आहूत गयी यह विशेष बैठक पंचायत भवन अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में ही की जायेगी।
- (4) ऐसी विशेष बैठक के लिए पन्द्रह दिन पूर्व का नोटिस और समस्त प्रक्रिया प्रस्तुतीकरण के तीस दिन के भीतर पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- (5) ऐसी विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी। ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित समझे जायेंगे। गणपूर्ति के अभाव में एवं प्रस्ताव पारित न होने की दशा में सम्बंधित के विरुद्ध एक वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं जा सकेगा;
- परन्तु यह कि प्रधान एवं उप प्रधान के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव उनके निर्वाचन के एक वर्ष की अवधि के भीतर अथवा उनकी पदावधि के अवसान से पूर्ववर्ती छः मास की कालावधि के भीतर नहीं लाया जा सकेगा।
19. ग्राम पंचायत के द्वारा चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार
- (1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा अन्यथा, सरकार को यह प्रतीत हो कि ग्राम पंचायत या उसकी संयुक्त समिति या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस पर आरोपित कर्तव्य का सम्पादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य का पालन किए जाने के लिए एक अवधि निश्चित कर सकेगी।
- (2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्तव्य का सम्पादन न किया जाए तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को, उसका सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और निर्देश दे सकेगी कि उक्त कर्तव्य का सम्पादन करने का व्यय यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी जैसा निश्चित करे, ग्राम पंचायत द्वारा चुकाया जाए।
- (3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया न जाए तो निदेशक पंचायतराज द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें ग्राम निधि की अभिरक्षा रखने वाले प्राधिकारी के लिए उस निधि में से उक्त व्यय का भुगतान का निर्देश हो।
20. ग्राम पंचायत का बाह्य नियंत्रण
- ग्राम पंचायत के लिए नियत प्राधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी होगा, नियत प्राधिकारी से सम्बन्धित अधिकार, कर्तव्य, कृत्य बाह्य नियंत्रण आदि ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जायें।

अध्याय-पांच

ग्राम पंचायतों की बैठकें तथा कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

ग्राम पंचायत की 21.
बैठकें

- (1) कार्य संचालनार्थ ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में न्यूनतम एक बार होगी किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा।
- (2) ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए स्थान, तारीख, समय ऐसा होगा जैसा विहित किया जाये।
- (3) गणपूर्ति- ग्राम पंचायत की बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी। स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति एक तिहाई ही होगी, किन्तु दूसरी बार भी बैठक की गणपूर्ति पूर्ण न होने पर अगली बैठक हेतु गणपूर्ति 1/5 होगी।
- (4) ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रक्रिया आदि ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।
- (5) ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा और प्रश्न करने के अधिकार ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।
- (6) इस अधिनियम में कोई बात न तो किसी भी को, किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देगी, जो यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, परन्तु यह कि ग्राम पंचायत -

(क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल औषधालय,, निर्धन-गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण-गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकती है, और

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

ग्राम पंचायत के 22.
सामान्य कृत्य

- (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों अथवा अतिरिक्त कृत्यों को ग्राम पंचायत को सौंप सकेगी-
 - (एक) पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाना और ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित प्राधिकारी को प्रेषित करना;
 - (दो) ग्राम सभा की वार्षिक आय-व्ययक तैयार करना तथा ग्राम सभा से पारित करा कर निर्धारित प्राधिकारी को प्रेषित करना;
 - (तीन) प्राकृतिक आपदा में राहत कार्यों के सम्पादन में सहायता करना;
 - (चार) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वेच्छिक श्रमदान व अंशदान की व्यवस्था करना;
 - (पांच) पंचायत के आवश्यक आकड़े तथा डाटा बेस का रखा जाना;
 - (छः) ग्राम पंचायत द्वारा सम्पन्न कार्यों का विवरण ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत करना;
 - (सात) ग्राम सभा के क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले अपरिचित के विषय में सूचना पंजिका रखना;

(आठ) अन्य कृत्य जो इस अधिनियम के अधीन उसके क्षेत्राधिकार में पड़ते हो या उच्च स्तर से प्रतिनिहित किए जाए;

(नौ) भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबन्ध;

परन्तु यह कि इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध (या राज्य सरकार द्वारा इस विषयक की गयी व्यवस्था) के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है;

(दस) वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास;

(ग्यारह) आबादी-स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास,

(बारह) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(तेरह) मीनाशियों और तालाओं का अनुरक्षण तथा विकास,

(चौदह) ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कृत्यों के सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन;

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अथवा किसी अन्य अधिनियमि (या राज्य सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था) के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति को विशेषतः अभ्यर्पित कृत्य का सम्पादन, और

(सोलह) ऐसे प्रबन्ध, परीक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जैसा विहित किया जाए।

स्पष्टीकरण— (1) ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के या उसकी ओर से कोई लाइसेन्स पट्टा, क्रय, तबादला, संविदा या व्यवसाय में कोई हिस्सा या हित उपार्जित नहीं करेगा और न उपार्जित करने का प्रयत्न करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति ऐसे क्रय में हित रखता हो जिससे सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति यह विश्वास करती है कि वह नियमित रूप से व्यापार करता है और क्रय की हुई वस्तु का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक नहीं है।

(2) कोई न्यायालय या अन्य अधिकारी ऐसे कार्य के आधार पर जो किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के उपबन्धों के विपरीत किया हो, उक्त व्यक्ति के दावा करने पर उसे कोई हक नहीं दिलायेगा;

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत जब भूमि प्रबन्धक समिति के रूप में कार्य करेगी तब राजस्व विभाग का पटवारी ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

ग्राम पंचायत के 23.
अन्य कृत्य

ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्—

(एक) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है—

(क) कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति,

(ख) बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना।

- (दो) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण—
- (क) भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेन्सियों की सहायता करना,
- (ख) भूमि चकबन्दी में सहायता करना।
- (तीन) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास—
- (क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना,
- (ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई उद्देश्य से जलपूर्ति का विनियमन।
- (चार) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन—
- (क) पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना,
- (ख) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति।
- (पांच) मत्स्य पालन— ग्रामों में मत्स्य पालन का विकास।
- (छः) सामाजिक और कृषि वानिकी—
- (क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण,
- (ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।
- (सात) लघु वन उत्पाद— लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति में सहायता करना,
- (आठ) लघु उद्योग—
- (क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना,
- (ख) स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति।
- (नौ) कुटीर और ग्राम उद्योग —
- (क) कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना।
- (ख) कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति।
- (दस) ग्रामीण आवास—
- (क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,
- (ख) आवास स्थलों का वितरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।
- (ग्यारह) पेयजल पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के स्रोतों का विनियमन।
- (बारह) ईंधन और चारा भूमि—
- (क) ईंधन और चारा भूमि से सम्बन्धित बॉस और पौधों का विकास,
- (ख) चारा भूमि के अनियमित अन्तरण पर नियंत्रण।
- (तेरह) सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन—
- (क) ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण,
- (ख) जलमार्गों का अनुरक्षण,
- (ग) सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को हटाना।

- (चौदह) ग्रामीण विद्युतीकरण— सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना।
- (पंद्रह) गैर-पारम्परिक उर्जा स्रोत— ग्राम में गैर-पारम्परिक उर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण।
- (सोलह) गरीबी उपशमन कार्यक्रम— गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन।
- (सत्रह) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं— शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना।
- (अठ्ठारह) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा— ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति।
- (उन्नीस) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा— प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति।
- (बीस) पुस्तकालय—पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की अनुरक्षण।
- (इक्कीस) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य—
- (क) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया—कलापों की प्रोन्नति।
 - (ख) विभिन्न त्यौहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन,
 - (ग) खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण।
- (बाईस) बाजार और मेला— पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन।
- (तेईस) चिकित्सा और स्वच्छता—
- (क) ग्रामीण स्वच्छता को प्रोन्नति,
 - (ख) महामारियों के विरुद्ध रोकथाम,
 - (ग) मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम,
 - (घ) छुट्टा पशु और पशुधन के विरुद्ध निवारक कार्यवाही,
 - (ङ) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण।
- (चौबीस) परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन।
- (पच्चीस) आर्थिक विकास और बाल विकास— ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना।
- (छब्बीस) प्रसूति और बाल विकास—
- (क) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना,
 - (ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।
- (सत्ताईस) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है—
- (क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना,
 - (ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई उद्देश्य से जलपूर्ति का विनियमन।

(अट्‌टाईस) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण—

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना,

(ख) सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन।

(उनतीस) सार्वजनिक वितरण प्रणाली—

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति,

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण।

(तीस) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण—सामुदायिक आस्तियों का परीक्षण और अनुरक्षण।

सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों का अधिकार

24.

समस्त सार्वजनिक सड़कों या ऐसी नहरों से भिन्न जिनकी परिभाषा उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित है से भिन्न ऐसे जल मार्गों पर जो किसी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थित हो और जो निजी सड़क अथवा जलमार्ग न हों और राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण में नहीं हो उस ग्राम पंचायत का नियन्त्रण होगा और वह उसके संधारण तथा मरम्मत के लिए समस्त आवश्यक कार्य कर सकेगी; और—

(क) नये पुलों—पुलियों का निर्माण कर सकेगी;

(ख) किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया अथवा पुल का मार्ग बदल सकती है, उसे बन्द कर सकती है, समाप्त कर सकेगी;

(ग) पास—पड़ोस के खेतों को न्यूनतम क्षति पहुँचा कर सार्वजनिक सड़क पुलिया अथवा पुल को चौड़ा कर सकती है, खोल सकती है, बढ़ा सकती है, अथवा उसमें अन्य प्रकार से सुधार कर सकेगी;

(घ) जल मार्गों को गहरा कर सकती है अथवा उनमें अन्य प्रकार से सुधार कर सकेगी है;

(ङ) नियत अधिकारी की स्वीकृति से जहां उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 के अधीन कोई नहर विद्यमान हो तो सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकार की स्वीकृति से भी जिसे राज्य सरकार नियत करें इस धारा के अधीन निर्देश द्वारा निर्दिष्ट लघु सिंचाई परियोजनायें प्रारम्भ कर सकेगी ;

(च) सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई झाड़ी या वृक्ष की डाल को काट सकेगी;

(छ) किसी सार्वजनिक जल मार्ग को पानी पीने अथवा रसोई पकाने के प्रयोजन के लिए अलग कर देने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सकती है और स्नान करने, कपड़ा धोने और जानवरों को नहलाने अथवा अन्य कार्य का जिनसे इस प्रकार अलग किये गये जल मार्गों के गन्दा होने की सम्भावना हो, प्रतिषेध कर सकेगी;

परन्तु यह कि खण्ड (छ) के अधीन कोई ऐसी बात एतदर्थ राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं की जाएगी जिसका प्रभाव उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 द्वारा शासित नहर पर प्रभाव पड़ सकता हो।

- ग्राम पंचायत द्वारा सफाई के सुधार 25. ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को उसकी वित्तीय स्थिति पर विचार करके और उसको उसके अनुपालन का यथोचित समय देकर सफाई सुधार हेतु—
- (क) ऐसी भूमि पर भवन से सम्बन्धित किसी शौचालय, मूत्रालय, नाबदान ग्राम नाली, नलकूप गन्दगी, गन्दे पानी या कूड़ा-करकट के अन्य पात्रों को बन्द करने, हटाने, बदलने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणुरहित करने अथवा अच्छी हालत में बनाये रखने अथवा किसी ऐसे शौचालय मूत्रालय अथवा नाबदान के जो किसी सड़क या नाली पर खुलता हो, किसी दरवाजे या जाली को हटाने या परिवर्तित करने अथवा नाली का निर्माण करने अथवा शौचालय, मूत्रालय अथवा नाबदान की पर्याप्त छत, दीवार या घेरे से बन्द करने जिससे उधर से आने-जाने वाले तथा पड़ोस में रहने वाले उसे नहीं देख सके;
- (ख) निजी कूप, तालाब, जलाशय हौज, कुण्ड, गड्ढा, नीचे भूमि अथवा उसमें से उत्खात को जो ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य के लिए हानिकर अथवा पड़ोसियों को दुर्गन्धयुक्त जान पड़े, साफ करने, उसकी मरम्मत करने, ढंकने पाटने, निस्तारित करने, गहरा अथवा पानी निकालने;
- (ग) किसी वनस्पति वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ियां, जंगल साफ करने; तथा
- (घ) धूल, गोबर, मल, खाद अथवा अन्य कोई हानिकर दुर्गन्धित वस्तु को वहाँ से हटाने और भूमि अथवा भवन को साफ करने के लिए ग्राम पंचायत आदेश दे सकेगी;
- परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिस पर खण्ड (ख) के अधीन नोटिस तामील किया जाए, नोटिस की प्राप्ति के तारीख से तीस दिन के भीतर सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से नोटिस के विरुद्ध अपील कर सकेगा, जो उसमें परिवर्तन, परिवर्द्धन, उपान्तरण अथवा पुष्टि कर सकेगा।
- विद्यालयों, चिकित्सालयों के अनुरक्षण तथा सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के अधिकार 26. (1) (क) ऐसे नियमों के अधीन जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्कूलों तथा किसी वर्तमान प्राइमरी स्कूल के भवन और उसके मैदान सहित सुधार कर सकेगी और उसके समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।
- (ख) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो किसी वर्तमान आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल और औषधालय को उसके भवन और सज्जा के सहित संधारित करेगी की स्थापना तथा देख-रेख के सम्बन्ध में नियम विहित किये जा सकेंगे।
- (2) जिला पंचायत और राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित स्कूल, अस्पताल अथवा औषधालयों को ऐसा अनुदान दे सकेगी जैसा विहित किया जाए।
- ग्राम पंचायत द्वारा अभ्यावेदन तथा सिफारिशें 27. ग्राम पंचायत समुचित प्राधिकारी को :-
- (क) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों के कल्याण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दे सकेगी; और
- (ख) ग्राम पंचायत की आधिकारिता के भीतर आने वाले समस्त विभागों के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण अथवा, पदच्युत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को सिफारिश कर सकेगी।
- ग्राम पंचायतों द्वारा योजना तैयार करना 28. प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र के लिए एक विकास योजना निर्धारित प्ररूप पर, जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, तैयार करेगी और उस सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी को ऐसी तारीख से पूर्व जैसा नियत किया जाए, प्रेषित करेगी।

- उपविधियाँ बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत का अधिकार 29.
- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विहित प्राधिकारी द्वारा बनायी गयी उपविधियाँ, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित विषयों पर उपविधियाँ बना सकेगी; अर्थात्—
- (क) पीने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्रोत से पानी ले जाने अथवा इसके प्रयोग का प्रतिषेध करना, जिससे स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो और किसी ऐसे कार्य को करने का प्रतिषेध करना जिससे पानी पीने के स्रोत के दूषित होने की सम्भावना हो;
- (ख) किसी नाली अथवा भू-गृहादि के किसी सार्वजनिक सड़क अथवा नदी, पोखरें, तालाब, कुएं अथवा किसी स्थान पर पानी के उत्सर्जन का प्रतिषेध या विनियमन करना;
- (ग) सार्वजनिक तथा ग्राम पंचायत की किसी सम्पत्ति को क्षति से बचाना;
- (घ) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सफाई मलवाहन तथा जल निस्तारण का विनियम;
- (ङ) दुकानदारी अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग अथवा सार्वजनिक सड़कों पर तह बाजारी की वसूली का प्रतिषेध या विनियमन करना;
- (च) इस रीति का विनियमन करना, जिसमें तालाब, पोखरें, नल-कूप, चारागाह, खेल के मैदान, हाथ के गड्ढे, मृतकों के निस्तारण के लिए भूमि तथा स्नान के स्थान संधारित किए जाये तथा प्रयुक्त हो;
- (छ) ग्राम पंचायत के ऐसे अन्य कर्तव्यों तथा कृत्यों का विनियमन करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाय।
- (2) ग्राम पंचायत द्वारा बनायी गयी उपविधियों को विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा। उसके सम्बन्ध में प्राप्त किसी आपत्ति पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचार किया जायेगा एवं तदुपरान्त उपविधियों पर प्राप्त आपत्तियाँ यदि कोई हो, और उन किए गए निर्णयों के साथ विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। उपविधियाँ जिस रूप में वे विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी हों, विहित प्रकार से प्रकाशित किए जाने के पश्चात, लागू होंगी;
- परन्तु यह कि राज्य सरकार इस प्रकार स्वीकृत किसी भी उपविधि को किसी भी समय विखण्डित या उपनिहित कर सकेगी।
- ग्राम पंचायत के समस्त अधिकारी/कर्मचारी लोक सेवक होंगे 30.
- ग्राम पंचायत के क्रमशः प्रधान, उप प्रधान, अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड संहिता, अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1860 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे तथा उक्त की धारा 161 में प्रयुक्त शब्द 'सरकार' इस धारा के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत भी सम्मिलित समझी जायेंगी।
- ग्राम पंचायतों द्वारा अधिकारों का सम्पादन 31.
- ग्राम पंचायत अपने किसी ऐसे अधिकार, कर्तव्य और कृत्य को जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रधान को नहीं सौंप गये हो, ऐसे अधिकार एवं कृत्यों को उप प्रधान या ग्राम पंचायत की किसी समिति को संकल्प द्वारा प्रतिनिहित कर सकेगी।
- ग्राम पंचायत के प्रधान के कर्तव्य एवं अधिकार 32.
- (1) प्रधान के कर्तव्य एवं अधिकार जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, प्रधान के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-
- (क) ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत और उसकी समितियों की बैठकों को बुलायेगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा;

- (ख) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या उन समितियों जिसका इस अधिनियम के अधीन वह अध्यक्ष है, अध्यक्षता करेगा।
- (2) ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सभी बैठकों में कार्य सम्पादन के लिए एतदर्थ बनाये गये किसी विनियम या नियम के अनुसार अन्यथा नियन्त्रित करेगा।
- (3) ग्राम पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे और उसमें यदि कोई त्रुटि पाये तो उसको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जानकारी में लायें।
- (4) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करें जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, उप विधियों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उसे अपेक्षित हों अथवा उस हेतु प्राविधानित किए जायें।
- (5) ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में रहते हुए उन्हें सचिव के द्वारा अध्यावधिक किए जाना।
- (6) ग्राम पंचायत का कोई सदस्य बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा और प्रधान या उप प्रधान से ग्राम पंचायत के प्रशासन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में विहित रीति से प्रश्न भी पूछ सकेगा।
- ग्राम पंचायत का 33. कार्यालय ग्राम पंचायत का कार्यालय सार्वजनिक स्थान पर स्थित पंचायत भवन अथवा किसी अन्य सरकारी भवन में अवस्थित होगा।
- ग्राम पंचायतों के 34. प्रधान, उपप्रधान को अपने अधिकार सौंपना प्रधान, ग्राम पंचायत अपने कर्तव्य एवं अधिकार उप प्रधान को प्रतिहस्तांतरित कर सकेंगे।
- ग्राम पंचायतों की 35. समितियाँ इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत के गठित हो जाने पर 90 दिन के भीतर, ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादनार्थ ग्राम पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में सहायतार्थ ऐसी समिति या समितियाँ जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, नियुक्त करेगी। ग्राम पंचायतें अपनी ऐसी शक्तियों या कृत्य, जैसा कि वह उचित समझे, प्रतिहस्तान्तरित कर सकेंगी। ग्राम पंचायत के कृत्यों के सम्पादनार्थ ऐसी समितियाँ और उप समितियाँ होगी तथा उसके अध्यक्ष, सदस्य, गणपूर्ति तथा अन्य व्यवस्थाये ऐसी होंगी जैसा विहित किया जाये।

अध्याय-छः

ग्राम पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियां तथा प्रक्रिया

- ग्राम पंचायत के 36. अधिकारी कर्मचारी/सचिव (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के समूह के लिए, जैसा राज्य सरकार नियत करे, एक पूर्णकालिक ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव होगा। ग्राम पंचायत विशेष संकल्प द्वारा अपने कार्यों के संचालनार्थ विहित अधिकारी के पूर्वानुमोदन से, किसी अन्य कर्मचारी को भी नियुक्त कर सकेंगी।
- (2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को, जो राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत हों, ऐसे पद नाम से जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ग्राम पंचायतों के अधीन सेवा करने के लिए स्थानान्तरित कर सकेंगी। ऐसे कर्मचारी ग्राम पंचायत के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सेवा करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जायें।

- (3) राज्य सरकार सरकारी सेवकों की सहायता के लिए, किसी अन्य सरकारी सेवक को निर्देश दे सकेगी।
- ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कृत्य 37. ग्राम पंचायत के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जैसा विहित किया जाये।
- ग्राम पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद 38. यदि ग्राम पंचायत की अधिकारिता के सम्बन्ध में अथवा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत के बीच में अथवा नगर पंचायत के बीच कोई विवाद हो तो उसे विहित प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।
- ग्राम पंचायतों में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग 39. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी—
(क) ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे, जो ग्राम प्रधान की देख-रेख में अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे।
(ख) प्रधान, को आवेदन करने पर और ऐसी फीस के भुगतान कर दिए जाने जैसा विहित की जाय, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अभिलेख की प्रति देगा और उसे अपने हस्ताक्षर और ग्राम पंचायत की मुहर से सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेगा।
(ग) ग्राम पंचायत में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत ऐसे सभी अभिलेख रखे जायेंगे जो विहित किए जाएं।

अध्याय—सात

ग्राम पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

- ग्राम निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना 40. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा राज्य सरकार निश्चित करे, ग्राम पंचायत की स्थिति में ग्राम निधि किसी ऐसे सरकारी कोषाकार एवं उप कोषाकार अथवा ऐसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक एवं डाक घर में खाता खोलकर जमा की जायेगी। निधि से आहरण वितरण प्रधान व सचिव /ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।
- भूमि प्रबन्धक समिति की स्थापना 41. (1) ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम सभा की या उनमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पत्ति के रख-रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करेगी।
(2) प्रधान भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल उसका सचिव होगा।
- भूमि प्रबन्धक समिति के कार्य 42. (1) भूमि प्रबन्धक समिति पर ग्राम पंचायत के लिए तथा उसकी ओर से समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत सामान्य प्रबन्ध, परीक्षण तथा नियन्त्रण भी सम्मिलित होगा, का भार होगा—

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है।

(ख) वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास,

(ग) आबादी स्थलों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(ङ.) मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास,

(च) ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा, उससे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन,

(छ) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति की विशेषतः अभ्यर्थित कृत्यों का सम्पादन, और

(ज) ऐसे प्रबन्धन परीक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये, और वह ग्राम पंचायत के उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक या आनुषंगिक हों।

(2) भूमि से प्रबन्धक समिति अपना कार्य जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन करेगी।

ग्राम पंचायत में 43.
निहित सम्पत्ति

राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्ययवृत्ति के अधीन रहते हुए, इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति जो ग्राम के भीतर स्थित हो, ग्राम पंचायत में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो ग्राम पंचायत में निहित हो जाये, उसके निर्देश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन रहेगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त अधिकार में रखी तथा उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्—

(क) प्रत्येक प्रकार की सार्वजनिक ईमारतें, जो ग्राम-निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हो;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग, जो ग्राम-निधि से निर्मित किए गए हों या उससे अनुरक्षित किए जाते हों और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण सामग्री, उपकरण और वस्तुएं जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिए की गई हों;

(ग) सार्वजनिक भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के स्वामित्व में की गई हो।

(घ) भूमि अर्जित करने का अधिकार— यदि ग्राम सभा अथवा कई ऐसी ग्राम पंचायतें जो धारा 42(क) अथवा 160 के उपबन्धों के अधीन एक में सम्मिलित हुई हो, इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमि की अपेक्षा करे, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतें पहले तो आपसी बातचीत से भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी और यदि सम्बन्धित पक्षों में करार न हो सके, तो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतें विहित प्रपत्र में कलेक्टर के पास भूमि अर्जित करने के लिये प्रार्थना पत्र दे सकती हैं और कलेक्टर ऐसी भूमि को उक्त ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के लिये अर्जित कर सकता है।

(ङ.) दावों का निस्तारण— जब धारा 43 में उल्लिखित किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत और किसी व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो, तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का समुचित अवसर देगी और तब यह निर्णय करेगी कि उक्त सम्पत्ति को ग्राम सभा की सम्पत्ति समझा जाये या नहीं।

ग्राम पंचायत का बजट तैयार और पारित करना

- (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी नियत की जाए, आगामी एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।
- (2) ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का होगा।
- (3) ग्राम पंचायत द्वारा बजट पारित होने के पांच दिन के अन्दर ग्राम पंचायत के पारित बजट को सचिव द्वारा उस क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।
- (4) क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के बजट को मूल रूप में या उसमें अपेक्षित परिष्कार कर निश्चित तारीख तक ग्राम पंचायत को लौटाएगी। ग्राम पंचायत इन परिष्कारों के अनुरूप बजट तैयार कर निर्धारित समय के अन्दर पुनः क्षेत्र पंचायत को भेजेगी और क्षेत्र पंचायत निर्धारित तारीख से पूर्व बजट पारित कर ग्राम पंचायत को लौटायेगी यदि क्षेत्र पंचायत पन्द्रह दिन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के बजट को अनुमोदित नहीं करती है तो ग्राम पंचायत का बजट अंतिम रूप से पारित समझा जाएगा।

ग्राम पंचायतों के लेखों की सम्परीक्षा

- (1) (क) ग्राम पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा, प्रतिवर्ष ऐसी रीति से जो नियत की जाए, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियत किया जाए, द्वारा की जाएगी। विभाग द्वारा सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित पंचायत को, सम्परीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर उपबन्ध करायी जायेगी।
- (ख) सम्परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत सम्परीक्षा पायी गयी कमियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करेगी और तीन महीने के भीतर अनुपालन आख्या स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियत हो, को भेजेगी।
- (2) ग्राम पंचायतों में संचालित समस्त योजनाओं का सोशल आडिट (सामाजिक सम्परीक्षा) भी कराया जायेगा।

अध्याय—आठ

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

ग्राम पंचायत के कर एवं आय के अन्य स्रोत

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्न कर व शुल्क उद्ग्रहण कर सकेगी—

- (1) पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व पंचायत के भवनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के भवनों पर कर। बाहरी व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि क्रय करने अथवा भवन कय करने की दशा में उस पर कर।
- (2) ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में कृषि बागवानी को छोड़कर अन्य प्रकार के व्यवसाय पर कर।
- (3) ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति के अन्तरण पर शुल्क।
- (4) ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समस्त प्रकार के क्रय-विक्रय जिसमें पशु क्रय-विक्रय भी सम्मिलित है, शुल्क,
- (5) पंचायत क्षेत्रान्तर्गत निम्न पर उपविधियां बनाकर शुल्क उद्ग्रहण कर सकती है—
- (क) केवल ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चलने वाले वाहनों पर शुल्क;

- (ख) स्वच्छता शुल्क यदि ग्राम पंचायत स्वच्छता की व्यवस्था करती है;
- (ग) पेयजल एवं सिंचाई पर शुल्क यदि ग्राम पंचायत पेयजल व सिंचाई की व्यवस्था क्षेत्र में करती है;
- (घ) हाट बाजार एवं मेलों पर शुल्क।
- (6) विवाह स्थल, मण्डप, रिजोर्ट, मनोरंजन स्थलों पर तीनों पंचायतों द्वारा ऐसा कर एवं शुल्क लगाया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार नियमों में विहित करे।।
- (7) ग्राम पंचायत की सीमा के अन्तर्गत स्थित सरकारी शराब की दुकानों में होने वाली बिक्री पर उपकर जैसा राज्य सरकार नियमों में विहित करे, का आरोपण।
- (8) भवन निर्माण एवं परिवर्द्धन का मानचित्र स्वीकृत करने पर शुल्क आरोपण, जैसा राज्य सरकार नियमों में विहित करे।
- (9) भवन कर- प्रति वर्ष ग्राम पंचायत की सीमा अन्तर्गत निर्मित हो रहे भवनों पर क्षेत्रफल के आधार पर कर का निर्धारण का आरोपण;
- परन्तु यह कि राज्य सरकार जैसा कि नियत करे आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन अथवा खण्डित कर सकेगी।
- (10) जिन पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत रेत, बजरी आदि खनन का कार्य क्रियान्वित हो रहा हो, वहां राज्य सरकार नियमों के अधीन पंचायतों को रायल्टी का अंश नियत करने हेतु निर्देशित कर सकेगी एवं पंचायत के तीनों स्तरों पर इसका अंश नियत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (11) यदि कोई ग्रामीण ग्राम पंचायत में हाट बाजार लगाना चाहे, तो सम्बंधित ग्राम पंचायत को उसे व्यक्तिगत हाट बाजार पर लाईसेंस दिये जाने का अधिकार दिये जाने सम्बंधी प्राविधान किया जायेगा, जैसा नियत किया जाय।
- (12) पशु वधशाला के लिए लाईसेंस जारी होने से पूर्व सम्बंधित को ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तदनुसार उस पर शुल्क इत्यादि उदग्रहण का प्राविधान करेगी, जैसा नियत किया जाय।
- (13) स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज लगाये जाने का प्राविधान किया जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह कि राज्य सरकार न्याय विभाग के परामर्श से नियमों में व्यवस्था करेगी।
- (14) पंचायत क्षेत्र में विज्ञापन, होर्डिंग आदि पर कर आरोपित किये जाने का अधिकार सम्बंधित पंचायतों को दिया जाय। इस हेतु राज्य सरकार तीनों स्तरों की पंचायतों के लिये पृथक-पृथक अधिकारित क्षेत्र निर्धारित करेगी।
- (15) ग्राम पंचायतें पंचायतों की सम्पत्ति आदि का दुरुपयोग एवं अतिक्रमण होने की दशा में जुर्माना एवं दण्डात्मक कार्यवाही कर सकेगी।
- (16) ग्राम पंचायत में कूड़ा कडकट, गंदगी आदि को प्रत्येक घर से एकत्र करने एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का अधिकार (निरंतर सड़कों की सफाई, प्रतिदिन गंदगी की सफाई, मृतक पशुओं को हटाया जाना, डस्टबिन, व्यक्तिगत कूड़ा-करकट इक्वटा करवाना, एकत्रित गंदगी, कूड़ा-करकट डिपों तक पहुंचाना, डस्टबिन तथा पशुओं के शव, संस्थागत कचरा, व्यापारिक कचरा, राख, धूल, घरेलू कचरे के अस्थायी एकत्रीकरण हेतु स्थान एवं पात्र धारक के सम्बंध में व्यवस्था) ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत कर सकेगी।
- (17) यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है तो निजी शौचालय और नलियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है जो उन मकानों के जिनसे वे शौचालय या नालियां साफ हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा, और

- (18) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिये कर।
47. ऋण लेने का अधिकार
ग्राम पंचायत स्थानीय लोगों को रोजगार देने, कुटीर उद्योग चलाने, बागवानी करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति पर नाबार्ड से ऋण ले सकेगी।
48. करों में ग्राम पंचायतों का अंश
यदि जिला पंचायत संकल्प द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने किसी कर, शुल्क या फीस को वसूल कराने का विनिश्चय करें तो ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वसूल की गई धनराशि का निश्चित प्रतिशत जो नियमों द्वारा नियत किया जाये, ग्राम पंचायत को दिया जायेगा।
49. ग्राम पंचायत को देय धनराशियों की वसूली
इस अधिनियम के अधीन या तदान्तर्गत निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन ग्राम पंचायत को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा उपविधि द्वारा इस आशय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने योग्य घोषित की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय की व्यवस्था अनुसार विहित रीति से वसूल की जा सकेगी।

भाग-तीन- अध्याय-नौ

क्षेत्र पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

50. क्षेत्र पंचायत की संरचना एवं उसका निगमन
(1) ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन- राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुये प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकेगी या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खण्ड बना सकेगी।
- (2) खण्डों में परिवर्तन का प्रभाव- यदि धारा 50 की उपधारा (3) (ख) के अधीन कोई खण्ड निकाल कर दूसरे में सम्मिलित किया जाय तो ऐसा क्षेत्र उस खण्ड की क्षेत्र पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन न रहेगा जिससे वह निकाला गया हो, क्षेत्राधिकार में, तथा उसमें प्रवृत्त नियमों विज्ञापितियों, आदेशों निर्देशों और सूचनाओं के अधीन हो जायेगा तथा राज्य सरकार इस क्षेत्र पंचायत की, क्षेत्राधिकार से निकाला गया हो। आस्तियों का ऐसा नहीं जो वह उचित समझे उसे दूसरी क्षेत्र पंचायत के सुपुर्द कर सकती है और ऐसे आदेश तथा निर्देश दे सकेगी;

परन्तु यह कि यदि एक खण्ड से निकाला कोई क्षेत्र किसी ऐसे नये खण्ड में सम्मिलित किया जाय जिसके लिए कोई क्षेत्र पंचायत गठित न की गयी हो तो जब तक कि नये खण्ड के लिए क्षेत्र पंचायत गठित नहीं कर दी जाय, उस खण्ड की क्षेत्र पंचायत, जिससे वह क्षेत्र निकाला गया हो, उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती रहेगी और क्षेत्र पंचायत द्वारा उस क्षेत्र के सम्बन्ध में की गयी कोई बात अथवा कार्यवाही जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी कोई नियुक्ति या, जारी की गयी विज्ञप्ति, आदेश या निर्देश निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना, आदेश या निर्देश या लाइसेन्स या किया गया पंजीकरण भी है, नए खण्ड के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नई क्षेत्र पंचायत द्वारा की गयी समझी जायेगी और तदनुसार वह जब की प्रभावी रहेगी जब तक कि उसे उस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात या कार्यवाही द्वारा अवक्रान्त न कर दिया जाए।

(3) प्रत्येक खण्ड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी जिसका नाम उस खण्ड (क्षेत्र पंचायत) के संघटन के नाम पर होगा एवं जो एतदपश्चात् उपबन्धित प्रकार से और निगमन द्वारा संघटित की जायेगी। क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख जो उसका पीठासीन होगा, एवं एक

ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख भी होगा जो निम्न से मिलकर संगठित होगी।

(क) निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए, पंचायत क्षेत्र को, जैसा राज्य सरकार नियत करे, जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा।

(ख) खण्ड में स्थित ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान।

(ग) राज्य विधान सभा एवं लोक सभा सदस्य।

(घ) राज्य सभा के सदस्य जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हों;

उक्त उपधारा (3) के (ख), (ग), एवं (घ) में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख या ज्येष्ठ उपप्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन और उनके विरुद्ध अविश्वास के मामलो को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की समस्त कार्यवाही में भाग लेने और उनकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख व ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही विचार कर सकेंगे।

(4) जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो जो पूर्णतः या भागतः किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता हो ऐसी क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिभाग कर विचार व्यक्त कर सकेगा, परन्तु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु मानक— (क) राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र पंचायत के गठन हेतु अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुरूप समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं अन्तिम परिसीमन की अधिसूचना होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र में सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम 25,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर बीस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा तथा मैदानी क्षेत्रों में सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम 50,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर बीस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का एवं अधिक जनसंख्या वाली क्षेत्र पंचायतों (विकास खण्डों) में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम चालीस क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित होगा;

परन्तु यह कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथा साध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा;

परन्तु यह और कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत का
संघटन तथा
पुनर्संघटन

51.

राज्य सरकार प्रत्येक जिलो में क्षेत्र पंचायत के वर्तमान क्षेत्र यदि कोई हों तो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो उनके संघटन या पुनर्संघटन का प्रबन्ध करेगी।

पंचायतों को
स्थापित करने
और उत्पन्न होने
वाली कठिनाइयों
का दूर किया
जाना

52.

यदि किसी क्षेत्र पंचायत के स्थापित करने या संचालन करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वचन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बन्ध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अधिनियम में व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय में अन्तिम और निश्चयक होगा।

क्षेत्र पंचायत की 53. सदस्यता के लिए अनर्हता

- (1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए अनर्ह होगा, यदि –
(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्सम प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इकसीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

- (ख) वह ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत /जिला पंचायत का वैतनिक सेवक हो;
(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो जिसमें सहायता प्राप्त विद्यालय, में सेवारत अध्यापक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित है;
(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;
(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये, क्षेत्र पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह क्षेत्र पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;
(च) किसी नगर निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो,
(छ) वह अनुत्मोचित दिवालिया हो;
(ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;
(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।
(ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो।
(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।
(ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
(ण) उसे धारा 30 के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतर अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

(त) यदि किसी क्षेत्र पंचायत की महिला सदस्य/प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार क्षेत्र पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निर्वहन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अगले त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता:— इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन-विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में क्षेत्र पंचायत प्रमुख अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो क्षेत्र पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगा।

(3) शौचालय न होने पर अनर्हता— (क) यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बंधित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जाना:— (एक) क्षेत्र पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाये;

(दो) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह क्षेत्र पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, नहीं रहेगा।

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय— यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया हो तो उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा। यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध— कोई व्यक्ति एक साथ क्षेत्र पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही क्षेत्र पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।

प्रत्येक प्रादेशिक 54. निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

(1) क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली (इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी।

(क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(ख) निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी, जैसे नियत की जाय।

(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिल कर बनायी जायेगी, जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भाग समाविष्ट हैं और किसी क्षेत्र पंचायत में ऐसी किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम तारीख के पश्चात् एवं उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन उस निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रीति से निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को अटठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा;

परन्तु यह कि—

(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण से कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है यह नहीं समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है।

(दो) अपने साधारणतया निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थिति रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह नहीं समझा जाएगा कि वह वहाँ का निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का साधारणतया निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जाएगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का साधारणतया निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति, साधारणतया कहाँ का निवासी है, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।

(5) कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) विकृतचित है और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, अथवा

(ग) निर्वाचन सम्बंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह है।

(6) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (6) के अधीन अनर्ह हो जाए उसका नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से तत्काल हटा दिया जाएगा जिसमें वह अंकित है।

(7) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा।

(8) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या छावनी परिषद से सम्बंधित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो और वह यह प्रदर्शित नहीं करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया है।

(9) जहाँ "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" को दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या परिवर्द्धित की जानी चाहिए, वहाँ वह इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने से पूर्व नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति से सम्बंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(10) राज्य निर्वाचन आयोग, सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का, ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकेगा;

परन्तु यह कि अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निर्देश दिए जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि उस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूर्ण न हो जाए।

(11) जहाँ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, वहां राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धी निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने के तारीख और उसके प्रवर्तन की अवधि:

(ख) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि:

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि:

(12) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना —

(एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचन नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो, या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में त्रुटि से सम्मिलित किया गया हो, या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो:—

(क) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण:

(ख) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन-पत्र पर देय फीस;

(ग) निर्वाचक नामावलियों तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय;

(घ) उपर्युक्त उप धाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने के प्रयोजनों हेतु तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकेगा जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हो;

परन्तु यह कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन के अन्तिम तारीख के पश्चात और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

(13) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता वर्जित होगी—

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करने या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं: या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन की गई किसी कार्यवाही (या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय) की वैधता पर आपत्ति करना।

(14) मत देने इत्यादि का अधिकार— अधिनियम की तीनों स्तरों की विभिन्न धारा द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी क्षेत्र

पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो उस क्षेत्र पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन नाम-निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने अटठारह वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

अध्याय-दस

क्षेत्र पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

- क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख एवं सदस्य का निर्वाचन 55. (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक प्रमुख और एक ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुनेंगे।
(2) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद के रिक्त होते हुए भी प्रमुख और उप प्रमुख के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि प्रमुख, उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही इस अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप निर्वाचन की विहित रीति से किया जायेगा;

परन्तु यह और कि प्रमुख व उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए भी उपधारा (2) के उपबन्ध समान रूप से प्रभावी होंगे।

- क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था 56. प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात क्षेत्र पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियत किया जाए:

परन्तु यह कि यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी।

(क) आरक्षित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(ख) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के लिए आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में निविर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा;

स्पष्टीकरण-

इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं की अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।

- पंचायतों और 57. (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।
उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल (2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन के किसी स्तर पर ऐसे क्षेत्र पंचायत का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।
(3) इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप प्रमुख, का कार्यकाल सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल तक ही रहेगा।
- निर्वाचन की 58. क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय, गुप्त मतदान प्रणाली अथवा ई.वी.एम. द्वारा होगा; परन्तु यह कि पंचायतें इस धारा में उल्लिखित पदधारियों का निर्विरोध निर्वाचन कर सकेंगी।
- क्षेत्र पंचायत के 59. (1) क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि (1) क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के पद पर संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।
(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत करेगी।
(4) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा।
- अध्याय-ग्यारह
- क्षेत्र पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण
- क्षेत्र पंचायत के 60. (1) प्रमुख, उप प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों के पद त्याग मजिस्ट्रेट को सम्बोधित स्वःहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा।
(2) यदि त्याग पत्र देने वाला प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य दस दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत त्याग पत्र वापस नहीं लेता है तो प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य द्वारा स्वःहस्ताक्षरित त्याग पत्र जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के उपरान्त स्वीकृत त्याग पत्र की सूचना क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाने की तारीख से यह समझा जायेगा कि ऐसे प्रमुख, उप प्रमुख या सदस्य क्षेत्र पंचायत ने अपना पद रिक्त कर दिया है।
- क्षेत्र पंचायत में 61. यदि किसी प्रमुख, उप प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने, अथवा पद के शपथ लेने से इंकार करने या किसी अन्य किसी कारण रिक्त हो जाये तो उस रिक्ति की पूर्ति उस पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए इस अधिनियम में उपबन्धित रीति से की जायेगी;
परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्तियां होने के तारीख को यदि पंचायतों का शेष कार्यकाल छः माह से कम हो तो, रिक्तियों की पूर्ति नहीं की जायेगी।
- क्षेत्र पंचायत के 62. जब प्रमुख अनुपस्थित हो, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन प्रमुख की करने में असमर्थ हो और उप प्रमुख का पद रिक्त हो या जब उप प्रमुख, प्रमुख के पद

अनुपस्थिति में
व्यवस्था

प्रमुख, ज्येष्ठ उप
प्रमुख तथा
कनिष्ठ उपप्रमुख
में अविश्वास का
प्रस्ताव एवं
बैठकों की
गणपूर्ति

की रिक्ति के दौरान इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा है, भी अपने कृत्यों का निर्वहन अनुपस्थिति, बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक को अनुपस्थित हो, अपने कर्तव्यों को फिर सम्भाले उस तारीख तक विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे।

63. (1) प्रमुख या उप प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस द्वारा क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, प्रस्ताव की एक प्रति के साथ नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी को किया जायेगा।

(2) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा—

(क) क्षेत्र पंचायत की एक विशेष बैठक उक्त अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में स्वयं द्वारा नियत तारीख को आहूत करेगा और यह तारीख उपधारा (1) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने की तारीख से 30 दिन के बाद का नहीं होगा; तथा

(ख) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक का न्यूनतम 15 दिन का नोटिस ऐसे रीति से देगा, जैसा नियत किया जाय।

(3) संबंधित मुख्य विकास अधिकारी जिले में कार्यरत किसी उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला स्तरीय अधिकारी को ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता करने के निर्देश दे सकेगा।

(4) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर ऐसा अधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो बैठक आगामी तारीख और समय तक के लिए स्थगित हो जायेगी। ऐसी स्थगित बैठक की आगामी तारीख विहित अधिकारी जैसा उचित समझे, नियत कर सकेगा।

(5) यदि उप धारा (4) में उल्लिखित अधिकारी/ उप जिला मजिस्ट्रेट बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे किसी अन्य तारीख और समय के लिए स्थगित कर सकेगा, जैसा वह नियत करे। वह उप धारा (2) की अधीन बैठक के लिए नियत तारीख से पच्चीस दिन से अधिक नहीं होगा। वह मुख्य विकास अधिकारी को लिखित रूप से बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। मुख्य विकास अधिकारी सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (2) के अधीन नियत रीति से न्यूनतम दस दिन पहले देगा।

(6) उपधारा (4) तथा (5) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आहूत की गयी बैठक स्थगित नहीं की जायेगी।

(7) इस धारा के अधीन आहूत बैठक के प्रारम्भ होते ही, पीठासीन अधिकारी क्षेत्र पंचायत को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक आहूत की गयी है तथा यह घोषित करेगा कि इस पर वाद—विवाद किया जा सकेगा।

(8) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर वाद—विवाद स्थगित नहीं किया जायेगा।

(9) यदि ऐसा वाद—विवाद बैठक आरम्भ होने के निश्चित समय से दो घंटों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, यदि आवश्यक हो, तो अविश्वास प्रस्ताव मतदान के लिए

प्रस्तुत किया जायेगा, जो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नियत रीति से होगा।

- (10) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण-दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा।
- (11) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
- (12) यदि प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई समर्थन से पारित हो तो—
 - (क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा कर, उसे प्रकाशित करवाएगा;
 - (ख) यथा स्थिति प्रमुख या उप प्रमुख प्रस्ताव पारित होने के तारीख से तत्काल अपने पद पर नहीं रहेगा, उसे रिक्त कर देगा।

परन्तु यह कि –

तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायेगी जिसमें इस धाराओं के अधीन किए गये प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायेगा जो सदस्यों को बैठक के नये नोटिस जारी करने के लिए अपेक्षित हो;

परन्तु यह और कि प्रमुख, उप प्रमुख के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव :-

- (1) उस तारीख से जिससे वह अपना पद ग्रहण करता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर;
- (2) उस तारीख से जिससे यथास्थिति उसकी पदावधि समाप्त होती है, पूर्ववर्ती छः मास की कालावधि के भीतर;
- (3) उस तारीख से जिसको पूर्व में अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

64.

(1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा अन्यथा, सरकार को यह प्रतीत हो कि क्षेत्र पंचायत या उसकी संयुक्त समिति या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस पर आरोपित कर्तव्य का सम्पादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य का पालन किए जाने के लिए एक अवधि निश्चित कर सकेगी।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्तव्य का सम्पादन न किया जाए तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को, या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को, उसका सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी, और निर्देश दे सकेगी कि उक्त कर्तव्य का सम्पादन करने का व्यय यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी जैसा निश्चित करे, क्षेत्र पंचायत द्वारा चुकाया जाए।

(3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया नहीं जाए तो मण्डलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा आदेश दे सकेगा जिसमें ग्राम निधि, क्षेत्र निधि, जिला निधि की अभिरक्षा

65. क्षेत्र पंचायतों का बाह्य नियंत्रण

रखने वाले प्राधिकारी के लिए उस निधि में से उक्त व्यय का भुगतान का निर्देश हो।

(1) धारा 24 से 32 तक के उपबन्ध क्षेत्र पंचायतों पर यथाशक्य परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे;

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत की दशा में जिला मजिस्ट्रेट नियत प्राधिकारी होगा और पूर्ववत धाराओं 24 से 32 जिला पंचायतों के सम्बन्ध में जो अधिकार, कर्तव्य, कृत्य मंडलायुक्त में निहित है, वे क्षेत्र पंचायत की दशा में जिला मजिस्ट्रेट में निहित समझे जायेंगे।

अध्याय—बारह

क्षेत्र पंचायतों की बैठके एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

66. क्षेत्र पंचायत की बैठकें एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

(1) कार्य—सम्पादन के लिए त्रैमासिक आधार पर क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम चार बैठकें होगी।

(2) प्रमुख से उसकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख, जब कभी भी वह उचित समझे, क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकेगा तथा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के न्यूनतम 1/5 सदस्यों के लिखित अधियाचन पर, जो प्रमुख या उप प्रमुख को उपलब्ध कराया जा चुका हो अथवा डाक द्वारा पत्र क्षेत्र पंचायत को इस आशय से भेजा जा चुका हो, क्षेत्र पंचायत की बैठक आहूत करना आवश्यक होगा।

(3) क्षेत्र पंचायत की बैठक कोई आगामी या किसी पश्चात्पूर्ती दिन तक स्थगित की जा सकेगी किन्तु इस प्रकार स्थगित बैठक पुनः एक माह के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

(4) प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर जिसकी सम्यक रूप से सूचना दी जा चुकी हो, में होगी।

(5) क्षेत्र पंचायत के बैठक की गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों का एक तिहाई होगी एवं गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति भी एक तिहाई ही होगी किन्तु दूसरी बार भी बैठक की गणपूर्ति पूर्ण न होने पर अगली बैठक हेतु गणपूर्ति 1/5 होगी;

परन्तु यह और कि आहूत बैठक हेतु कार्यसूची यथावत् रहेगी;

परन्तु यह और भी कि आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र पंचायतों की विशेष बैठकें भी आयोजित की जा सकेगी।

(2) पंचायतों में बैठकों की प्रक्रिया आदि— क्षेत्र पंचायत की बैठकों से सम्बद्ध निम्नलिखित विषय नियम द्वारा शासित होंगे—

(क) बैठकों में कार्य सम्पादन,

(ख) कार्य के सम्पादन के लिए गणपूर्ति,

(ग) प्रमुख तथा उप प्रमुख की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता,

(घ) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछना,

(ङ) बैठक की सूचना,

(च) बैठक में व्यवस्था बनाये रखना,

(छ) मतदान द्वारा निर्णय,

(ज) कार्यवृत्त पुस्तिका तथा संकल्प,

(झ) सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का चर्चाओं में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार,

(ज) क्षेत्र पंचायत का राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी बैठकों में उपस्थित होने की अपेक्षा करने का अधिकार,

(ट) बैठकों के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों का अधिकार,

(ठ) क्षेत्र पंचायत का क्रमशः खण्ड विकास अधिकारी से प्रतिवेदन, विवरणी आदि की अपेक्षा करने का अधिकार, तथा

(ड) अन्य आनुषांगिक विषय जिनके नियत किये जाने की आवश्यकता हो या उन्हें नियत किया जाना चाहिये।

(3) क्षेत्र पंचायत का प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा और प्रश्न करने का अधिकार—क्षेत्र पंचायत प्रमुख अथवा खण्ड विकास अधिकारी से अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित उपलब्ध कराने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी—

(क) यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान आँकड़े या अन्य सूचना,

(ख) किसी उप-समिति या प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण, तथा

(ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र-व्यवहार या योजना अथवा अन्य लेख्य या उसकी प्रतिलिपि जो उसके कब्जे या नियंत्रण में प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी के रूप में हो या जो, यथास्थिति क्षेत्र पंचायत के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो।

(4) क्षेत्र पंचायतों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अपवाद— इस अधिनियम में कोई बात न तो किसी भी क्षेत्र पंचायत को, किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देगी, जो यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो,

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत—

(क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल औषधालय,, निर्धन-गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण-गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकेगी, और

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकेगी जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

क्षेत्र पंचायत के 67. सामान्य अधिकार और कृत्य

(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के सम्बन्ध में तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त योजनाओं को संकलित करते हुए विकास योजनाओं की वार्षिक योजना तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;

(2) ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना व आय-व्ययक स्वीकृत करना;

(3) क्षेत्र पंचायत का आय-व्यय तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;

(4) ग्राम पंचायत के मध्य समन्वय स्थापित करना और उनका मार्ग दर्शन करना;

(5) प्राकृतिक आपदाओं में आपातकालीन सहायता की व्यवस्था करना; और

(6) राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा प्रतिनिहित या सौंपे गये कृत्यों का सम्पादन व

शक्तियों को प्रयोग करना।

उक्त अधिकार व कृत्यों के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र पंचायत खण्ड के भीतर धारा 37(क) में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी।

क्षेत्र पंचायत द्वारा 68. योजना तैयार करना

(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत के खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजना को सम्मिलित कर अपने-अपने खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उक्त उपधारा (एक) में निर्दिष्ट योजना, क्षेत्र पंचायत के नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से सचिव/खण्ड विकास अधिकारी तैयार करेगा और क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

(3) क्षेत्र पंचायत द्वारा परिष्कार या बिना परिष्कार के साथ अनुमोदित योजना सचिव/खण्ड विकास अधिकारी उस तारीख के पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति से जो नियत की जाए जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करेगी।

क्षेत्र पंचायत के 69. समस्त अधिकारी लोक सेवक होंगे

क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख एवं अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा तथा उक्त की धारा 161 में "विधिक पारिश्रमिक" की भाषा में प्रयुक्त शब्द 'सरकार' में, इस धारा के प्रयोजनार्थ क्षेत्र पंचायत भी सम्मिलित समझी जायेंगी।

क्षेत्र पंचायत द्वारा 70. अधिकारों का सम्पादन

क्षेत्र पंचायत अपने किन्हीं ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों को छोड़कर जो इस अधिनियम द्वारा केवल क्षेत्र पंचायत द्वारा ही प्रयोग और सम्पादन किये जाने हो, या प्रमुख के लिए रक्षित हों अथवा उसको सौंपे गये हों, किन्ही ऐसे अधिकारी के कर्तव्यों और कृत्यों को जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त हो या उस हेतु निर्धारित किये गये हों या उसको सौंपे गये हों, विशेष संकल्प द्वारा प्रमुख या क्षेत्र पंचायत की किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकेगी।

क्षेत्र पंचायत के 71. प्रमुख, के कर्तव्य एवं अधिकार

(1) प्रमुख का यह कर्तव्य होगा कि वह जबकि इस उपधारा द्वारा अन्यथा प्राविधानित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा नहीं कर सके तो—

(क) क्षेत्र पंचायत तथा उसकी उन समितियों की जिसका इस अधिनियम में उसे अध्यक्ष नियत किया गया है, कि सभी बैठकों को आहूत करे और उनकी अध्यक्षता करे।

(ख) क्षेत्र पंचायत की सभी बैठकों में कार्य सम्पादन को एतदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसार अन्यथा नियन्त्रित करें।

(2) क्षेत्र पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा क्षेत्र पंचायत प्रशासन का अधीक्षण करे और उसमें पाई गई त्रुटि को क्षेत्र पंचायत की जानकारी में लाये।

(3) ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण और इस निमित्त विवरण पत्र, लेखे, प्रतिवेदन तथा लेखों की प्रतिलिपि पंचायत अथवा उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करना।

(4) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, उपविधियों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन, उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित किये जायें।

- (5) प्रमुख की अनुपस्थिति में उप प्रमुख इस अधिनियम के अधीन प्रमुख के उल्लिखित समस्त कृत्यों व अधिकारों का सम्पादन व प्रयोग करेगा।
- (6) प्रमुख या क्षेत्र पंचायत द्वारा उसे प्रतिनिहित किन्हीं कृत्यों व अधिकारों का सम्पादन व प्रयोग करेगा।
- क्षेत्र पंचायतों का कार्यालय 72. क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां पर क्षेत्र पंचायत का मुख्यालय स्थित हो अथवा राज्य सरकार नियत आदेश द्वारा करे।
- क्षेत्र पंचायत के प्रमुख द्वारा ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या पंचायतों को अधिकार एवं कर्तव्यों प्रतिनिधायन 73. क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख को अपने कर्तव्य एवं अधिकार सौंप सकेंगे।
- क्षेत्र पंचायतों में समितियाँ 74. क्षेत्र पंचायत इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादन के निमित्त जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, ऐसी समिति या समितियाँ जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, क्षेत्र पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में उस प्रकार की सहायता करने के लिए नियुक्त करेगी। पंचायतें अपनी ऐसी शक्तियाँ या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे। क्षेत्र पंचायत के लिए निम्नलिखित समितियाँ होगी:-
- (क) क्षेत्र पंचायत – क्षेत्र पंचायत में कर्तव्यों के सम्पादन हेतु छः समितियों का गठन किया जायेगा जो निम्न प्रकार होंगी:-
- (1) नियोजन एवं विकास समिति (2) शिक्षा समिति
 (3) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (4) निर्माण कार्य समिति
 (5) प्रशासनिक समिति (6) जल प्रबन्धन एवं जैव विविधता प्रबन्धन समिति
- (एक) समिति (1) व (5) के अध्यक्ष क्रमशः क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होंगे।
 (दो) समिति (2) व (4) के अध्यक्ष क्रमशः क्षेत्र पंचायत की दशा में उप प्रमुख होंगे।
 (तीन) समिति (3) व (6) का अध्यक्ष सम्बन्धित समिति के सदस्यों में से कोई एक होगा। समिति के सदस्य सचिव क्षेत्र पंचायत में खण्ड विकास अधिकारी होंगे।
 (चार) क्षेत्र पंचायत की धारा 55 के अन्तर्गत गठित समितियों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा।
 (पांच) क्षेत्र पंचायत में 30 सदस्यों तक प्रत्येक समिति में चार-चार सदस्य होंगे।
 (छः) क्षेत्र पंचायत में 30 से अधिक सदस्यों की स्थिति में छः-छः सदस्य होंगे।
 (सात) समिति की बैठके प्रत्येक माह होगी एवं समिति की बैठक की गणपूर्ति दो तिहाई होगी।
 (ख) उप समितियाँ-

(1) समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक या एक से अधिक उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी।

(2) उप-समिति का संघटन तथा कार्यकाल ऐसे होंगे जैसा समिति द्वारा नियत किये जाएं।

(3) यदि समिति उप-समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायेगा।

(ग) समितियों या उप-समितियों का अधीन रहना—

(1) क्षेत्र पंचायत किसी भी समय, अपनी किसी समिति से, तथा उसी प्रकार समिति अपनी किसी उप-समिति से यथास्थिति, ऐसी समिति अथवा उप-समिति को कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी माँग सकेगी।

(2) यथास्थिति, समिति अथवा उप-समिति, उप धारा (1) के अधीन की गई प्रार्थना का यथाशक्य शीघ्र अनुपालन करेंगे।

अध्याय—तेरह

क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियां तथा प्रकिया

क्षेत्र पंचायत के 75.
अधिकारी एवं
कर्मचारी

(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का एक कार्यपालक अधिकारी होगा। क्षेत्र पंचायत के अधीन रहते हुए खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत के सचिव अथवा राज्य सरकार जैसा विहित करे, दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जिससे कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन कर सके और ऐसे समस्त अधिकारी तथा कर्मचारियों की सेवाएं क्षेत्र पंचायत को ऐसी शर्तों पर सौंपी गई समझी जायेगी जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करें।

(3) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायत के कृत्यों का सम्पादन करने के उद्देश्य से क्षेत्र पंचायत में नियोजित किए जाने वाले अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं, वेतनक्रम, संख्या तथा सेवा की शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

क्षेत्र पंचायत के 76.
अधिकारियों,
कर्मचारियों के
अधिकार, कर्तव्य
एवं कृत्य

(1) क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य वे होंगे जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन तथा नियमों द्वारा की जाय।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए क्षेत्र पंचायत के पृथक-पृथक विभागों के विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की दशा में, और मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में उन्हें अधिकार कृत्य तथा कर्तव्य सौंप सकेगा। खण्ड विकास अधिकारी उस क्षेत्र पंचायत में जिसका की खण्ड विकास अधिकारी हो, ग्राम विकास के नियोजित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य सौंप सकेगा।

- क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण 77. (1) प्रमुख, क्षेत्र पंचायत का खण्ड विकास अधिकारी/सचिव पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।
(2) क्षेत्र पंचायत में नियोजित ग्राम विकास के अधिकारी तथा कर्मचारी, खण्ड विकास अधिकारी/सचिव के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।
(3) क्षेत्र पंचायत के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।
- क्षेत्र पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद 78. यदि क्षेत्र पंचायत की अधिकारिता के सम्बन्ध में अथवा दो या दो से अधिक क्षेत्र पंचायत के बीच में अथवा नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के बीच कोई विवाद हो तो उसे विहित प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।
- क्षेत्र पंचायतों में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग 79. (1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत ऐसे अभिलेख जो क्षेत्र पंचायत में रखे जानें आवश्यक हों, रखे जायेंगे।
(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियत समस्त अभिलेख क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्बन्धित सचिव/खण्ड विकास अधिकारी की अभिरक्षा में, कार्यालय में रखे जायेंगे।
(3) क्षेत्र पंचायत के सचिव को आवेदन करने पर तथा विहित की गयी फीस के भुगतान किए जाने पर किसी व्यक्ति की मांग की दशा में अभिलेखों की प्रतियाँ सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जायेंगी। सचिव, मोहर सहित सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यों, प्रयोजनों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, धनराशि के पृथक से कोई अभिलेख नहीं रखे जायेंगे।

अध्याय-चौदह

क्षेत्र पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएं

- क्षेत्र निधि की अभिरक्षा या उसका जमा किया जाना 80. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा राज्य सरकार नियत करे, क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में क्षेत्र निधि, किसी ऐसे सरकारी खजाने में या उप-खजाने अथवा ऐसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक एवं डाक घर में खाता खोलकर जमा की जायेगी।
- क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पत्ति 81. (1) राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुए, इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति, जो खण्ड/जिले के भीतर स्थित हों, क्षेत्र पंचायत में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो क्षेत्र पंचायत में निहित हो जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उसके निर्देश, प्रबन्ध और नियन्त्रण के अधीन रहेगी, अर्थात्—
(क) प्रत्येक प्रकार की समस्त सार्वजनिक इमारतें जो क्षेत्र निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हो;
(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो क्षेत्र-निधि से निर्मित किए गए हों या उससे अनुरक्षित किए जाते हों और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण-सामग्री, उपकरण और वस्तुएं जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिए की गई हो;
(ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय प्रयोजनों के लिए पंचायतों को सक्रमित की गई हों; तथा

(घ) जिला/खण्ड के भीतर स्थित सब तालाब और कुएं और समस्त जमीनें, इमारतें, सामग्री तथा वस्तुएं जो उनसे सम्बद्ध या सशक्त हों, जो निजी सम्पत्ति न हो और न किसी सरकार द्वारा या जिला पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित हों।

(2)(क) क्षेत्र पंचायत इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमिति के अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग अथवा अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य के पालन के निमित्त, स्थायी रूप से, कोई भूमि या भूमि सम्बन्धी कोई अधिकार अर्जित करना चाहें, तो वह राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह उसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) के या अन्य किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों के अधीन उसके व्यय से अर्जित कर लें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या ऐसा अधिकार उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन अर्जित किये जाने पर तथा तदन्तर्गत दिलाये गये प्रतिकर का तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किये गये व्यय का भुगतान, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य सरकार को कर दिये जाने पर, वह भूमि या अधिकार, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत में निहित हो जायेगा।

(3) (क) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का जिसका अनुरक्षण पूर्णतया क्षेत्र निधि से होता है, प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन, क्षेत्र पंचायत में निहित होगा।

(ख) अन्य कोई सार्वजनिक संस्था भी क्षेत्र पंचायत में निहित की जा सकती है अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की जा सकेगी;

परन्तु यह कि उसके सम्बन्ध में परिषद् या क्षेत्र पंचायत के प्राधिकार की आयति नियम द्वारा नियत की जा सकेगी।

(ग) किसी भी सार्वजनिक संस्था की ऐसी समस्त सम्पत्ति, निबन्ध और निधियाँ जो क्षेत्र पंचायत में निहित हों अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की गई हों क्षेत्र पंचायत द्वारा उन प्रयोजनों के निमित्त न्यास के रूप में अपने अधिकार में रखी जायेंगी जिनके लिए ऐसी सम्पत्ति, निबन्ध तथा निधियाँ उस समय विधितः उपयोग में लायी जा सकती थी जबकि संस्था इस प्रकार निहित हुई थी या इस प्रकार अधीन की गई थी;

परन्तु यह कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन किसी न्यास की सम्पत्ति को पूर्व विन्यास के कोषपाल में निहित होने से रोकती है।

क्षेत्र पंचायत का 82.
बजट तैयार और
पारित करना

(1) क्षेत्र पंचायत का बजट क्षेत्र पंचायत के सचिव द्वारा नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से तैयार कर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय-व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिए अपने आय-व्यय का बजट उस तारीख के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए तैयार करेगी;

परन्तु यह कि अनुमानित आय में राज्य सरकार से नियोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय के अनुमानों में भी यह अलग प्रदर्शित किया जाएगा कि उन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

क्षेत्र पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा 83.

(2) प्रमुख, नियोजन एवं विकास समिति द्वारा तैयार किए गए लेखे तथा बजट को क्षेत्र पंचायत द्वारा पारित किए जाने के तारीख से सात दिन के भीतर जिला पंचायत को प्रेषित करेगा एवं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के लेखे तथा बजट को जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति के समक्ष पुनरीक्षण के लिए और ऐसी सिफारिशें करने के लिए रखेगी जिन्हें करना नियोजन एवं विकास समिति उचित समझे।

(3) जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति के पुनरीक्षण का परिणाम और उसकी सिफारिशें क्षेत्र पंचायत को ऐसे तारीख के पूर्व संसूचित कर दी जाएगी, जिसे इस सम्बन्ध में नियम द्वारा निश्चित किया जाए।

(4) क्षेत्र पंचायत इस सम्बन्ध में नियम द्वारा निश्चित तारीख के पूर्व प्रत्येक वर्ष एक बैठक आयोजित करके उसमें नियोजन एवं विकास समिति द्वारा तैयार किए गये लेखे और बजट जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति की पुनरीक्षण के परिणाम और सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगी और तब बिना किसी परिष्कार के या ऐसे परिष्कारों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, विशेष संकल्प द्वारा बजट पारित करेगी।

(5) यदि किसी क्षेत्र पंचायत का बजट उसके पारण के लिए नियत तारीख तक उपधारा (4) के अधीन पारित न किया गया हो, तो नियोजन एवं विकास समिति द्वारा तैयार किया बजट, उन परिष्कारों के अधीन रहते हुए जिनकी सिफारिशें नियोजन एवं विकास समिति ने उपधारा (3) के अधीन की हो, पारित किया गया समझा जाएगा और यह तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि क्षेत्र पंचायत उपधारा (4) के अधीन बजट पारित करके उसे अप्रवर्ती न घोषित कर दे।

(क) (1) क्षेत्र पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा, प्रतिवर्ष ऐसी रीति से जो नियत की जाए, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियत किया जाए, द्वारा की जाएगी। विभाग द्वारा सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित पंचायत को, सम्परीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर उपबन्ध करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत सम्परीक्षा पायी गयी कमियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करेगी और तीन महीने के भीतर अनुपालन आख्या स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियत हो, को भेजेगी।

अध्याय-पन्द्रह

कराधान एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरों का उद्ग्रहण

क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण 84.

कोई क्षेत्र पंचायत, ऐसी रीति से जैसी नियत की जाए, निम्नलिखित कर आरोपण कर सकेगी-

(क) जलकर, जहां वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिए, सिंचाई के लिए या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षा करती है;

(ख) विद्युतकर जहां वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है; और

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिनके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

क्षेत्र पंचायत को 85. इस अधिनियम के अधीन या तदान्तर्गत निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन क्षेत्र पंचायत को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा उपविधि द्वारा इस आशय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने योग्य घोषित की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय की व्यवस्था अनुसार विहित रीति से वसूल की जा सकेगी।

भाग-चार

अध्याय-सोलह

जिला पंचायत की स्थापना एवं संरचना (संघटन), अनर्हता तथा निर्वाचन

जिला पंचायत 86. (1) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगी।
 (2) जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी। जिला पंचायत का एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन होगा तथा एक उपाध्यक्ष और निम्नलिखित से मिलकर संचरित होगी :-
 (क) जिले के समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रमुख;
 (ख) निर्वाचित सदस्य जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा:-

(एक) पर्वतीय क्षेत्रों के 24,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम दो प्रादेशिक क्षेत्र होंगे तथा 24,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे।

(दो) मैदानी क्षेत्रों के 50,000 तक की जनसंख्या वाले विकासखण्डों में न्यूनतम दो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे तदोपरान्त उत्तरोत्तर अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे;

परन्तु यह कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथा साध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा;

परन्तु यह और कि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी संघटक क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन के क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ग) लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है;

(घ) राज्य सभा के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हो;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (क) एवं (ग), (घ) में उल्लिखित जिला पंचायत के सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरुद्ध अविश्वास के मामलों को छोड़कर जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मात्र उक्त उपधारा (2)(ख) में उल्लिखित निर्वाचित सदस्य ही विचार कर सकेंगे।

जिलों में परिवर्तन 87.
का प्रभाव

जब कोई नया जिला बनाया जाए तो नया जिला बनाने के ठीक पहले उसके किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला पंचायत उस क्षेत्राधिकार का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि उसे नये जिले में नयी जिला पंचायत की स्थापना नहीं हो जाए और नयी जिला पंचायत की स्थापना पर:-

(क) उस जिला पंचायत की स्थापना के तारीख से नये जिले के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला पंचायत द्वारा आरोपित उदगृहीत, सभी कर शुल्क, अर्थदण्ड तथा शास्तियां और सभी स्वीकृत लाइसेन्स अथवा अनुज्ञा पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार नयी जिला पंचायत द्वारा आरोपित, उदगृहीत या स्वीकृत समझे जायेंगे और जब तक कि वे समाप्त, परिष्कृत अथवा परिवर्तित न कर दिए जाएं तब कि किसी प्रकार वसूली योग्य अथवा प्रभावी बने रहेंगे।

(ख) यदि किसी समय कोई नया क्षेत्र किसी वर्तमान जिले में समाविष्ट किया जाए और ऐसे समादेश के तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीख को कोई जिला पंचायत उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही हो तो इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो नया समाविष्ट क्षेत्र कोई नया जिला हो और परिवर्धित जिले कि लिए नयी संघटित जिला पंचायत इस धारा के प्रयोजनों के लिए नयी जिला पंचायत हो।

जिला पंचायत 88.
का संघटन तथा
पुनर्संघटन

राज्य सरकार प्रत्येक जिलों में जिला पंचायत के वर्तमान क्षेत्र यदि कोई हों तो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो उनके संघटन या पुनर्संघटन का प्रबन्ध करेगी।

जिला पंचायत के 89.
स्थापित करने
और उत्पन्न होने
वाली कठिनाईयो
का दूर किया
जाना

यदि किसी जिला पंचायत के स्थापित करने या संचालन करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वचन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बन्ध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अधिनियम में व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय में अन्तिम और निर्णायक होगा।

जिला पंचायत 90.
की सदस्यता के
लिए अनर्हता

(1) कोई व्यक्ति किसी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के लिए अनर्ह होगा, यदि-

(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

(ख) वह ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का वैतनिक सेवक हो;

(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो जिसमें सहायता प्राप्त विद्यालय, में सेवारत अध्यापक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित है;

(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;

- (ड.) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;
- (च) किसी नगर निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो,
- (छ) वह अनुत्मोचित दिवालिया हो;
- (ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;
- (झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;
- (ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो;
- (ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;
- (ठ) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो;
- (ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- (ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक नियोग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
- (ण) उसे पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

- (त) यदि किसी जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार जिला पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निर्वहन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अगले जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

- (2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता:- इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन-विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो जिला पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगी।

(3) शौचालय न होने पर अनर्हता— (क) यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बन्धित पंचायत क्षेत्रांतर्गत जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवारी हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जाना:—

(क) जिला पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाये;

(ख) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) के अधीन जिला पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह जिला पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना नहीं रहेगा।

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय— यदि यह प्रश्न उठे कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध— कोई व्यक्ति एक साथ जिला पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही जिला पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।

प्रत्येक प्रादेशिक 91.
निर्वाचन क्षेत्र के
लिए निर्वाचक
नामावली

(1) जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली (इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तैयार की जाएगी—

(क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(ख) निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी जैसे नियत की जाये।

(2) प्रत्येक जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी। जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी, जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्र समाविष्ट हैं और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

परन्तु यह कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम तारीख के पश्चात् एवं उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन उस निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

(3) उपधारा (ख) निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियम रीति से प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपलब्धो के अनुसार तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

(4) उपधारा (क) तथा (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा;

परन्तु यह कि –

(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है यह न समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थिति रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ का निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिवरित नहीं समझा जाएगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति, मामूली तौर से कहाँ का निवासी है, तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।

(5) कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृतचित हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, अथवा

(ग) निर्वाचनों सम्बंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मद देने के लिये तत्समय अनर्ह हो।

(6) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (5) के अधीन अनर्ह हो जाए उसका नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है।

(7) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(8) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या छावनी से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

(9) जहाँ "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का चाहे, उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या परिवर्द्धित की जानी चाहिए वहाँ वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने से पूर्व नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(10) राज्य निर्वाचन आयोग, सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है;

परन्तु यह कि अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली जैसी कि वह कोई ऐसा निर्देश दिए जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि उस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूर्ण न हो जाए।

(11) जहाँ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धी निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध बना सकेगा।

(12) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने के तारीख और उसके प्रवर्तन की अवधि:

(13) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि:

(क) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि:

(ख) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना -

- (एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचन नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो, जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में गलती से सम्मिलित किया गया हो, या
- (दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो:-
- (क) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण:
- (ख) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन-पत्र पर देय फीस
- (ग) निर्वाचक नामावलियों तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय।
- (घ) उपर्युक्त उप धाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हो:

परन्तु यह कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन के अन्तिम तारीख के पश्चात और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

(14) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता वर्जित होगी-

- (क) इस प्रश्न को ग्रहण करने या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं; या
- (ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन की गई किसी कार्यवाही (या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय) की वैधता पर आपत्ति करना।

(15) मत देने इत्यादि का अधिकार- अधिनियम की तीनों स्तरों की विभिन्न धारा द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी (जिला पंचायत के किसी) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो (उस जिला पंचायत) में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन नाम-निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

अध्याय-सत्तरह

जिला पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

- जिला पंचायत का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्य का निर्वाचन 92. (1) प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा।
(2) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद के रिक्ति के होते हुए भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा।
- जिला पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था 93. प्रत्येक जिला पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, जिला पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए:
परन्तु यह कि यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के (चौदह) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
परन्तु यह और कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।
(क) आरक्षित स्थानों के आधे से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
(ख) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के लिए आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाए।
(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में निविर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।
अग्रेतर यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं की अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।
- जिला पंचायत और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल 94. (1) प्रत्येक जिला पंचायत यदि उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, न की उससे अधिक बनी रहेगी।
(2) किसी जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाए तो सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।
(3) इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल सम्बन्धित पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा।
- निर्वाचन की पद्धति 95. जिला पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन नियत रीति से जैसा की राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय, गुप्त मतदान प्रणाली अथवा ई.वी.एम. द्वारा होगा;

परन्तु यह कि पंचायतें इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन कर सकेंगी।

- जिला पंचायत के 96. (1) जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि
- (1) जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
- (2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।
- (3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत करेगी।
- (4) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा।

अध्याय-अट्टारह

जिला पंचायत पदाधिकारियों का पद त्याग, हटाया जाना, आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति तथा आंतरिक एवं बाह्य नियंत्रण

- जिला पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य का पद त्याग 97. (1) जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य स्वः हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी को सम्बोधित होगा।
- (2) यदि त्याग पत्र देने वाला पदाधिकारी दस दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत त्याग पत्र वापस नहीं लेता है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के त्यागपत्र को राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी स्वीकृत करेगा ऐसे स्वीकृत त्याग पत्र की सूचना को जिला पंचायत कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा। राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति की तारीख से यह समझा जायेगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जिला पंचायत का पद रिक्त हो गया है।

- जिला पंचायत में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 98. यदि किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु अथवा किसी अन्य कारणों से रिक्त हो जाये तो उस रिक्ति की पूर्ति उस पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए में उपबन्धित रीति से की जायेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्तियां होने के तारीख को यदि पंचायतों का शेष कार्यकाल छः माह से कम हो तो रिक्तियों की पूर्ति नहीं की जायेगी।

- जिला पंचायत के अध्यक्ष की व्यवस्था 99. जब अध्यक्ष बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो अथवा अनुपस्थित हो और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के पद की रिक्ति के दौरान इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से करने में असमर्थ हो, तब जिस तारीख से अनुपस्थित, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से सम्भाले, उस तारीख तक राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अविश्वास का प्रस्ताव 100. (1) जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस जो जिला पंचायत के तत्समय निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले निर्वाचित सदस्यों में से किसी भी दशा में न्यूनतम तीन सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसे उस जनपद के जिलाधिकारी, विहित प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत जिला पंचायत स्थित हो, को दिया जायेगा।

- (2) निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक का न्यूनतम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाए।
- (3) जिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी उस जिले के जिला न्यायाधीश से ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने का अनुरोध करेगा;
- (4) जिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी—
 - (क) जिला पंचायत की एक विशेष बैठक उक्त अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जिला पंचायत के कार्यालय में निश्चित तारीख को आहूत करेगा और यह तारीख उपधारा (1) के अधीन उसे नोटिस दिए जाने के तारीख से तीस दिन के बाद का नहीं होगा, तथा
 - (ख) निर्वाचित सदस्यों को ऐसी विशेष बैठक को न्यूनतम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाए;

परन्तु यह कि जिला न्यायाधीश स्वयं अध्यक्षता करने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल न्यायिक अधिकारी) को, जो दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) से निम्न श्रेणी का न हो, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश दे सकेगा।
- (5) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न होने पाये तो ऐसी निश्चित बैठक स्थगित हो जायेगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (6) के अधीन निश्चित करेगा।
- (6) यदि उपधारा (6) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित कर बैठक आगामी तारीख तक के लिए स्थगित कर सकेगा, जिसे वह नियत करे, किन्तु यह तारीख उपधारा 2(ख) के अधीन बैठक के लिए निश्चित तारीख से पच्चीस दिन से अधिक न होगा। वह मंडलायुक्त, विहित प्राधिकारी को लिखित रूप से बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। मंडलायुक्त/विहित प्राधिकारी सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (ख) के अधीन नियत रीति से न्यूनतम दस दिन पहले देगा।
- (7) उपधारा (2) तथा (6) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आहूत गई बैठक स्थगित न की जाएगी।
- (8) इस धारा के अधीन आहूत गई बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी बैठक में यह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक आहूत गई हो और यह घोषित करेगा कि, अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद किया जा सकता है।
- (9) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित न किया जाएगा।
- (10) यदि ऐसा वाद विवाद बैठक आरम्भ होने के लिए निश्चित समय से दो घंटे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गय हो तो दो घंटे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। वाद-विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, यदि आवश्यक हो तो वही प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नियत रीति से होगा।
- (11) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण-दोषों पर नहीं बोलेंगे और न वह इस पर मत देने का अधिकारी होगा।

- (12) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार, मंडलायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
- (13) यदि प्रस्ताव जिला पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या के दो तिहाई के समर्थन से पारित हुआ हो तो—
- (क) पीठासीन अधिकारी उक्त पारित प्रस्ताव का प्रकाशन, जिला पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अतिशीघ्र चस्पा करेगा; और
- (ख) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, उस तारीख के, जब उक्त नोटिस पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया हो, तत्काल अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा;

परन्तु यह कि —

उपधारा (क) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायेगी जिसमें इस धाराओं के अधीन किए गये प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायेगा जो सदस्यों को बैठक के नये नोटिस जारी करने के लिए अपेक्षित हो;

परन्तु यह कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव :-

- (1) उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर;
- (2) उस तारीख से जिसको यथा स्थिति उसकी पदावधि समाप्त होती है पूर्ववर्ती छः मास की कालावधि के भीतर;
- (3) उस तारीख से जिसको पूर्व में अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर; नहीं लाया जायेगा।

जिला पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

101. (1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा अन्यथा, सरकार को यह प्रतीत हो कि जिला पंचायत या उसकी संयुक्त समिति या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस पर आरोपित कर्तव्य का सम्पादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य का पालन किए जाने के लिए एक अवधि निश्चित कर सकती है।
- (2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्तव्य का सम्पादन न किया जाए तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को, या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को, उसका सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकती है, और निर्देश दे सकती है कि उक्त कर्तव्य का सम्पादन करने का व्यय यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी जैसा निश्चित करे जिला पंचायत द्वारा चुकाया जाए।
- (3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया न जाए तो मण्डलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य विहित प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें ग्राम निधि, क्षेत्र निधि, जिला निधि की अभिरक्षा रखने वाले प्राधिकारी के लिए उस निधि में से उक्त व्यय का भुगतान का निर्देश हो।

जिला पंचायत के 102. जिला पंचायत के विघटन का परिणाम

जिला पंचायत के विघटित कर दिये जाने से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे :-

(क) अध्यक्ष सहित पंचायत के समस्त आदेश में निर्दिष्ट तारीख पर अपने पदों का रिक्त कर देंगे किन्तु इसके कारण इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) ऐसे एक या अधिक व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे, उस समय जब तक कि पंचायत पुनर्संघटित न हो जाए जिला पंचायत के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन यथासम्भव करेंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिए उसे या उन्हें पंचायत समझा जायेगा।

अध्याय-उन्नीस

जिला पंचायतों की बैठके एवं कृत्य, कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासन

जिला पंचायत 103. की बैठके

(1) (क) कार्य सम्पादन के लिए प्रति तीन मास में जिला पंचायत की न्यूनतम एक बार बैठक होगी।

(ख) अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जब कभी भी वह उचित समझें, जिला पंचायत की बैठक बुला सकते हैं तथा जिला पंचायत के सदस्यों के न्यूनतम 1/5 के लिखित अधियाचन पर, जो अध्यक्ष को नोटिस द्वारा सूचित किया जा चुका हो अथवा पत्र इस आशय हेतु डाक द्वारा जिला पंचायत को उसके कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन की प्राप्ति के तारीख से एक महीने के भीतर जिला पंचायत की बैठक अवश्य आहूत करेगा।

(ग) जिला पंचायत की कोई बैठक आगामी अथवा किसी अग्रिम तारीख के लिए स्थगित की जा सकती है तथा स्थगित बैठक पुनः एक माह के भीतर आयोजित की जायेगी।

(घ) प्रत्येक बैठक जिला पंचायत के कार्यालय में अथवा जिले की सीमान्तर्गत किसी सार्वजनिक एवं सुविधापूर्ण स्थान में, जिसकी सम्यक रूप से सूचना दे दी गयी हो, में की जायेगी।

(ङ) जिला पंचायत की बैठक का गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी एवं गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति भी एक तिहाई होगी, किन्तु दूसरी बार भी बैठक की गणपूर्ति पूर्ण न होने पर अगली बैठक हेतु गणपूर्ति 1/5 होगी;

परन्तु यह और कि आहूत बैठक हेतु कार्यसूची यथावत् रहेगा;

परन्तु यह और भी कि जिला पंचायतों की आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।

(2) जिला पंचायत में बैठकों की प्रक्रिया आदि- जिला पंचायत की बैठकों से सम्बद्ध निम्नलिखित विषय नियम द्वारा शासित होंगे-

(क) बैठकों में कार्य सम्पादन,

(ख) कार्य के सम्पादन के लिए गणपूर्ति,

(ग) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता,

(घ) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछना,

(ङ) बैठक की सूचना,

(च) बैठक में व्यवस्था बनाये रखना,

(छ) मतदान द्वारा निर्णय,

(ज) वृत्त पुस्तिका तथा संकल्प,

(झ) सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का

- चर्चाओं में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार,
- (ज) जिला पंचायत का राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी बैठकों में उपस्थित होने की अपेक्षा करने का अधिकार,
- (ट) बैठकों के सम्बन्ध में जिला पंचायत के अधिकारियों का अधिकार,
- (ठ) जिला पंचायत का क्रमशः क्षेत्र पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य अधिकारी से प्रतिवेदन, विवरणी आदि की अपेक्षा करने का अधिकार, तथा
- (ड) अन्य आनुषांगिक विषय जिनके नियत किये जाने की आवश्यकता हो या उन्हें नियत किया जाना चाहिये।
- (3) जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है—
- (क) यथास्थिति, जिला पंचायत के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान आँकड़े या अन्य सूचना,
- (ख) किसी उप-समिति या प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण, तथा
- (ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र-व्यवहार या योजना अथवा अन्य लेख्य या उसकी प्रतिलिपि जो उसके कब्जे या नियंत्रण में अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी या मुख्य अधिकारी के रूप में हो या जो, यथास्थिति जिला पंचायत के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो।
- (4) इस अधिनियम में कोई बात न तो किसी भी जिला पंचायत को, किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देगी, जो यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, किन्तु जिला पंचायत—
- (क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल औषधालय,, निर्धन-गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण-गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकेगी, और
- (ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

विद्यालयों तथा चिकित्सालयों के 104. अनुरक्षण तथा सुधार हेतु जिला पंचायतों के अधिकार

- (1) जिले के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा उसको सौंपे गये कार्यक्रम व योजनाओं तथा क्षेत्र पंचायतों की वार्षिक योजनाओं को सम्मिलित व समेकित करते हुए सम्पूर्ण जिले के लिए वार्षिक योजना बनाना व जिला नियोजन समिति को प्रस्तुत करना।
- (2) क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के क्रिया कलापों का समन्वयक मूल्यांकन, अनुश्रवण करना तथा मार्गदर्शन करना।
- (3) क्षेत्र पंचायतों की वार्षिक योजनाओं व आय-व्यय पारित करना।
- (4) लोक महत्व के कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त व पंजीकृत संगठनों जो केन्द्र और राज्य स्तर पर क्रियाशील हो भागीदारी करना।

- (5) जिले के अन्तर्गत पंचायतीराज के तीनों स्तरों से सम्बन्धित क्रिया कलाओं के सुदृढीकरण प्रोत्साहन तथा जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियां, मेले, पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा लोक महत्व व प्रजातांत्रिक व्यवस्था से सशक्तिकरण के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन व व्यवस्था करना।
- (6) अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायतीराज से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए किसी व्यक्ति, संस्था व समिति की आर्थिक व अन्य सहायता जो उसके अधिकार में ही उपलब्ध कराना।
- (7) पंचायत के कार्यों, प्रशासन तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखना, तथा केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धन को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा सम्बन्धित विभागों को नियत रीति व मानकों के आधार पर वितरित करना।
- (8) (क) सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 व तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि या नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिले का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले का जिला पंचायत के विलीन हुआ समझा जायेगा और उस की समस्त आस्तियां तथा दायित्व और कृत्य सम्बन्धित जिला पंचायत को आन्तरित हो जायेंगे और उसमें निहित हो जायेंगे तथा उसके सारे कृत्य अधिकार जिला पंचायत द्वारा सम्पादित व प्रयोग किए जायेंगे।
- (ख) इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी उक्त उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जायेगी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के तत्समय नियोजित समस्त कर्मचारियों के वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं वहीं होंगी जो राज्य सरकार निश्चित करे किन्तु व किसी भी दशा में वर्तमान में विद्यमान समस्त वेतन भत्ते व सुविधाओं से कम नहीं होंगे तथा वे जिला पंचायत के अधीन अधिकारी या कर्मचारी माने जायेंगे।
- (9) अनुसूची 3 भाग (क) में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य।
- (10) अनुसूची (3) के भाग (ख) में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में जिला पंचायत जिले के भीतर समुचित व्यवस्था कर सकेगी।
- (11) जिन मेलों का प्रबन्ध राज्य सरकार करती है या आगे करे, उनसे भिन्न मेले व उत्सवों का ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत द्वारा प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत और उत्सवों के रूप में वर्गीकरण को बदलना।
- (12) ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले हाट व बाजारों को ग्राम पंचायत के हाट व बाजार तथा जिला पंचायत के हाट बाजार के रूप में श्रेणीबद्ध करना।
- (13) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत द्वारा प्रबन्ध, रखरखाव व निर्माण के प्रयोजनार्थ मार्गों का क्रमशः ग्राम मार्ग, अन्तरग्राम मार्ग तथा जिला मार्ग के रूप में वर्गीकरण करना।
- (14) एतदर्थ बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए एक और राज्य सरकार तथा दूसरी और ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
- (15) इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन सौंपे गए, प्रदत्त व प्रतिनिहित किए गए अन्य अधिकार व कृत्य तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने, प्रदत्त किए

जाने व किए जाने वाले अधिकार व कृत्य।

जिला पंचायत 105.
द्वारा योजना
तैयार करना

(1) जिला पंचायत जिले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् जिले के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को जिला पंचायत नियोजन एवं विकास एवं प्रशासनिक समिति की सहायता से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी तैयार करेगा और इस प्रकार तैयार योजना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत की वित्त एवं नियोजन समिति के समक्ष रखेगा जो उसमें आवश्यक एवं उचित संशोधन कर सकेगी।

(3) जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति अनुमोदित जिला योजना की जिला पंचायत के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष उसके समक्ष प्रस्तुत योजना में आवश्यकतानुसार परिष्कार यदि आवश्यक हो, करते हुए योजना को मुख्य कार्य पालक जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित जिला योजना को मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अन्तिम आलेख को जिला योजना समिति के समक्ष उस तारीख तक ऐसे प्ररूप एवं रीति से प्रेषित करेगी, जैसा की नियमों में व्यवस्था की जाय।

उपविधियाँ बनाये 106.
जाने के सम्बन्ध
में जिला
पंचायत के
अधिकार

(1) जिला पंचायत अपने प्रयोजनों के लिए और जिला पंचायतों के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है जो जिले के ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से और खण्ड तथा जिले में इस अधिनियम के प्रशासन को आगे बढ़ाने के निमित्त, इस अधिनियम और किसी नियत के सुसंगत, उपविधियाँ बना सकेगी जो जिले के सम्पूर्ण ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर प्रवृत्त हों और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर वह अवश्य ऐसी उपविधियाँ बनायेगी।

(2) विशेषतः तथा उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला पंचायत के उक्त अधिकार का प्रयोग करके निम्नांकित सूची में वर्णित कोई उपविधियाँ बना सकेगी—

क—निर्माण

(क) किसी विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन को "महत्वपूर्ण परिवर्तन" घोषित करना,

(ख) वह नियत करना कि एतदर्थ निर्दिष्ट की गई दर से शुल्क देने पर, जिला पंचायत नक्शे तथा निर्दिष्टया प्राप्त की जा सकेंगी,

(ग) वह अविध निश्चित करना जिसमें स्वीकृति मान्य रहेंगी,

(घ) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी नियत क्षेत्र में उन इमारतों के, जो बनाई या न बनाई जा सकती हो, प्रकार और विवरण तथा वे प्रयोजन, निजके लिए कोई इमारत बनाई या न बनाई जा सके, नियत करना,

(ङ) वे परिस्थितियाँ नियत करना जिनमें नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई मन्दिर, मस्जिद, गिरजा या अन्य पवित्र इमारत निर्मित पुनर्निर्मित या परिवर्तित की जा सके या न की जा सके,

(च) इमारतों के या उनके किसी वर्ग के निर्माण, पुनर्निर्माण के संबंध में निम्नांकित विषयों में सब या कोई नियत करना —

(1) बाहरी और विभाजक दीवारों, छतों तथा फर्श के निर्माण में प्रयुक्त किये जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति ,

- (2) अग्नि –स्थानों, चिमनियों, नालियों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों की स्थिति तथा उनके निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति ,
 - (3) ऐसी सबसे ऊपरी मंजिल की जो मनुष्यों के रहने या भोजन पकाने के कामों के लिये अभिप्रेरित हो छत की ऊंचाई तथा ढाल ,
 - (4) संवातन तथा स्थान जो इमारत के चारों ओर वायु के निर्बाध संचालन तथा धर की सफाई को सुन्दर बनाने तथा आग लगाने की रोक थाम के निमित्त छोड़ा जायेगा ;
 - (5) नींव की सतह तथा चौड़ाई, सबसे निचली मंजिल की सतह और निर्माण का स्थायित्व;
 - (6) इमारत में बनायी जाने वाली मंजिलों की संख्या और ऊंचाई;
 - (7) आग लग जाने पर इमारत से बाहर निकल जाने की व्यवस्था;
 - (8) कोई ऐसा अन्य विषय जिसका इमारत में संवातन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़े, और
 - (9) जल को कलुषित होने से बचाने एवं कुंए का उपयोग करने वाली किसी व्यक्ति के लिये पैदा होने वाले संकट का निराकरण करने के उद्देश्य से ऐसी शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी कुंए के निर्माण में या उसमें परिवर्तन करने के लिये स्वीकृति दी जा सके ।
- (छ) नियंत्रित ग्राम क्षेत्र के अर्न्तगत किसी भूमि पर किसी घरे , दीवार , मेड तम्बू तिरपाल या अन्य संरचना का चाहे वह किसी भी प्रकार की हो निर्माण किसी ऐसी रीति से विनियमित करना जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो ।

ख-नालियों, सण्डास, नलकूप आदि

- (क) किसी ऐसी रीति से जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है नालियों संवातन की नालियों तथा पाइपों, सण्डासों, जल प्रक्षालित तथा अन्य शौचालयों, मूत्रालयों मलकूपों या अन्य जलोत्सारण कार्यों के निर्माण , परिवर्तन अनुरक्षण परिरक्षण सफाई और मरम्मत का विनियमन ।
- (ख) नालियों में मल कूड़ा करकट गन्दा पानी तथा अन्या क्षोभकर या अवरोधक पदार्थों के फेंके या जमा किये जाने का विनियमन या निषेध ।

ग-सड़कें

- (क) जिला पंचायत को दी जाने वाली सूचनायें तथा नक्शों को आधारित करना ।
- (ख) फेरी लगाने वाले विक्रेताओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तुएं बेचने या अन्य व्यापार करने अथवा कोई कपडे या लकड़ी की बनायी हुई दुकान या कोई स्टाल स्थापित करने के लिये किसी या समस्त सार्वजनिक सड़कों या स्थानों के प्रयोग या अध्यासन की अनुमति देना या उसका निषेध या विनियम तथा ऐसे प्रयोग या अध्यासन के निमित्त शुल्क उपग्रहीत करने की व्यवस्था करना ।
- (ग) वे शर्तें विनियमित करना जिन पर क्षेत्र पंचायत द्वारा सड़कों और नालियों के ऊपर तथा जिला पंचायत द्वारा अस्थायी रूप से सड़कों के अध्यासन की अनुमति दी जा सके ।

घ –बाजार, वधशालाओं, भोजन-विक्रय आदि

- (क) जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान को वधशाला के रूप में अथवा मानव भोजन

के लिये प्रेरित पशुओं या मांस या मछली के विक्रय के लिये बाजार या दुकानों के रूप में प्रयोग करने का निषेध।

(ख) शर्तें जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके संबंध हमें ऐसे प्रयोग के लिये लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत या निलंबित किये जा चुके हैं या वापस लिये जा चुके हैं, नियत करना।

(ग) पूर्वोत्तर रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान के निरीक्षण तथा उसमें व्यापार के संचालन के विनियमन की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद क्षोभकर या भय प्रद प्रभाव जो वहां से उत्पन्न हो ता हो या जिसके वहां से उत्पन्न होने की सम्भावना हो कम हो जाय।

(घ) बाजारों तथा वधशालाओं, अश्वशालाओं शिविरों भूमियों सरायों आटा चक्कियों नानबाई की दुकानों निर्दिष्ट, खाद्य या पेय पदार्थों की तैयारी या विक्रय के लिये स्थानों अथवा विक्रय या किराये के लिये पशुओं को अथवा ऐसे पशुओं को जिनसे प्राप्त पदार्थ बेचे जाते हैं रखने या प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों की तथा सार्वजनिक मनोरंजन या समागम के स्थानों की स्थापना के लिये और उसके विनियमन तथा निरीक्षण के लिये तथा उसमें समुचित रूप से तथा स्वच्छता से व्यापार के संचालन के लिये व्यवस्था करना। और

(ङ.) शर्तें जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र तथा स्थान जिनके सम्बन्ध में उपशीर्षक (घ) के प्रयोजनों के लिये लाइसेंस स्वीकृत अस्वीकृत या निलंबित किए जा सके या वापस लिये जा सके नियत करना तथा ऐसे लाइसेंसों के लिये देय शुल्क निश्चित करना तथा जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उपशीर्षक (घ) में उल्लिखित व्यापार के स्थानों का निषेध करना।

ड.-क्षोभकर व्यवसाय

(क) सिवाय जब और तक कोई बात पेट्रोलियम, ऐक्ट 1934 (ऐक्ट सं0 30,1934) तथा तदधीन बनाये गये नियमों की किसी बात से असंगत हो जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये कारखाने के या व्यापार के अन्य स्थानों के रूप में प्रयोग करने का निषेध करना—

(एक) मांसोच्छिद्य रक्त हड्डियों अंतडियों या चिथड़ों को उवालना या उनका संग्रह करना;

(दो) चमड़ा या चमड़े की वस्तुओं का निर्माण;

(तीन) चरबी या गन्धक पिघलाना;

(चार) ईट खपरेल या चौके की मिट्टी के बर्तन या चूना जलाना या पकाना;

(पांच) साबुन बनाना;

(छ:) तेल उबालना;

(सात) सूखी घास भूसा पुआल लकड़ी कोयला या अन्या भयानक रूप से ज्वलनशील वस्तुओं का संग्रह रखना;

(आठ) पेट्रोलियम या किसी अन्य ज्वलनशील तेल सा स्प्रिट का संग्रह रखना;

(नौ) रूई या रूई के क्षेप्य का संग्रह रखना या उसे दबाना;

(दस) कोई अन्य प्रयोजन यदि ऐसे प्रयोग से लोक कंटक पैदा होने या आग लगने का भय हो।

(ख) वे परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस स्वीकृत अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकें नियत करना किन्तु इस प्रकार नहीं कि धारा 106(ख ख) द्वारा जिला पंचायत को प्राप्त किसी अधिकार को अल्पीकरण हो, और

(ग) पूर्वोत्तर रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान में व्यापार के संचालन के निरीक्षण तथा विनियम की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद क्षोभकर सा भयप्रद प्रभावा जो वहां से उत्पन्न होता या होने की संभावना हो कम हो जाय।

च-सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा

(क) सडकों पर किसी प्रकार के यातायात के विनियमन या निषेध की व्यवस्था करना जहां ऐसा विनियमन या निषेध जिला पंचायत को आवश्यकत प्रतीत हो।

(ख) जिले के ग्राम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराये पर दिये जाने के लिए रखे गये अथवा किराये पर चलने वाले वाहनों (मोटर गाड़ियों को छोड़कर) नावों, या पशुओं के स्वामियों या चालको पर अथवा बोझा ले जाने की मजदूरी करने वाले व्यक्तियों पर लाइसेंस लेने का आधार आरोपित करना तथा ऐसे लाइसेंस के लिये देय शुल्क और वे शर्तें निश्चित करना जिन पर वे स्वीकृत किये जायें और वापस लियें जायें।

(ग) ऐसे स्थानों निश्चित करना जहां पर नावें बांधी जा सकती हैं या भारयुक्त की जा सकेगी और उसके प्रयोग को विनियमित करना और ऐसे स्थानों को छोड़कर जो जिला पंचायत द्वारा नियत किये जाएं और कहीं नाव बाँधने या भारयुक्त या भारमुक्त करने का निषेध करना।

(घ) जिले की ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर घूमने वाले लावारिस पशुओं को पकड़ने और उनके जब्त किये जाने की व्यवस्था करना।

(ङ.) सार्वजनिक सुरक्ष या सुविधा की वृद्धि के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियम, जिससके लोक कंटक पैदा होता हो या पैदा होने की सम्भावना हो, और जिसके निषेध या विनियमन के लिए इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था नहीं की गई हों।

(च) पेयजल सम्भरण की व्यवस्था तथा विनियमन।

छ-रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

(क) कब्रिस्तानों तथा श्मशानों के प्रयोग तथा प्रबन्ध का नियंत्रण तथा विनियमन और यदि ऐसे स्थानों की व्यवस्था जिला पंचायत ने की हो तो उनके निमित्त लिए जाने वाले शुल्क निश्चित करना और शवों को कब्रिस्तान या श्मशान ले जाने के लिए मार्ग नियत करना या निषिद्ध करना,

(ख) स्वच्छता तथा स्वच्छता संरक्षण का विनियमन,

(ग) पूर्वगामी उप शीर्षक के अधीन एतदर्थ कोई उपविधि न बनाई जाने की दशा में, वासगृहों की रजिस्ट्री तथा उनके निरीक्षण और अति भीड़ होने की रोकथाम की व्यवस्था करना, उनमें किसी संक्रामिक या संसर्गिक रोग फैलने की दशा में दिये जाने वाले नोटिस नियत करना तथा सामान्यतया वास-गृहों के समुचित विनियमन की व्यवस्था करना,

(घ) रोगों की रोकथाम या स्वच्छता के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की सम्भावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिए इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो।

ज-प्रकीर्ण

(क) किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की सम्भावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई व्यवस्था न की गई हो,

(ख) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जन्म, मरण तथा विवाहों की रजिस्ट्री और जन-गणना करने और ऐसी सूचना जो उक्त रजिस्ट्री या जन-गणना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, अनिवार्यतः दिये जाने की व्यवस्था करना,

(ग) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर, किसी भी वस्तु को, सरकारी हो या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की हो अथवा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में हो, क्षति या हस्तक्षेप से बचाना,

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र के भीतर तथा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में मेलों और औद्योगिक प्रदर्शनियों आयोजन की व्यवस्था करना तथा उनमें उद्गृहीत किये जाने वाले शुल्क निश्चित करना,

(ङ.) जिले के ग्राम्य क्षेत्र में इमारतों और भूमियों के स्वामियों द्वारा, इस अधिनियम या किसी नियम अथवा उपविधि के सभी या किसी प्रयोजन के लिए, उनके अभिकर्ता के रूप में काम करने के निमित्त ऐसे व्यक्तियों की जो उक्त क्षेत्र में या उसके निकट रहते हों, नियुक्ति की अपेक्षा करना तथा उसका विनियमन,

(च) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के कब्जे के ऐसे अभिलेखों तथा लेख्यों को निर्दिष्ट करना जिनका निरीक्षण किया जा सकता हो या जिनकी प्रतिलिपियाँ दी जा सकती हों तथा ऐसे अभिलेखों अथवा लेख्यों के निरीक्षण या प्रतिलिपियाँ के निमित्त लिए जाने वाले शुल्क निर्दिष्ट करना तथा निरीक्षण और प्रतिलिपियों का दिया जाना विनियमित करना,

(छ) औषधीय भेषजों के विक्रय तथा औषधयोजन के लिए लाइसेन्स देने की व्यवस्था करना,

(ज) सार्वजनिक रूप से अपना व्यवसाय करने वाली दाइयों की रजिस्ट्री तथा उनके नियंत्रण की व्यवस्था करना,

(झ) प्रसूति-केन्द्रों तथा शिशु कल्याण-गृहों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(ञ) शरीर-संवर्धन संस्थाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण तथा सहायक अनुदान की व्यवस्था करना,

(ट) निर्धन-गृह, अनाथालय, पुस्तकालय, शरणालय, पशु-चिकित्सालय, बाजार, निरीक्षण गृह, सार्वजनिक पार्क और उद्यान तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाएं विनियमित करना,

(ठ) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के प्राधिकार के अधीन या अन्यथा लगने वाले ऐसे मेले, पशु-बाजार, कृषि प्रदर्शन तथा औद्योगिक प्रदर्शनियाँ, जिनमें सर्वसाधारण को प्रवेश करने का अधिकार हो, विनियमित करना,

- (ड) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के नियंत्रणाधीन किन्हीं स्रोतों, जलमार्गों या नालियों के अवरोध का निषेध करना तथा किसी ऐसे अवरोध को हटाने की व्यवस्था करना,
- (ढ) खतरनाक इमारतों, पेड़ों या स्थानों को हटाना, गिराना या उन्हें निरापद बनाना,
- (ण) लावारिस, रोगग्रस्त या पागल कुत्तों तथा हानिकर पशुओं के विनाश की व्यवस्था करना,
- (त) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की वृत्त-पुस्तिकाओं तथा जिला पंचायत की निर्धारण-सूचियों के निरीक्षण के लिए शर्त नियत करना,
- (थ) किसी गन्दे पानी के गड़ढे, नाली, स्टीम इंजिन या ब्यायलर के पानी के अथवा किसी गन्दे क्षोभकर अथवा हानिप्रद पदार्थ के किसी नदी, तालाब या जल-सम्भरण के अन्य स्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में, जिसका पानी साधारणतया पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता हो, डाले जाने का निषेध करना।

इमारतों, सार्वजनिक नालियों तथा सड़कों आदि के सम्बन्ध में अधिकार और शास्ति
इमारतों का विनियमन

106(ख) परिभाषा—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “समुपयुक्त प्राधिकारी” का तात्पर्य क्षेत्र पंचायत से होगा यदि विषय क्षेत्र पंचायत के कृत्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो तथा शेष दशाओं में जिला पंचायत से होगा।
- (ख) क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र भी है क्षेत्र पंचायत का तात्पर्य उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली क्षेत्र पंचायत से होगा।

106(ग) इस अध्याय की कुछ धाराओं की प्रवृत्ति की परिसीमा—(1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय की धारा 106(घ), 106(ड.), 106(च), 106(छ), 106(ज), 106(झ), 106(ञ), 106(ट), 106(ठ), 106(ढ), 106(ण), 106(त), 106(द), 106(ध), 106(न), 106(क क), 106(क ख), 106(क ग), 106(क घ.), 106(क च), 106(क छ), 106(ख झ), 106(ख ढ) और 106(ख त) के उपबन्ध ग्राम्य क्षेत्र के केवल उन्हीं भागों में प्रवृत्त होंगे जो जिला पंचायत द्वारा इस धारा के अधीन निर्दिष्ट किये गये हों।

(2) जिला पंचायत संकल्प द्वारा घोषित कर सकेगी कि उपधारा (1) में उल्लिखित धाराओं या उनमें से किसी एक या अधिक धाराओं के उपबन्ध जिले के ग्राम्य क्षेत्र के उस भाग में प्रवृत्त होंगे जो संकल्प में निर्दिष्ट किया हो और तत्पश्चात् संकल्प में वर्णित धाराओं के उपबन्ध इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे और वह क्षेत्र “नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र” कहलायेगा;

परन्तु यह कि नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों को संकल्प के सार्वजनिक नोटिस उस रीति से दिया जा चुका हो जो नियमों द्वारा नियत की जाये।

106(घ) इमारत का निर्माण या उसमें परिवर्तन नोटिस के पश्चात् तथा उपविधियों के अनुसार होगा—(1)नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी विद्यमान इमारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन या किसी कुएँ को बनाने या उसे बड़ा करने का कार्य सरकार द्वारा बनाये गये

नियम में जिला पंचायत द्वारा बनाई गई उपविधि के निदेशों के अनुसरण से अन्यथा नहीं किया जायेगा और उसका आरम्भ तब तक न किया जायेगा जब तक कि क्षेत्र पंचायत को प्रस्तावित निर्माण या परिवर्तन का ऐसे ब्योरों सहित, जिनका उक्त नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना उपविधि द्वारा अपेक्षित हो, न्यूनतम एक महीने का अग्रिम नोटिस लिखित रूप में न दे दिया गया हो :

(2) किसी इमारत में कोई परिवर्तन इस अध्याय के तथा किसी नियम या उपविधि के प्रयोजन के लिये महत्वपूर्ण समझा जायेगा यदि—

(क) उससे इमारत के स्थायित्व या सुरक्षा पर या जल-निस्तारण संवातन स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से इमारत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की सम्भावना हो ; या

(ख) उससे किसी इमारत की ऊंचाई, क्षेत्रफल या धन धारिता बढ़ती या घटती हो या इमारत के किसी कमरे की धन धारिता किसी उपविधि द्वारा नियत न्यूनतम मात्रा से कम हो जाती हो ; या

(ग) उससे कोई ऐसी इमारत या उसका भाग, जो मूलतः अन्य प्रयोजनों के लिये बनाया गया हो, मनुष्यों के रहने के स्थान में परिवर्तित हो जाय ; या

(घ) वह ऐसा परिवर्तन हो, जो एतदर्थ बनाई गई किसी उपविधि द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया हो।

निर्माण-कार्य की क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति

106(ड.) क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण-कार्य की स्वीकृति—(1)किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए क्षेत्र पंचायत किसी ऐसे निर्माण-कार्य के लिए, जिसके सम्बन्ध में धारा 47(घ) के अधीन नोटिस दिया गया हो, स्वीकृति देने से इन्कार कर सकती है या उसे पूर्ण रूप से अथवा निम्नांकित के अधीन रहते हुये स्वीकार कर सकेगी—

(क) ऐसा लिखित निदेश, जिसे क्षेत्र समिति धारा 106(क) की उपधारा (2) के शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (च) में उल्लिखित सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में देना उचित समझे ; या

(ख) ऐसा लिखित निदेश, जिसमें किसी इमारत या इमारत के भाग की धारा 191 के अधीन नियत सड़क की नियमित निर्माण रेखा तक या ऐसी रेखा के नियत न होने की दशा में किसी पास की इमारत या इमारतों के अग्रभाग की रेखा तक पीछे हटाना अपेक्षित हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति देने से इन्कार करने की दशा में, क्षेत्र पंचायत धारा 106(घ) के अधीन नोटिस देने वाले व्यक्ति को उक्त अस्वीकृति के कारणों की लिखित रूप से सूचना देगी।

(3) यदि क्षेत्र पंचायत धारा 106(घ) के अधीन वैध नोटिस प्राप्त होने के बाद एक मास तक उस नोटिस के सम्बन्ध में उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकार का आदेश देने और उसे उस व्यक्ति के पास, जिसने उक्त नोटिस दिया हो, पहुँचाने में उपेक्षा या चूक करे तो उक्त व्यक्ति लिखित पत्र द्वारा क्षेत्र पंचायत का ध्यान उस उपेक्षा या चूक की ओर आकृष्ट कर सकता है, और यदि ऐसी उपेक्षा चूक एक मास तक और जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि क्षेत्र पंचायत ने प्रस्तावित निर्माण-कार्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।

106(च) स्वीकृति की अवधि—(1) क्षेत्र पंचायत द्वारा धारा 106(ड.) के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली स्वीकृति तीन वर्ष तक या उससे कम ऐसी अवधि के लिए, जो उपविधि द्वारा नियत की जाय, मान्य रहेगी।

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित निर्माण—कार्य पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

106(छ) ऐसे निर्माण—कार्यों का निरीक्षण जिनके लिए स्वीकृति अपेक्षित हो— प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी और यदि क्षेत्र पंचायत के संकल्प द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत हो तो क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य सदस्य अधिकारी या सेवक किसी भी समय, और बिना किसी चेतावनी के किसी ऐसे निर्माण कार्य का, जिसके सम्बन्ध में धारा 47(घ) के अधीन नोटिस अपेक्षित हो—

(क) जब निर्माण—कार्य हो रहा हो, या

(ख) उसके पूर्ण हो जाने के प्रतिवेदन की प्राप्ति को एक महीने के भीतर, या ऐसा प्रतिवेदन न मिलने की दशा में उस निर्माण—कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी समय, निरीक्षण कर सकता है।

106(ज) दिये गये आदेश के कारण हुई क्षति के लिए प्रतिकर— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, धारा 106(घ) के अधीन नोटिस देने वाला कोई व्यक्ति, क्षेत्र पंचायत द्वारा धारा 106(ड.) के अधीन दिये गये किसी आदेश के कारण हुई क्षति या हानि के लिए कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा, जब तक कि—

(क) उक्त आदेश इस कारण से भिन्न कारण से न दिया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण—कार्य किसी उपविधि का उल्लंघन करेगा या जनसाधारण या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा, या

(ख) उक्त आदेश में खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई निवेश की प्रकृति या जनसाधारण अथवा किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्थित न हो, या

(ग) उक्त आदेश में धारा 106(ड.) की उप धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई निदेश न हो, या

(घ) उक्त आदेश में किसी इमारत के पुनर्निर्माण की स्वीकृति इस आधार पर देने से इंकार न किया गया हो कि उसकी योजना या रचना उस स्थान के लिए अनुपयुक्त है या वह अपने प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत हैं जो उस स्थान के लिए अनुपयुक्त है या किसी उपविधि का उल्लंघन होता है।

106(झ) धारा 106(ड.) के अधीन स्वीकृति का प्रभाव— (1) धारा 106(ड.) के अधीन दी गई या दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति उस व्यक्ति को, जिसके स्वीकृति दी गई हो या दी गई समझी जाये, किसी ऐसे शास्ति या फल से विमुक्त करने के अतिरिक्त जिसका वह धारा 106(ञ), 106(ट) या 106(क ट) के अधीन अन्यथा भागी होता, कोई अधिकार या असमर्थता प्रदान या समाप्त नहीं करेगी, न ही प्रतिष्ठम्भ अथवा स्वीकरण के रूप में प्रवर्तित होगी, न सम्पत्ति में किसी आगम को प्रभावित करेगी और न उसका किसी अन्य प्रकार का कोई विधि प्रभाव ही होगा।

(2) विशेषतः ऐसी स्वीकृति किसी व्यक्ति को धारा 106(क क) द्वारा आरोपित इस आधार से मुक्त नहीं करेगी कि वह उस धारा में उल्लिखित किसी संरचना के लिए अलग स्वीकृति प्राप्त करें

106(ज) इमारत कर अवैध निर्माण या परिवर्तन – जो व्यक्ति अपेक्षित नोटिस दिये बिना या जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति देने से इंकार करने के आदेश का या क्षेत्र पंचायत द्वारा धारा 106(ड.) के अधीन दिये गये किन्ही लिखित निदेशों का या किसी उपविधि का उल्लंघन कर इमारत के किसी भाग का निर्माण पुनर्निर्माण या उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या कोई कुआँ बनाना या उसे बड़ा करना आरम्भ करे जारी रखे या उसे पूरा करें तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है ।

106(ट) निर्माण रोकने तथा निर्मित इमारत को गिराने के क्षेत्र पंचायत के अधिकार – जिला पंचायत किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी की उस भूमि पर किसी इमारत या इमारत के भाग का निर्माण पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से या उसमें कोई कुआँ बनाने या उसे बड़ा करने से रोकने का निर्देश दे सकती है जब यह समझे कि ऐसा निर्माण पुनर्निर्माण परिवर्तन बनाया जाना या बड़ा किया जाना 106(ज) के अधीन अपराध है और उसी प्रकार वह यथास्थिति इमारत या इमारत के भाग या कुएँ में परिवर्तन करने या उसे गिराने का जैसा भी वह आवश्यक समझे निदेश दे सकती है।

सार्वजनिक नालियाँ

106(ठ) सार्वजनिक नालियाँ—(जिला पंचायत) नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर ऐसी नालियों बना सकती है जिन्हें वह किसी बने हुये क्षेत्र को समुचित रूप से स्वच्छ रखने तथा जलोत्सारित करने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी नालियों को किसी सड़क या स्थान के बीच से या उनके आर पार या उसके नीचे से ले जा सकती है तथा स्वामी या अध्यासी को यथोचित लिखित नोटिस देने के बाद उन्हें किन्ही इमारतों या भूमि में या उसमें होकर या उसके नीचे से ले जा सकती है:

परन्तु यह कि नियमों द्वारा व्यवस्थित रीति से आकलित प्रतिकर उत्क स्वामी या अध्यासी को अदा कर दिया जाएगा।

106(ड) सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन—(1) जिला पंचायत समय समय पर किसी सार्वजनिक नाली को बड़ा या छोटा कर सकती है या उसके मार्ग को बदल सकती है उसे ढक सकती है या उसमें अन्य सुधार कर सकती है और ऐसी किसी नाली को रोक सकती है बन्द कर सकती है या हटा सकेगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि जब जिला पंचायत उक्त अधिकार का प्रयोग करने किसी व्यक्ति को किसी वर्तमान सार्वजनिक नाली के उपयोग से वंचित करे तो वह उसके बदले एक दूसरी तथा उतनी ही उपयोगी नाली की व्यवस्था करेगी।

106(ढ) सार्वजनिक नाली का उपयोग स्वामियों द्वारा—(1) ग्राम्य के भीतर किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी को अपनी नालियाँ जिला पंचायत की नालियों में गिराने का अधिकार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पहले क्षेत्र पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त कर लें और किसी उपविधि से सुसंगत ऐसी शर्तों का अनुपालन करें जिन्हें जिला पंचायत उस रीति तथा उस अधीक्षण के सम्बन्ध में नियत कर जिसमें या जिसके अधीन क्षेत्र पंचायत में निहित न हुई नालियों के प्रवाह को इस प्रकार विहित हुई नालियों से मिलाया जायेगा।

(2) जो व्यक्ति जिला पंचायत की लिखित अनुमति के बिना या किसी प्रविधि या अपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश अथवा लगायी गयी किसी शर्त का उल्लंघन करने अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली को जिला पंचायत में निहित किसी नाली से जोड़े या जुड़वाये या ऐसे किसी जोड़ में परिवर्तन करे या करवाये तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है तथा जिला पंचायत लिखित नोटिस द्वारा उक्त व्यक्ति से ऐसे जोड़ को बन्द करने, तोड़ देने, परिवर्तित करने, पुनर्निर्मित करने या उस सम्बन्ध में ऐसी अन्य कोई कार्यवाई करने का अपेक्षा कर सकती है जो वह उचित समझे।

सडक सम्बन्धी विनियम

106(ण) ऐसे स्थल पर जो कि सार्वजनिक या निजी सडक से लगा हुआ न हो इमारत का निर्माण करने के पहले सडक का विन्यास करने तथा बनाने का उपबन्ध— उस दशा को छोड़ कर जब कोई स्थल किसी सार्वजनीक या निजी सडक से लगा हुआ हो हो यदि कोई व्यक्ति जो किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो जो उस समय तक इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त करना बेचना पटे पर देने या अन्यथा संकामित करने के पूर्व एक सडक का विन्यास और निर्माण करेगा जो उक्त स्थल को किसी वर्तमान सार्वजनिक या निजी सडक से मिलाये।

106(त) सडक के विन्यास तथा निर्माण की अनुमति—(1) किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी नयी सडक का विन्यास या निर्माण आरम्भ करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सडक के विन्यास अथवा निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिये क्षेत्र पंचायत को एक प्रार्थना पत्र देगा और उसके साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करेगा—

(क) सडक की प्रस्तावित सतह दिया तथा चौड़ाई,

(ख) सडक का समरेखाकरण और उसकी निर्माण रेखा, तथा

प्रार्थना पत्र में इस बात का भी उल्लेख करेगा कि सडक को समतल करने उसमें खडन्जा लगाने उसे पक्का करने उसमें पत्थर लगाने तथा मोरियों बनाने के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा।

(2) किसी सार्वजनिक सडक की सतह और चौड़ाई तथा उससे लगी हुई इमारत की उचाई के सम्बन्ध में इस अधिनियम के तथा उसके बनाये गये किन्ही नियमों या उपविधियों के उपबन्ध उपधारा(1) में उल्लिखित सडक के विषय में भी प्रवृत्त होंगे तथा उस उपधारा में उल्लिखित अन्य समस्त विवरण क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन के अधीन होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना पत्र प्रति के साठ दिन के भीतर क्षेत्र पंचायत सडक के विन्यास अथवा निर्माण की स्वीकृति ऐसी शर्तों के अधीन देगी जिन्हें लगाना वह ठीक समझे या उसे अस्वीकृत कर देगी अथवा निर्दिष्ट किये गये समुचित समय सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना माँगेगी।

(4) ऐसी स्वीकृति देने से इन्कार किया जा सकता है यदि—

(एक) प्रस्तावित सडक से किन्ही ऐसे प्रबन्धों में बाधा पड़े जो सडक में सुधार करने की किसी सामान्य योजना को कार्यान्वित करने के लिये गये हो या क्षेत्र पंचायत की राय में जिसके किये जाने की संभावना हो, अथवा

(दो) प्रस्तावित सड़क उपधारा (2) में उल्लिखित अधिनियम नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, अथवा

(तीन) प्रस्तावित सड़क की प्ररचना ऐसी न हो जिसका न्यूनतम छोर एक सार्वजनिक सड़क से मिले।

(चार) कोई व्यक्ति जिला पंचायत के आदेशों के बिना अथवा उसके आदेशों के अनुरूप किसी नई निजी सड़क अथवा मार्ग का विन्यास या निर्माण नहीं करेगा। यदि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त सूचना मांगी गई हो तो उक्त सड़क का विन्यास अथवा निर्माण तब तक आरम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि उक्त सूचना को प्राप्ति के पश्चात प्रार्थना पत्र पर आदेश न दे दिया गया हो;

परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत को ऐसी समस्त सूचना मिलने के पश्चात जिसे वह प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण के लिये आवश्यक समझे ऐसे आदेश देने में किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक का विलम्ब नहीं किया जायेगा।

106(थ) कुछ दशाओं में सड़क के विन्यास अथवा निर्माण के लिये जिला पंचायत की स्वीकृति का मान लिया जाना— यदि जिला पंचायत धारा 106(त) के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात साठ दिन तक स्वीकृति प्रदान करने में उपेक्षा या चूक करे अथवा यदि अतिरिक्त सूचना मांगने के निमित्त उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस व्यक्ति को जिसने प्रार्थना पत्र दिया हो जिला पंचायत अपेक्षित सूचना के ब्यौरे भेजने में असफलता की ओर आकृष्ट कर सकता है और यदि तीस दिन तक ऐसी उपेक्षा चूक या असफलता जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि क्षेत्र पंचायत ने प्रस्तावित सड़क के विन्यास तथा निर्माण के लिए पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है:

परन्तु यह कि इसमें दी हुई किसी बात से यह अर्थ न निकाला जायेगा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा किन्हीं उपविधियों का उल्लंघन करने कोई कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

106(द) स्वीकृति की अवधि— (1) क्षेत्र पंचायत द्वारा धारा 106(त) तथा 106(थ) के अधीन दी गयी अथवा दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क पुर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति बिना आरम्भ नहीं की जायेगी।

106(ध) सड़क का अवैध निर्माण— जो व्यक्ति धारा 106(त) द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना अथवा जिला पंचायत द्वारा धारा 106(थ) या किसी उपविधि या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दिये गये लिखित निदेश का उल्लंघन करके किसी का विन्यास अथवा निर्माण आरम्भ करे उसे जारी रखें अथवा पुरा करे तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा।

106(न) अस्वीकृत सड़क को परिवर्तित करने तथा उसे तोड़ देने के संबन्ध में (क्षेत्र पंचायत) के अधिकार— (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 106(त) में उल्लिखित किसी सड़क के विन्यास अथवा निर्माण के आदेश के बिना अथवा उनके अनुरूप करता है तो इस बात के होते हुए भी की दोषी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया गया हो, लिखित नोटिस द्वारा —

(क) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे तारीख को या उसके पूर्व जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, जिला पंचायत के पास लिखित एवं अपने द्वारा

हस्ताक्षरकृत उत्तर भेज कर इस बात का पर्याप्त कारण बताइये कि उस सडक को क्षेत्र पंचायत के संतोषानुसार क्यों न परिवर्तित कर दिया जाय अथवा यदि ऐसा परिवर्तन अव्यवहार्य हो तो वह सडक क्यों न तोड दी जाय, अथवा

(ख) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह या तो स्वयं या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, ऐसे दिन, समय और स्थान पर जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायें, क्षेत्र पंचायत के सम्मुख उपस्थित हो और यथा पूर्वोक्त कारण बताइये।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया गया हो जिला पंचायत के संतोषानुसार पर्याप्त कारण न बता सके, तो क्षेत्र पंचायत सडक को परिवर्तित करने अथवा तोड देने के लिये जो भी वह उचित समझे, आदेश दे सकती है।

106(क क) सडकों तथा नालियों के उपर प्रक्षेपों के लिये जिला पंचायत की स्वीकृति—

(1) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिनमें किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्रों में सडकों या नालियों के उपर प्रक्षेपों के लिये जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति की शर्तों नियत की गयी हों क्षेत्र पंचायत उस दशा में जब अनुमति दी जाने की किसी उपविधि द्वारा व्यवस्था की गयी हो—

(क) सडकों में या उन पर स्थित इमारतों के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह खुले बरामदों छज्जों या कमरों का निर्माण या पुननिर्माण इस प्रकार के करें कि उनकी किसी उपरी मंजिल से उनका प्रक्षेप सडक की सतह से उतनी उंचाई पर रहे और इमारतों की कुर्सी या नींव की दीवार की रेखासे उतना आगे रहे जितना उक्त उपविधियों में नियत किया गया हो

(ख) किसी इमारत या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह किसी प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुननिर्माण इस प्रकार करें कि वह किसी सडक की नाली के उपर उस नियत आयति तक तथा शर्तों के अनुसार जो उसी प्रकार नियत की गयी हो लटके, बड़े या उस पर अतिक्रमण करें।

(2) उपधारा (1)के खण्ड(क) के अधीन अनुमति देते समय क्षेत्र पंचायत वह आयति और शर्तें नियत कर सकती है जिस तक और जिनके अधीन उक्त सडक के उपर कोई छतों, ओलतियों, जल फलको दुकानों के तख्तों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं को सडक पर बढने की अनुमति हों।

106(क ख) बिना अनुमति के सडकों अथवा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण के लिये शास्ति— जो व्यक्ति किसी प्रक्षेप अथवा संरचना का निर्माण या पुननिर्माण उक्त धारा द्वारा अपेक्षित अनुमति के बिना अथवा उसके आधीन दी गयी किसी अनुमति का उल्लंघन करके करे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा।

106(क ग) सडकों तथा नालियों के उपर अतिक्रमण करने वाले मार्गों तथा प्रक्षेपों को हटाने का अधिकार— जिला पंचायत किसी इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह किसी सडक पर व लटकने वाले उस पर बड़े हुए या उस पर अतिक्रमण करने वाले अथवा उस पर की किसी नाली, मल नाली अथवा जल प्रणाली में या उस पर या उसके उपर बने हुए किसी प्रक्षेप अथवा संरचना को हटा दे अथवा उसमें परिवर्तन करें;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अथवा इसके पूर्व विधितः विद्यमान किसी प्रक्षेप अथवा संरचना की दशा में क्षेत्र पंचायत उसे हटाने अथवा उसमें

परिवर्तन करने के फलस्वरूप होने वाली किसी क्षति के लिये प्रतिकर देगी जो निर्माण करने तथा गिराने व्यय के तिगुने से अधिक नहीं होगा।

106(क घ) सड़कों के समतल किये जाने तथा उसमें खडंजा लगाये जाने आदि की अपेक्षा करने का अधिकार—(1) यदि नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में निजी सड़क अथवा उसका कोई भाग क्षेत्र पंचायत के संतोषानुसार समतल न किया गया हो उसमें खडंजा न लगाया गया हो या उसको पक्का न किया गया हो या उसमें पत्थर न लगाये गये हो तो क्षेत्र पंचायत उन भू-गृहादि के जिनके अग्र भाग उक्त सड़क या भाग की ओर हों या जो उसे लगे हुए हो स्वामियों अथवा अध्यासियों की नोटिस देकर उनसे अपेक्षा कर सकती है कि वे उस कार्य को जो उसकी राय में आवश्यक हो उस समय के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाये, सम्पादित करें।

(2) यदि उक्त कार्य नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर सम्पादित न किया जाय तो (जिला पंचायत) यदि वह उचित समझे उसे सम्पादित करे सकती है, तथा उसमें किया गया व्यय उक्त नोटिस की अवहेलना करने वाले स्वामियों अथवा अध्यासियों के अध्याय आठ के अधीन उनके अपने अपने भू-गृहादि के अग्रभागों के अनुसार और ऐसे अनुपात में जो क्षेत्र पंचायतनिश्चित करें, वसूल किया जायेगा।

(3) यदि पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन कोई सड़क समतल की गयी हो या उसमें खडंजा लगाया गया हो या वह पक्की की गयी हो या उसमें पत्थर लगाये गये हों या मोरियां तथा नालियां बनायी गयी हों ऐसी सड़क उसके स्वामियों के न्यूनतम तीन चौथाई की अभ्यर्थना पर सार्वजनिक सड़क घोषित कर दी जायेगी।

106(क ड.) इमारत आदि बनाने के समय सड़क के संरक्षण की अपेक्षा करने का अधिकार—

(1) जिला पंचायत की लिखित अनुमति पहले प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति कोई पेड या उसकी कोई शाखा नहीं काटेगा परिवर्तन अथवा उसकी मरम्मत करेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रकार का हो कि उससे सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए अवरोध, खतरा या क्लेश का संकट पैदा हो।

(2) जिला पंचायत किसी भी समय नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि उपधारा (1) में उल्लिखित कार्यों में से कोई कार्य करने वाला अथवा करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति तब तक उस कार्य को प्रारम्भ न करे अथवा जारी रखने से रूका रहे जब तक कि वह सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश के साथ ऐसी बाड़ा अथवा पर्दा जो नोटिस में उल्लिखित या वर्णित हो न लगाये, उनका अनुरक्षण न करे तथा उनकी व्यवस्था न करे और वह किसी भी समय नोटिस द्वारा यह भी अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्यों में से किसी कार्य की प्रत्याशी से अथवा उसके अनुसरण में निर्मित किसी पर्दे अथवा बाड़े की नोटिस में नियत समय के भीतर, हटा दे।

(3) जो व्यक्ति उपधारा(1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे वह दोषी पाये जाने पर अर्धदण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है तथा प्रथम दोषसिद्ध की तारीख के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उक्त उल्लंघन जारी रहे, अतिरिक्त अर्ध दण्ड का भागी होगा, जो पांच रुपये तक हो सकेगा।

106(क च) झाड़ियों और पेड़ों को छांटने की अपेक्षा का अधिकार – जिला पंचायत नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामी अथवा अध्यायी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पर उगी हुई सड़क के पास की झाड़ियों को या उस पर उगे हुए पेड़ों की ऐसी शाखाओं को जो सड़क के ऊपर लटकती हों और उसे अवरुद्ध करती

हों या खतरा पैदा करती हों काटे या छांटे।

106(क छ) आकस्मिक अवरोधों को हटाने का अधिकार –

जब कोई निजी मकान, दीवार या अन्य निर्माण या उससे जुड़ी हुई कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़े और सार्वजनिक नाली को अवरुद्ध करे या सड़क को रोक ले तो क्षेत्र पंचायत ऐसे अवरोध या रोक को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकेगी और उस व्यय को अध्याय-आठ में व्यवस्थित रीति से वसूलकर सकेगी या नोटिस द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह नोटिस में निर्दिष्ट में समय के भीतर उसे हटा दे।

106(क ज) किसी सड़क को प्रभावित करने वाली जल प्रणालियों तथा नाली के पानी के निकास के लिये बने पाइपों का विनियमन- जिला पंचायत नोटिस द्वारा सड़क से लगी हुई किसी इमारत अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है वह इमारत अथवा भूमि के पानी को ग्रहण करने तथा उसे बाहर ले जाने और उसकी ऐसी रीति से जिसे क्षेत्र पंचायत ठीक समझे, निकासी के लिये, जल प्रणालियों तथा पाइपों की व्यवस्था करे और उन्हें अच्छी दशा में रखे जिससे कि सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को असुविधा न हो।

सार्वजनिक सड़कें

106(क झ) सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण, उनका सुधार तथा स्थलों की व्यवस्था करने का अधिकार- जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत-

- (क) किसी नई सार्वजनिक सड़क का विन्यास तथा निर्माण कर सकती है और सुरंगे तथा उसके सहायक अन्य निर्माण बना सकती है।
- (ख) किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क की यदि वह यथास्थिति (जिला पंचायत) या (क्षेत्र पंचायत) में निहित हो चौड़ी लम्बी, विस्तृत या परिवर्धित कर सकती है अथवा उसमें अन्य सुधार कर सकती है।
- (ग) इस प्रकार निहित किसी सार्वजनिक सड़क को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाएं मोड़ बदल या रोक सकती है अथवा बन्द कर सकती है।
- (घ) स्वमति से उतनी लम्बाई-चौड़ाई के जो वह उचित समझे निर्माण-स्थलों की व्यवस्था कर सकती हो। जो किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क से लगे हुए या उसके पार्श्वस्थ हो जो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा खण्ड (क) (ख) (ग) के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित अथवा चौड़ी, लम्बी, विस्तृत अथवा परिवर्धित की गयी हो अथवा सुधारी गयी हो।
- (ङ) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिसमें वे शर्तों नियत की गयी हों जिन पर जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्पत्ति अर्जित की जा सकती हो। किसी ऐसी भूमि को उस पर स्थित इमारतों सहित जिसे वह पूर्ववर्ती खण्डों द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके हाथ में ली गयी अथवा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्य के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, उसके स्वामी के साथ कोई अनुबन्ध करके अथवा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) या अन्य किसी विधि के अधीन अर्जित कर सकेगी, तथा
- (च) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसमें वे शर्तों नियत की गयी हों, जिन पर जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित संपत्ति संक्रामित की जा सकती हो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा खण्ड (ङ) के अधीन अर्जित किसी

संपत्ति को अथवा जिला पंचायत द्वारा सार्वजनिक सड़क से रूप में प्रयुक्त किसी ऐसी भूमि को, जिसकी ऐसी भूमि को जिसकी उस प्रयोजन के लिये आवश्यकता न रह गयी हों पट्टे पर दे सकती है बेच सकती है और ऐसा करने में वह उस पर विद्यमान किसी इमारत को हटाने उस पर बनायी जाने वाली किसी नई इमारत के रूप, अवधि जिसके भीतर ऐसी नयी इमारत पूरी की जायेगी तथा किसी अन्य ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो वह उचित समझे कोई शर्त लगा सकेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कार्य हाथ में लेने में जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या किसी भी दशा में उपासना अथवा धार्मिक पवित्रता के किसी स्थान में हस्तक्षेप या उसका अतिक्रमण नहीं करेगी।

106(क ज) किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित किया जाना— (1) जिला पंचायत किसी भी समय किसी सड़क पर जो सार्वजनिक सड़क न हो अथवा ऐसी सड़क के किसी भाग पर सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है और अभ्यर्थना द्वारा अपेक्षित होने पर अवश्य ऐसा करेगी। उक्त नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के दो मास के भीतर उस सड़क के अथवा सड़क के उक्त भाग के अथवा उसके अधिकांश भाग के स्वामी उक्त नोटिस के विरुद्ध क्षेत्र पंचायत की सम्बोधित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकार करदे तो वह सड़क या उस भाग पर एक और सार्वजनिक नोटिस लगा कर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सार्वजनिक नोटिस सड़क पर लगाये जाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय समाचार पत्र में यदि कोई हो अथवा ऐसी अन्य रीति से जो जिला उचित समझे प्रकाशित किया जायेगा।

(3) जिला पंचायत भी इस धारा के अधिकारों का प्रयोग किसी ऐसी सड़क या सड़कों के भाग के सम्बन्ध में कर सकती है, जिसे वह जिला सड़कों में सम्मिलित करना चाहती हो।

106(क ट) सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण रेखा विनियमित करने का अधिकार —

(1) जब कभी सम्पयुक्त प्राधिकारी किसी वर्तमान अथवा प्रस्तावित सार्वजनिक सड़क के दोनो अथवा किसी और इमारत के लिये सामान्य निर्माण रेखा निर्धारित करना इष्टकर समझे तो वह ऐसा करने के अपने आशय का सार्वजनिक नोटिस देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि निर्दिष्ट की जायेगी जिसके भीतर आपत्तियां जी जायेगी।

(3) सम्पयुक्त प्राधिकारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त समस्त आपत्तियों पर विचार करेगा और ततपश्चात् उक्त रेखा को परिभाषित करते हुए संकल्प पारित कर सकेगा तथा इस प्रकार परिभाषित की हुई रेखा सड़क की नियमित निर्माण रेखा कहलायेगी।

(4) उसके बाद किसी व्यक्ति के लिये किसी इमारत सा इमारत के भाग का पुननिर्माण या परिवर्तन इस प्रकार करना वैध न होगा कि वह सड़क की नियमित निर्माण रेखा के आगे बढ़ जाये, जब तक कि उसे लिखित अनुमति द्वारा ऐसा करने का प्राधिकार नही दे दिया हो और सम्पयुक्त प्राधिकारी को इस धारा के अधीन ऐसी अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है।

(5) भूमि का कोई ऐसा स्वामी जिसे इस धारा के उपबन्धों द्वारा किसी भूमि पर किसी इमारत का निर्माण, पुननिर्माण या उसमें परिवर्तन करने से रोक दिया गया हो, सम्पयुक्त

प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस क्षति के लिये प्रतिकर दे जो इस प्रकार रोके जाने के कारण उसे पहुंचे तथा सड़क की नियमित निर्माण रेखा के भीतर स्थित किसी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान हो जाने पर वह भूमि समुपयुक्त प्राधिकारी में निहित हो जायेगी ।

(6) समुपयुक्त प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसी इमारत या उसके भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा कर सकता है जिसका निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन उपधारा (4) का उल्लंघन करके किया गया हो।

106(क ठ) सार्वजनिक सड़कों आदि का निर्माण करते समय समुपयुक्त प्राधिकारी के कर्तव्य—

(1) समुपयुक्त अधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क या अपने में किसी निहित जल मार्ग नाली या भू गृहादी के निर्माण या मरम्मत के दौरान में या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक सड़क जल मार्ग या भू -गृहादि मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा जन साधारण द्वारा उपयोग के लिये असुरक्षित हो गये हो तो दुर्घटना से बचाव के लिये सभी आवश्यक पूर्वोपाय निम्नांकित रूप से करेगा —

(क) पार्श्वस्था इमारतों में थूनी लगाकर और उनकी रक्षा करके,

(ख) ऐसे निर्माण या मरम्मत के समय यातायात को रोकने या उसे दूसरी ओर मोड़ने के प्रयोजन से किसी सड़क में या उसके आर-पार आड, जंजीरों या खम्बे लगाकर, तथा

(ग) किसी कार्य की जो रहा हो, रक्षा करके तथा उसके लिये सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करके ।

(2) जो व्यक्ति समुपयुक्त प्राधिकारी के प्राधिकार या सम्मति के बिना समुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्माण के सम्बन्ध में या दुर्घटना से बचाव के लिये किये गये किसी प्रबन्ध में हस्तक्षेप करेगा, वह दोषी पाये जाने पर अर्धदण्ड का भागी होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है।

जल संभरण स्रोतों की रक्षा

106(क ड) निजी जल मार्ग आदि साफ किये जाने अथवा बन्द किये जाने की अपेक्षा करने का अधिकार —

(1) क्षेत्र पंचायत ऐसे किसी निजी जल मार्ग, सोते तालाब, कुएँ या अन्य स्थान के जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी और जब क्षेत्र पंचायत ऐसा करने के लिये कहे तो उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह उसे अच्छी हालत में बनाये रखे और समय समय पर उसमें से तलछट, कूड़ा करगट या सड़ने वाली वनस्पति निकाल कर उसकी सफाई करे तथा क्षेत्र पंचायत उससे यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह उसे दूषित होने से उस रीति से बचाये जो क्षेत्र पंचायत उचित समझे ।

(2) जब किसी ऐसे जल मार्ग, सोते, तालाब, कुएँ या अन्य स्थान का पानी जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो तो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पानी को न स्वयं पीने के उपयोग में लाये और न दूसरों को पीने के लिये उसका उपयोग करने में लाने और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा वह पानी पीने के लिये उपयोग में लाया जाय तो यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा उस कुएँ की स्थायी रूप से बन्द करने की या बाड लगा देने की अपेक्षा

तालाब कुएं या अन्य स्थान को ऐसी स्थान को ऐसी रीति के धेर देने या उसके चारों ओर बाड़ लगा देने की अपेक्षा कर सकेगी जिसका वह निर्देश दे जिससे कि उसका पानी इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जा सके।

106(क ढ) महामारी फैलाने पर आपति का अधिकार—जिले के ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में हैजा या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित अन्य संक्रामक रोग फैलाने की दशा में जिला पंचायत का अध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या उनमें से किसी के द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति महामारी के फैले रहने की अवधि में बिना नोटिस के और किसी भी समय किसी कुएं तालाब या अन्य स्थान का जिसमें से पानी पीने के लिये लिया जाता हो या लिये जाने की सम्भावना हो निरीक्षण कर सकता है और उसे कीटाणु रहित कर सकता है और इसके अतिरिक्त उसमें से पानी का निकाला जाना रोकने के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे।

106(क ण) जल सम्भारण के किसी स्रोत के निकट से शौचालयों आदि का हटाया जाना—

जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत किसी ऐसे स्वामी सा अध्यासी से जिनकी भूमि पर किसी स्रोत, कुएं तालाब, जलाशय या अन्य स्रोतों जिनमें से सार्वजनिक प्रयोग के लिये पानी निकाला जाता हो या निकाला जा सकता हो के पचास फीट के भीतर स्थित कोई नाली, सन्डास, शौचालय, मूत्रालय, नलकूप या गलीज या कूड़ा-करगट का अन्य पात्र हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी वह ऐसे नोटिस की तामील के एक सप्ताह के भीतर उसे हटा दे या बंद कर दे।

106(क त) नाली या जलकार्य के ऊपर अनधिकृत निर्माण आदि—(1) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक नाली या पुलिया या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित किसी जल कार्य के ऊपर कोई सड़क बनाई गई हो अथवा किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना का निर्माण किया गया हो या कोई पेड़ लगाया गया हो तो यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत—

(क) नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से जिसने उक्त सड़क बनायी गयी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो अथवा उस भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर सड़क बनायी गयी हो संरचना का निर्माण किया गया हो, या पेड़ लगाया गया हो, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क, संरचना या पेड़ को हटा दे या उसके सम्बन्ध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करें जो, यथास्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत समझे, अथवा

(ख) सड़क संरचना या पेड़ को स्वयं हटा सकती है या उसके संबन्ध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई कार्यवाही के ऊपर जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया कोई व्यय व्यवस्थित रीति से उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा जिसने सड़क बनायी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो।

बजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि

106(क थ) बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के वध का स्थान—

(1) क्षेत्र पंचायत; जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से, बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशुओं के वध के लिए नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में भू-गृहादि निश्चित कर सकती है तथा उसी प्रकार के अनुमोदन से ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग के लिये

लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है और वापस ले सकेगी।

(2) जब ऐसे भू-गृहादि निश्चित कर दिये गये हों, तो कोई व्यक्ति उक्त भू-गृहादि से दो मील के अर्ध-व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे पशु का वध नहीं करेगा।

(3) जो व्यक्ति दो मील के अर्ध-व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में ऐसे पशु का बिक्री के प्रयोजनार्थ वध करे, वह दोषी पाये जाने पर अर्ध-दण्ड का भागी होगा, जो इस प्रकार वध किये प्रत्येक पशु के लिये बीस रुपये तक हो सकेगा।

106(क द) ऐसे पशुओं के सम्बंध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जायेगा, जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार- जब कभी सार्वजनिक शान्ति या व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह मण्डल के आयुक्त के नियंत्रण में रहते हुये सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्राम्य क्षेत्र के भीतर बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशु या पशुओं के वध का निषेध या विनियमन कर सकेगी तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिससे होकर ऐसे वध-स्थान में लाये जायेंगे तथा वहाँ से मास बाहर ले जाया जायेगा, नियत कर सकेगा।

106(क ध) दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लाये जाने वाले पशुओं के अनुपयुक्त भोजन देना- जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसे पशु को, जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो अथवा जिसे भोजन के लिये उपयोग में लाया जा सकता हो, गन्दे या हानिकर पदार्थ खिलाये या खिलाये जाने दे वह दोषी पाये जाने पर अर्ध दण्ड का भागी होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।

स्पष्टीकरण- गन्दे अथवा हानिकारक भोजन का तात्पर्य उस भोजन से होगा जो नियमों में नियत किसी प्रधिकारी द्वारा तथा रीति के अनुसार गन्दा अथवा हानिकारक भोजन निर्दिष्ट किया गया हो।

106(क न) भोजन, पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण- अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, जिला पंचायत का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य अधिकारी बिना नोटिस के दिन या रात में किसी समय, किसी ऐसे बाजार, दुकान, स्टाल अथवा स्थान में जो मनुष्य के भोजन अथवा पेय की बिक्री के लिये अथवा पदार्थ का अथवा भेषज का जो उसके भीतर हो, निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा।

106(ख क) अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का अभिग्रहण तथा हानिकारक और गत प्रभाव भेषजों का हटाया जाना- (1) यदि पूर्वगामी धारा के अधीन किसी स्थान का निरीक्षण करने में कोई भोज्य अथवा पेय पदार्थ अथवा कोई पशु मनुष्य के उपभोग के लिये अभिप्रेत, किन्तु एतदर्थ अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो इस प्रकार निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसका अभिग्रहण कर सकता है और उसे हटा सकता है, या उसे नष्ट करवा सकता है या उसका इस प्रकार निस्तारण करवा सकता है कि वह बिक्री के लिये या इस प्रकार उपभोग के लिये प्रदक्षित न किया जा सके।

(2) यदि समुचित रूप से यह सन्देह हो कि किसी भेषज में अपमिश्रण किया गया है या पुरानी हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण वह गत प्रभाव के कारण वह गत प्रभाव या अस्वास्थ्यकर हो गया है या अन्यथा इस प्रकार खराब हो गया है कि उसकी उपयोगिता कम हो गई है या उसका प्रभाव बदल गया है या वह अनिष्टकर हो गया है, तो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसके लिये एक रसीद देकर उसे हटा सकता

है, और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष उपधारा (2) के अधीन भेषज प्रस्तुत किया हो यह प्रतीत हो कि उसमें अपमिश्रण किया गया है या वह पूर्वोक्त रूप से गत प्रभाव अस्वास्थ्यकर या खराब हो गया है, तो वह उसके नष्ट किये जाने अथवा इस प्रकार निस्तारित किये जाने का जो वह ठीक समझे, आदेश दे सकता है और यदि वह प्रकट हो कि कोई अपराध किया है तो वह उसका संज्ञान करने के लिये कार्यवाही कर सकेगा।

कुछ व्यापारों तथा व्यवसायों से पैदा होने वाले कंटक

106(ख ख) क्षोभकर व्यापारों का विनियम-

(1) यदि जिला पंचायत के संतोषानुसार यह दिखाया जाय कि ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी इमारत या स्थान से जिसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण संग्रह क्रिया या निस्तारण के प्रयोजनार्थ कारखाना या कारोबार के अन्य स्थान रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग का आशय करता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा ऐसे आशयगत प्रयोग के कारण कोई लोक कंटक पैदा होता है या उसके पैदा होने की संभावना है तो जिला पंचायत अपने विकल्प से उस स्थान या इमारत के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह -

(क) उक्त इमारत या स्थान का पूर्वोत्तर प्रयोजन के लिये प्रयोग न करें या न करने दें, या

(ख) उक्त इमारत या स्थान का केवल ऐसे प्रयोजन के लिये केवल ऐसी शर्तों पर या ऐसे संरचनात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रयोग करें या करने दें जो जिला पंचायत ऐसे प्रयोजन के लिये उक्त स्थान या इमारत के प्रयोग को आपत्ति मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस में नियत करे।

(2) जो व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिया गया नोटिस मिलने के पश्चात किसी इमारत अथवा स्थान के नोटिस का उल्लंघन करके प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध के तारीख के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें वह उक्त इमारत या स्थान का प्रयोग करें अथवा प्रयोग करने दे, अतिरिक्त अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।

106(ख ग) पथ नियम की उपेक्षा - जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में सड़क पर कोई वाहन हाकने ले जाने अथवा चलाने में वास्तविक आवश्यकता की दशा में अन्यथा -

(क) बांयी ओर न रहे, अथवा

(ख) उसी दिशा में जाने वाले वाहन से आगे निकलने में उसकी दाहिनी ओर न रहें वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो दस रुपये तक हो सकता है।

अपवाद- यह धारा कुमायूं तथा उत्तराखण्ड मण्डलों के जिलों में प्रवृत्त नहीं होगी और नहीं उस दशा में प्रवृत्त होगी जब पूर्वोत्तर व्यतिक्रम मोटर व्हीकल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 122 (2) के अधीन दण्डनीय अपराध हो।

106(ख घ) प्राधिकृत परिणाम से अधिक परिणाम मे रखें गये ज्वलनशील पदार्थों की तलाशी लेने का अधिकार -

(1) जब जीवन या सम्पत्ति के लिये खतरे के निवारणार्थ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो क्षेत्र पंचायत सार्वजनिक नोटिस द्वारा समस्त व्यक्तियों को किसी मकान, इमारत या स्थान में जो नोटिस में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हों, लकड़ी, सूखी घास, भूसा अथवा

अन्य ज्वलशील पदार्थों का संग्रह रखने या करने का अथवा चटाइयां या फूस की झोपडियां रखने या आग जलाने का निषेध कर सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निषेध का उल्लंघन करके या उपधारा (1) के या किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे मकान, इमारत अथवा स्थान में रखे जाने के अनुज्ञात परिणाम से अधिक परिमाण में, सूखी लकड़ी, घास, भूसा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का संग्रह रखे जाने या किये जाने का सन्देह हो तो मुख्य अधिकारी अथवा मुख्य अधिकारी द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत जिला पंचायत का कोई अधिकारी अथवा सेवक बिना नोटिस तथा दिन अथवा रात में किसी भी समय, ऐसे मकान या इमारत या स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा निरीक्षण कर सकेगा।

(3) यदि ऐसा पदार्थ किसी परिमाण में या प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में पाया जाय तो ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो मजिस्ट्रेट इसके सम्बन्ध में दे, उसका अभिग्रहण किया जा सकता है और उसे कब्जे में लिया जा सकेगा।

(4) यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय करे कि अभिग्रहीत पदार्थ उपधारा (1)के अधीन किये गये किसी निषेध के प्रतिकूल मकान, इमारत अथवा स्थान में जमा किया गया था, तो वह उसे जब्त करने का आदेश दे सकेगा।

(5) इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अथवा उद्धीन बनाये गये किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुए इस प्रकार जब्त किया गया पदार्थ मजिस्ट्रेट के आदेश से बेचा जा सकता है तथा उससे होने वाली आय ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में हुए व्यय की अदागयी के बाद जिला निधि में जमा की जायेगी।

106(ख ड.) अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अपवाद— धारा 204 के अधीन जब्ती का कोई आदेश किसी अन्य ऐसी दीवानी अथवा फौजदारी की कार्यवाही में बाधक न होगा जो पदार्थ का संग्रह रखने या करने वाले अथवा अनुज्ञान परिमाण से अधिक परिमाण में संग्रह रखने या करने वाले व्यक्ति से विरुद्ध की जा सकेगी।

106(ख च) खड़न्जों आदि को हटाना— (1) जो व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़न्जे नाली के पत्थर या अन्य सामग्री या उसकी भेड़ों, दीवारों या खम्भों या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की वही स्थिति ऐसी अन्य सम्पत्ति को, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या अन्य विधिसंगत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटाता है, लेता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करता है, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ—दण्ड का भागी होगा, जो एक सौ रूपये तक हो सकेगा।

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रकार के किसी कार्य के किये जाने के कारण जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

106(ख छ) आग्नेयास्त्र आदि को जोड़ना— जो व्यक्ति ऐसी रीति से आग्नेयास्त्र छोड़े अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे छोड़े या कोई ऐसा खेल खेले जिससे पास से निकलने वाले या पास—पड़ोस में रहने या काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुंचने का डर हो, तो दोषी पाये जाने पर अर्थ—दण्ड का भागी होगा, जो बीस रूपये तक हो सकेगा।

106(ख ज) ध्वस्त इमारतों, आरक्षित कुओं आदि से होने वाले खतरे को रोकने का अधिकार— (1) जिला पंचायत, नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकेगी, कि—

(क) यह किसी ऐसी इमारत, दीवार, कगार अथवा अन्य संरचना या उससे संलग्न किसी वस्तु को गिरा दे, अथवा उसकी ऐसी रीति से मरम्मत करे जो जिला पंचायत आवश्यक समझे अथवा किसी ऐसे पेड़ को हटा दे, जो उक्त स्वामी को हो, या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो, जिसके विषय में जिला पंचायत को यह प्रतीत हो कि वह ध्वस्त दशा में है या व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक है, अथवा

(ख) वह किसी ऐसे कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे अथवा खोदे हुए स्थान की, जो उक्त स्वामी को हो या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो और जो उसकी स्थिति मरम्मत के अभाव या अन्य ऐसी ही परिस्थितियों के कारण जिला पंचायत को खतरनाक प्रतीत हो, ऐसी रीति से मरम्मत करें, रक्षा करे या उसे घेर दे जिससे वह जिला पंचायत आवश्यक समझे,

(2) यदि जिला पंचायत को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति से लिये आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजन के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो जिला पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं तुरन्त ऐसी कार्यवाही करे तथा ऐसी दशा में जिला पंचायत के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नोटिस दे, यदि जिला पंचायत को यह प्रतीत हो कि नोटिस देने के फलस्वरूप होने वाले बिलम्ब से इस प्रकार की तुरन्त कार्यवाही करने का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

106(ख झ) सड़क का अवरोध— (1) जो व्यक्ति जिला पंचायत की लिखित अनुमति के बिना—

(क) किसी वाहन को, उसमें जाते हुए पशु सहित अथवा उसके बिना, उस समय से, जो उसमें माल लादने या उसमें से माल उतारने या उस पर यात्रियों को चढ़ाने या उसमें से यात्रियों को उतारने के लिए आवश्यक हो, अधिक समय तक इस प्रकार खड़ा रखे या खड़ा रहने दे जिससे किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ख) किसी वाहन या पशु को इस प्रकार छोड़ दे अथवा बांध दे कि उससे ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ग) किसी वस्तु को, विक्रय के निमित्त स्टाल में या कपड़ा या लकड़ी की बनी दुकान में अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार प्रदर्शित करें कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(घ) किसी ऐसी सड़क में कोई इमारती सामान, बक्स, खम्भा, गॉट, बन्दल या व्यापारिक समान जमा करें या जमा करने दे, अथवा

(ङ.) किसी ऐसी सड़क में कोई मेड़, कटघरा, खम्भा, स्टाल या पाड़ या ऐसी ही कोई अन्य स्थाय खड़ा करे या बनाये, अथवा

(च) सड़क के निर्बाध आवागमन को जान-बूझ कर किसी रीति से अवरुद्ध करे या कराये, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दण्ड का भागी होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

(2) जिला पंचायत की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अवरोध को हटाने का अधिकार होगा तथा उसे इस प्रकार हटाने का व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन सड़कों से अवरोधों को हटाने का जिला पंचायत द्वारा प्रयोज्य अधिकार जिला पंचायत द्वारा किसी ऐसे खुले स्थान से, चाहे वह जिला पंचायत में निहित हो, या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, अवरोधों को हटाने के लिए भी प्रयोग में

लाया जा सकेगा।

(4) इस धारा में दी हुई कोई बात सड़क के किसी ऐसे अवरोध पर प्रवृत्त न होगी जिसकी अनुज्ञा इस अधिनियम की किसी धारा अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी लाइसेन्स से अधीन जिला पंचायत द्वारा दी गयी हो।

रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

106(ख ज) फैक्टरियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिए शौचालय— जिला पंचायत ऐसी किसी व्यक्ति से, जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजन किये हों, या जो किसी बाजार, स्कूल या नाट्यशाला या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो या उसका प्रबन्ध कता हो उस पर नियन्त्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसी शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करें जो जिला पंचायत उचित समझे उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और उनकी प्रति दिन सफाई कराये:

परन्तु यह कि कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63, 1948), द्वारा विनियमित फैक्टरीज पर इस धारा की कोई बात प्रवृत्त न होगी।

106(ख ट) तालाबों, आदि से उत्पन्न होने वाले कंटक को हटाने की अपेक्षा करने का अधिकार— जिला पंचायत, किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उसमें स्थित किसी निजी कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे, गड्ढे या खोदे हुए स्थान को, जो जिला पंचायत के पास-पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद या क्षोभकर प्रतीत हो, साफ कराये या उसकी मरम्मत कराये या उसे ढंके, भरवाये या जलोत्सारण करवाये :

परन्तु यह कि उक्त स्वामी या अध्यासी पूर्वगामी उपबन्ध के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्यधिकार जिला पंचायत के व्यय से अर्जित करने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की जिला पंचायत से अपेक्षा कर सकता है।

106(ख ठ) गन्दी भूमि की सफाई— यदि कोई भूमि, गन्दी या अस्वास्थ्यकर दशा में हो तो जिला पंचायत उसके स्वामी से नोटिस द्वारा उस भूमि की सफाई करने या उसे अन्यथा उचित दशा में करने और आगे स्वच्छ और उचित दशा में रखने की अपेक्षा कर सकता है।

106(ख ड) कूड़ा— करकट विष्टा आदि के निस्तारण का विनियमन— (1) जिला पंचायत किसी नियन्त्रण ग्राम्य क्षेत्र में—

(क) क्षोभकर पदार्थ तथा कूड़ा— करकट को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था कर सकती है ;

(ख) विष्टा तथा अन्य क्षोभकर पदार्थों और कूड़ा— करकट के निस्तारण के लिए स्थान निश्चित कर सकती है ; तथा

(ग) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे समय, रीति और शर्तों से सम्बन्ध में निदेश जारी कर सकती है जिस पर या जिनके अनुसार या जिसके अधीन रहते हुए खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट क्षोभकर पदार्थ का कूड़ा—करकट सड़क पर से ले जाय या जमा किया जाय या अन्यथा उसका निस्तारण किया जाय।

(2) निश्चित स्थान पर या उसके निकट उक्त निश्चय को व्यक्त करने वाला सूचना पट्ट प्रदर्शित कर देना उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन स्थान निश्चित करने की पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

106(ख ढ) कूड़ा-करकट विष्टा आदि के अनुचित निस्ताणर के लिए शास्ति- किसी ऐसी इमारत अथवा भूमि का अध्यासी जिसमें कोई क्षोभकर पदार्थ, कूड़ा करकट या विष्टा धारा 47(ख ड) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निश्चित स्थान से या उक्त उपधारा के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित पात्र या स्थान से अन्यत्र किसी सार्वजनिक नाली के किसी भाग में या सार्वजनिक नालों से मिलने वाली किसी नाली में फेंका जाये या जमा किया जाये, तथा कोई व्यक्ति जो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये जिला पंचायत के किसी निर्देश का उल्लंघन करे, दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

106(ख ण) सार्वजनिक सड़क आदि पर मलादि के उत्सर्जन के लिए शास्ति- निर्दिष्ट क्षेत्रों में, जब कभी किसी गन्दे पानी की मोरी या गड्ढे, मल नाले या नलकूप का पानी, या कोई अन्य क्षोभकर पदार्थ, जिला पंचायत को लिखित अनुमति से बिना या ऐसी अनुमति में नियत किसी शर्त का उल्लंघन करके, किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान में या किसी ऐसे मलनाले या नाली में, जो पदार्थ पृथक न की गयी हो, बहने या निकलने दिया जाय या रखा जाय तो जिस भूमि या इमारत से ऐसा पानी या क्षोभकर पदार्थ बहे, निकले या निकाल कर रखा जाये उसका स्वामी दोषी पाये जाने पर अर्थ-दण्ड का भागी होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

106(ख त) मनुष्यों के रहने के योग्य भवन- (1) किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में यदि कोई इमारत, या उसका कोई कमरा जिला पंचायत की राय में, जलोत्सारण या संवातन के अचित साधनों के अभाव के परिणाम स्वरूप या अन्यथा, मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त हो तो जिला पंचायत उसके स्वामी या अध्यासी को नोटिस; द्वारा उस इमारत अथवा कमरे को मनुष्यों के रहने के काम में लाने अथवा लाने देने का या तो पूर्ण रूप से या तब तक के लिये निषेध कर सकती है जब तक कि उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, उसमें ऐसा परिवर्तन न कर दे, जो कि उस नोटिस में नियत किया गया हो।

(2) जिस व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन नोटिस दिया गया हो, यदि वह उसका अनुपालन न करे तो जिला पंचायत के लिये यह वह एक और नोटिस द्वारा उस इमारत या कमरे के गिराये जाने की अपेक्षा करें।

106(ख थ) कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्यों के लिये दण्ड- जो व्यक्ति किसी संक्रामक, संसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित हुए-

(क) मानव उपयोग के लिए कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा कोई औषधि या भेषज बिक्री के लिए तैयार या प्रस्तुत करना है, या

(ख) उक्त किसी पदार्थ, औषधि या भेषज को जब वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया हो जान बूझ कर छूता है, या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें ले जाने का किसी व्यापार में भाग लेता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।

106(ख द) स्वास्थ्य के लिए हानिकर खेती, खाद के प्रयोग अथवा सिंचाई का निषेध— यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक यह प्रमाणित करें कि किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या किसी भूमि की किसी विशिष्ट रीति से सिंचाई—

(क) जो किसी ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती है पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, या ऐसे कार्यों को सरल बना देती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, या

(ख) जो उक्त ग्राम्य क्षेत्र से भीतर किसी निर्दिष्ट स्थान में की जाती है, के द्वारा उक्त निर्दिष्ट स्थान के जल सम्भरण के दूषित हो जाने या उसके अन्यथा पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना है, तो जिला पंचायत सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती, उस खाद का प्रयोग या सिंचाई की रीति के प्रयोग का जो इस प्रकार हानिकर बताया गया हो, निषेध कर सकती है या उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगा सकती है जिनसे उक्त हानि अथवा दूषण रूक जाय;

परन्तु यह कि जब किसी ऐसी भूमि पर, जिसके सम्बन्ध में ऐसा नोटिस जारी किया जा चुका हो, निषिद्ध कार्य निषेध के तारीख से पूर्व पाँच वर्ष तक लगातार खेती के साधारण क्रम में किया जाता रहा हो तो भूमि में हित रखने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें उक्त निषेध द्वारा क्षति पुची हो जिला निधि से प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

106(ख ध) हारिकर वनस्पतियों को साफ करने की स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार— जिला पंचायत, नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ी को साफ करने या हटाने की अपेक्षा कर सकेगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या पड़ोसियों के लिये क्षोभकर हो।

106(ख न) खोदी हुई भूमि को भरने का जलोत्सारित करने की अपेक्षा करने का अधिकार— किसी ग्राम्य क्षेत्र में, जिनके लिये शीर्षक "छ" के उपशीर्षक (घ) के अधीन उपविधियों बनाई गयी हों जिला पंचायत किसी ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर कोई खुदाई—कार्य, नलकूप, तालाब या गड्ढा उक्त उपविधियों का उल्लंघन करके या उस शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए वह खुदाई कार्य करने या नलकूप, तालाब या गड्ढा बनाने की अनुमति दी गयी हो, उल्लंघन करके किया या बनाया गया हो, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे खुदे हुए स्थान, नलकूप तालाब या गड्ढे को उक्त नोटिस से निर्दिष्ट अवधि के भीतर भर दे या उसे जलोत्सारित कर दे।

106(ग क) कब्रिस्तान या श्मशान के सम्बन्ध में अधिकार— (1) जिला पंचायत सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान को जिनके सम्बन्ध में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि वह आस-पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या उसके हानिकर होने की सम्भावना है, उस तारीख से जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, बन्द करने का आदेश दे सकती है तथा समुचित दूरी के भीतर शवों को दफनाने या जलाने का कोई उपयुक्त स्थान न हो तो वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसे कब्रिस्तानों में शव को दफनाने का निजी, स्थान, ऐसे शर्तों के अधीन जो जिला पंचायत एतदर्थ लगाये, उक्त नोटिस की व्यक्ति से मुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि दफनाने के ऐसे स्थानों की सीमायें पर्याप्त रूप से परिभाषित हों, तथा व स्थान केवल उनके स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए हो प्रयुक्त किये जायेंगे।

(3) जिला पंचायत की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान या श्मशान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, नहीं बनाया जायेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिला पंचायत की लिखित अनुमति से अन्यथा किसी शव को किसी ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान में जो उपधारा (1) के अधीन बन्द कर दिया गया हो या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करके बनया गया हो, न तो दफनाये या जलायेगा और न दफनवाये या जलवायेगा।

(5) जो व्यक्ति किसी शव की इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल दफनाता या जलाता है या दफनवाता या जलवाता है या दफनाने या जलाने देता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दण्ड का भागी होगा जो पचास रुपये तक होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।

निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी आदि

106(ग ख) निरीक्षण का अधिकार— अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत होने पर जिला पंचायत का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार ग्राम्य विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य अधिकारी किसी इमारत या भूमि पर, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या किसी ऐसे निर्माण कार्य का निष्पादित करने के उद्देश्य से जिसे निष्पादित करने के लिये यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत इस अधिनियम द्वारा या नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो, अथवा जिसे निष्पादित करना जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के लिए इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या नियमों या उपविधियों के प्रयोजनों के लिए अथवा उनके आवश्यक हो, सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना प्रवेश कर सकेगा;

परन्तु यह कि —

(एक) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों या उपविधियों में स्पष्ट रूप अन्यथा व्यवस्थित न हो, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच प्रवेश नहीं किया जायेगा, तथा

(दो) जब कि इस अधिनियम में या उपविधियों में स्पष्ट रूप से है अन्यथा व्यवस्थित न हो, मनुष्यों के रहने के लिए प्रयुक्त किसी इमारत में सिवाय उस दशा के जब अध्यासी ने सम्मति दे दी हो— अध्यासी को अपने ऐसे प्रदेश के अभिप्राय का न्यूनतम चार घन्टे पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा, तथा

(तीन) प्रत्येक अवस्था में और उस दशा में भी जब किसी भू-गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस के प्रवेश किया जा सकता हो, पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा, जिससे किसी ऐसे कक्ष में जो स्त्रियों के लिए ही रहने वाली स्त्रियाँ वहाँ से हट कर भू-गृहादि के किसी ऐसे दूसरे भाग में चली जाए जहाँ उनकी गोपनीयता में बाधा डालने का आवश्यकता न हो, तथा

(चार) प्रवेश किये गये भू-गृहादि के अध्यासियों की समाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का सदैव यथोचित ध्यान रखा जायेगा।

106(ग ग) प्रवेश का अधिकार— निरीक्षण करने के या तलाशी लेने के प्रयोजन के निमित्त प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिये यह वैध होगा कि वह किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोले या खुलवाये—

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिये उसका खोलना आवश्यक समझे, तथा

(ख) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो, उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इंकार करें।

जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट

106(ग घ) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट के लिए दण्ड— जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायत द्वारा या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के साथ हुई किसी संविदा अधीन नियोजित हो, उसके कर्तव्यों के पालन करने में संविदा को पूरा करने में रूकावट डाले या व्यथित कर या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण—कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सतह या दिशा को बतलाने के प्रयोजन से लगाये गये किसी चिन्ह को हटाये, वह दोषी पाये जाने पर तीन मास तक का करावास या पाँच सौ रुपये तक अर्थ दण्ड, दोनों का भागी होगा।

- जिला पंचायत के 107. जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड समस्त अधिकारी लोक सेवक होंगे संहिता, 1860 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा तथा उक्त की धारा 161 में 'विधिक पारिश्रमिक' की भाषा में प्रयुक्त शब्द 'सरकार' में इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला पंचायत भी सम्मिलित समझी जायेंगी।
- जिला पंचायत 108. जिला पंचायत अपने किन्हीं ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों को छोड़कर जो इस अधिनियम द्वारा केवल जिला पंचायत द्वारा ही प्रयोग और सम्पादित किए जाने हो, अध्यक्ष के लिए रक्षित हों, समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को जो इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त हों, सौंपे गए हों उस हेतु प्राविधानित किए गए हों, विशेष संकल्प पारित कर किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकेगी।
- जिला पंचायत के 109. (क) (1) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न एवं अधिकार हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके—
- (एक) जिला पंचायत तथा उन समितियों जिसका इस अधिनियम के अधीन वह अध्यक्ष नियत है, सभी बैठकों को बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा।
- (दो) जिला पंचायत की सभी बैठकों में कार्य के संपादन को एतदर्थ बनाए गए किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करे।
- (2) जिला पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करें तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट करे।
- (3) मुख्य अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के विभागाध्यक्षों एवं अन्य कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण रखेगा।
- (4) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण व निरीक्षण तथा इस निमित्त विवरण पत्र, लेखे, प्रतिवेदन तथा लेखों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करना।
- (5) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये

गये नियमों, विनियमों, उपविधियों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हो अथवा इस अधिनियम के अनुरूप आवश्यक हो।

(ख)(1) अध्यक्ष की किसी भी प्रकार की रिक्ति की दशा में अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऐसे समस्त अधिकार व कृत्य का सम्पादन करना जो कि धारा 108 में वर्णित है।

(2) अध्यक्ष या जिला पंचायत द्वारा उपाध्यक्ष को किए गये ऐसे किन्हीं अधिकारों और कृत्यों का प्रयोग व सम्पादन।

- जिला पंचायतों का कार्यालय 110. जिला पंचायत का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहाँ पर जिला पंचायत का मुख्यालय स्थित हो अथवा राज्य सरकार नियत करे।
- जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष या पंचायतों को अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रतिनिधायन 111. अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अपने कर्तव्य एवं अधिकार सौंप सकेगा।
- जिला पंचायतों में समितियाँ 112. जिला पंचायत इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादन के निमित्त जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, ऐसी समिति या समितियाँ जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, जिला पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में उस प्रकार की सहायता करने के लिए नियुक्त करेगी, पंचायतें अपनी ऐसी शक्तियाँ या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे। जिला पंचायत के लिए निम्नलिखित समितियाँ होगी—
- (क) जिला पंचायत में कर्तव्यों के सम्पादन हेतु छः समितियों का गठन किया जायेगा जो निम्न प्रकार होंगी—
- (1) नियोजन एवं विकास समिति (2) शिक्षा समिति (3) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (4) निर्माण कार्य समिति (5) प्रशासनिक समिति (6) जल प्रबन्धन एवं जैस विविधता प्रबन्धन समिति।
- (एक) समिति (1) व (5) के अध्यक्ष क्रमशः जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे।
- (दो) समिति (2) व (4) के अध्यक्ष क्रमशः जिला पंचायत की दशा में उपाध्यक्ष जिला पंचायत होंगे।
- (तीन) समिति (3) व (6) का अध्यक्ष सम्बन्धित समिति के सदस्यों में से कोई एक होगा। समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत में मुख्य अधिकारी होंगे।
- (चार) जिला पंचायत की धारा 112 के खण्ड (क) के अन्तर्गत गठित समितियों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा।
- (पांच) जिला पंचायत में 30 सदस्यों तक प्रत्येक समिति में चार-चार सदस्य होंगे।
- (छः) जिला पंचायत में 30 से अधिक सदस्यों की स्थिति में छः-छः सदस्य होंगे।
- (सात) समिति की बैठके प्रत्येक माह होगी एवं समिति की बैठक की गणपूर्ति दो तिहाई होगी।
- (ख) (1) समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक

या अधिक उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी।

- (2) उप-समिति का संघटन तथा कार्यकाल वे होंगे जो समिति द्वारा निश्चित किये जाए।
- (3) यदि समिति उप-समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायेगा।
- (ग) (1) जिला पंचायत किसी भी समय, अपनी किसी समिति से, तथा उसी प्रकार समिति अपनी किसी उप-समिति से यथास्थिति, ऐसी समिति अथवा उप-समिति को कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्घरण या कोई विवरणी माँग सकेगी।
- (2) यथास्थिति, समिति अथवा उप-समिति, उप धारा (1) के अधीन की गई प्रार्थना का यथाशक्य शीघ्र अनुपालन करेंगे।

अध्याय-बीस

जिला पंचायतों के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग एवं अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन एवं उल्लंघन की शास्तियां तथा प्रक्रिया

जिला पंचायत के 113. अधिकारी व कर्मचारी

(1) प्रत्येक जिला पंचायत का एक मुख्य अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायत के कृत्यों के सम्पादन करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा।

(2) जिला पंचायत के कार्य सम्पादन के लिए जिला पंचायत में अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के पद भी निम्नानुसार होंगे :

(एक) अपर मुख्य अधिकारी,

(दो) वित्त अधिकारी,

(तीन) कार्य अधिकारी,

(चार) अभियन्ता,

(पांच) कर अधिकारी,

(छः) अवर अभियन्ता,

(सात) संविधान की अनुसूची ग्यारह में दिये गये विषयों से सम्बन्धित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी।

(3) राज्य सरकार जिला पंचायतों के लिए जैसा उचित समझे कर्मचारी वर्ग जोकि राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत हों को ऐसे पदनाम से जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिला पंचायत के अधीन नियुक्त कर सकेगी।

(4) (क) धारा 113 की उपधारा (2) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, कार्याधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता, कर अधिकारी पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वे होंगी जो नियत की जायं।

(ख) जिला पंचायत के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें में होंगी जो नियत की जायं।

(5) (एक) एतदर्थ बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार—

(क) जिला पंचायत की प्रार्थना पर तथा ऐसे समय के लिए और ऐसी शर्तों पर जो परस्पर तय हो जाएं, अपने किसी कर्मचारी की सेवायें जिला पंचायत को सौंप सकती है, तथा

(ख) ऐसी दशा में जब किसी सरकारी कार्यालय का कार्य किसी जिला पंचायत को संक्रामित हो जाय, लिखित आदेश द्वारा जिला पंचायत से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों को या उसके ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें सरकार नामोदिष्ट या नाम निर्दिष्ट करे ऐसे पदों पर और ऐसी शर्तों पर जो उस आदेश में निर्दिष्ट है नियोजित करे और ऐसा करने पर उक्त कर्मचारियों की सेवायें तत्समय परिषद को सौंपी गई समझी जायेंगी;

परन्तु यह कि जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार नियोजित सेवक किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा वापस बुलाया जा सकता है।

(दो) उप धारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते जिला निधि में से उसी प्रकार दिये जायेंगे मानों वे जिला पंचायत के सेवक हों।

(6) जिला पंचायत का वित्त अधिकारी नियमों में व्यवस्थित रीति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(7) (एक) कार्याधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा कर अधिकारी के पदों पर जिनका वेतनमान ऐसा होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, नियुक्तियाँ परिषद द्वारा, राज्य लोक-सेवा आयोग, अथवा अन्य ऐसे आयोग अथवा चुनाव बोर्ड के, जिसके राज्य सरकार एतदर्थ समस्त पंचायतों के लिए अथवा किन्ही पंचायतों के समुदाय के लिए, पृथक रूप से संघटित करें, (दोनों दशाओं में इसे आगे 'आयोग' कहा गया है) परामर्श से, नियत रीति से की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि आयोग और जिला पंचायत के बीच कोई मतभेद हो तो वह विषय राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(दो) ऐसे किसी अन्य वर्ग के, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, पदों को छोड़कर जिला पंचायत के लिए नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी विभाग से सम्बद्ध ऐसे पदों पर जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, नियुक्तियाँ मुख्य अधिकारी द्वारा की जायेंगी।

(तीन) इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए जिला पंचायत के अधीन उप धारा (एक) एवं (दो) में वर्णित पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियाँ—

(क) अन्य दशाओं में, चुनाव समिति के परामर्श से, अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी;

परन्तु यह कि यदि किसी दशा में अध्यक्ष का मत हो कि चुनाव समिति की सलाह अनुचित या अन्यायपूर्ण है तो वह मामले को मण्डल के आयुक्त को अभिदिष्ट कर सकता है जिसका उस मामले में निर्णय अंतिम बन्धनकारी होगा।

(चार) पूर्ववर्ती उप धारा में किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि राज्य सरकार के धारा 113 की उपधारा(2) के अधीन कोई आदेश किया हो, तो वह आदेश अभिभावी होगा, तथा

(ख) राज्य सरकार किसी भी समय किसी जिला पंचायत से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसकी सेवायें धारा 113 की उपधारा(2) के अधीन जिला पंचायत को सौंपी गई हों तथा जिसने एतदर्थ अपनी सहमति दे दी हो अपनी ही सेवा में कर ले और इस प्रकार जिला पंचायत की सेवा में कर लिए जाने पर वह सरकारी कर्मचारी न रह कर जिला पंचायत का सेवक हो जायेगा।

जिला पंचायत के कर्मचारियों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग

(8) राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त अधिकारी का कोई अन्य पद सृजित कर सकती है या समाप्त कर सकेगी।

(9) (एक) धारा 113 की उपधारा(2) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, उचित समय के भीतर या उसके अधीन सृजित किसी पद पर व्यवस्थित रीति से या उसके अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में, नियुक्ति न करे, तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को नियुक्त करने तथा यदि आवश्यक हो तो, आयोग से परामर्श करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वयं उस पर नियुक्त कर सकती है और ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के अनुसार की गई समझी जायेगी।

(दो) यदि जिला पंचायत धारा 113 की उपधारा(2) के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत के लिए कर्मचारी की व्यवस्था न करे तो राज्य सरकार जिला पंचायत के कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकती है, और ऐसे कर्मचारी उक्त उप धारा के अधीन क्षेत्र पंचायत में प्रतिनियुक्ति समझे जायेंगे।

(क) राज्य सरकार किसी समय कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का एक केन्द्रीय, संक्राम्य संवर्ग बना सकती है और जब कोई ऐसा संवर्ग बना दिया गया हो तो कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों या अन्य उपर्युक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर, जैसी भी दशा हो नियुक्तियाँ उक्त संवर्ग के व्यक्तियों में से ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो नियमों द्वारा नियत की जाएं तथा इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी संवर्ग के लिए व्यक्तियों का निर्धारण तथा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण और दण्ड नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

(ख) (1) धारा 113 की उपधारा(2) में किसी बात के होते भी उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श किये बिना की जा सकती है, किन्तु उप धारा (2) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, ऐसी कोई नियुक्ति आयोग से परामर्श किए बिना, एक वर्ष से अधिक नहीं चलेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई नियुक्तियाँ, विशेष परिस्थितियों में, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी जिला पंचायत हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, आयोग से परामर्श किये बिना, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जारी रह सकेगी।

(ग) जिला पंचायत या किसी क्षेत्र में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों को दण्ड—जिसके अन्तर्गत दण्ड के आदेशों के विरुद्ध अपील, अपील में दिये गये आदेशों के पुनरीक्षण का अधिकार यदि कोई हो, और जाँच होने तक निलंबन भी है, नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि वह प्राधिकारी जिस किसी अधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने का अधिकार दिया जाय, ऐसे अधिकारी या सेवक के पद के नियुक्ति—प्राधिकारी से निम्न पद का न होगा;

परन्तु यह और कि उन कर्मचारियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति राज्य लोक—सेवा आयोग के परामर्श से करना अपेक्षित हो, दण्ड देने वाले अधिकारी के लिए किसी ऐसे कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने का आदेश देने के पहले आयोग से नियत रीति से परामर्श करना आवश्यक होगा।

- जिला पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कृत्य 115. (1) जिला पंचायत के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य वे होंगे जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन तथा नियमों द्वारा की जाय।
(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिला पंचायत के विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की दशा में, और मुख्य अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में उन्हें अधिकार कृत्य तथा कर्त्तव्य सौंप सकेगा।
- जिला पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण 116. (1) (क) जिला पंचायत, मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर ऐसा नियंत्रण रखेगी जो नियत किया जाये, और अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष मुख्य अधिकारी के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर अपनी अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को भेजे, जिससे मुख्य अधिकारी के सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियाँ अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो;
(ख) पूर्वोक्त प्राधिकारी उक्त सरकारी कर्मचारी के कार्य और आचरण के विषय में कोई अन्य प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष द्वारा भेजी गई अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा।
(2) जिला पंचायत में नियोजित समस्त अधिकारियों एवं सेवकों पर मुख्य अधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा और विशेष रूप से यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष ऐसे अधिकारियों एवं सेवकों के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर, अपनी अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को, यदि कोई हो, भेजे जिससे उक्त अधिकारियों एवं सेवकों के सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियाँ अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो। ऐसा प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारियों के कार्य और आचरण के विषय में कोई प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त, मुख्य अधिकारी भेजी गई अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा।
(3) जिला पंचायत के विभागाध्यक्षों का अपने-अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा सेवकों पर सीधा नियंत्रण रहेगा।
- जिला पंचायत एवं नगर निकायों आदि के बीच विवाद 117. यदि जिला पंचायत की अधिकारिता के सम्बन्ध में अथवा दो या दो से अधिक जिला पंचायत के बीच में अथवा नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के बीच कोई विवाद हो तो उसे विहित प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम एवं दानों पर साध्यकारी होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।
- जिला पंचायतों में अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग 118. (1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत ऐसे अभिलेख जो जिला पंचायत पंचायत में रखे जानें आवश्यक हों, रखे जायेंगे।
(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियत समस्त अभिलेख जिला पंचायत कार्यालय में रखे जायेंगे।
(3) जिला पंचायत को आवेदन करने पर तथा विहित की गयी फीस के भुगतान किए जाने पर किसी व्यक्ति की मांग की दशा में अभिलेखों की प्रतियाँ जिला पंचायत के विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी की जायेंगी;

परन्तु यह कि होगा कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यों, प्रयोजनों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, धनराशि के पृथक से कोई अभिलेख नहीं रखे जायेंगे।

अध्याय-इक्कीस

जिला पंचायतों की निधि, सम्पत्ति तथा संविदाये

- जिला निधि की 119. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा राज्य सरकार निश्चित करे, जिला पंचायत के अभिरक्षा या संदर्भ में जिला निधि, किसी ऐसे सरकारी खजाने में या उप-खजाने अथवा ऐसे किसी उसका जमा भी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक एवं डाक घर में खाता खोलकर जमा किया जाना की जायेगी।
- जिला पंचायत में 120. (1) राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुए, इस धारा में वर्णित निहित सम्पत्ति प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति, जो खण्ड/जिले के भीतर स्थित हों, जिला पंचायत में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो जिला पंचायत में निहित हो जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उसके निर्देश, प्रबन्ध और नियन्त्रण के अधीन रहेगी, अर्थात्—
- (क) प्रत्येक प्रकार की समस्त सार्वजनिक इमारतें जो जिला निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हो।
- (ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो जिला निधि से निर्मित किए गए हों या उससे अनुरक्षित किए जाते हों और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण-सामग्री, उपकरण और वस्तुएं जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिए की गई हो;
- (ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय प्रयोजनों के लिए पंचायतों को सौंपित की गई हों; तथा
- (घ) जिला/खण्ड के भीतर स्थित सब तालाब और कुएं और समस्त जमीनें, इमारतें, सामग्री तथा वस्तुएं जो उनसे सम्बद्ध या सशक्त हों, जो निजी सम्पत्ति न हो और न किसी सरकार द्वारा या जिला पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित हों।
- (2) (क) जिला पंचायत इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमिति के अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग अथवा अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य के पालन के निमित्त, स्थायी रूप से, कोई भूमि या भूमि सम्बन्धी कोई अधिकार अर्जित करना चाहें, तो वह राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह उसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013), के या अन्य किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों के अधीन उसके व्यय से अर्जित कर लें।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या ऐसा अधिकार उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन अर्जित किये जाने पर तथा तदन्तर्गत दिलाये गये प्रतिकर का तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किये गये व्यय का भुगतान, यथास्थिति, जिला पंचायत द्वारा राज्य सरकार को कर दिये जाने पर, वह भूमि या अधिकार, यथास्थिति, जिला पंचायत में निहित हो जायेगा।
- (3) सार्वजनिक संस्थाएं:— (क) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का जिसका अनुरक्षण पूर्णतया जिला-निधि से होता है, प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन, जिला पंचायत में निहित होगा।

(ख) अन्य कोई सार्वजनिक संस्था भी जिला पंचायत में निहित की जा सकती है अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की जा सकेगी;

परन्तु यह कि उनके सम्बन्ध में परिषद् के प्राधिकार की आयति नियम द्वारा नियत की जा सकेगी।

(ग) किसी भी सार्वजनिक संस्था की ऐसी सम्पत्ति, निबन्ध और निधियाँ जो जिला पंचायत में निहित हों अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की गई हों, जिला पंचायत द्वारा उन प्रयोजनों के निमित्त न्यास के रूप में अपने अधिकार में रखी जायेंगी जिनके लिए ऐसी सम्पत्ति, निबन्ध तथा निधियाँ उस समय विधितः उपयोग में लायी जा सकती थी जबकि संस्था इस प्रकार निहित हुई थी या इस प्रकार अधीन की गई थी:

परन्तु यह कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (अधिनियम संख्या 6 वर्ष 1890) के अधीन किसी न्यास की सम्पत्ति को पूर्त विन्यास का कोषपाल में निहित होने से रोकती है।

जिला पंचायत 121.
द्वारा बजट तैयार
और पारित करना

(1) जिला पंचायत, नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का सुनिश्चित ध्यान रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष ऐसे तारीख के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी एक अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करेंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बजट अनुदान तैयार करने में आय के अनुमान, राज्य सरकार से आयोजनागत और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय के अनुदानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायेगा कि उन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) तदुपरान्त अध्यक्ष, नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किए जाने वाले तारीख के पहले उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए लेखा तथा बजट अनुमान को जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(4) जिला पंचायत उपधारा (3) में उल्लिखित बैठक में बजट पर चर्चा करेगी और फिर विशेष प्रस्ताव द्वारा –

(क) पूरे बजट को पारित करेगी, या

(ख) बजट को किन्हीं ऐसे परिष्कारों सहित संशोधित करेगी, जो वह उचित समझे; या

(ग) बजट को फिर से तैयार करने के लिए उसे नियोजन एवं विकास समिति को लौटा देगी।

(5) जब जिला पंचायत उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन लौटा दे तो नियोजन एवं विकास समिति नया बजट तैयार करेगी और अध्यक्ष, उस बजट को जिला पंचायत की बैठक में रखेगा और जिला पंचायत उस पर चर्चा करेगी तथा विशेष संकल्प द्वारा या तो उसे पूर्णतः या उसमें ऐसे संशोधन करके, जो वह उचित समझे पारित करेगी।

6(क) अध्यक्ष, राज्य सरकार के पास जिला पंचायत द्वारा पारित मूल बजट तथा संशोधित बजट यदि कोई हो, भेजेगा और राज्य सरकार जिला पंचायत द्वारा पारित पूरे बजट नियोजन एवं विकास के कार्यों के निमित्त दिए गए अनुदानों के व्यय किए जाने के सम्बन्ध में हों, कोई ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात् जो वह उक्त अनुदानों के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उपयुक्त समझे उसे स्वीकार कर सकती है तथा बजट के अवशिष्ट

भाग के सम्बन्ध में ऐसी सिफारिशें कर सकती है जो वह उचित समझे।

(ख) यदि राज्य सरकार खण्ड (क) के अधीन एक माह के अन्तर्गत कोई सिफारिश न करें तो बजट ऐसे परिष्कारों सहित यदि कोई हो जो उसने उक्त खण्ड के अधीन किए हो, अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा। यदि राज्य सरकार ने खण्ड (क) के अधीन कोई सिफारिशें की हो तो अध्यक्ष उसे जिला पंचायत की बैठक में रखेगा और जिला पंचायत उन सिफारिशों को अनुदान बजट में परिवर्तन कर सकती है। तब बजट राज्य सरकार द्वारा इस धारा के खण्ड (क) के अधीन किए गए परिवर्तनों सहित (यदि कोई हो) तथा जिला पंचायत द्वारा इस खण्ड के अधीन किए गए परिवर्तनों सहित यदि कोई हो, अन्तिम रूप से पारित समझा जाएगा।

(ग) यदि ऐसे तारीख के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए जिला पंचायत ने बजट न पारित किया हो और न वह उसके द्वारा पारित समझा जाए या यदि अध्यक्ष ने खण्ड 6 (ख) के उपबन्धों किसी बजट या किन्हीं बजट या किन्हीं बजटों को प्रस्तुत न किया हो तो राज्य सरकार, अध्यक्ष से ऐसी सूचना देने के लिए कह सकता है जिसकी उसे अपेक्षा हो तथा राज्य सरकार जिला पंचायत के लिए बजट तैयार कर सकती है और ऐसा बजट जिला पंचायत द्वारा अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा।

(घ) यदि उस तारीख से पूर्व, जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाए, राज्य सरकार की सिफारिशें खण्ड 6(ख) के अपेक्षानुसार जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत न की जाएं, या जिला पंचायत ने उन पर कोई निर्णय न किया हो, तो बजट, उन परिष्कारों सहित जिनकी राज्य सरकार ने सिफारिश की हो, अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा।

(7) जिला पंचायत, नियोजन एवं विकास समिति के परामर्श से, समय-समय पर, जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय है, नियमों एवं उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप से पारित समझे गए बजट में परिवर्तन कर सकेगी;

परन्तु यह कि जिला पंचायत द्वारा बजट में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाएगा और वह परिवर्तन, यथा सम्भव उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहेगा। उपधारा (5) में उपरोक्तानुसार जिला पंचायत द्वारा अन्तिम रूप से पारित आय-व्यय की प्रति अध्यक्ष, राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगा। राज्य सरकार आय-व्ययक सम्बन्धी अपनी स्वीकृति से तीस दिन के अन्दर जिला पंचायत को संसूचित करेगी इस अवधि के पश्चात् यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी दशा में बजट स्वतः पारित समझा जाएगा।

(8) यदि राज्य सरकार आदेश द्वारा कोई न्यूनतम रोकड़ बाकी नियत करे तो कार्य समिति बजट तैयार करने में उस न्यूनतम रोकड़ बाकी के लिए व्यवस्था करेगी।

(9) प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मण्डल आयुक्त को और दूसरी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगी।

(10) (क) जब इस अधिनियम के अधीन किसी जिला पंचायत का बजट या पुनरीक्षित बजट अंतिम रूप से पारित किया जा चुका हो तो जिला पंचायत बजट के उस शीर्षक के अतिरिक्त जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत, उस शीर्षक के अधीन पारित धनराशि से अधिक व्यय तब तक न करेगी जब तक कि वह बजट में परिवर्तन करके उस अधिक व्यय के लिए व्यवस्था न कर ले;

(ख) जब किसी ऐसे शीर्षक के अन्तर्गत, जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, उस शीर्षक के अधीन अनुमोदित या स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाय तो

बजट में परिवर्तन करके उस व्यय के लिए अविलम्ब व्यवस्था की जायेगी।

(11) जिला पंचायत के बजट के सम्बन्ध में कतिपय उपबन्ध क्षेत्र पंचायत के बजट पर प्रवृत्त होंगे। धारा 83 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ क्षेत्र पंचायत के बजट पर प्रवृत्त होंगे।

जिला पंचायतों के लेखों की सम्परीक्षा

122.

(1) जिला पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा, प्रतिवर्ष ऐसी रीति से जो नियत की जाए, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियत किया जाए, द्वारा की जाएगी। विभाग द्वारा सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित पंचायत को, सम्परीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर उपबन्ध करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत सम्परीक्षा पायी गयी कमियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करेगी और तीन महीने के भीतर अनुपालन आख्या स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियत हो, को भेजेगी।

अध्याय—बाईस

कराधानों एवं शुल्कों, उप शुल्कों तथा पथकरणों का उद्ग्रहण

कर जो जिला पंचायत द्वारा आरोपित किए जा सकते हैं

123.

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला पंचायत निम्नलिखित कर आरोपित कर सकती है या उनके आरोपण को जारी रख सकती है, और निम्न मदों से आय सृजित कर सकेगी, अर्थात्

(क) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को "भारत का संविधान", के अधीन जिसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका जिला पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

(2) कर "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 285 के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम तथा तद्धीन निर्मित नियमों विनियमों तथा उपविधियों के अनुसार निर्धारित और उद्ग्रहीत किए जाएंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन अन्यत्र किए गए उपबन्धों के अधीन शुल्क या अन्य फीस।

(4) वाहनों के पंजीकरण पर शुल्क।

(5) परिसम्पत्तियों पर शुल्क।

राज्य सरकार का जिला पंचायतों के प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार

124.

(1) जब जिला पंचायत अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो वह उन्हें उनके सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों सहित यदि कोई हो, विहित प्राधिकारी को भेजेगी और विहित प्राधिकारी उन प्रस्तावों तथा आपत्तियों को, यदि कोई हों राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) उक्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात राज्य सरकार, जैसा वह उचित समझे, उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इंकार कर सकती है, या उन्हें विचार के लिए जिला पंचायत के पास भेज सकती है या उन्हें परिष्कार किए स्वीकार कर सकती है या ऐसे परिष्कारों सहित स्वीकार कर सकती है जिनसे आरोपित की जाने वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हों। जब राज्य सरकार ने जिला पंचायत के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया हो तो जिला पंचायत द्वारा भेजे गए नियमों के प्रालेख पर विचार करने के बाद तुरन्त धारा 90 के अधीन कर के विषय में ऐसे नियम बनाना प्रारम्भ करेंगी जो वह उस समय करना उचित समझे।

जिला पंचायत 125. का करारोपण हेतु निर्देश देने का संकल्प

- (1) पूर्वगामी धाराओं के अधीन भेजी गयी नियमों की प्रति प्राप्ति पर जिला पंचायत विशेष प्रस्ताव द्वारा, संकल्प में निर्दिष्ट किए जाने वाले तारीख से कर के आरोपण का निर्देश देगी। जो कि उक्त तारीख एवं उस संकल्प के तारीख से न्यूनतम छः सप्ताह का होगा।
- (2) जिला पंचायत द्वारा पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायेगी।
- (3) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार धारा 93 (2) के अधीन निर्दिष्ट तारीख के करारोपण को गजट में विज्ञापित कराएगी और सभी दशाओं में करारोपण इस प्रतिबन्ध के अधीन रहतु हुए किया जायेगा कि वह उस प्रकार विज्ञापित किया जा सकेगा—
 - (क) पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम द्वारा, उपधारा (3) में उल्लिखित किसी कर के आरोपण तथा उसमें परिवर्तन के सम्बन्ध में ऐसी अन्य या परिष्कृत प्रक्रिया नियत कर सकती है, जो वह उचित समझें।
 - (ख) (एक) जिला पंचायत एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में गरीबी के कारण कर का भुगतान करने में असमर्थ हो, उस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है तथा इस विमुक्ति का, जितनी बार वह आवश्यक समझे, नवीनीकरण कर सकेगी।
 - (दो) जिला पंचायत के विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकृत विशेष संकल्प को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी।
 - (तीन) राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के किसी प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी।

भाग— पांच – अध्याय—तेईस

नियम, विनियम और उपविधियां

राज्य सरकार का 126. नियम बनाने का अधिकार

- (1) राज्य सरकार किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसे लिए नियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः या उपलक्षित रूप में प्रदान किया गया है इस अधिनियम से सुसंगत, गजट में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है तथा ऐसे नियम भी बना सकती है जो अन्यथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।
- (2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया कोई नियम सामान्य रूप से समस्त जिला पंचायतों समस्त क्षेत्र पंचायतों तथा समस्त ग्राम पंचायतों के लिए अथवा निर्दिष्ट किए जाने वाली किसी एक या अधिक जिला पंचायतों या क्षेत्र पंचायतों के लिए विशेष रूप से हो सकेगा।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे

जाएंगे और जब तक कि कोई ऐसे परिष्कारों अथवा लोप के अधीन रहते हुए प्रभाव होंगे जो विधान सभा के उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या लोप सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

कार्य-संचालन
आदि के लिए
विनियम बनाने का
अधिकार

127.

(1) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, विशेष संकल्प द्वारा, इस अधिनियम तथा किसी नियम और राज्य सरकार द्वारा इस के अधीन बनाए गए किसी विनियम से सुसंगत विनियम निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी विषय के लिए बना सकेगी-

(क) उसकी बैठकों का समय तथा स्थान;

(ख) बैठकें आहूत तथा उनके सम्बन्ध में नोटिस देने की रीति;

(ग) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना तथा बैठकों का स्थगन भी है, तथा

(घ) किसी भी प्रयोजन के लिए परामर्श समितियों से भिन्न समितियों की स्थापना तथा ऐसी समितियों के संघटन तथा उनकी प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त विषयों की अवधारणा;

(ङ.) निम्नलिखित को अधिकारी कर्तव्यों या कृत्यों का प्रतिनिधान -

(एक) जिला पंचायत का अध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत का प्रमुख;

(दो) खंड (घ) के अधीन संघटित समितियाँ;

(तीन) उक्त समितियों के सभापति;

(चार) मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी या जिला पंचायत का अन्य कोई सेवक।

(च) जिला पंचायत द्वारा नियोजित सेवकों के, जिनके अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों के अधिकार में रखे गए अन्य कर्मचारी भी हैं, जिनके भत्ते या अन्य भत्ते;

(छ) जिला पंचायत के ऐसे कर्मचारी द्वारा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र पंचायत के अधिकार में रखा गया कोई सेवक भी है, जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्टकर समझा जाए दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि तथा उसका प्रकार;

(ज) जिला पंचायत के कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करना तथा उनके छुट्टी पर रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को यदि कोई हो, दिया जाने वाला पारिश्रमिक;

(झ) जिला पंचायत के समस्त सेवकों की जिनके अन्तर्गत किसी क्षेत्र पंचायत के अधिकार में रखे गए सेवक भी सेवा की शर्तें जिनके अन्तर्गत सेवा की अवधि भी है तथा जिनके अधीन उक्त सेवकों को या उनमें से किसी को सेवानिवृत्ति होने पर या अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण असमर्थ हो जाने पर उपदान, वार्षिकी या कारुण्य अधिदेय उक्त किन्हीं ऐसे सेवकों के, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्यों का पालन करने में हुई, उत्तरजीवी सम्बन्धियों को दिया जा सकता है;

(ञ) जिला पंचायत, या जिला पंचायत के अनुमोदन से उक्त सेवकों द्वारा, स्थापित पेंशन निधि या भविष्य निधि में ऐसे दरों तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उक्त विनियमों में नियत की जाएं अंशदान देना;

(ट) जिला पंचायत के कर्मचारी वर्ग को जिनके अन्तर्गत किसी क्षेत्र पंचायत के अधिकार में रखे गए सेवक भी हैं- भर्ती के सिद्धान्त तथा रीति;

(ठ) लेखा-परीक्षा के निमित्त वित्त अधिकारी को अभिलेख प्राप्त कराने के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनके द्वारा की गई आलोचनाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही;

(ड.) अधिकारियों तथा सेवकों के पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) रीति, जिसके अनुसार धारा 108 के अधीन जिला पंचायत को सौंपे गए कृत्यों का सम्पादन किया जाएगा;

परन्तु यह कि इस खंड के अधीन बनाए गए विनियम राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों अथवा अनुदेशों के समनुरूप होंगे;

(ण) शर्तें जिनके अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को देय धनराशियों के रूप में बट्टे खाते डाली जा सकें और शर्तें जिनके अधीन अभिहरण के निमित्त लिए जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क या उनके किसी भाग में छूट दी जा सके;

(त) खंड (ड.) या (ण) तक वर्णित विषयों के सदृश्य समस्त विषय या ऐसे विषय जिनके सम्बन्ध में विनियम बनाने के अधिकार इस अधिनियम में स्पष्टतः या उपलक्षित रूप से प्रदान किया गया है पर जिनके लिए इस उपधारा में व्यवस्था नहीं की गई है; और

(थ) खंड (क) से (घ) तक निर्दिष्ट विषयों से सदृश्य ऐसे समस्त विषय जिनके लिए इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है।

(2) यदि राज्य सरकार उचित समझे, तो वह उपधारा (1) के खंड (ड) से (ढ) तथा (ण) से (थ) तक निर्दिष्ट विषयों में से किसी के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकती है और इस प्रकार बनाए गए विनियम का प्रभाव यह होगा कि उससे जिला पंचायत द्वारा उक्त उपधारा के अधीन उसी विषय पर बनाया गया कोई विनियम या कोई ऐसे विनियम जो उससे असंगत हो, रद्द हो जाएगा।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में आये विषयों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के निर्देश पर नियत प्राधिकारी नियम बना सकता है।

पंचायतों हेतु राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति 128.

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकेगी –

(एक) कोई विषय जिसके लिए व्यवस्था करने की शक्ति इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त अथवा विधि रूप से राज्य सरकार को प्रदत्त की जाए;

(दो) ग्राम सभा की स्थापना ग्राम पंचायत का संघटन;

(क) प्रधान उप प्रधान एवं सदस्यों के लिए अर्हताएं,

(ख) धारा 17(ज) के अधीन निर्वाचन याचिकाओं और पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण;

(ग) प्रधान, उप प्रधान व ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण;

(घ) प्रधान, उप प्रधान व ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा पद त्याग-पत्र का निवेशित किया जाना;

(ङ) सामान्य निर्वाचनों तथा निर्वाचनों का आयोजन;

(च) ग्राम पंचायतों के सदस्यों और प्रधानों के रूप में व्यक्तियों का नाम-निर्देशन;

- (ज) किसी कारण से प्रधान और उप प्रधान की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का पालन किया जाना;
- (3) ग्राम सभाओं के और ग्राम पंचायतों की बैठकों के का समय और स्थान तथा बैठकों आहूत और उनकी सूचना देने की रीति;
- (4) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यता द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना और बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें भी हैं;
- (5) समितियों का स्थपित किया जाना और ऐसी समितियों के संघटन और प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी विषयों का अवधारण;
- (6) पदाधिकारियों को निलंबन तथा हटाया जाना;
- (7) अभिलेख और रजिस्ट्रेशन जो ग्राम पंचायत द्वारा रखे जायेंगे तथा प्रपत्र जिसमें वे होंगे;
- (क) ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के अभिलेखों का नियतकालिक पुनरीक्षण तथा संशोधन,
- (8) कार्यवाही जो धारा 112 में दी गयी समिति में कोई रिक्ति होने पर की जायेगी।
- (9) प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रशासनिक, नियोजन वित्त एवं निर्माण समिति, संयुक्त समिति किसी अन्य समिति में नियुक्तियों के सम्बन्ध में विवादों का निर्णय किया जा सकता है, तथा उसमें पालन की जाने की प्रक्रिया;
- (10) ग्राम पंचायत के ऐसे सेवक द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका एक प्रकार जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्ट कर समझा जाए;
- (11) ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्तियों अर्हताएं पर्यवेक्षण पदच्युति, सेवामुक्त उन्हें हटाया जाना अथवा दण्ड तथा उनकी सेवा, अवकाश, स्थानान्तरण, वेतन तथा विशेषाधिकारों से सम्बन्धित अन्य विषय और अपील करने के उनके अधिकार;
- (12) ग्राम पंचायत के सेवकों के लिए भविष्य निधि का प्रबन्ध और विनियमन, यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य निधि की प्रणाली अपनाई जाए;
- (13) प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध तथा उनके भवनों का निर्माण और मरम्मत;
- (14) किसी संयुक्त समिति को सौंपे गये पुस्तकालयों, वाचनालयों, औषधालयों की स्थापना प्रशासन तथा नियन्त्रण और उनसे सम्बद्ध भवनों का निर्माण और मरम्मत तथा पंचायत क्षेत्र के निर्धन निवासियों को औषधि और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का सम्भरण;
- (15) किसी भूमि, भू-गृहादि अथवा जल पर उत्पन्न जल वनस्पति, घास, तृणादि अथवा अन्य जंगली उपज को खोज निकालना उसे हटाना और नष्ट करना, उनके फैलाव को रोकने के लिए घरों और अवरोधों को लगाया जाना और ऐसे कार्य को करने में होने वाला व्यय;
- (16) (क) स्वच्छता, सफाई, जल निस्तारण, भवनों, सार्वजनिक सड़कों तथा जल सम्भरण के सम्बन्ध में कार्यवाही और लोक न्यूसेन्स का प्रतिषेध;
- (ख) धारा 37, 38 एवं 39 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करना;
- (17) आय तथा व्यय के वार्षिक अनुमान तैयार करना तथा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि को रक्षित करना;

- (18) ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां तथा प्रपत्र जिनमें वे होंगी और प्राधिकारी, जिसको और आवश्यकता पड़ने पर, जब वे प्रस्तुत की जाएंगी।
- (19) करों और लाईसेन्स फीस का लगाया जाना, प्राधिकारी जिसके द्वारा और रीति जिसके अनुसार कर निर्धारित किए जा सकते हैं और प्राधिकारी जिसके कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी;
- (क) ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य के देयों तथा अन्य देयों की वसूली और उसके लिए दिया जाने वाला परिश्रमिक।
- (20) करों तथा अन्य देयों के भुगतान का ढंग और समय, वसूली की प्रक्रिया और प्राधिकारी जिसकी सहायता करों तथा देयों की वसूली करने में ग्राम पंचायत द्वारा की जा सकेगी;
- (21) ग्राम पंचायत द्वारा लेखे रखने का ढंग;
- (22) सार्वजनिक भवनों और नजूल भूमि का अनुरक्षण;
- (23) किसी सम्पत्ति को अन्तरित करते समय पालन की जाने वाली औपचारिकताएं और वह रीति जिसके अनुसार संविदा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किया जायेगा;
- (24) लेखा परीक्षकों, निरीक्षकों तथा अधीक्षक प्राधिकारियों की जांच करने की साक्षियों को आहूत और उनकी परीक्षा करने की, लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्तियों तथा लेखा परीक्षा निरीक्षण तथा अधीक्षण से सम्बन्धित अन्य समस्त विषय;
- (25) शक्तियों जिनका प्रयोग जिला पंचायत अथवा किसी नियम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में किया जा सकता है और वह रीति जिससे ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है;
- (28) ग्राम पंचायतों के लिए या ग्राम पंचायतों द्वारा उपविधियों बनाने में नियत प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;
- (27) सामान्यतः इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विषय के सम्बन्ध में प्रपत्रों तथा रजिस्ट्रों का नियत किया जाना और उनका मुद्रण;
- (28) नक्शों डिजायनों, विशिष्ट विवरणों तथा अनुमानों का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना;
- (29) ग्राम्य स्वयं सेवक दल के कर्तव्य, शक्तियों और कृत्य;
- (30) ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाना और उनका पुनर्विलोकन;
- (31) ग्राम पंचायतों के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों की बैठक में परामर्शदाता के रूप में उपस्थित हो सकते हैं;
- (32) ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र-व्यवहार का माध्यम;
- (33) ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों के समाप्त किए जाने पर उनकी परिसम्पत्ति और दायित्वों का निस्तारण;
- (34) किसी ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग के किसी नगर, नगरपालिक अधिसूचित क्षेत्र, नगर क्षेत्र अथवा छावनी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए

जाने पर की जाने वाली कार्यवाही और वह रीति जिससे ऐसी परिस्थितियों में ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति और दायित्वों का निस्तारण किया जा सकेगा।

- (35) शर्तें जिसमें अधीन ग्राम पंचायत को देय धनराशियां वसूली न होने पर योग्य होने के कारण वह बट्टे खाते में डाली जा सकती है और इस अधिनियम में उपबन्धों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित किसी विषय में सामान्यतः ग्राम पंचायतों संयुक्त समितियों अन्य समितियों सरकार के सेवकों तथा अन्य प्राधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिए;
- (36) अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन का विनियमन;
- (37) सामान्य प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर सरकारी सेवकों की ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली सहायता;
- (38) ग्राम पंचायतों द्वारा धन का ऋण लिया जाना तथा दिया जाना;
- (39) विषय जो नियत किए जाने हो और नियत किए जाएं, तथा
- (40) कोई भी विषय जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में किसी ग्राम पंचायत के लिए उपविधि बनाने की शक्ति नियत प्राधिकारी को प्रदान की गयी हो।

भाग-छ:- अध्याय-चौबीस

प्रकीर्ण उपबन्ध

प्रकीर्ण उपबन्ध

129

- (1) वन पंचायतें ग्राम पंचायत से सामंजस्य स्थापित कर स्वयं का कारबार क्रियान्वित करेंगी। राज्य सरकार ऐसे कारबार के लिए वन विभाग की सहमति से ऐसी व्यवस्था करेगी जैसा विहित किया जाय।
- (2) राज्य सरकार, ग्राम पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन ऐसे करेगी जैसा विहित किया जाय।
- (3) संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का पंचायतों को ऐसे हस्तान्तरण करेगी जैसा विहित किया जाय।
- (4) उपधारा (3) में उल्लिखित 29 विषयों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों के कार्यों एवं दायित्वों हेतु तीन ऐसी पृथक-पृथक अनुसूचियां निर्धारित करेगी जैसा नियमों में विहित किया जाय।
- (5) राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकों में इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के विरुद्ध एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर के प्रस्तावों को निरस्त अथवा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा सकेगी।
- (6) राज्य सरकार जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करेगी। जिला योजना समिति इस निमित्त पृथक से अधिनियम/ नियमों के अधीन कार्य करेगी।

अध्याय-पच्चीस

प्रकीर्ण

त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एवं परिसीमन संख्या का अनुपात

130.

- (1) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो।

(2) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाएगा।

(3) किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से सरकार द्वारा कराया जा सकेगा—

(क) कोई ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत जब तक कि उसे इस अधिनियम की धाराओं के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत तारीख से पाँच वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी।

(ख) किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के संगठन के लिये निर्वाचन—

(एक) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व;

(दो) उसके विघटन के तारीख से छः मास के अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जाएगा :

परन्तु यह कि जहाँ विघटित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की शेष अवधि जब तक कि पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत बनी रह सकती थी, छः माह से कम हो, वहाँ पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का संगठन करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन पर संघटित की गई ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए, जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत खण्ड (4) के अधीन बनी रहती, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बनी रहेगी।

(5) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का संगठन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जाएगा जो नियत की जाए और तदुपरान्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को सम्यक् रूप से विघटित समझा जाएगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो :

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के संगठन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष जैसी स्थिति हो एवं सम्बन्धित पंचायत के दो तिहाई सदस्य विधिवत रूप से निर्वाचित न हो जाएं।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहीं राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासक नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्रशासक छः मास से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, क्षेत्र पंचायत की दशा में प्रमुख, जिला पंचायत की दशा में अध्यक्ष की समस्त शक्तियों, कृत्यों के साथ-साथ तीनों स्तर की पंचायतों की समितियों की शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा।

निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध 131.

(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट जिले में पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(2)जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्थान का प्रबन्धाधिकरण जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में या सहायक निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(3) इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं से, प्रबन्धाधिकरण से उपधारा (2) में अभिर्दिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो और वे ऐसे प्रत्येक अधियाचना का पालन करेंगे।

(4)यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) के अभिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(क) (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, पदीय कर्तव्य भंग करने में युक्ति युक्त कारण बिना किसी कार्य का दोषी हो तो उसे अर्थ दण्ड किया जा सकेगा जो 2500 रु० (रूपये दो हजार पांच सौ) तक हो सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी।

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त की जाए और इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'पदीय कर्तव्य' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्तव्यारोपण से अन्यथा आरोपित कर्तव्य नहीं है।

(ख) (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रतीत हो कि जिले के या राज्य के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में :-

(एक) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतदान पेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या होना संभाव्य है, अथवा

(दो) किसी मतदान स्थल से या को मत पेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीव जन्तु की आवश्यकता है या होनी संभाव्य है तो वह ऐसे परिसर या यथास्थिति

ऐसे वाहन को अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई वाहन जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए विधि पूर्ण उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिग्रहित न किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाये।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसके बाबत जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्य निर्वाचन आयोग यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का भी स्वामी है यह उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस पर तामील जिसे वह सम्बोधित है विहित रीति से की जायेगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (ख) के अधीन अधिग्रहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि से आगे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उक्त उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

(4) इस धारा में –

(क) परिसर से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग जिसमें झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

(ख) वाहन से अभिप्राय किसी ऐसे वाहन से अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से चालित हो या नही।

(ग) जहाँ धारा 130(ख) के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी परिसर का अधिग्रहण करे, तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी धनराशि का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात् –

(एक) परिसर के लिये देय किराया या यदि कोई ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिये देय किराया;

(दो) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के फलस्वरूप अपने कारोबार या निवास के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुसंगिक युक्तियुक्त व्यय, यदि कोई हो;

परन्तु यह कि जहाँ कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे निर्धारित प्रतिकर की धनराशि से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाय, वहाँ देय प्रतिकर की धनराशि ऐसी होगी जैसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करें;

परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त जहाँ प्रतिकर पाने के हक विषयक में प्रतिकर की धनराशि के बटवारे से सम्बन्धित कोई विवाद है, वहाँ निर्धारण के लिये इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(तीन) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग कोई वाहन धारा 130(ख) के अनुसरण में अधिग्रहित करें तब उसके स्वामी को प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी धनराशि का अवधारण इस धारा में व्यवस्थित रीति से व नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा जैसी भी स्थिति हो अवधारित किया जायेगा;

परन्तु यह कि "हितबद्ध व्यक्ति" से उस व्यक्ति से है, जो धारा 130(ख) के अधीन अधिग्रहित परिसर या वाहन पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्व कब्जा रखता था अन्यथा परिसर या वाहन का स्वामी या अवक्रय करार के आधार पर कब्जाधारी अभिप्रेरित है।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी सम्पत्ति को धारा 130 (ख) के अधीन अधिग्रहित करने की या धारा 130 (ग) के अधीन देय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति के आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे प्राधिकारी को देय जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ङ) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर या वाहन के सम्बन्ध में धारा 130(घ) के अधीन आदेश किया जाय और किया जाये तो किस रीति से किया जाए या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे वाहन का निरीक्षण कर सकेगा।

(च) जो कोई व्यक्ति किसी अधिग्रहित परिसर या वाहन पर धारा 130(घ) के अधीन किये गये किसी आदेश को उल्लंघन कर परिसर या वाहन का कब्जा किए रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर या वाहन में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा। ऐसा सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

(छ) (1) जबकि धारा 130(घ) के अधीन अधिग्रहित कोई परिसर या वाहन अधिग्रहण से नियुक्त किए जाने हो, उनका कब्जा उस व्यक्ति को जिससे उनके अधिग्रहित किए जाने के समय कब्जा लिया गया था, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, उस व्यक्ति को, जिसके विषय में जिला मजिस्ट्रेट या यह समझता है, कि वह वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जाएगा, और कब्जे का ऐसा परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के विषय में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर या वाहन के बावत ऐसे किन्ही अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे परिसर या वाहन पर कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक, प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो।

(2) जहाँ कि वह व्यक्ति, जिसे 130(घ) के अधीन अधिग्रहीत किसी परिसर या वाहन का कब्जा उपधारा (3) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका सरलता से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना, कि ऐसे परिसर या वाहन अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं ऐसे परिसर या वाहन के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र प्रकाशित करवायेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गयी हो तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर या वाहन ऐसे अधिग्रहण के अधधीन ऐसे

प्रकाशन की तारीख को और न रहने की स्थिति में उनके विशय में यह समझा जायेगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उस तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर या वाहन के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगा।

(ज) (1) अध्यक्ष के रूप में अथवा पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी ऐसे आवेदन पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो नियत की जाए, इन आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जाए;

परन्तु यह कि निर्वाचन इस कारण स्वतंत्र निर्वाचन नहीं इसमें रिश्वत अथवा अनुसूचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

(दो) निर्वाचन के परिणाम पर –

(एक) किसी नाम निर्देशन पत्र की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा

(दो) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने में घोर उपेक्षा किए जाने का सारवान प्रभाव पड़ा है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे।

(एक) रिश्वत, अर्थात् –

(क) किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े न होने के लिए प्रेरित करने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से या किसी व्यक्ति को इस बात के लिए कि –

(एक) किसी निर्वाचन को इस बात के लिए कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा।

(दो) किसी निर्वाचक को मत देने या मत न देने के लिए अथवा अपने पक्ष में मत देने के लिए पुरस्कार स्वरूप दिया जाए।

(क) पुरस्कार स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार या पारितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या वचन देना।

(ख) अनुचित प्रभाव अर्थात् निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न;

परन्तु यह कि इस खण्ड के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो ओर जो –

(1) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को, जिससे उमीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार भी क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता

है, या

(2) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी प्रकोप या अध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार के निर्वाध प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ में हस्तक्षेप कर रहा है।

(3) उपधारा (ख) के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो विहित किये जायें;

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जो, चाहे ऐसा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा।

(4) उस प्राधिकारी को जिसे उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय -

(एक) आवेदन पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में;

(दो) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचक को अमान्य घोषित करने या आवेदन को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य राहत जो राहत आवेदक को प्रदान की जाए, के विषय में ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किये जाये।

(5) उपधारा (1)(ख) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र की सुनवाई करने और उसे निस्तारित करने के लिए नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।

(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष आदेश के तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात् -

(क) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है।

(ख) विहित प्राधिकारी ने अपनी आधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है।

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी आधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है।

(7) जिला न्यायाधीश आवेदन पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है और किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसे ऐसे अन्य अधिकारी को अन्तर्गत कर सकता है।

(8) उपधारा (6)(क) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाय, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें संशोधन या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिए विहित

प्राधिकारी को प्रति प्रेषित कर सकता है और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्याय संगत और सुविधाजनक प्रतीत होगा।

(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ट) (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग-7 के अध्याय-1 की धारा 123 एवं अध्याय 3 की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 131, 132, 134, 134क, 135, 135क और 136क, के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों :-

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्वाचन का निर्देश हो;

(ख) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन" रख दिए गए हों।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में शब्द "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिए गए हों।

(घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 एवं 136 में शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तरखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2016 के द्वारा या अधीन" रख दिए गए हों।

(2) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख तथा जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन" रख दिए गए हों।

(3) इस अधिनियम के अधीन कराये जाने वाले निर्वाचनों के सम्बन्ध में जहां कहीं इस अधिनियम एवं नियमावली में निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है वहां-वहां राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरखण्ड द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं को यथा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जा सकेगा।

(ठ) (1) प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में निर्दिष्ट किसी पद पर चुना गया हो। पद पर आसीन होने से पूर्व ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जिसे नियत किया जाय नियत प्रपत्र में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो पूर्वोक्त शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से इनकार करें, यह समझा जायेगा कि उसने पद को तत्क्षण रिक्त कर दिया है।

निर्वाचन सम्बन्धी विषयों में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निषेध

132.

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में की गयी किसी कार्यवाही या दिए गए किसी निर्णय की वैधता के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय को आपत्ति करने की अधिकारिकता नहीं होगी।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निरीक्षण आदि हेतु नियत प्राधिकारी

133.

(1) राज्य सरकार जैसा कि नियत करें, यथा स्थिति, अपने अधिकार क्षेत्र या अपने जिले की सीमाओं के भीतर:-

(क) निदेशक:- राज्य की सीमा के अन्तर्गत जिला पंचायत का विहित प्राधिकारी होगा और वह अपने अधिकार राज्य की सीमाओं के भीतर जिला पंचायत या उसकी समिति

या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उनमें से किसी के निर्देशाधीन में किए जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है, करवा सकेगा।

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख को पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हो, मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

(ग) लिखित आदेश द्वारा पंचायतें या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बद्ध ऐसे विवरण लेखें या प्रतिवेदन (जिसके अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी हैं) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें मंगवाना वह उचित समझे, और

(घ) पंचायतें या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के सम्बन्ध में कोई विचार, जो वह उचित समझे, अभिलेखबद्ध कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट :- (क) जिले में स्थित क्षेत्र पंचायत के विहित प्राधिकारी होंगे। अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर क्षेत्र पंचायत या उसकी समिति या संयुक्त समिति अथवा अध्यासित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उनमें से किसी के निर्देशाधीन में किए जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है, करवा सकेगा।

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख को जो क्षेत्र पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हो, मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

(ग) लिखित आदेश द्वारा क्षेत्र पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बद्ध ऐसे विवरण लेखें या प्रतिवेदन (जिसके अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी हैं) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें मंगवाना वह उचित समझे, और

(घ) क्षेत्र पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के सम्बन्ध में कोई विचार, जो वह उचित समझे, अभिलेखबद्ध कर सकेगा।

(3) जिला पंचायत राज अधिकारी:- (क) जिले में स्थित ग्राम पंचायत के विहित प्राधिकारी होंगे। वह अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित ग्राम पंचायत या उसकी समिति या संयुक्त समिति अथवा अध्यासित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उनमें से किसी के निर्देशाधीन में किए जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है, करवा सकेगा।

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख को जो ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हो, मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ग) लिखित आदेश द्वारा ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बद्ध ऐसे विवरण लेखें या प्रतिवेदन (जिसके अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी हैं) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें मंगवाना वह उचित समझे, और

- (घ) ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के सम्बन्ध में कोई विचार, जो वह उचित समझे, अभिलेखबद्ध कर सकता है।
134. पंचायतों के सन्दर्भ में राज्य सरकार के अन्य अधिकार और कर्तव्य
- (1) राज्य सरकार समय-समय पर समुचित नोटिस के पश्चात् जिला पंचायत के नियोजन तथा विकास विषयक अनुदान के सम्बन्धित विषयों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुला सकती है, जिसमें वह स्वयं, अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी और यदि आवश्यक समझा जाए तो वित्त अधिकारी सम्मिलित हों।
- (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को विकास कार्य की प्रगति का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजेगा।
135. विहित प्राधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों तथा संस्थाओं का निरीक्षण
- जिला पंचायत के व्यय से पूर्णतः या अंशतः निर्मित या अनुरक्षित निर्माण कार्य या संस्था का तथा तत्सम्बन्धी, अभिलेखों, पुस्तकों, लेखा या लेखा पत्रों का सभी समयों पर इस प्रकार जैसा कि राज्य सरकार एतदर्थ आदेश करें, निरीक्षण किया जा सकेगा।
136. नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार
- (1) नियत प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, किसी जिला पंचायत या जिला पंचायत की समिति, या संयुक्त समिति अथवा जिला पंचायत या संयुक्त समिति के सेवक द्वारा इस या अन्य किसी अधिनियमिती के अधीन पारित या दिए गए किसी संकल्प या आदेश निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश स्पष्टतः अवैध या निर्देश से असंगत हो या इस प्रकार का हो कि उससे जन-साधारण के लिए या विधि के लिए अवरोध क्लेश या क्षति अथवा मानव-जीवन, विपरीत स्वास्थ्य संभावना हो, और किसी व्यक्ति द्वारा उक्त संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसका आश्रय लेकर किसी काम के लिए जाने या उसे जारी रखे जाने का निषेध कर सकेगा।
- (2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाए, तो उसे दिए जाने के कारणों के विवरण सहित, उसकी एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजी जायेगी जो जिला पंचायत से स्पष्टीकरण मांगने तथा उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उस आदेश को रद्द परिष्कृत या पुष्ट कर सकेगी।
- (3) जब उपधारा (2) के अधीन दिए गए, आदेश द्वारा किसी संकल्प का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया जाए और वह निषेधकारी आदेश तब भी प्रचलित हो तो जिला पंचायत या जिला पंचायत की समिति या संयुक्त समिति, अथवा जिला पंचायत या जिला पंचायत की समिति या संयुक्त समिति या इस प्रकार की किसी समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का, उक्त उपधारा के अधीन आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिससे करने का उसे उस दशा में अधिकार हो तब वह संकल्प या आदेश पारित ही न किया गया होता या दिया न गया होता और जो किसी व्यक्ति को उस संकल्प या आदेश जिसका आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया गया हो, आश्रय लेकर किसी काम को करने या उसका करना जारी रखने से रोकने के लिए आवश्यक हो।

आपात स्थिति के समय राज्य सरकार के पंचायतों के प्रति असाधारण अधिकार

137. (1) आपात स्थिति की दशा में राज्य सरकार किसी ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन का, अथवा ऐसे कार्य के सम्पादन की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या सम्पादन का जिला पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति को अधिकार हो और जिसका तुरन्त निष्पादन अथवा सम्पादन उसकी राय में, जन साधारण की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिए आवश्यक हो और वह यह निर्देश दे सकता है कि निर्माण कार्य को निष्पादित करने अथवा उस कार्य को सम्पादित करने के व्यय का भुगतान जिला पंचायत द्वारा तुरन्त किया जाए।

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाए तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश या आज्ञा दे सकता है, जिससे जिला निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिए निधि में से उक्त व्यय का भुगतान करने का निर्देश हो और उक्त व्यक्ति ऐसे निर्देश का पालन करेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत या नियत अधिकारी को तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले का प्रतिवेदन भेजेगा जिसमें वह इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करें।

त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों को उनके पद से पृथक किया जाना

138. (1) राज्य सरकार पंचायतों के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी :-

(क) उसके किसी ऐसे विषय पर जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी हित हो अथवा जिसमें वह किसी बादार्थी, प्रतिनियोक्ता अथवा किसी व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक हित रखता हो, मत देकर अथवा उसकी चर्चा में भाग लेकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया हो।

(ख) वह ऐसे सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्पादन करने में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से असमर्थ हो गया हो;

(ग) वह उक्त सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य, सम्पादन में अपने वर्तमान अथवा किसी पूर्ववर्ती कार्यकाल में अनाचार का दोषी या उसने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो या पंचायतों की निधि या सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचाई हो और राज्य सरकार की राय में ऐसे अनाचार, उल्लंघन अथवा हानि या क्षति पहुंचाने तथा महिला प्रतिनिधियों के पति या पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार के द्वारा उनके स्थान पर अनधिकृत रूप से कार्यों का संचालन करने के कारण वह महिला सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त होंगे, ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय अंतिम जांच तक निलम्बित किया जा सकेगा एवं उसके कार्य एवं दायित्व ऐसे नियत प्राधिकारी को सौंपे जा सकेंगे जैसा निदेशक द्वारा आदेशित किया जाय। अग्रेत्तर यह भी कि जांच में दोषी पाये जाने वाले विभागीय कर्मचारी /अधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) किसी अन्य अनियमितता में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को इस धारा के अधीन सदस्यता से हटाया गया हो तो उक्त उपधारा (ग) के अधीन हटाए जाने की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से क्रमशः सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर न होगा और यह समझा

जाएगा कि उसका उक्त पद रिक्त हो गया है।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन पंचायत की सदस्यता से हटाया गया हो, अपने हटाये जाने के तारीख से पांच वर्ष तक पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या किसी पंचायत का क्रमशः सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए अनर्हित होगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश देकर इस अनर्हता को हटा सकती है।

(4) निलंबन:- (क) प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यदि प्राथमिक जाँच के उपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है, तो अंतिम जाँच होने तक राज्य सरकार उसे निलम्बित कर सकेगी।

(ख) यह सिद्ध हो जाय कि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक प्रधान/उप प्रधान के घर पर आहूत की गई, तो सम्बन्धित के विरुद्ध जाँच के उपरान्त राज्य सरकार उसे निलम्बित कर सकेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन हटाए जाने का आदेश राज्य सरकार/विहित प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित को इस बात के कारण को प्रकट करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो;

परन्तु यह और कि प्रारम्भिक जांच एक माह के अंतर्गत और अंतिम जांच छः माह की अवधि में पूर्ण करनी आवश्यक होगी।

राज्य सरकार का पंचायतों को विघटित करने का अधिकार

139.

यदि किसी भी समय, अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा अन्यथा, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि पंचायत इस अधिनियम में या किसी अन्य को यह प्रतीत होता है कि पंचायत इस अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अपने पर आरोपित का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार, पंचायत से स्पष्टीकरण मांगने तथा इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाने के विरुद्ध उसके द्वारा की गयी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसी कार्यवाही वांछनीय है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, जिसमें कार्यवाही के कारण भी दिए होंगे, पंचायत को विघटित कर सकेगी।

अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन

140.

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने को प्रदत्त, सौंपे गये प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(2) इस अधिनियम का तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अपने अधीन तत्समय सम्पादित किसी कृत्य को उस सीमा तक जो नियत की जाए ग्राम पंचायत को सौंप सकती है या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को सौंप सकती है और इस प्रकार सौंपे गए कृत्य को वापस ले सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग द्वारा जिले के या उसके नीचे स्तर पर तत्समय सम्पादित किसी कृत्य को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या किसी जिला पंचायत अथवा समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों या जिला पंचायतों को सौंपे गए कृत्यों को वापस ले सकेगी।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन, राज्य सरकार कोई कृत्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को सौंपती है तो वह निर्देश दे सकती है कि सम्बद्ध विभाग का कोई कार्यक्रम, योजना या परियोजना भी, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को अन्तरित हो जायेगी और उसका कार्यान्वयन उसके नियन्त्रण में या उसके

- अधीन किया जायेगा।
- कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति
141. किसी अमीन, आदेशिका वाहक, टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम के चौकीदार, पटवारी, सिंचाई विभाग के पतरौल तथा नलकूप-चालक, वन रक्षक, वन विभाग के चौकीदार, प्रारम्भिक विद्यालय के अध्यापक, कांजी-हाउस रक्षक, ग्राम में कार्यरत पशुपालन विभाग के कर्मचारी अथवा ग्राम की सीमा के अन्तर्गत कार्यरत आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता अथवा सरकारी विभाग के चपरासी आदि द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में आचरण, कर्तव्यविमुखता के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की आधिकारिता में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से परिवाद प्राप्त होने पर ऐसी ग्राम पंचायत यदि प्रत्यक्षतः कोई साक्ष्य उपलब्ध है, उसे अपनी रिपोर्ट के साथ समुचित यदि प्रत्यक्षताः कोई साक्ष्य उपलब्ध है, उसे अपनी रिपोर्ट के साथ समुचित प्राधिकारी को भेजेगी। प्राधिकारी ऐसी अग्रतर जांच करने के उपरान्त, जो अपेक्षित हो समुचित कार्यवाही करेगा और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना देगा।
- पंचायतों में समानान्तर संस्थाओं के गठन का निषेध
142. (क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जो अधिकार व कृत्य पंचायतों को सौंपे गए हैं उनके सम्पादन व प्रयोग के लिए किसी भी प्रकार की समानान्तर संस्थाओं का गठन नहीं किया जा सकेगा।
- (ख) यदि कोई स्वैच्छिक संगठन किसी पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के जनकल्याण व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को हाथ में लेना चाहे तो ऐसे संगठन को योजना के चयन व उसके सम्पादन के लिए सम्बन्धित पंचायत की सहमति को संकल्प (प्रस्ताव) के रूप में हो, लेनी होगी।
- पंचायतों का अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने तथा ऐसी संस्थाओं के जिनका वह प्रबन्ध नहीं करती हो, सहायता करने का अधिकार
143. इस सम्बन्ध में बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए पंचायतें –
- (क) किसी अन्य पंचायत या अन्य स्थानीय अधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों में सम्मिलित हो सकती है जिनसे उनके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियन्त्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता हो
- (ख) ऐसी किसी संस्था को या कार्य के लिए अंशदान दे।
- पंचायतों के कार्यों का संचालन और अधिकारों का प्रयोग
144. इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त, सौंपे गये तथा प्रतिनिहित किये गये और सम्बन्धित अनुसूचियों में उल्लिखित अधिकारों कर्तव्यों तथा तदधीन नियमों द्वारा किसी अन्य को सौंपे या प्रतिनिहित किए गये, अधिकारों को छोड़कर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अपनी बैठक में संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और समाधान किया जायेगा अन्यथा नहीं।
- समितियों के अधिकार व कृत्य
145. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में स्थापित समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-
- (1) नियोजन एवं विकास समिति- निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:-
- (क) सम्बन्धित पंचायत के वित्तीय विषयों पर दृष्टि रखना व आय के श्रोतों का सृजन,
- (ख) सम्बन्धित पंचायत के लिये वार्षिक कार्य योजना तैयार करना,
- (ग) सम्बन्धित पंचायत का आय-व्यय तैयार कर स्वीकृति हेतु रखना,

- (घ) कृषि, पशुधन और गरीबी उपशमन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,
- (ङ) ग्रामीण मेलों एवं उत्सवों से सम्बन्धित विषय,
- (2) शिक्षा समिति— निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:—
- (क) प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता सम्बन्धी कार्य,
- (ख) स्कूल भवनों के लिये भूमि का चयन तथा स्कूल भवनों के निर्माण/मरम्मत की गुणवत्ता की देख-रेख करना,
- (ग) संविधान की 11वीं अनुसूची के क्रमांक 17, 18, 19, 20 एवं 21 सम्बन्धित विषय।
- (3) निर्माण कार्य समिति— निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:—
- (क) सभी प्रकार के निर्माण कार्यों का अनुरक्षण करना,
- (ख) सम्बन्धित पंचायत के अन्तर्गत समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना,
- (ग) अनिवार्य श्रमदान के सम्बन्ध में।
- (4) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति— निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:—
- (क) संविधान की 11वीं अनुसूची के क्रमांक 23, 24, 25, 26 एवं 27 से सम्बन्धित विषय,
- (ख) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों विशिष्टतः महिला एवं बाल कल्याण, आँगनवाड़ी, पी.एच.सी./सी.एच.सी से सम्बन्धित योजनाओं का कार्यान्वयन।
- (5) प्रशासनिक समिति— निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:—
- (क) सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित सभी मामले,
- (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित विषय।
- (6) जल प्रबन्धन एवं जैव विविधता प्रबन्ध समिति— निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी:—
- (क) नलकूपों और पेयजल योजनाओं का समुचित संचालन और अनुरक्षण,
- (ख) आबादी क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के उपाय,
- (ग) भूमि के विभिन्न प्रकारों, परम्परागत किस्मों एवं खेती का संरक्षण। पशुओं एवं सूक्ष्मजीवों का भण्डारण तथा जैव विविधता से सम्बन्धित विषयों की जानकारी।

राज्य सरकार द्वारा 146. शक्तियों का प्रतिनिहित किया जाना

राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति को अपने, अधीनस्थ अधिकारी अथवा विहित प्राधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को प्रतिनिहित कर सकेगी।

- इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन करने की शास्ति 147. जो कोई इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा। वह जब तक अन्यथा नियत न किया हो, जुर्माने से जो (पांच हजार रुपये) रू0 5,000/- तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो वह एक और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, (पांच सौ रुपये) रू0 500/- तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा।
- अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति 148. जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।
- नियमों तथा उपविधियों का अतिलंघन 149. (क) कोई नियम बनाते समय राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी अथवा कोई उपविधि बनाते समय ग्राम पंचायत को निर्देश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/विधि का उल्लंघन करता है तो जुर्माने से जो (एक हजार रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोषसिद्धि के तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, (एक सौ रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।
- (ख) (1) राज्य सरकार का इस अध्याय के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुए विनियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनाए जायें और वे तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वे गजट में प्रकाशित न हो जायें।
- (2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई विनियम समस्त मण्डलों या जिलों के लिए अथवा ऐसे समस्त मण्डलों या जिलों के लिए, जिन्हें स्पष्ट रूप से उसके प्रवर्तन से अपवर्जित न किया गया हो, सामान्य रूप से हो सकता है अथवा किसी एक या अधिक मण्डलों या जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र या किसी एक भाग के लिए विशेष रूप से हो सकता है, जैसा भी राज्य सरकार निर्देश दे।
- (ग) (1) जिला पंचायत विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे विनियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाय।
- (2) जिला पंचायत का उपविधि बनाने का अधिकार इन शर्तों के अधीन होगा कि ऐसी उपविधियाँ पूर्व प्रकाश नके पश्चात् ही बनायी जायेगी और वे तब तक प्रभावी में होंगी जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि नहीं हो जाय और वे गजट में प्रकाशित न हो जाएं।
- (3) उपविधि की पुष्टि करने में नियत प्राधिकारी अथवा विनियम की पुष्टि करने में राज्य सरकार उसके स्वरूप में कोई ऐसा परिवर्तन कर सकती है जो उसके आवश्यक प्रतीत हो।
- (4) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों में किया गया कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय और इसी प्रकार से जिला पंचायत द्वारा बनायी गई उपविधि में कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय।
- (5) राज्य सरकार अपने आशय के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् किसी ऐसे विनियम को

जिलसकी उसने पुष्टि की जो, अथवा उसी प्रकार नियुक्त प्राधिकारी किसी ऐसी उपविधि को जिसकी उसने पुष्टि की जो, रद्द कर सकता है और तदुपरान्त वह विनियम या उपविधि प्रभावी न रह जायेगी।

(घ) जब इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना अपेक्षित हो, जिसके लिए उप धारा, नियम या उपविधि में कोई समय निश्चित न हो, तो वह कार्य करने के लिए उस नोटिस में उचित समय निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और यह निर्णय करना न्यायालय के हाथ में होगा कि इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया समय इस धारा के अर्थ में उचित समय है या नहीं।

(ड.) (1) इस अधिनियम के किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी या तैयार किया गया प्रत्येक नोटिस या बिल, जब तक कि उस धारा, नियम या उपविधि में स्पष्टतया अन्यथा व्यवस्थित न हो, निम्नलिखित प्रकार से तामील या प्रस्तुत किया जायेगा—

(क) ऐसा नोटिस या बिल उस व्यक्ति को, जिसे वह सम्बोधित हो, देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो नोटिस या बिल उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर, यदि वह जिला पंचायत या सम्बद्ध क्षेत्र पंचायत, जैसी भी दशा हो, के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो, छोड़कर या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्यस्क पुरुष सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके अथवा नोटिस या बिल को उस इमारत या भूमि के, यदि कोई हो, जिससे उस नोटिस या बिल का सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर लिया जायेगा।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन कोई नोटिस किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी पर तामील किया जाना, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात हो, तो उसकी तामील उन दशाओं में जिनके लिए इस अधिनियम में अन्यथा विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो—

(क) नोटिस स्वामी या अध्यासी को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर अथवा यदि एक से अधिक स्वामी या अध्यासी हों तो, उनमें से किसी एक को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, या

(ख) यदि ऐसा स्वामी या अध्यासी न मिले तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष, सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके या नोटिस को उस इमारत या भूमि का, जिसे उसका सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर दी जायेगी।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिस पर नोटिस या बिल तामील किया जाता हो, आवश्यक हो तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष, सदस्य या सेवक पर उसका तामील किया जाना उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायेगी।

(च) कोई नोटिस या बिल आकार में दोष होने के कारण अमान्य नहीं होगा।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र 150.
पंचायत एवं जिला
पंचायत की सम्पत्ति
की अन्तःक्षेपित

(1) जो कोई सार्वजनिक सड़क की किसी पटरी, नाले अथवा अन्य सामग्री अथवा उसके किसी घरे, दीवार अथवा खंभे को अथवा बत्ती के खंभे या ब्रेकेट, निर्देश स्तम्भ बंबे, हाइड्रेंट अथवा (ग्राम पंचायत) की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को उसकी

करने की शास्ति

अथवा विधि सम्मत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटायेगा, विस्थापित करेगा अथवा उसमें कोई परिवर्तन करेगा अथवा अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, वह जुर्माने से जो (पाँच हजार) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अपने किसी कार्य, अपनी किसी उपेक्षा अथवा चूक के कारण उपेक्षा अथवा चूक के कारण उपधारा (1) द्वारा आरोपित कोई शास्ति उपगत की है और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुँचाई है तो ऐसी शास्ति उपगत करने वाला व्यक्ति ऐसी क्षति को पूरा करने तथा ऐसी शास्ति के भुगतान करने का भागी होगा और अपराधी से उक्त क्षतियाँ विहित रीति से वसूल की जा सकेंगी।

जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा 151.

(क) यदि इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस दी गयी हो जिसमें उसे किसी जंगम अथवा स्थावर सार्वजनिक अथवा किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्माण-कार्य निष्पादित करने अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी बात की व्यवस्था करने अथवा उससे विरत रहने की अपेक्षा की गयी हो। और ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करने में चूक करे, तब -

(1) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उक्त निर्माण-कार्य को निष्पादित करा सकती है या ऐसी बात की व्यवस्था करा सकती है अथवा उसे पूरा करा सकती है और इस सम्बन्ध में अपने द्वारा किये गये समस्त व्यय को ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में नियत रीति से वसूल कर सकेंगी।

(2) ऐसा व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने का जो (पाँच हजार रुपये) तक हो सकता है, भी भागी होगा और उस दशा में जबकि उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्ध के तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, (सौ रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा;

परन्तु यह कि कोई नोटिस इस कारण अमान्य न होगा कि उसके आकार में कोई दोष है या उसमें कोई बात छूट गई है।

(ख) जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन दण्डनीय अपराधों में से किसी अपराध का तब तक संज्ञान न करेगा जब तक कि जिला पंचायत या सम्बद्ध क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अथवा सम्बद्ध क्षेत्र पंचायत द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभियोग प्रस्तुत न करे या जिला पंचायत या उक्त व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त न हो।

अपीलें

152.

(1) इस अधिनियम के अथवा किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा दिये गये आदेश अथवा निर्देश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति जब तक अन्यथा नियत न किया गया हो, ऐसे आदेश अथवा निर्देश के तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसमें उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय सम्मिलित नहीं होगा, नियत अधिकारी को अपील कर सकता है जो उक्त आदेश या निर्देश को परिवर्तित या रद्द अथवा पुष्ट कर सकता है और अपील करने वाले व्यक्ति को या उसके विरुद्ध वाद व्यय भी अधिनिर्णीत कर सकता है।

- (2) विहित प्राधिकारी, यदि उचित समझे, तो वह उपधारा (1) में अपील के लिए अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है।
- (3) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।
- कतिपय मामलों में 153. यदि किसी आदेश अथवा निर्देश के विरुद्ध कोई अपील की गई हो, तो ऐसे आदेश अभियोजन का अस्थगित करने की शक्ति अथवा निर्देश को प्रवृत्त करने के लिए कोई कार्यवाही और उसके उल्लंघन के लिये कोई अभियोजन विहित प्राधिकारी के आदेश से, अपील का निर्णय होने तक, निलम्बित किया जा सकेगा और यदि अपील में ऐसा आदेश या निर्देश रद्द कर दिया जाये तो उसकी आज्ञा को अपराध नहीं समझा जायेगा।
- अपराध का शमन 154. (क) (1) एतदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत किसी आपराधिक वाद के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरुद्ध किये गये अपराध का शमन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की ऐसी धनराशि जो विहित की जाये, के विरुद्ध भुगतान किये जाने पर कर सकती है।
- (2) जब किसी अपराध का शमन किया गया हो तो अपराधी, यदि वह अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार शमित अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- इस धारा के अधीन शमन के रूप में भुगतान की गई समस्त धनराशियाँ ग्राम निधि, क्षेत्र निधि एवं जिला निधि जमा कर दी जायेंगी।
- (ख) यदि किसी ऐसे कार्य, उपेक्षा या चूक से, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन आरोपित शास्ति का भागी हो गया हो, जिला पंचायत या किसी क्षेत्र पंचायत की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुँची हो तो ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति उस क्षति को पूरा करने का तथा उस शास्ति के भुगतान करने का उत्तरदायित्व होगा और विवाद की दशा में, क्षतिपूरक की मात्रा मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायेगी जिसके द्वारा उक्त शास्ति का व्यक्ति दण्डित किया जाय तथा माँग की जाने पर ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर वह अभिहरण द्वारा वसूल की जायेगी तथा उक्त मजिस्ट्रेट एतदर्थ अपना अधिपत्र जारी करेगा।
- (ग) (1) धारा 67 में उल्लिखित किसी आदेश या निदेश पर उसमें व्यवस्थित रीति या अधिकारी से अन्यथा आपत्ति न की जायेगी।
- (2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश, जिसके द्वारा वह उक्त आदेश या निदेश की पुष्टि करे, उसे रद्द करे या उसका परिष्कार करे, अंतिम होगा:
- परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह वैध होगा कि प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद, वह अपने द्वारा अपील में दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन एक ऐसे अतिरिक्त आदेश द्वारा करे जो उकसे मूल आदेश के तारीख से तीन महीने के भीतर दिया जाये;
- परन्तु यह और कि यदि धारा 67 में उल्लिखित कोई आदेश या निदेश किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अतिलंघन करता हो तो उसे तद्विषयक क्षेत्राधिकारयुक्त किसी दीवानी न्यायालय में उक्त आदेश या निदेश पर आपत्ति करने का अधिकार होगा।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उनके अधिकारियों और सेवकों के विरुद्ध सिविल वाद

(घ) (1) यदि प्रतिकर की उस धनराशि के सम्बन्ध में जिसका भुगतान करना इस अधिनियम द्वारा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत से अपेक्षित है, कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निबटारा ऐसी रीति से किया जायेगा जिसके विषय में सम्बद्ध पक्ष सहमत हो, या कोई सहमति न हो सके तो, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा या प्रतिकर पाये का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसका निबटारा किया जायेगा।

(2) कलेक्टर का प्रतिकर दिलाने का कोई निर्णय, प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति के इस अधिकार के अधीन होगा कि वह उसके भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013), की धारा 18 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश को अभिदिष्ट करवाये।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया जाये, कलेक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश, यथासम्भव उस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो उक्त अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर देने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों के लिए नियत की गई है।

(ड.) (1) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत तथा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप से हित रखते हों, विवाद उत्पन्न हो तो विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) राज्य सरकार जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों, रहने वाले सम्बन्धों को नियत द्वारा विनियमित कर सकती है।

(क) (1) ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धक समिति, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के विरुद्ध या उसके सेवक के विरुद्ध अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो इन निकायों अथवा व्यक्तियों में से किसी के निर्देश के अधीन कार्य करता हो, किसी ऐसे कार्य के लिये, जो उसने इस अधिनियम के अधीन अधिकारिक रूप से किया हो या जिसका किया जाना तात्पर्यित हो, कोई सिविल वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही तब तक न संस्थित की जायेगी जब तक कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को लिखित नोटिस, जिसमें वाद-कारण, अपेक्षित उपशमी का प्रकार, दावा किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि, कोई हो, कोई इच्छुक वादी का नाम तथा उसके निवासगृह का पता स्पष्ट रूप से वर्णित होगा, सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्यालय में परिदत्त दिये जाने या वहाँ छोड़ दिये जाने और सदस्य, अधिकारी या सेवक अथवा ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उसके निर्देश के अधीन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, उसे परिदत्त किये जायें अथवा उसके कार्यालय या उसके निवास-गृह पर छोड़ दिये जाने के बाद दो मास न व्यतीत हों, और वाद-पत्र में इस आशय का कथन होगा कि ऐसी नोटिस इस प्रकार परिदत्त की गयी है या छोड़ दिया गया हो।

(2) कोई ऐसी कार्यवाही, जो उपधारा (1) में वर्णित है, वाद-कारण प्रोद्भूत होने के पश्चात् छः मास के भीतर ही प्रारम्भ करने के सिवाय अन्यथा प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(3) किसी न्यायालय में ग्राम पंचायत अथवा उसके किसी सदस्य या पदाधिकारों अथवा

उसके निर्देशन में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन सद्भावना में की गई अथवा की जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्यवाही के लिए दीवानी का मुकदमा अथवा अभियोजन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(ख) दीवानी न्यायालयों द्वारा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या उनके अधिकारों के विरुद्ध अस्थायी आदेश का निर्देश किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय—

(1) किसी व्यक्ति को जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की किसी समिति उप समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों या कर्तव्यों का सम्पादन करने से इस आधार पर रोकने के लिए कि वह व्यक्ति यथोचित रूप से सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ: या

(2) किसी व्यक्ति का क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायत की किसी समिति या उप समिति के सदस्य, प्रमुख, उप-प्रमुख, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों तथा कर्तव्यों का सम्पादन करने से इस आधार पर रोकने के लिए वह व्यक्ति यथोचित रूप में ऐसे सदस्य, प्रमुख, उप-प्रमुख, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ है: या

(3) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, या किसी जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की किसी समिति या उप-समिति की कोई निर्वाचन करने या किसी विशेष रीति से कोई निर्वाचन करने से रोकने के लिए कोई अस्थायी व्यादेश या अन्तरिम आदेश न देगा।

कार्यवाहियों की वैधता 156.

इस अधिनियम के अधीन अथवा उपबन्धित को छोड़कर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अथवा उसकी कोई समिति इस बात के होते हुए भी कि उसकी सदस्यता में कोई कार्यवाहियाँ इस बात के होते हुए भी वैध होगी कि किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता थी अथवा कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, मतदान किया अथवा अन्यथा भाग लिया तथापि प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्य के किया जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में से न्यूनतम दो-तिहाई व्यक्ति सदस्य होने के लिये अनर्ह न रहे हों।

पंचायतों को सहायता देने तथा अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस की शक्तियाँ तथा कर्तव्य 157.

पुलिस का प्रत्येक अधिकारी किसी ऐसे अपराध की, जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरुद्ध किया गया हो और जिसकी उसे जानकारी हो जाये, सूचना तत्काल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को देगा और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के समस्त सदस्यों तथा सेवकों को अथवा न्याय पंचायत को विधि-सम्मत प्राधिकारों के प्रयोग में सहायता देगा।

वित्त आयोग एवं पंचायतों की निधि 158.

(क) वित्त आयोग— (1) राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर यथाशक्य शीघ्र और उसके पश्चात् प्रत्येक पाँचवें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्यपाल को निम्नलिखित की बाबत सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा—

(क) सिद्धान्त जो निम्नलिखित को शासित करेंगे—

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण जिसे

उनके बीच वितरित किया जा सकेगा और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के अपने-अपने अंशों का आवंटन,

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे,

(तीन) राज्य की संचित निधि, में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान,

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय,

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।

(2) वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो ऐसी, अर्हताएं रखेंगे और ऐसी रीति से चयनित किये जायेंगे जैसी कि नियत की जाए।

(3) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा।

(4) वित्त आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित और राज्यपाल को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है किन्तु त्याग-पत्र स्वीकृति किये जाने तक अपने पद पर बना रहेगा।

(5) वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद किसी आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी शेष अवधि तक के लिए भरा जा सकता है।

(6) वित्त आयोग को अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को माँग सकता है,

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है, एवं

(ग) ऐसी अन्य शक्तियाँ, जैसी नियत की जाएं।

(7) राज्यपाल इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी जो ग्राम निधि कहलायेगी।

(1) ग्राम निधि में ग्राम पंचायत या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशियों, जिसमें राज्य एवं केन्द्र सरकार या उसके विभागों तथा क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या लिए गये ऋण एवं निम्न प्रकार समस्त करों से प्राप्त आय ग्राम निधि में जमा किए जाएंगे।

(2) ग्राम निधि में निम्नलिखित विषयों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि भी जमा की जायेगी।

(क) इस अधिनियम के अधीन लगाए गए किसी कर की आय;

(ख) ऐसी समस्त धनराशियां जिन्हें न्यायालय या किसी अन्य कानून में ग्राम निधि में जमा करने की आज्ञा दी हो;

- (ग) ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा संग्रहित धूल, गन्दगी, गोबर, कूड़ा-कड़कट जिसके अन्तर्गत पशुओं के शव भी सम्मिलित हैं कि बिक्री से प्राप्त धन;
- (घ) नजूल की सम्पत्ति और लगान उनकी अन्य आय का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार ग्राम निधि में जमा किए जाने का निर्देश दे;
- (ङ.) जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ग्राम निधि में से अंशदान के रूप में दी गयी धनराशियां;
- (च) ऋण अथवा दान के रूप में दी गयी धनराशियां;
- (छ) ऐसी अन्य समस्त धनराशियां जो राज्य सरकार की किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा ग्राम निधि को अभ्यर्पित की जाए;
- (ज) राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां।
- (3) ग्राम निधि में जमा की गयी समस्त प्रकार की धनराशि का आहरण एवं उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- (ग) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी जो क्षेत्र निधि कहलायेगी।
- (1) क्षेत्र पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त धनराशियाँ जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकार से सहायता अनुदान भी सम्मिलित है या इन पंचायतों द्वारा लिए गए समस्त ऋण निधि जैसी भी दशा हो, में जमा किए जायेंगे;
- परन्तु यह कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अपने द्वारा किसी प्रयोजन विशेष के लिए प्राप्त किये गये निधि के भागों को उसी प्रयोजन विशेष के लिए अलग से रक्षित कर देगी और उसे उसी प्रयोजन को पूरा करने में व्यय करेगी।
- (2) इस धारा में कोई व्याख्या क्षेत्र पंचायत के उन अधिभारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी ऐसे न्याय से उत्पन्न हो, जो विधितः उन पर निर्धारित किया गया हो या उन्होंने स्वीकार किया हो।
- (3) क्षेत्र पंचायत नकद या वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान स्वीकार कर सकती है, जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिए दे और तत्पश्चात् क्षेत्र पंचायत उसे जहाँ कहीं आवश्यक लगे, अपने अंशदान सहित, उस कार्य के निष्पादन में लगायेगी।
- (4) क्षेत्र निधि में जमा समस्त प्रकार की धनराशियों का आहरण एवं वितरण एवं क्षेत्र पंचायत की ओर से समस्त कार्यों तथा संविधानों के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी के साथ-साथ जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार नियत करे, का होगा।
- (घ) प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी जो जिला निधि कहलायेगी।
- (1) जिला पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त प्रकार की धनराशियाँ जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान भी सम्मिलित है या जिला पंचायतों द्वारा लिए गए समस्त ऋण निधि या जिला निधि जैसी भी दशा हो, में जमा किए जायेंगे;

परन्तु यह कि जिला पंचायत अपने द्वारा किसी प्रयोजन विशेष के लिए प्राप्त किये गये निधि के भागों को उसी प्रयोजन विशेष के लिए अलग से रक्षित कर देगी और उसे उसी प्रयोजन को पूरा करने में व्यय करेगी।

(2) यह धारा जिला पंचायत के उन अधिभारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी ऐसे न्याय से उत्पन्न हो, जो विधितः उन पर निर्धारित किया गया हो या उन्होंने स्वीकार किया हो।

(3) जिला पंचायत नकद या किसी वस्तु विशेष के रूप में ऐसे अंशदान स्वीकार कर सकती है, जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिए दे और तत्पश्चात् जिला पंचायत उसे जहाँ कहीं आवश्यक लगे, अपने अंशदान सहित, उस कार्य के निष्पादन में लगायेगी।

(ड.) जिला पंचायत स्थानीय प्राधिकरण ऋण अधिनियम, 1914 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1914) में यथापरिभाषित "लोक अथारिटी" समझी जायेगी तथा उस अधिनियम के अधीन रूपया उधार लेने के प्रयोजनार्थ उसके समस्त उपबन्धों तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन रहेगी।

(च) निधि का उपयोग— (1) जिला निधि तथा जिला पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति और क्षेत्र निधि तथा क्षेत्र पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति उन व्यक्त या उपलक्षित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जायेगी जिनके लिए, इस अथवा या अन्य किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को अधिकार प्रदान किये गये हों या उस पर कर्तव्य या आभार आरोपित किये गये हों।

(2) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत यथास्थिति, जिले या खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिए या ऐसी सीमाओं के बाहर कोई निर्माण-कार्य सम्पादित करने के निमित्त कोई व्यय—

(क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यथा, अथवा

(ख) ऐसे निबन्धनों और शर्तों से अन्यथा जो राज्य सरकार आरोपित करे, नहीं करेगी।

(3) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की निधि और सम्पत्ति का उपयोग पूर्वता के निम्नांकित क्रम से किया जायेगा—

(क) विधितः जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत पर आरोपित अथवा उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न होने वाले दायित्व और आभार।

(ख) अधिष्ठान व्यय का—जिसके अन्तर्गत पेंशन, भविष्य-निधि तथा अवकाश भत्ते भी हैं, भुगतान।

(ग) सरकार को देय समस्त धनराशियाँ।

(घ) स्थानीय प्राधिकरण ऋण अधिनियम, 1914 के उपबन्धों अधीन लिया गया कोई ऋण चुकाना तथा ब्याज का भुगतान।

(ड.) कोई धनराशि यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि से भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया हो, तथा

(च) इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन जिला पंचायत पर आरोपित कर्तव्यों तथा आभारों का निर्वहन।

का भार होगा—

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है।

(ख) वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास,

(ग) आबादी स्थलों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध,

(ङ.) मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास,

(छ) ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा, उससे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन,

(ज) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति की विशेषतः अभ्यर्धित कृत्यों का सम्पादन, और

(झ) ऐसे प्रबन्धन परीक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये, और वह ग्राम पंचायत के उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक या आनुषंगिक हों।

(2) भूमि से प्रबन्धक समिति अपना कार्य जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन करेगी।

सदस्य तथा 160. अधिकारी, भूमि प्रबन्धक समिति के साथ संविदाओं आदि में स्वत्व नहीं अर्जित करेंगे

(1) ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना जानते हुए सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के या उसकी ओर से किसी लाइसेंस पट्टा, क्रय, तबादला, संविदा या व्यवसाय में कोई हिस्सा या हित उपार्जित नहीं करेगा और न उपार्जित करने का प्रयत्न करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से यह नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई हिस्सा या हित उपार्जित किया है या उपार्जित करने का प्रयत्न किया है।

(क) जब कि उसने हिस्सा या हित अपने सदस्य या अधिकारी बनने से पहले उपार्जित किया हो;

(ख) जबकि वह ऐसे क्रय में हित रखता हो जो कि सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति आकस्मिक करती हो और जिसमें वह नियमित रूप से व्यापार करता हो और क्रय की हुई वस्तु का मूल्य 5,000/- रु० से अधिक न हो।

(2) कोई न्यायालय या अन्य अधिकारी ऐसे कार्य के आधार पर जो किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के उपबन्धों के विपरीत किया हो उक्त व्यक्ति के दावा करने पर उसे कोई हक नहीं दिलाएगा।

संयुक्त समिति 161.

(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो विहित किये जायें दो या अधिक ग्राम पंचायतें किसी ऐसे कार्य को करने के लिये जिनमें वे संयुक्त रूप से अभिरुचि रखती हों अपने प्रतिनिधियों को संयुक्त समिति की नियुक्ति करने हेतु लिखित विलेख द्वारा एक में सम्मिलित हो सकेगी और—

(क) ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें वे आरोपित करना उचित समझे, उस समिति को

ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बन्धकारी कोई योजना बनाने के लिये जो किसी सम्मिलित निर्माण कार्य के निवारण तथा रख-रखाव के सम्बन्ध में और ऐसी किसी योजना के सम्बन्ध में उक्त किसी सभा द्वारा काम में लाये जाने वाले अधिकार के सम्बन्ध में हों अधिकार सौंप सकेगी।

(ख) ऐसी समिति के बने रहने तथा उस समिति के सदस्यों की पदावधि और कार्यवाही तथा पत्र व्यवहार करने की पद्धति के सम्बन्ध में राज्य सरकार नियम बना सकती है या उनको परिष्कृत कर सकेगी।

(2) यदि इस धारा के अधीन कार्य करते हुये ग्राम पंचायत में कोई मतभेद उत्पन्न हो तो उसे विहित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा और उसके सम्बन्ध में उस प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निर्देश दें तो या उससे अधिक ग्राम पंचायतें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिए इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेगी।

(4) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निर्देश दें तो या उसे अधिक ग्राम पंचायतें उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिए इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेगी।

संपत्ति को संक्रमित करने का अधिकार 162.

(क) (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी निबन्धन के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अपने में निहित किसी संपत्ति को, जो ऐसी संपत्ति न हो, जो किसी ऐसे न्यास के रूप में उसके अधिकार में हो, जिसकी शर्तें उसके इस प्रकार संक्रमण के अधिकार से असंगत हों, विक्रय, बंधक, पट्टे, दान, विनियम द्वारा या अन्य किसी प्रकार से संक्रमित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, राज्य सरकार की स्वीकृति से, अपने में निहित कोई संपत्ति सरकार को संक्रमित कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे किसी ऐसे न्यास या सार्वजनिक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिनके अधीन वह संपत्ति हो।

(ख) (1) जो कोई किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में उस जिला पंचायत की किसी भूमि पर, किसी सार्वजनिक सड़क में नाली के ऊपर की सीढ़ियों के निर्माण को छोड़कर, अतिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जमानतीय और संज्ञेय होगा।

(ग) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत अपनी निधि में से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दे सकेगी जिसे जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा अथवा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन कार्य कराने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमित से या उसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग से या आरोपित कर्तव्य के सम्पादन से क्षति पहुँची हो और ऐसा प्रतिकर तभी देगी जब कि स्वयं क्षति उठाने वाले व्यक्ति से कोई चूक नहीं हुई हो।

(घ) (1) जब जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में किये जाने वाले किसी मेले, कृषि प्रदर्शनी या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर अथवा जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा नियंत्रित और विनियमित पशु बाजार या पशु मेले के अवसर पर तथा स्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत राज्य सरकार से विशेष पुलिस संरक्षण की माँग करे तो राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी और उक्त

परिषद द्वारा न्याय रूप में देय समझे, अदा करेगी।

(2) यदि देय व्यय की राशि अदा नहीं की जाय तो नियत प्राधिकारी ऐसा आदेश दे सकेगा जिसमें जिला-निधि या क्षेत्र निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को यह निदेश हो कि वह उक्त व्यय उस निधि से अदा कर दे और वह व्यक्ति तदनुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा संविदाएँ

163. (क) (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को ऐसी संविदाएँ करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर हो।

(2) संविदाओं की स्वीकृति निष्पादन, परिवर्तन तथा निर्वहन से सम्बद्ध समस्त विषय जिनके अन्तर्गत उनके लिए योजनाएँ, अनुमान तथा परियोजनाएँ तैयार करना तथा उनके लिए स्वीकृति देना भी है, नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

(3) यदि किसी संविदा का निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा एतदर्थ निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण से अन्यथा किया जाए तो यह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत पर बन्धनकारी नहीं होगा।

(ख) निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे अर्थात्—

(1) अनुदान तथा ऋण देना,

(2) लेखे जो जिला पंचायत या क्षेत्र समिति द्वारा रखे जायेंगे,

(3) जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त समिति से और क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता से बजट के सम्बन्ध में परामर्श करने की रीति।

(4) रीति जिससे ऐसे लेखों की परीक्षा की जायेगी और उन्हें प्रकाशित किया जायेगा तथा लेखा-परीक्षकों का व्यय को अस्वीकृत करने और किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक की अनिष्ठा या अनाचार के कारण जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की किसी निधि या सम्पत्ति को हुई क्षति या उसके अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध सिफारिश करने का अधिकार;

(5) तारीख जिसके पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिए बैठक की जायेगी,

(6) बजटों की तैयारी में अपनायी जाने वाली प्रणाली तथा प्रपत्र,

(7) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ, विवरण और प्रतिवेदन, और

(8) यात्रा-भत्ता, जिसके अन्तर्गत दैनिक-भत्ता भी है, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्षों, और उपाध्यक्षों, प्रमुखों, उप-प्रमुखों तथा सदस्यों को दिया जा सकेगा।

विभव तथा सम्पत्ति पर कर का आरोपण जारी रहना

164. (1) यदि निश्चित तारीख से ठीक पूर्व किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कोई कर प्रचलित रहा हो जो संयुक्त प्रान्त जिला बोर्ड अधिनियम, 1922 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1922) के अधीन आरोपित किया गया हो या जारी रखा गया हो, तो ऐसा कर जब तक कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समाप्त या परिवर्तित न कर दिया जाय, जिला पंचायत द्वारा उन्हीं दरों से और उन्हीं शर्तों पर, जिनसे और जिनके अधीन वह पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया जा रहा था, उद्गृहीत किया जाता रहेगा तथा इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निश्चित तारीख पर ऐसे करों के उद्गृहीत किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित समस्त नियम, विनियम

और उपविधियों, समस्त आदेश तथा विज्ञप्तियां और समस्त नियुक्तियां उसी प्रकार प्रचलित रहेंगी मानों इस अधिनियम के अधीन अनुसार निरस्त परिवर्तित या परिष्कृत किया जा सकता है।

(2) यदि निश्चित तारीख से ठीक पूर्व, किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कर पहले से ही प्रचलित हो तो उस जिले की जिला पंचायत आगे दी गयी रीति से ऐसा कर आरोपित कर सकेगी।

(3) विभव तथा सम्पत्ति पर कर यदि कोई बकाया जिला पंचायत द्वारा स्वगति से धारा 179 (करों तथा अन्य देयों की वसूलों की रीति)के अधीन या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की शर्तें और निबन्धन

165. जिला पंचायत का विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों और निबन्धों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात् –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्राम्य क्षेत्र में रहता हो या व्यवसाय करता हो, प्रतिबन्ध यह है निर्धारणाधीन वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर न्यूनतम छः महीने तक वह व्यक्ति इस प्रकार रहा हो या उसने इस प्रकार व्यवसाय किया हो ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जाएगा जिसकी कुल कर-योग्य आय 50,000/-रुपये वार्षिक से कम हो;

(ग) कर की दरें अथवा वार्षिक आय की अधिकतम सीमा जैसा कि राज्य सरकार नियत करे एव जिला पंचायत को संसूचित करे। ऐसी दशा में ही जिला पंचायत द्वारा तदोपरान्त ही आरोपित की जा सकेगी।

(घ) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि उस अधिकतम अनुमानित धनराशि से, जो कोई हो, अधिक न होगी जोकि राज्य सरकार द्वारा नियम द्वारा नियत की जाए;

परन्तु यह कि इस धारा के प्रयोजन के लिए "कर योग्य आय" से तात्पर्य अनुमानित आय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की आय नहीं होगी:—

(1) भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित "कृषि आय" से है।

(2) आय जिस पर किसी भी नगर क्षेत्र के लिए प्रभावी किसी अधिनियम के अधीन किसी नगर क्षेत्र हेतु गठित पालिका/परिषद् या महापालिका द्वारा पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो।

विभव तथा सम्पत्ति पर कर की ग्राम पंचायतों के माध्यम से वसूली

166. जिला पंचायत विभव कर तथा अन्य कर यदि कोई हो, फीस, शुल्क आदि ग्राम पंचायतों के माध्यम से वसूल करा सकेगी। ग्राम पंचायत उस दशा में जिला पंचायत के निर्णयानुसार कर आदि वसूल की गयी धनराशि का उचित प्रतिशत जो नियमों द्वारा नियत किया जाय, देय होगा। ग्राम पंचायत द्वारा वसूल की गयी कर की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के एक सप्ताह के अन्तर्गत जिलानिधि में अवश्य जमा करायेगी।

कर रोपण के लिए प्रस्तावों का तैयार किया जाना

167. (1) जब कोई जिला पंचायत कर आरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित बिन्दु निर्दिष्ट किये जाएंगे:—

(क) कर, जो धारा 179 में वर्णित करों, में से कोई होगा, जिसे वह आरोपित करना चाहे;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन पर कर का दायित्व डाला जायेगा तथा उन

सम्पत्तियों पर अन्य कर योग्य वस्तु या विभव का वर्णन जिसके सम्बन्ध में उन पर दायित्व डाला जायेगा, किन्तु जब कोई वर्ग या वर्णन खण्ड (क) के अधीन या इस अधिनियम द्वारा पहले ही से पर्याप्त रूप से परिभाषित हो, तो उसकी पुनरावृत्ति की अपेक्षा न होगी;

(ग) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्ग्राह कर की मात्रा या दर;

(घ) धारा 126 में उल्लिखित कोई अन्य विषय जिसे निर्दिष्ट किए जाने की राज्य सरकार नियम द्वारा अपेक्षा करे।

(2) जिला पंचायत उन नियमों का एक प्रालेख भी तैयार करेगी जो वह धारा 128 में उल्लिखित विषयों से सम्बन्ध में राज्य सरकार से बनवाना चाहें।

(3) तत्पश्चात् जिला पंचायत नियमों द्वारा नियम रीति से, उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये प्रस्तावों और उपधारा (2) के अधीन तैयार किए गए नियमों के प्रालेखों को, ऐसे रूप से नोटिस के सहित जो जिला पंचायत विनियम द्वारा नियत करें, प्रकाशित करेगी।

प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया

168.

(1) कोई व्यक्ति जो सामान्यतः उस जिले में रहता जो या व्यवसाय करता हो जिस पर जिला पंचायत कर आरोपित करना चाहती हो, उक्त नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, पूर्वगामी धारा के अधीन तैयार किए गए सभी या किसी प्रस्ताव के विरुद्ध लिखित रूप से आपत्ति कर सकेगी और जिला पंचायत इस प्रकार की गयी किसी भू-आपत्ति पर विचार कर सकेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आदेश पारित करेगी।

(2) यदि कोई पंचायत अपने प्रस्तावों को या उसमें से किसी प्रस्ताव को परिष्कृत करना चाहे तो वह परिष्कृत प्रस्तावों को और आवश्यक हो तो पुनरीक्षित नियमों के प्रालेख को ऐसे नोटिस के सहित प्रकाशित करेगी जिससे कि प्रस्ताव तथा नियम, यदि कोई हो, आपत्तियों के लिए पूर्व प्रकाशित और नियमों का परिष्कार करके बनाए गए हैं।

जिला पंचायत का करारोपण हेतु निर्देश देने का संकल्प

169.

(1) पूर्वगामी धाराओं के अधीन भेजी गयी नियमों की प्रति प्राप्ति पर जिला पंचायत विशेष प्रस्ताव द्वारा, संकल्प में निर्दिष्ट किए जाने वाले तारीख से कर के आरोपण का निर्देश देगी। जो कि उक्त तारीख एवं उस संकल्प के तारीख से न्यूनतम छः सप्ताह का होगा।

(2) जिला पंचायत द्वारा धारा 168 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

(3) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार धारा 168 के अधीन निर्दिष्ट तारीख के करारोपण को गजट में विज्ञापित कराएगी और सभी दशाओं में करारोपण इस प्रतिबन्ध के अधीन रहतु हुए किया जायेगा कि वह उस प्रकार विज्ञापित किया जा सकेगा।

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम द्वारा, उपधारा (3) में उल्लिखित किसी कर के आरोपण तथा उसमें परिवर्तन के सम्बन्ध में ऐसी अन्य या परिष्कृत प्रक्रिया नियत कर सकेगी, जो वह उचित समझें

(ख) विमुक्ति – (1) जिला पंचायत एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में गरीबी के कारण कर का भुगतान करने में असमर्थ हो,

उस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी तथा इस विमुक्ति का जितनी बार वह आवश्यक समझे, नवीनीकरण कर सकेगी।

(2) जिला पंचायत के विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकृत विशेष संकल्प को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के किसी प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी।

राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार

170. (1) जब कभी राज्य सरकार को किसी भी शिकायत पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि जिला पंचायत द्वारा आरोपित किसी कर का उद्ग्रहण लोकहित के प्रतिकूल है या किसी कर का भार न्यायसंगत नहीं है तो राज्य सरकार जिला पंचायत के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा सरकार, जिला पंचायत के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा जिला पंचायत से अपेक्षा कर सकती है कि वह आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके भीतर से कर में या कर के निर्धारण या वसूली की रीति में विद्यमान हो।

(2) यदि जिला पंचायत, राज्य सरकार के संतोषानुसार उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन न करे या उसमें असमर्थ रहे तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा कर का या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण, उस समय तक के लिए जब तक कि उक्त दोष दूर न कर दिया जाए, निलम्बित कर सकेगी अथवा कर को समाप्त कर सकेगी या कम कर सकेगी।

दायित्व बतलाने का आधार

171. (क) (1) जिला पंचायत लिखित आदेश द्वारा उपरोक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना देने के लिए कह सकती है जो वह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि—

(क) वह व्यक्ति उस पर कर का देनदार है या नहीं जो उसके विभव या संपत्ति पर निर्धारित किया गया है;

(ख) उस पर कितनी धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए; तथा

(ग) उस भूमि या इमारत का, जो उसके अध्यासन में हो, वार्षिक मूल्य क्या है तथा स्वामी का नाम और पता क्या है।

(2) किसी अन्य कर के सम्बन्ध में जिला पंचायत लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस कर का देनदार प्रतीत, जो ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकती है जो नियम द्वारा नियत की जाए।

(3) यदि वह व्यक्ति जिससे इस प्रकार सूचना देने के लिए कहा गया हो, वह सूचना नहीं दे या ऐसी सूचना दे जो असत्य हो, तो दोषी पाए जाने पर उसे जुर्माना किया जा सकेगा, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है।

(ख) धारा में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिला पंचायत का अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी और, यदि संकल्प द्वारा वह एतदर्थ प्राधिकृत हो तो जिला पंचायत का अन्य कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ किसी इमारत में

- कर के सम्बन्ध में अपील 172. प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी माप कर सकता है।
- (1) विभव तथा सम्पत्ति पर कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किए गए परिवर्तन के विरुद्ध अपील, विहित प्राधिकारी को उस रीति से की जा सकेगी और उसके द्वारा उस रीति से निर्णित की जाएगी जो नियमों द्वारा नियत की जाए।
- (2) धारा 169 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकार के अधीन जिला पंचायत द्वारा आरोपित कर के विषय में राज्य सरकार, नियमों द्वारा ऐसे प्राधिकारी की व्यवस्था करेगी जिसे कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किए गए परिवर्तन के विरुद्ध अपील की जा सकेगी तथा उस रीति की व्यवस्था करेगी जिसके अनुसार ऐसी अपील प्रस्तुत तथा निर्णित की जाएगी।
- कालावधि तथा अध्यर्थित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना 173. ऐसी कोई अपील तब तक नहीं सुनी जाएगी और नहीं उस पर निर्णय दिया जाएगा, जब तक कि:-
- (क) वह निर्धारण के या निर्धारण में किए गए परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति के तारीख के तीस दिन के भीतर, या यदि कोई नोटिस न दिया गया हो तो निर्धारण के या निर्धारण में किए गए परिवर्तन के अधीन की गई प्रथम मांग के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की गई हो; और
- (ख) यदि अपीलकर्ता से अभ्यर्थित कोई धनराशि जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत हो, उसका आधा भाग, उसके द्वारा जिला पंचायत के कार्यालय में जमा न कर दिया गया हो।
- व्यय 174. (1) धारा 171 के अधीन की गई किसी भी अपील में व्यय दिलाना, अपील का निर्णय करने वाले विहित प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर होगा।
- (2) इस धारा के अधीन जिला पंचायत को दिलाया गया व्यय जिला पंचायत द्वारा धारा 172 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।
- (3) यदि जिला पंचायत अपीलकर्ता को दिलाया गया व्यय, व्यय दिलाने वाले आदेश की सूचना जिला पंचायत को दिए जाने के तारीख के बाद बीस दिन के भीतर अदा न करें तो व्यय दिलाने वाला अधिकारी जिला निधि की अवशिष्ट राशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को व्यय की उक्त धनराशि अदा करने का आदेश दे सकता है और वह व्यक्ति तदनुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।
- कराधान के विषय में दीवानी और दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक 175. (1) उस रीति या प्राधिकारी से, जिसकी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन व्यवस्था की गई हो, भिन्न किसी रीति से या प्राधिकारी द्वारा किसी मूल्यांकन या निर्धारण के सम्बन्ध में या किसी व्यक्ति पर कर निर्धारित किए या लगाए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति न की जाएगी।
- (2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश जिसके द्वारा गणना या निर्धारण के दायित्व या कराधान के सम्बन्ध में कोई आदेश पुष्टीकृत, रद्द परिष्कृत किया गया हो, अंतिम होगा;
- व्यावृत्तियां 176. परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह आवेदन-पत्र दिए जाने पर या स्वतः अपने द्वारा अपील में दिए गए आदेश का अपने मूल आदेश के तारीख से तीन माह के भीतर एक और आदेश पारित करके पुनर्विलोकन करें।
- कोई भी निर्धारण सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या अन्य ऐसा लेखा जो किसी कर, परिव्यय, किराए या शुल्क के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या विभव को

- निर्दिष्ट करता हो या निर्दिष्ट करना भावित हो, केवल इसी कारण कि किसी व्यक्ति के नाम, निवास-स्थान, व्यवसाय या पेशे के स्थान में अथवा संपत्ति, वस्तु या विभव के वर्णन में कोई त्रुटि रह गई हो, या केवल इस कारण कि उसमें कोई लिपिकीय अशुद्धि है या उसके आकार में कोई दोष है, अमान्य नहीं होगा और यह पर्याप्त होगा कि सम्बद्ध व्यक्ति, वस्तु या विभव की पहिचान के प्रयोजन के निमित्त पर्याप्त वर्णन कर दिया गया है और किसी ऐसी सम्पत्ति के, जिस पर कर का दायित्व हो, स्वामी या अध्यासी का नाम देना आवश्यक नहीं होगा।
- निर्धारण, वसूली 177. इस अधिनियम द्वारा एतदर्थ की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, निम्नांकित विषय अथवा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम
- (क) करों का निर्धारण और वसूली;
- (ख) करापवंचन की रोकथाम;
- (ग) पद्धति जिसके अनुसार कर लौटाने की अनुज्ञा दी जाएगी और उनका भुगतान किया जाएगा;
- (घ) विभव तथा संपत्ति पर करों के मध्य भुगतानों की मांग के नोटिस के लिए तथा अभिहरण के अधिपत्र (वारंट) के निष्पादन के लिए शुल्क;
- (ङ) अभिहृत पशुधन के पोषण के निमित्त लिए जाने वाले व्यय की दरें;
- (च) करों से सम्बद्ध अन्य कोई विषय जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं की गई हो या अपर्याप्त की गई और राज्य सरकार की राय में जिसके लिए व्यवस्था करना आवश्यक हो; तथा
- (छ) क्षेत्र में स्थापित भवनों को भवन संख्या के आवंटन सम्बंधी अधिकार।
- करों में ग्राम 178. यदि जिला पंचायत संकल्प द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने किसी कर, शुल्क या फीस को वसूल कराने का विनिश्चय करें तो ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वसूल की गई धनराशि का निश्चित प्रतिशत जो नियमों द्वारा नियत किया जाये, ग्राम पंचायत को दिया जायेगा।
- शुल्क और पथ 179. (1) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, यथास्थिति, अपने में निहित या अपने प्रबन्ध में सौंपी गई किसी अचल संपत्ति के जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक मार्ग या स्थान भी है जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है, (पट्टे के अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिए शुल्क ले सकती है, जो उपविधि या सार्वजनिक नीलामी द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायेगा।
- (2) ऐसे शुल्क या तो उन शुल्कों के साथ उदगृहीत किये जा सकेंगे स्वीकृत लाइसेन्स या अनुमति के निमित्त लिए जा सकेंगे या वसूल किए जा सकेंगे।
- (क) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, किसी ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत या अनुमति के लिए जिसे स्वीकृत करने का उसे उसे अधिनियम द्वारा उसके अधीन अधिकार प्राप्त हो या जिसे स्वीकृत कराना उससे अपेक्षित हो, शुल्क ले सकती है जो उपविधि द्वारा निश्चित किया जायेगा।
- (ख) कुछ अन्य शुल्क राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पड़ावों के प्रयोग के लिए शुल्क, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित

निर्माण कार्यो या संस्थाओं या सहायता-कार्यो के रूप में प्रारम्भ किए गये हों, प्रयोग के लिए उनसे होने वाले लाभों के लिए शुल्क, सांडों तथा बीजाश्वों की सेवा और पशुओं के पंजीकरण के लिए शुल्क, ऐसे मेलों, बाजारों, कृषि-प्रदर्शनी और औद्योगिक प्रदर्शनी के लिए शुल्क चाहे वे उसके प्राधिकार के अधीन की जाती हो या अन्यथा जिनमें जन-साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिनमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा निर्मित, मरम्मत किए गए या अनुरक्षित पुलों का प्रयोग के लिए पथकर निश्चित कर सकती है और उन्हें उद्गृहीत कर सकेगी।

(ग) बाजारों के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क और पथकर-राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, किसी ऐसे बाजार में जो उसके द्वारा स्थापित किया गया हो या जिसका वह अनुरक्षण या प्रबन्ध करती हो, निम्नलिखित शुल्कों या पथ-करों में से एक या अधिक आरोपित कर सकेगी-

- (1) ऐसे बाजार में अपना व्यवसाय करने वाले कमीशन एजेन्टों, आढ़तियों, तौलों या मापकों पर लाइसेन्स शुल्क;
- (2) बिक्री के लिए ऐसे बाजार में माल लाने वाहनों, टट्टू पशुओं या कुलियों पर पथकर;
- (3) ऐसे बाजार में बिक्री के लिए माल प्रदर्शित करने का अधिकार के लिए या उसमें किसी इमारत या संरचना का प्रयोग करने के लिए बाजार शुल्क;
- (4) ऐसे बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क।

(घ) पंचायतों द्वारा लगाए गए शुल्कों तथा पथकरों की वसूली की रीति -

- (1) जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के जिन शुल्कों और पथकरों का भुगतान न किया गया हो वे नियत रीति से वसूल किए जा सकते हैं।
- (2) ग्राम पंचायत के कर व देयों की वसूली की रीति:- इस अधिनियम के अधीन आरोपित करों के कारण समस्त देयों एवं ग्राम पंचायत को देय अन्य आरोपित धनराशियों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

करों तथा कुछ 180.
अन्य देयों की
वसूली

(क) करों तथा अन्य देयों की वसूली की रीति- जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, बिल तथा बकायेदार अन्य देय जिला पंचायत द्वारा आगे व्यवस्थित रीति के बकायेदार की चल सम्पत्ति को अभिहरण तथा बिक्री करके वसूल किए जा सकेंगे।

(ख) बिल का प्रस्तुत किया जाना- (1) जैसे ही कोई व्यक्ति-

(क) जिला पंचायत द्वारा आरोपित किसी कर के मध्य किसी धनराशि का, अथवा

(ख) किसी अन्य धनराशि का, जो इस अधिनियम द्वारा या तदधीन नार्दन इण्डिया फेरीज एक्ट, 1878 (एक्ट संख्या 17, 1878), के अधीन बनाये गये किसी नियत या उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल करने योग्य घोषित की गई हो, देनदार हो जाय, जिला पंचायत यथाशीघ्र, ऐसे देनदार व्यक्ति को एक बिल प्रस्तुत करा देगी।

(2) जब तक कि नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कोई व्यक्ति प्रत्येक कर और लाइसेन्स शुल्क का देनदार उस अवधि के आरम्भ होने पर समझा जायेगा जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या शुल्क देय हो।

(ग) प्रत्येक ऐसे बिल में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी-

(1) अवधि जिसके लिए तथा सम्पत्ति, व्यवसाय, विभव अथवा वस्तु जिसके सम्बन्ध में

धनराशि माँगी गई हो,

(2) शास्ति जो भुगतान न किये जाने की दशा में आरोपित की जा सकेगी, और

(3) धारा 98 की व्यवस्था के अनुसार समय जिसके भीतर अपील, यदि कोई हो, की जा सकेगी।

(घ) यदि वह धनराशि, जिसके लिए पूर्वोक्त रीति से बिल प्रस्तुत किया जा चुका हो, बिल प्रस्तुत किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर जिला पंचायत के कार्यालय में अथवा उस व्यक्ति का, जो विनियम द्वारा ऐसे भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया हो अदा न की जाय, तो जिला पंचायत उस धनराशि के लिए देनदार व्यक्ति पर ऐसे आकार में जो जिला पंचायत विनियम द्वारा नियत करे, माँग का एक नोटिस तामील करवा सकेगी।

(ड.) (1) यदि उक्त धनराशि का देनदार व्यक्ति माँग के ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर—

(क) नोटिस में माँगी गई धनराशि अदा न करे, या

(ख) जिला पंचायत के या ऐसे अधिकारी के, जिसे जिला पंचायत इस सम्बन्ध में विनियम द्वारा नियुक्त करे, संतोषानुसार इस बात का कारण न बताये कि वह धनराशि क्यों अदा न करे, तो ऐसी धनराशि, वसूली के सम्पूर्ण व्यय सहित जिला पंचायत द्वारा ऐसे आकार में, जो जिला पंचायत विनियम द्वारा नियत करे, जारी करवाये गये अधिपत्र (वारन्ट) के अधीन बकायेदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूली की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये प्रत्येक अधिपत्र में अध्यक्ष के अथवा किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसके जिला पंचायत ने विनियम द्वारा यह अधिकार प्रतिनिहित किया हो।

(च) जिला पंचायत के किसी ऐसे अधिकारी के लिए, जिसे धारा 105(ड.) के अधीन जारी किया गया अधिपत्र सम्बोधित हो, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अधिपत्र में आदिष्ट अभिहरण करने के निमित्त किसी इमारत के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में तोड़कर खोले अन्यथा नहीं—

(क) यदि अधिपत्र में कोई ऐसा विशेष आदेश हो जिसके द्वारा उसे एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, तथा

(ख) यदि उसके पास यह विश्वास करने के उचित कारण हो कि उक्त इमारत में ऐसी सम्पत्ति है जो अधिपत्र के अधीन अभिगृहीत की जा सकती है, तथा

(ग) यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने और प्रवेश के लिए यथाविध अनुमति माँगने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश न कर सकें;

परन्तु यह कि ऐसा अधिकारी स्त्रियों के रहने के लिए उपयुक्त कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं करेगा और न उसके दरवाजे को तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी स्त्री की, जो उसके भीतर हों, वहाँ से हट जाने का अवसर न दे दिया हो।

(छ) (1) अधिपत्र में उल्लिखित अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह किसी बकायेदार की चल सम्पत्ति का, ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जहाँ पर वह पायी जाए, उप धारा

(क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अभिहरण करें।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति का अभिहरण नहीं किया जायेगा।

(क) बकायेदार या उसकी पत्नी और बच्चों को पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तरे और उसके खाना बनाने के लिए आवश्यक बर्तन,

(ख) जब बकायेदार खेतिहर हो तो उसके खेती के उपकरण, बीज, अनाज तथा ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हों।

(3) अभिहरण अत्यधिक न होगा, अर्थात् अभिहरण की गयी सम्पत्ति मूल्य में यथा संभव उस धनराशि के बराबर होगी, जो अधिपत्र में हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की राय में इस प्रकार अभिहरण नहीं किया जाना चाहिए था तो वे सभी वस्तुएं तुरन्त लौटा दी जायेंगी।

(4) सम्पत्ति का अभिग्रहण करके अधिकारी उस सम्पत्ति की तुरन्त एक सूची बनाएगा और उसे हटाने के पूर्व, अभिग्रहण के समय उस कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, उक्त सूची की अपने द्वारा हस्ताक्षर कृत एक प्रतिलिपि तथा इस आशय का एक लिखित नोटिस कि उक्त सम्पत्ति उस नोटिस के उल्लेख के अनुसार बेच दी जायेगी ऐसे आकार में, जो जिला पंचायत विनियम द्वारा नियत करें, देगा।

(ज) (1) यदि अभिग्रहित सम्पत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाने वाली अथवा वसूल की जाने वाली धनराशि से मिलकर उसकी अभिरक्षा के व्यय के उसके मूल्य से बढ़ जाने की सम्भावना हो, तो अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी जिसने अधिपत्र पर हस्ताक्षर किए हों, उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहित की गयी थी तुरन्त इस आशय का नोटिस देगा कि उक्त सम्पत्ति तुरन्त बेच दी जायेगी और वह तदनुसार उसे बेच देगा, जब तक कि अधिपत्र में निर्दिष्ट धनराशि अविलम्ब अदा न कर दी जाय।

(2) यदि अभिग्रहित सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन तुरन्त न बेच दी गयी हो, तो वह उसका पर्याप्त अंश, अधिपत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा तामील किए गए नोटिस में निर्दिष्ट समय के समाप्त होने पर जिला पंचायत के आदेशानुसार सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है; जब तक कि अधिपत्र उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसमें हस्ताक्षर किए थे निलम्बित न कर दिया जाए या बकायेदार द्वारा देय धनराशि नोटिस, अधिपत्र और अभिहरण तथा सम्पत्ति से सम्बन्धी सभी आनुषांगिक व्ययों सहित अदा न कर दी जाए।

(3) शेष धनराशि, यदि कोई हो, डाक का व्यय कमीशन काटकर धनादेश द्वारा तुरन्त उस व्यक्ति को भेज दी जायेगी जिसके कब्जे से यह सम्पत्ति ली गयी थी। इस प्रकार ली गयी धनराशि को कोष में जमा कर दिया जायेगा, और साथ ही धनराशि के इस प्रकार जमा किए जाने का नोटिस उस व्यक्ति का दे दिया जायेगा तथा यदि नोटिस भेजे जाने के तारीख से एक वर्ष के भीतर जिला पंचायत के आवेदन पत्र देकर उक्त धनराशि की मांग की जाए अथवा उक्त नोटिस के भेजे जाने के तारीख से एक वर्ष के भीतर मांग न की जाए, तो ऐसी सम्पत्ति पंचायत में निहित हो जायेगी।

ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशा में प्रक्रिया 181.

(क) यदि किसी बकायेदार की पर्याप्त चल सम्पत्ति ग्राम्य क्षेत्र के भीतर न मिल सके तो जिला मजिस्ट्रेट जिला पंचायत के आवेदन-पत्र पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपने न्यायालय के किसी अधिकारी को अपना अधिपत्र जारी कर सकेगा।

(एक) मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य भाग में स्थित बकायेदार की किसी चल सम्पत्ति या सामान का अभिहरण तथा बिक्री, अथवा

(दो) उपधारा (क) के अधीन कार्यवाही की जाने की दशा में वह अन्य मजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किए गए अधिपत्र को पृष्ठांकित करेगा और उसे निष्पादित करवाएगा तथा वसूल की गयी धनराशि की अधिपत्र जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को भिजवाएगा जो कि उसे जिला पंचायत को भेज देगा।

(ख) धारा 105(घ) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस तथा धारा 105(छ) या 106(क) के अधीन किये गये अभिहरण का आदेशिका शुल्क तथा उक्त धाराओं के अधीन अभिग्रहीत किसी पशु के संधारण का व्यय, उन दरों से लिये जायेंगे जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित हों और उन्हें धारा 105(ड.) के अधीन उद्ग्राह्य वसूली के व्यय में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(ग) बिल, नोटिस, अभिहरण-अधिपत्र, सूची अथवा उससे सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में कोई त्रुटि या दोष या उसके ठीक आकार में न होने के कारण इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अभिहरण या विक्रय अवैध नहीं समझा जायेगा न उसे करने वाला व्यक्ति अनाधिकार प्रवेशक समझा जायेगा।

182. वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार (1) अभिहरण और विक्रय की कार्यवाही करने के बदले अथवा मांगी गयी सम्पूर्ण धनराशि या उसका कोई अंश अभिहरण और विभाग द्वारा वसूल न कर सकने की दशा में, जिला पंचायत उस धनराशि के बकायेदार व्यक्ति के विरुद्ध किसी क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगी।
(2) विभव तथा सम्पत्ति पर कर के बकाए की दशा में जिला पंचायत बिल के अनुसार कार्यवाही करने के अतिरिक्त एतदर्थ बनाए गए नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुए, उसे मालगुजारी के बकाए के रूप में वसूल कर सकती है।
183. भूमि के किराए की वसूली यदि जिला पंचायत में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा जिला पंचायत को लगान या किराये के मध्य कोई धनराशि देय हो, तो जिला पंचायत एतदर्थ नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुए ऐसे किसी बकाए को मालगुजारी के बकाए के रूप में वसूल कर सकेगी।
184. अन्य अचल सम्पत्ति के लिए लगान या किराये की वसूली पंचायत में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि से भिन्न किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा जिला पंचायत को लगान या किराये के मध्य देय कोई बकाया बिल में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जायेगा।
185. राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नियत प्राधिकारी को किसी निर्दिष्ट जिला पंचायत या जिला पंचायतों अथवा क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों या ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अपने में निहित किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रतिनिहित कर सकती है।
186. वृत्त- पुस्तिकाओं तथा कर-निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की वृत्त-पुस्तिकाओं एवं कर-निर्धारण सूचियों का निरीक्षण किसी भी करदाता द्वारा एतदर्थ उपविधि द्वारा नियम शर्तों के अधीन निःशुल्क किया जा सकेगा।
187. पंचायतों के अभिलेखों की सिद्धि की रीति ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कब्जे में कोई रसीद, प्रार्थना पत्र, नक्शा, नोटिस आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिक पालक या एतदर्थ प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा यथावत प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी जिसमें और जहां तक मूल प्रविष्टि या लेख्य यदि वह प्रस्तुत किया गया होगा, ऐसे विषयों को

- प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होगा।
188. पंचायतों के कर्मचारियों को लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जाने पर निबन्धन 188. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिमसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी अन्तर्वस्तु पूर्वगामी धारा प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, अथवा उसमें अभिलिखित बहियों तथा व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक विशेष कारण से न्यायालय ने ऐसा आदेश न दिया हो।
189. सदस्यों द्वारा पंचायतों के निर्माण कार्यों तथा रजिस्ट्रों का निरीक्षण 189. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य किसी दर्ज ऐसे निर्माण कार्य या संस्था का, जो यथास्थिति पूर्णतः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के व्यय से निर्मित या अनुरक्षित हो तथा प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष, की पूर्व स्वीकृति से यथास्थिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्यालय के किसी रजिस्टर, पुस्तक लेखे या अन्य लेख्यों का निरीक्षण कर सकेगा।
190. देय धनराशियां 190. किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को देय समस्त धनराशियां चाहे वे किसी कर की मद में देय हो या किसी अन्य खाते में, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम होगी या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी।
191. न्याय पंचायत की स्थापना 191. राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी जिले की ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में विभाजित कर यथासाध्य समान रूप से ग्राम पंचायतों के समूह के लिए इस निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा;
- परन्तु यह कि प्रत्येक क्षेत्र के भीतर ग्राम पंचायतों के क्षेत्र यथासंभव भौगोलिक दृष्टि से संयत होंगे। राज्य सरकार विहित रीति से न्याय पंचायत के सदस्यों की संख्या, निर्वाचन, कार्यकाल आदि का निर्धारण करेगी;
- परन्तु यह और कि राज्य का विधान मण्डल न्याय पंचायतों को ग्रामीण न्यायालय के रूप में विकसित करने के लिए जैसा उचित समझे उपबन्ध कर सकेगी।
192. मानदेय और भत्ते 192. ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख एवं ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख एवं सदस्य तथा जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे मानदेय और भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा विहित किया जाय।
193. अधिभार 193. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान या उपप्रधान या सदस्य अथवा कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन संगठित ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य यथास्थित ग्राम पंचायत या अन्य समिति के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके ऐसा प्रधान, उपप्रधान, सदस्य अथवा कर्मचारी रहने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ हो।
- (2) विहित प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार, जो नियत की जाये, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा एवं कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण-पत्र भेजेगा जो वह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है, उसे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल करेगा।
- (3) अधिभार की धनराशि नियत करने के विहित प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपीलीय

प्राधिकारी को, जो नियत किया जाये और आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

(4) जहाँ उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही न की जाये, वहा राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

निरसन

194. (1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

कारण और उद्देश्य

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों हेतु उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से सम्बन्धित मामलों के व्यवहरण के लिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 लागू था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के अधीन उक्त दोनो अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय संशोधनों के साथ लागू है।

2. उक्त अधिनियमों के अधिनियमन के पश्चात् इन अधिनियमों से सम्बन्धित मामलों के लिये भारत के संविधान में आवश्यक संशोधन करते हुए इन्हे सुदृढ़ किये जाने की ओर भगीरथ प्रयास किया गया है। इन संशोधनों के लिये फलस्वरूप पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाये जाने पर भी बल दिया गया है।

3. उत्तराखण्ड पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पंचायतों के सम्बद्ध में कई मामलों में संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा बहुत अधिक विधियों के स्थान पर न्यूनतम विधियों को बनाये रखे जाने की हिमायत की जा रही है। पंचायत जैसे संवेदनशील मामले में न्यूनतम विधि का होना स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो कि उत्तराखण्ड में कतिपय संशोधनों के साथ यथावत् लागू है, को एक ही कानून के रूप में रखने की चुनौती स्वीकार किया है। फलतः ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से सम्बन्धित मामलों के व्यवहरण के लिये एक ही अधिनियम तैयार कर माननीय विधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

THE UTTARAKHAND PANCHAYATI RAJ ACT, 2016
(Uttarakhand Act No. 11 of 2016)

Index

Sections	
	Part- I Chapter- I Preliminary
1	Short Title, extent and commencement.
2	Definitions.
	Part II Gram Sabha/ Gram Panchayat Chapter –II Establishment and Constitution of Gram Sabha and Gram Panchayat, Disqualification and electoral rolls
3	Constitution of Gram Sabha, Membership, function and Meetings etc.
4	Constitution and Limitation of the Gram Panchayat.
5	Constitution and reconstitution of the Gram Panchayat.
6	Effect of change in population and inclusion of the area of Panchayat in any level of Nagar Panchayat.
7	Removal of difficulties arises in the establishment of Gram Panchayat.
8	Disqualification for membership of Gram Panchayat.
9	Electoral roll for territorial constituency.
	Chapter –III Gram Panchayat and his office bearer and their election
10	Pradhan and Up-Pradhan of Gram Panchayat.
11	The provisions of reservation on the post for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes, Women in the Gram Panchayat.
12	Term of Gram Panchayat and his office bearers.
13	Mode of election.
14	The superintendence of election of the Gram Panchayat and constitution of the State Election Commission etc.
	Chapter IV Resign, removal, fulfilment of the casual vacancies of the Panchayat office bearers and their internal and external control
15	Resign in case of Gram Panchayat
16	Filling of Casual vacancies of the post of Pradhan of the Gram Panchayat
17	Arrangement in case of temporary vacancy of the post of Pradhan
18	Motion of no confidence against Pradhan and Up pradhan
19	Powers of State Government in case of default of Gram Panchayat
20	External control of Gram Panchayat
	Chapter V Meetings, Functions, Duties, Powers and Administration Of Gram Panchayats
21	Meetings of Gram Panchayat

22	General Functions of Gram Panchayat
23	Other Functions of Gram Panchayat
24	Rights of Gram Panchayat as to public streets, water-ways and other matters
25	Improvement of sanitation by Gram Panchayat
26	Rights of Gram Panchayat for maintenance and improvement of schools and hospitals
27	Representations and recommendations by Gram Panchayats
28	Preparation of plans by Gram Panchayat
29	Rights of Gram Panchayats to frame bye-laws
30	Pradhan, Up Pradhan, all officers and employees of a Gram Panchayat to be public servants
31	Delegation of powers by the Gram Panchayat
32	Duties and powers of the Pradhan of Gram Panchayat
33	Office of Gram Panchayat
34	Delegation of its powers to the Pradhan, Up pradhan of Gram Panchayat
35	Committees of Gram panchayat
	Chapter VI The officers and employees of the Gram Panchayat and penalties and procedure of violation and infringement of the provisions of the Act
36	Officers, Employees/ Secretary of Gram Panchayat
37	Powers, duties and functions of the officers of Gram Panchayat
38	Dispute between Gram Panchayat and Nagar Palika
39	Custody and mode of proof of the record in Gram Panchayat
	Chapter VII Fund, property and contracts of Gram Panchayat
40	Custody or deposits of the Gram Nidhi
41	Establishment of Land Management Committee
42	Function of the Land Management Committee
43	Property vested in Gram Panchayat
44	Preparation and passing the Budget of Gram Panchayat
45	Audit of Accounts of the Gram Panchayat
	Chapter VIII Taxation and Levy of Fees, Cess and Tolls
46	Tax and other sources of income of Gram Panchayat
47	Powers to borrow
48	Share of Gram Panchayat in taxes
49	Recovery of dues of Gram Panchayat
	Part III Chapter IX Establishment And Constitution of Kshetra Panchayat, disqualifications and Election
50	Structure and incorporation of Kshetra Panchayat
51	Constitution and reconstitution of a Kshetra Panchayat
52	Removal of difficulties arises in the establishment of Kshetra Panchayats
53	Disqualifications for membership of Kshetra Panchayat

54	Electoral roll for each territorial constituency
	Chapter X Kshetra Panchayat and its office bearer and their election
55	Election of Pramukh, Up pramukh, Senior Up Pramukh, Junior Up pramukh and members of Kshetra Panchayat
56	The provisions of reservation on the post for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes, Women in the Kshetra Panchayat
57	Term of Kshetra Panchayat and its Office-bearer
58	Mode of election
59	Superintendence of the elections of Kshetra Panchayat and establishment of State Election Commission etc.
	Chapter XI Resignation, termination, fulfilment of casual vacancies of office bearers and internal and external control
60	Resignation of office bearer of Kshetra Panchayat
61	Filling of casual vacancies in Kshetra Panchayat
62	Arrangement in absence of Pramukh of Kshetra Panchayat
63	Motion of no confidence in Pramukh, Up-Pramukh, Senior Up Pramukh and Junior Up Pramukh and quorum of meeting
64	Powers of State Government in case of default of Kshetra Panchayat
65	External control over Kshetra Panchayat
	Chapter XII Meetings, Functions, duties, powers and administration of Kshetra Panchayat
66	Meetings and function, duties, powers and administration of Kshetra Panchayat
67	General powers and duties of the Kshetra Panchayat
68	Preparation of plans by Kshetra Panchayat
69	All officers and servants of a Kshetra Panchayat to be public servants
70	Performance of powers by the Kshetra Panchayat
71	Duties and powers of Pramukh of the Kshetra Panchayat
72	Office of Kshetra Panchayat
73	Delegation of powers and duties to the Senior Up Pramukh, Junior Up Pramukh or Panchayats by the Pramukh of Kshetra panchayat
74	Committees of Kshetra Panchayat
	Chapter XIII The officers and employees of the Kshetra Panchayat and penalties and procedure of violation and infringement of the provisions of the Act
75	Officers and employees of the Kshetra Panchayat
76	Powers, functions and duties of officers and other servants of Kshetra Panchayats
77	Control over the officers and employees of Kshetra Panchayat
78	Dispute between Kshetra Panchayat and Nagar Nikay etc.
79	Custody and mode to proof the record in the Kshetra Panchayat
	Chapter XIV Fund, Property and Contracts of Kshetra Panchayats
80	Custody and investment of Kshetra Nidhi
81	Property vested in Kshetra Panchayat
82	Preparation and passing of the budget of the Kshetra Panchayat

83	Audit of accounts of the Kshetra Panchayat
	Chapter XV Taxation and Levy of Fees,Cess And Tolls
84	Imposition of tax by Kshetra Panchayat
85	Recovery of dues of Kshetra Panchayat
	Part IV Chapter XVI Establishment and incorporation of Zila Panchayat, disqualification and election
86	Establishment and incorporation of Zila Panchayats
87	Effect of changes in districts
88	Constitution and reconstitution of Zila Panchayats
89	Removal of difficulties arises in the establishment of Zila Panchayat
90	Disqualifications for membership of Zila Panchayat
91	Electoral roll for each territorial constituency
	Chapter XVII Zila Panchayat and office bearer and their election
92	Election of Chairman , Vice Chairman and Members of Zila Panchayat
93	The provisions of reservation on the post for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, womens in Zila Panchayat
94	Term of Zila Panchayat and its Office-bearers
95	Mode of election
96	The superintendence of election of Zila Panchayat and constitution of the State Election Commission etc.
	Chapter XVIII Resign, removal, fulfilment of the casual vacancies of the Zila Panchayat officer bearers and internal and external control
97	Resignation of Chairman, Vice Chairman and Members in case of Zila Panchayat
98	Filling of casual vacancies in Zila Panchayat
99	Arrangement of Chairman of Zila Panchayat
100	Motion of non-confidence in Chairman or Vice Chairman
101	Powers of State Government in case of default of Zila Panchayat
102	Consequence of dissolution of Zila Panchayat
	Chapter XIX Meetings and functions, powers and administration of Zila Panchayat
103	Meetings of Zila Panchayat
104	Powers, functions and duty of Zila Panchayats
105	Preparation of plans by Zila Panchayat
106	Powers of Zila Panchayat to make bye-laws
107	All office bearers of a Zila Panchayat to be public servants
108	Exercise and performance of powers by the Zila Panchayat
109	Duties and powers of Chairman of the Zila Panchayat
110	Office of Zila Panchayats
111	Delegation of powers and duties to Vice chairman or Panchayats by Chairman

	of Zila Panchayat
112	Committees in Zila Panchayats
	Chapter XX The officers and employees of the Zila Panchayat and penalties and procedure of violation and infringement of the provisions of the Act
113	Officers and Employees of the Zila Panchayat
114	Central transferable cadre of certain classes of employees of Zila Panchayat
115	Powers, functions and duties of officers and other servants of Zila Panchayats
116	Control over the officers and servants of Zila Panchayat
117	Dispute between Zila Panchayat and Nagar Nikay etc.
118	Custody and mode to proof of the records of Zila Panchayat
	Chapter XXI Fund, Property and Contracts
119	Custody and deposit of Zila Nidhi
120	Property vested in Zila Panchayat
121	Preparation and passing of the budget of the Zila Panchayat
122	Audit of Accounts of the Zila Panchayats
	XXII Taxation and Levy of Fee, Cess and Tolls
123	Taxes which may be imposed by the Zila Panchayat
124	Powers of State Government to sanction proposals by Zila Panchayat
125	Resolution of Zila Panchayat for directing imposition of tax
	Part- V Chapter XXIII Rules, Regulation and Bye-laws
126	Powers of State Government to make rules
127	Powers to make regulations as to conduct of business etc.
128	Powers to make rules for Panchayats by the State Government
	Part VI- Chapter XXIV Miscellaneous Provisions
129	Miscellaneous Provisions
	Chapter XXV Miscellaneous
130	Division of territorial consciences of three tiers Panchayat and ratio of delimitation numbers
131	Other provisions related to the election
132	Bar on Jurisdiction of Civil courts in election matters
133	prescribed authority for inspections, etc. of over Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat
134	Other Powers and duties of State Government in reference of Panchayat
135	Inspection of the constructed work and institution by prescribed authorities
136	Powers of prescribed authority to suspend under the Act
137	Extraordinary powers of State Government towards Panchayat in case of emergency
138	Separation from their posts to the officers of the three tiers Panchayat
139	Powers of State Government to dissolve the Panchayats

140	Exercise of powers and performance of functions under the Act
141	Powers to enquire and report about the misconduct of certain officials
142	Bar of constitution of the parallel institutions in the Panchayats
143	Powers of Panchayats to co-operate with other authorities and to assist institutions not managed by it
144	Exercise of powers and performance of functions of Panchayat
145	Powers and duties of Committees
146	Delegation of powers by State Government
147	Penalty for infringement of the provisions of the Act
148	Penalty for contravention of any order regarding requisition
149	Infringement of rules and bye-laws
150	Penalty for tampering with the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat property
151	Disobedience to notice issued
152	Appeals
153	Suspension of prosecution in certain cases
154	Powers to compound offences
155	Civil suits against Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat, their officers and servants
156	Validity of proceedings
157	Powers and duties of police in respect of offences and assistance to Panchayats
158	Finance commission and fund of Panchayats
159	Function of the Land Management Committee
160	Members and Officers not to acquire interest in contracts, etc. with Land Management Committee
161	Joint Committee
162	Powers to transfer property
163	Contracts by Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat
164	Continuance of imposition of Circumstances and property Tax
165	Conditions and restrictions for tax on Circumstances and property
166	Collection of circumstances and property tax through Gram Panchayats
167	Framing of proposals for imposition of tax
168	Procedure subsequent to framing proposals
169	Resolution of Zila Panchayat directing imposition of tax
170	Powers of State Government to remove the defect or abolish a tax
171	Obligation to disclose liability
172	Appeal relating to tax
173	Limitation and preliminary deposit of tax claimed
174	Costs
175	Bar to jurisdiction of civil and criminal court in matters of taxation
176	Savings
177	Rules as to assessment, collection or other matter
178	Share of Gram Panchayat in taxes

179	Fees and tolls fees for use, otherwise than under a lease of property of a Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat and Gram Panchayat
180	Recovery of Taxes and certain other claims
181	Procedure in case of execution of warrant against property outside the rural area
182	Alternative powers of bringing suit or recovering as arrears of land revenue
183	Recovery of rent on land
184	Recovery of rent for other immovable property
185	Delegation of powers by State Government
186	Facility of inspection of minute books and tax assessment lists
187	Mode of proof of records of Panchayats
188	Restriction on the summoning of servants of Panchayats to produce documents
189	Inspection of works and registers of Panchayats by members
190	Sums due
191	Establishment of Nyaya Panchayat
192	Honoraria and allowances
193	Surcharge
194	Repeal

THE UTTARAKHAND PANCHAYATI RAJ ACT, 2016
(Uttarakhand ACT No. 11 of 2016)

An
Act

to consolidate the connected matters of Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat and to provide the incidental matters thereof.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty seventh year of the Republic of India by Uttarakhand State Legislative Assembly as follows:-

Part- I

Chapter- I

Preliminary

- | | | |
|---|----------|--|
| Short Title,
extent and
commencement | 1 | <p>(1) This Act may be called the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016.</p> <p>(2) It shall extent to the whole of Uttarakhand except any area included under the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, U.P. Municipalities Act, 1916 and the Cantonment Board Act, 1924 or any area included in the Corresponding Act's.</p> <p>(3) It shall come into force at once.</p> |
| Definitions | 2 | <p>In this Act, unless the context otherwise requires :-</p> <p>(1) "adult" means a person who has attained the age of eighteen years ;</p> <p>(2) "Gram Sabha" means a body established under section 3(a), and consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of a Gram Panchayat;</p> <p>(3) "rural area" means the village as mentioned in the records relating to the revenue except the Urban body areas and cantonment areas of all levels in the district and it includes a village declared by general or special order for the purposes of this Act by the State Government;</p> <p>(4) "Gram Panchayat" means the Gram Panchayat established under section 4(1) ;</p> <p>(5) "Kshetra Panchayat" means any Kshetra Panchayat and shall include any committee, member, officer or servant of the Kshetra Panchayat authorised or required under this Act to exercise any powers or perform any duty or function of the Kshetra Panchayat under this Act;</p> <p>(6) "Khand" means any development Khand ;</p> <p>(7) "house" includes any shop, warehouse, shed and any enclosure used for keeping carts or cattle ;</p> <p>(8) "Zila Panchayat" means Zila Panchayat incorporated under this Act and shall include any committee and any member, officer or servant of the Zila Panchayat, authorised or required under this</p> |

Act to exercise any powers or perform any duty or function of the Zila Panchayat under this Act;

- (9) "Backward Classes" means the reservation rules for the Other Backward Classes in the Utrakhand as provisions specified for this purpose by the State Government;
- (10) "Scheduled Castes" means the castes deemed to be Scheduled Castes for the purposes of the Constitution of India;
- (11) "Scheduled Tribes" means the Tribes deemed to be Scheduled Tribes for the purposes of the Constitution of India;
- (12) "Schedule Bank" shall have the meaning assigned to the expression in the Reserve bank of India Act, 1934;
- (13) "town area" shall have the meaning assigned to it under the Municipalities Act. In this area, the area falling under the bodies of all levels of the town bodies shall be included in the town area;
- (14) "cantonment" and "cantonment board" shall have the same meanings assigned to them under the Cantonments Act, 1924;
- (15) "Land Management Committee" means a Land Management Committee of Gram Panchayat for the purpose of this Act;
- (16) "Panchayat" means Panchayats constituted of three tiers for the rural area of State under this Act;
- (17) "Wards election areas of the Panchayat" means ward election area of Gram Panchayat in context of Kshetra Panchayat ward election area of any Kshetra Panchayat and in context of Zila Panchayat ward election area of any Zila Panchayat;
- (18) "Chairman and Vice chairman in the context of Concerning Panchayat as Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat" means the Pradhan or Up Pradhan or Pramukh or Up Pramukh and Chairman and Vice chairman of these institutions respectively;
- (19) "Panchayat Employee" means such persons who is employed and in- service in the three tiers Panchayat institutions whether he is getting pay from the Fund of the State Government;
- (20) "Collector" or "District Magistrate" or "Sub-Divisional Magistrate", in relation to the Panchayat means the Collector, District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate of the district or the sub-division, as the case may be, in which such Panchayat is constituted and shall respectively include Additional Collector, Additional District Magistrate and Additional Sub-Divisional Magistrate;

- (21) "District Magistrate" means the district magistrate appointed under section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973;
- (22) "District Level Officer" means such officers of the district as the State Government may from time to time specify as such by notification in the Gazette;
- (23) "State Election Commission" means the State Election Commission referred to in Article 243-K of the Constitution of India;
- (24) "Electoral Registration Officer" means such an officer who is designated or nominated as such by the State Election Commission in consultation with the State Government for preparing and revising the electoral rolls in any district.
- (25) "Assistant Electoral Registration Officer" means such person who is appointed as such by the Electoral Registration Officer for one or more Panchayat areas;
- (26) "Finance Commission" means the Finance Commission constituted under Article 243-I of the Constitution;
- (27) "State Election Commissioner" means an officer of the State Government appointed, designated or nominated as such by the State Election Commission in consultation with the State Government;
- (28) "Judge" means the District Judge and, includes any other subordinate civil judicial officer named or designated by the District Judge in this behalf;
- (29) "Division", "district" and "tehsil" shall have the same meanings as they have in the Land Revenue Act, 1901, division, district and tehsil respectively;
- (30) "Commissioner of the division" with reference to a Kshetra Panchayat or Zila Panchayat means the commissioner appointed under section 12 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901, for the division within which the Kshetra Panchayat or the Zila Panchayats as the case may be exercises its jurisdiction and includes an additional commissioner appointed under this Act for such division;
- (31) "Population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (32) "Quarter" when referring to a period of time means a period of three months commencing on the first day of any of the months of January, April, July and October;

- (33) "Prescribed" means prescribed by this Act or by any rule made thereunder;
- (34) "Prescribed Authority" means any person or authority notified by the State Government in the Gazette as, prescribed authority for any purpose under this Act;
- (35) "Rule" means a rule made by the State Government in exercise of a powers conferred by this Act ;
- (36) "Bye-laws" means a bye-laws made by the State Government in exercise of a powers conferred by this Act ;
- (37) "Regulations" means a regulations made by the State Government in exercise of a powers conferred by this Act;
- (38) "State" means the State of Uttarakhand;
- (39) "State Government" means the Government of Uttarakhand;
- (40) "Electoral Rolls of Legislative Assembly " means such electoral rolls or any election area of the State Legislative Assembly which is prepared according or under the provisions of the Representation of the People Act, 1951;
- (41) "Government" means the Central Government or the Government of any State of the Indian Union ;
- (42) "Public Street" means any road, street, bridge, lane, square, court, alley or passage from which the public has a right to pass along, and includes on either side the drains or gutters and the land up to the defined boundary of any abutting property notwithstanding any projection over such land of any verandah or other superstructure but does not include any such road, street, bridge, lane, square, court, alley or passage owned, maintained or repaired by the State Government or the Central Government or any other local authority;
- (43) "Public Servant" means a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860(Act no 45 of 1860);
- (44) "Local Authority" means and it includes a Gram Panchayat ;
- (45) "Public Property" and "public land" means any public building, park or garden or other place to which for the time being the public have or are permitted to have access whether on payment or otherwise;
- (46) "Person in the service of the Government" does not include a District Government Counsel, an Additional or Assistant District Government Counsel, any other counsel engaged by the Government and who has not paid monthly salary, a Government counsel in State Government, a person holding a purely honorary office or a person who has retired from the

service of the Government;

(47) “District Planning Committee” means a Committee constituted under Article 243 – Z D of the Constitution of India;

(48) “Family” means such group of persons in which spouse, son, unmarried daughter, parents, brother or any other member who is residing together and take food on one hearth.

Part II

Gram Sabha/ Gram Panchayat

Chapter –II

Establishment and Constitution of Gram Sabhas and Gram Panchayat, disqualifications and electoral rolls

Constitution of Gram Sabha, Membership, function and Meetings etc. **3**

(A) Gram Sabha- The State Government shall by notification in the *official Gazette*, establish a Gram Sabha for a village or group of villages by such name as may be specified;

Provided that where a Gram Sabha is established for a group of villages, the name of the village having the largest population shall be specified as the name of the Gram Sabha.

(B) Membership of Gram Sabha- An adult, who resides and whose name is for the time being included in the electoral roll for a Gram Sabha shall be a member of that Gram Sabha (every person who has completed 18 years of age on first January of the every year shall be entitled to register his name in the electoral roll)

(C) Establishment of Gram Shabha and Removal of difficulties arises therein- If in establishing a Gram Sabha or in the working of a Gram Panchayat, any dispute or difficulty arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any rule made thereunder or any matter arising out of or relating to such interpretation or any matter not provided in this Act, the same shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and conclusive.

(D) Meetings and functions of the Gram Sabha-

(1) Every Gram Sabha shall hold four general meetings in each year on the quarterly basis. Which shall be presided over by the Pradhan of the concerned Gram Panchayat:

Provided that the Pradhan at any time may, or upon a requisition in writing by the prescribed authority or by not less than one-fifth of the number of the members shall, within thirty days from the receipt of such requisition, can call an extraordinary general meeting:

Provided further that where the Pradhan fails to call a

meeting as aforesaid the prescribed authority may do so within a period to be prescribed.

(2) The meetings of Gram Sabha shall be organised only in Public/Government buildings or in open place of Gram Panchayat.

Explanation- Meeting called at the house of Pradhan/ Up-pradhan be considered illegal.

(E) Quorum for convened meeting of Gaon Sabha- For the convened meeting of Gram Sabha, 1/5 numbers of total members or attendance of representatives of half families of total families shall be essential.

Explanation- Quorum for adjourned meeting, $\frac{1}{10}$ number of members of Gram Sabha or attendance of $\frac{1}{4}$ of representatives families out of total families is essential. The fixation of number of the families shall be based on the family register.

(F) Function and powers of Gram Sabha-

(1) The Gram Sabha shall consider the following matters and may make recommendations and suggestions to the Gram Panchayat –

(i) the annual statement of accounts of the Gram Panchayat, the report of administration of the preceding financial year and the final audit note and replies, if any, made thereto;

(ii) the report of development programmes of the Gram Panchayat relating to the preceding year and the development programmes proposed to be undertaken during the current financial year;

(iii) the promotion of unity and harmony among all sections of society in the village;

(iv) programmes of primary and adult education within the village;

(v) such all other public interest matters as may be prescribed.

(2) The Gram Panchayat shall give due consideration to the recommendations and suggestions of the Gram Sabha.

(G) The Gram Sabha shall perform the following functions; namely:-

(a) Mobilising voluntary labour and contributions for the community welfare programmes;

(b) Rendering assistance in the implementation of development schemes pertaining to the village;

(c) Identification of beneficiaries for the implementation of development schemes pertaining to the village.

**Constitution and
de-limitation of
Gram Panchayat**

4

1- Gram Panchayat-

(1) The State Government may, by notification declare any area comprising a village or group of villages, having so far as practicable a population of 500 in the hill area and a population of one thousand, in plane area to be a Panchayat area for the purposes of this Act by such name as may be specified;

Provided that maximum population in the hill area shall be 2000 and 10000 for plane area as far as practicable or not more than this but Gram Panchayat constituted prior to the date of commencement of this Act unless not essential shall be as it is;

Provided further that for the purposes of declaration of Panchayat area to the revenue Gram shall not be divided;

Provided further also that the Government may by order relax said restrictions in the avoidable or special circumstances.

(2) The State Government may, on the request of the Gram Panchayat concerned or otherwise and after previous publication of the proposal, by notification at any time—

- (a) modify the area of any Panchayat by including therein or excluding therefrom any area of a village or group of villages;
- (b) alter the name of the Panchayat area; or
- (c) declare that any area shall cease to be a Panchayat area.
- (d) The constitution of Gram Panchayat shall be notified, as such manner as may be prescribed and after that the Gram Panchayat shall be deemed constituted as appropriate whether any vacancy is in existence;

Provided that constitution of Gram Panchayat shall not be notified until two third of members including Pradhan of Gram Panchayat not elected.

(3) The tenure of any member of the Gram Panchayat till the date otherwise shall not be ended under the provisions of the Act, shall be ended with the tenor of the Gram Panchayat.

(4) The Pradhan shall be ex-officio Member of Gram Panchayat.

(5) The delimitation of the territorial electroll areas in the Gram Panchayat shall be fixed in the manner prescribed.

2- Delimitation of the Area of Panchayat-

(1) The delimitation of the Panchayat areas shall be made in such

procedure as may be prescribed by the State Government.

(2) For the every Panchayat area as such known name of Panchayat area a Gram Panchayat which shall be corporate body, be constituted.

(3) A Gram Panchayat shall consist of a Pradhan and in the case of a Panchayat area having a population of –

- (i) up to 1000- 7 members;
- (ii) up to 1001 to 2000- 9 members;
- (iii) up to 2001 to 3000- 11 members;
- (iv) up to 3001 to 5000- 13 members;
- (v) more than 5001- 15 members.

3- In the Education Committee and Health and Welfare Committee of the Gram Panchayat, a women member shall be appointed as Chairperson as may be prescribed in the rules.

Constitution and reconstitution of the Gram Panchayat	5	If any existed area of the Gram Panchayat, in every district prior of the ending of the tenure or otherwise required for the purposes of this Act is necessary, then the State Government shall arrange the constitution or reconstitution of the Gram Panchayat.
Effect of change in population or inclusion of the area of Panchayat in any level of Nagar Panchayat	6	If the whole of the area, of a Gram Panchayat is included in a Nagar Panchayat, the Gram Panchayat shall cease and its assets and liabilities shall be disposed of in the manner prescribed. If a part of such area is so included, its jurisdiction shall be reduced by that part.
Removal of difficulty in the establishment of Gram Panchayat	7	If, in establishing a Gram Panchayat any dispute or difficulty arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any rule made thereunder or any matter arising out of or relating to such interpretation or any matter not provided in this Act, the same shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and conclusive.
Disqualification for membership of Gram Panchayat	8	<p>(1) A person shall be disqualified for being appointed, a Pradhan, Up-pradhan and member of a Gram Panchayat, if he -</p> <ul style="list-style-type: none">(a) is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the State Legislature : <p style="padding-left: 40px;">Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;</p> <ul style="list-style-type: none">(b) is a salaried servant of the Gram Panchayat ;(c) holds any office of profit under a State Government or the Central Government or any local authority, other than a

Gram Panchayat or owned or controlled by any State Government or Central Government or any Board, bodies or corporation owned or controlled by any State Government or Central Government in which Aaganbadi workers Assistant, Secretary of Cooperative Committee and salary paid employees and working employees on honorarium under the State and Central sponsored schemes shall be included;

(d) has been dismissed from the service of a State Government, the Central Government or a local authority or other Panchayat for misconduct;

(e) is in arrears of any tax, fee, duty or any other dues payable by him for such period as may be prescribed, or has, inspite of being required to do so failed to deliver to it any record or property belonging to it which had come into his possession by virtue of his holding any office under it;

(f) is member of any Nagar Nikay;

(g) is an undischarged insolvent;

(h) has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(i) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months for contravention of any order made under the Essential Commodities Act, 1955;

(j) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946;

(k) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months under the U.P. Excise Act, 1910 (as applicable to the State of Uttarakhand);

(l) has been convicted of an offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(m) has been convicted of an election offence;

(n) has been convicted of an election offence under the U. P, Removal of Social Disabilities Act, 1947 or the Protection of Civil Rights Act, 1955 (as applicable to the State of Uttarakhand);

(o) has been removed from office under section 138 unless such period, as has been provided in that behalf in the said section or such lesser period as the State Government may have ordered in a particular case has elapsed :

Provided that the disqualification under clause (e) shall

cease upon payment of arrears or delivery of the record or property, as the case may be:

Provided further that a disqualification under any of the clauses referred to in the first proviso in the manner prescribed be removed by the State Government.

(p) In place of women Pradhan, Up Pradhan and Member, if her husband or other family members or relative preside the meetings and discharged the duties of Gram Sabha, Gram Panchayat and declared faulty then said women and concerning person presiding meetings and discharging the duties, both shall be disqualified for forthcoming general election of three tiers of Panchayat.

(2) Disqualification due to corruption- An authority competent to decide election disputes under this Act or the rules made thereunder may declare any candidate found to have committed any corrupt practice to be incapable, for any period not exceeding five years from the date of declaration, of being chosen as a member of a Gram Panchayat, or place in the gift or disposal of a Gram Panchayat.

(3) Disqualification for no toilets-

(a) If any person convicted by the competent court under the provisions of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, then he shall be disqualified for contesting Panchayat election.

(b) If there is no toilets established in the house of those persons residing in the jurisdiction of concerned Panchayat, they shall be disqualified for the candidature of the Panchayat at election.

(4) Cessation of membership-

(a) A member of Gram Panchayat shall cease to be such member if the entry relating to that member is deleted from the electoral roll for a territorial constituency of Gram Panchayat.

(b) Where any person ceases to be a member of a Gram Panchayat under clause (a) he shall also cease to hold any office to which he may have been elected, nominated or appointed by reasons of his being a member thereof.

(5) Decision on question as to disqualification- If any question arises as to whether a person has become subject to any disqualification mentioned in this Act, the question shall be referred to the prescribed authority for the decision and his decision shall, subject to the result of any appeal as may be prescribed, be final;

Provided that if any disqualification for duration of the said

tenure in which such rules is commencing then if omitted under any such law who is authorised for omission than the name of such person from the electoral roll of the said Gram Panchayat who is removed for such disqualification, shall be placed remain at once.

(6) Punishment for failure to handover records, etc.-

(a) Any person on ceasing to act as Pradhan wilfully fails, in spite of being required to do so by the prescribed authority, to handover all records, money or other property or as the case may be, to his successor or to any person authorised in this behalf by the prescribed authority, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both.

(b) Without prejudice to the provisions of sub-section (a), any such money may on a certificate issued in that behalf by the prescribed authority be recovered as arrears of land revenue.

(c) Such any person who is posted on any post prior from the ending of tenor of any Gram Panchayat he shall obtain no dues certificate from the successor or designated officer necessarily. Due to not obtaining the no dues certificate, he will not qualify for participation in the next Panchayat election.

(7) Prohibition of holding more than one post simultaneously- Any person neither be candidate in the election from one or more territorial constituencies election areas in the Gram Panchayat nor he may hold one or more post in the Gram Panchayat.

Electoral roll for territorial constituency 9

(1) For each territorial constituency of a Gram Panchayat, an electoral roll shall be prepared, in accordance the rules made thereunder under the superintendence, direction and control of the State Election Commissions.

(2) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the State Election commissioner shall supervise and perform all functions relating to the preparation, revision and correction of the electoral rolls in the State in accordance with this Act and the rules made thereunder;

Provided that no such correction, deletion or addition shall be made after the last date for making nominations for an election and before the completion of that election.

(3) The electoral roll referred to in sub-section (2) shall be published in the prescribed manner and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made in accordance with this Act and the Rules made thereunder be the electoral roll for that territorial constituency prepared in accordance with the provisions of this Act.

Chapter –III

Gram Panchayat and its office bearers and their election

- Pradhan and Up-Pradhan of Gram Panchayat** **10** There shall be a Pradhan and an Up-Pradhan of the Gram Panchayat, who shall respectively be the Chairperson and Vice-Chairperson thereof. The election of Pradhan and Up Pradhan etc. shall be held as may be prescribed.
- The provisions of reservation on the post for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes, Women in the Gram Panchayat** **11** (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in every Gram Panchayat and the number of seats so reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes in the Gram Panchayat shall bear as nearly as may be, the same proportion to the total number of such seats as the population of the Scheduled Castes in Panchayat area or of the Scheduled Tribes in the Panchayat area or of the Backward Classes in the Panchayat area bears to the total population of such area and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies;
- Provided that the reservation for the Backward classes shall not exceed fourteen percent of the total number of Gram Panchayat;
- Provided further that if the figures of population of the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner;
- Provided further also that not less than one half of the total number shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes.
- (2) Not less than one half of the total number, including the number reserved under third proviso of sub-section (1), shall be reserved for women and the reserved under this section shall be allotted by rotation to different Gram Panchayats in such as may be prescribed.
- Explanation**— It is clarified that nothing in this section shall prevent persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats.
- Term of Gram Panchayat and his office bearers** **12** (1) Every Gram Panchayat unless sooner dissolved under the provisions of this Act, shall continue for five years from the date fixed of its first meetings and no longer.
- (2) If under the provisions of this Act the tenure of any member of any Gram Panchayat otherwise is not removed then there tenure shall be held till the end of concerning Panchayat.
- (3) Subject to the provisions made otherwise under this Act, the tenure of Pradhan, Up Pradhan of any Panchayat shall be extend up to the tenure of concerning Panchayat.

Mode of election	13	<p>The election for the post of Pradhan and Member of any Gram Panchayat shall be made by the secret ballot procedure or EVM;</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that no bar for unopposed election of the above mentioned post holders in this section for Panchayat.</p>
The superintendence of election of the Gram Panchayat and constitution of the State Election Commission etc.	14	<p>(1) The conduct, superintendence, direction and control of the elections of Pradhan, Up Pradhan, Member of the Gram Panchayat shall be vested in a State Election Commission constituted at State level.</p> <p>(2) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the State Election Commissioner shall supervise and perform all function relating matters of the conduct for the post of Pradhan, Up Pradhan and Members.</p> <p>(3) The State Government shall, with the consultation of the State Election Commission, by notification appoint a date or dates for general election or by election of the Pradhan, Up Pradhan and Members of any Gram Panchayat.</p>

Chapter IV

Resign, removal, fulfilment of the casual vacancies of the Panchayat office bearers and internal and external control their-in

Resignation of office bearers of Gram Panchayat	15	<p>A Pradhan, Up-Pradhan of any Gram Panchayat may, by writing under his hand addressed to concerning Zila Panchayat Raj Adhikari, resign from his post;</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that if resignation is not accepted within the period of 15 days from the date of submission by writing under his hand then the resignation shall be deemed sanctioned automatically and resigning office bearers shall not be deemed in his post and such posts shall be deemed vacant automatically from such dates.</p>
filling of Casual vacancies of the post of Pradhan of the Gram Panchayat	16	<p>If any vacancy arises (before the expiration of a period of six months from the date of vacancy) in the office of Pradhan, Up-Pradhan or of a member of a Gram Panchayat by reason of his death, removal, resignation, voidance of his election or refusal to take oath of the office, then it shall be filled as for as possible for the remainder of his term, in the manner which may prescribed;</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Gram Panchayat is less than six months, then such vacancy shall not be filled.</p>
Arrangement in case of temporary vacancy of the post of Pradhan	17	<p>Where the office of Pradhan is vacant due to illness or any other reason, Pradhan is incapable to perform his act and the post of Up Pradhan is vacant or when Up Pradhan during the vacancy of the post of Pradhan is unable to act under the provisions of this Act and they are incapable to do their act, then till the date of rejoining his duties, the prescribed authority shall nominate a member of a Gram</p>

Motion of no confidence against Pradhan and Up pradhan 18

Panchayat to discharge the duties and exercise the powers of the Pradhan until such vacancy or incapacity in the office of either the Pradhan or Up Pradhan is filled in, or removed respectively until such incapacity of either of the removed.

(1) **Pradhan-** A written notice of intention to make the motion signed by at least one fourth members of the total number of members of the time being Gram Sabha together with a copy of the proposed motion by minimum five members making signature in the written notice shall be produced to the Zila Panchayat Raj Adhikari in-person.

(2) **No confidence motion against Up Pradhan-** A written notice of intention of such proposal shall be addressed to the prescribed officer. A written notice of intention to make the motion signed by at least half of the total elected members of the time being Gram Panchayat together with a copy of the proposed motion by minimum three members making signature in the written notice shall be produced to the Zila Panchayat Raj Adhikari in-person.

(3) **Proceeding on receiving no confidence motion against the Pradhan or Up Pradhan of Gram Panchayat-** On received notice of no-confidence motion against the Pradhan, Up Pradhan after the formal examination of such notice the Zila Panchayat Raj Officer shall convene a special meeting for no-confidence motion and for such meeting be not below the rank of the Assistant Development Officer (Panchayat) shall also be appointed as a Chairman. The special meeting for non confidence motion shall be convened at Panchayat building or any public place.

(4) It shall be such necessary for such special meeting a prior notice of 15 days and for completion of all procedure within 30 days from the date of submission.

(5) The quorum for such special meeting shall be half of the total members. The motion shall be deemed passed by more than half majority of the total members of the Gram Sabha. In absence of quorum or in case of non passing of the motion a non confidence motion shall not be taken till one year against the concerning Pradhan.

(6) A non confidence motion against the Up Pradhan shall be deemed passed by the majority of the two third elected members of the Gram Panchayat;

Provided that a no-confidence motion against the Pradhan and Up Pradhan may not be made within the period of one year of his election or within the period of prior to six month from the

Powers of State Government in case of default of Gram Panchayat 19

ending of his tenure.

(1) If at any time, upon representation made or otherwise, it appears to the State Government that a Gram Panchayat, or joint Committee, or other Committee has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any other enactment, the State Government may, by order in writing, fix a period for the performance of that duty.

(2) If that duty is not performed with the period so fixed, the State Government, may appoint the District Magistrate, or any other competent authority to perform it and may direct that the expense, if any, of performing the duty shall be paid within such time as may be fixed by the District Magistrate or any other person authorized by the State Government in this behalf, by the Gram Panchayat.

(3) If the expense is not so paid, the other prescribed officer authorised by the Director, Panchayati Raj, may by the previous sanction of the State Government, give such order directing the authority having the custody of the Gram Nidhi to pay the expenses from such fund.

External control of Gram Panchayat 20

The prescribed authority for Gram Panchayat shall be Zila Panchayat Raj Adhikari. The powers, duties, acts, external control etc. of the prescribed authority shall be such as may be prescribed from time to time by the State Government.

**Chapter-V
Meetings, Functions, Duties, Powers and administration of Gram Panchayats**

Meetings of Gram Panchayat 21

(1) A Gram Panchayat shall ordinarily meets for the transaction of business at least once in a month but intervene between two consecutive meetings shall not be more than two months.

(2) The meetings of the Gram Panchayat shall be held at such place, date and time in such manner as may be prescribed.

Explanation- The convened proceedings of meeting at the residence of Gram Pradhan / Up Pradhan shall be deemed illegal.

(3) **Quorum-** The quorum for the meeting of Gram Panchayat shall be one third of the total members, including Pradhan and Up Pradhan. For any adjourned meeting the quorum shall be one third but when, quorum of the meeting is not completed second time, then the quorum for next meeting shall be one fifth.

(4) The procedure etc. in the meetings of Gram Panchayat shall be such as may be prescribed from time to time by the State Government.

(5) Requirement of representation etc. and write the question of

the Gram Panchayat shall be such as may be prescribed from time to time by the state Government.

(6) Nothing in this Act confers any right to someone, within the territory of Nagar Nigam, Nagar palika, Nagar Panchayat, Notified area, Cantonment or Town area, to use any such right, which is vested in Nagar Nigam, Nagar Palika, Nagar Panchayat, Notified area committee, Cantonment Board, District magistrate or in any other Magistrate or in Town area committee, as the case may be;

Provided that the Gram panchayat-

- (a) may construct, maintain and control any school, library, hospital, dispensary, poor house, asylum, orphanage, inspection house or other building or institution which is not maintained exclusively for the benefit of persons residing within the aforesaid limits, and
- (b) may do anything within the aforesaid limits, when the doing of which is necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

General functions of Gram Panchayat 22

(1) Subject to such conditions as may be specified by the State Government through notification, may entrust provide all or additional or any of the following functions to the Gram Panchayat,-

(i) make planning for the development of Panchayat and after approval of Gram Sabha forwarded it to the prescribed authority;

(ii) prepare annual budget of Gram Sabha and after passing from Gram Sabha, forwarded it to the prescribed authority;

(iii) to help in performance for the relief in case of the natural calamity;

(iv) to manage voluntary donation of work and contribution for community works;

(v) to maintain necessary data and data base of the Panchayat;

(vi) to present/ submit the detail of performed works by the Gram Panchayat in the meeting of Gram Sabha;

(vii) to maintain information register for stranger, who entered in the area of Gram Sabha;

(viii) other functions which falls in his jurisdiction under this Act or as delegated by the higher level;

(ix) Settlement and management of land;

Provided that it does not include the transfer of any property for the time being vested in the Gram Panchayat

under section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable in Uttarakhand State) or under any other provisions of said Act (or arrangement made by the Government on this matter),

(x) the preservation, maintenance and development of forests and trees;

(xi) the maintenance and development of *abadi* sites and means of village communications;

(xii) the management of *hats*, *bazare* and *melas*;

(xiii) the maintenance and development of fisheries and tanks;

(xiv) to conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the Gram Panchayat relating to or arising out of the functions of Samiti ;

(xv) the performance of specifically assigned functions to the Land Management Committee under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable in uttrakhand state) or any other enactment; and

(xvi) any other matter relating to such management, preservation and control as may be prescribed ;

Explanation-

(1) No member or office bearer of a Gram Panchayat or, Land Management Committee shall, otherwise than the permission in writing of the District Magistrate knowingly acquire or attempt to acquire any share or interest in any licence, lease, sale, exchange, contract or employment with, by or on behalf of the Samiti concerned;

Provided that any person have interest in such sale, through which the concerned land management committee believes that he regularly trades, and the value of sold thing is not exceeding ten thousand rupees.

(2) No Court or other officer shall enforce at the instance of any person's claim based upon a transaction made in the contravention of the provisions of sub-section (1);

Provided that when the Gram Panchayat shall work as land management committee then the Patwari of the revenue department shall act as a Secretary of the Gram Panchayat.

Subject to such conditions as may be specified by the State Government, from time to time a Gram Panchayat shall perform the

following functions; namely :-

- (i) Agriculture including extension of agricultural :
 - (a) Promotion and Development of agriculture and horticulture;
 - (a) Development of wastelands and grazing lands and preventing their unauthorized alienation and use,
- (ii) Land development, land reform implementation, land consolidation and soil conservation :
 - (a) Assisting the Government and other agencies in land development, land reform and soil conservation;
 - (b) Assisting in land consolidation;
- (iii) Minor irrigation, water management and watershed development :
 - (a) Managing and assisting in water distribution from minor irrigation projects;
 - (b) Construction, repair and maintenance of minor irrigation projects, regulation of supply of water for irrigation purpose;
- (iv) Animal husbandry, dairy industry and poultry farming:
 - (a) Improving breed of cattle, poultry and other live-stock;
 - (b) Promotion of dairy industry and poultry farming, piggery etc.
- (v) Fisheries :
 - Development of fisheries in the villages;
- (vi) Social and farm forestry :
 - (a) Planting and preserving trees on the sides of roads and public land;
 - (b) Development and promotion of social and farm forestry and sericulture;
- (vii) Minor forest product :
 - Promotion and development of minor forest product;
- (viii) Small industries :
 - (a) Assisting the development of small industry;
 - (b) Promotion of local trades;
- (ix) Cottage and village industry :
 - (a) Assisting in the development of agricultural and commercial industry;

- (b) Promotion of cottage, industry;
- (x) Rural housing :
 - (a) Implementation of rural housing programmes;
 - (b) Distribution of house sites and maintenance of records relating to them;
- (xi) Drinking water : Construction, repair and maintenance of public wells, tanks and ponds for supply of water for drinking, washing, bathing purposes and regulation of sources of water supply for drinking purposes.
- (xii) Fuel and fodder land :
 - (a) Development of bamboo and plants relating to fuel and fodder land;
 - (b) Control on irregular transfer of fodder land.
- (xiii) Roads, culverts, bridges, ferrypiars, water-ways and other means of communication :
 - (a) Consturction and maintenance of village roads, bridges, ferrypiars and culverts;
 - (b) Maintenance of water-ways;
 - (c) Removal of encroachment on public places.
- (xiv) Rural electrification :
 - Provisions for maintenance of lighting of public street and other places.
- (xv) Non-conventional energy source :
 - Promotion and development of programmes of non- conventional energy source and its maintenance in village.
- (xvi) Poverty alleviation programmes :
 - Promotion and implementation of poverty alleviation programmes.
- (xvii) Education including primary and secondary schools;
 - Public awareness about education.
- (xviii) Technical training and vocational educaton :
 - Promotion of rural art artisans.
- (xix) Adult and informal education :
 - promotion of adult literacy.
- (xx) Library :
 - Establishment and maintenance of libraries and reading

rooms.

- (xxi) Sports and cultural affairs :
 - (a) Promotion of social and cultural activities;
 - (b) Organising cultural seminars on different festivals;
 - (c) Establishment and maintenance of rural clubs for sports.
- (xxii) Markets and fairs :

Regulation of melas, markets and hats in Panchayat areas.
- (xxiii) Medical and sanitation :
 - (a) Promoting rural sanitation;
 - (b) Prevention against epidemics;
 - (c) Programmes of human and animal vaccination;
 - (d) Preventive actions against stray cattle and live-stock;
 - (e) Registering birth, death and marriage.
- (xxiv) Promotion and implementation of family welfare programmes.
- (xxv) economic development and child development:

Preparation of plan for economic development of the area of the Gram Panchayat.
- (xxvi) Maternity and child development :
 - (a) Participation in the implementation of women and child welfare programmes at Gram Panchayat level;
 - (b) Promoting child health and nutrition programmes.
- (xxvii) Social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded :
- (xxviii) Welfare of the weaker sections and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes :
 - (a) Participation in the implementation of the specific programmes for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other weaker sections of the society;
 - (b) Preparation and implementation of schemes for social justice.
- (xxix) Public Distribution system :
 - (a) Promotion of public awareness with regard to the distribution of essential commodities;

Rights of Gram Panchayat as to public streets, waterways and other matters 24

- (b) Monitoring the public distribution system.
- (xxx) Maintenance of community assets preservation and maintenance of community assets.

A Gram Panchayat shall have control of all public streets, waterways, other than canals as defined in sub-section (1) of section 3 of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, situate within its jurisdiction not being a private street or waterways and not being under the control of the State Government or the Zila Panchayat or any other authority specified by the State Government and may do all things necessary for the maintenance and repair thereof and may-

- (a) construct new bridges culverts;
- (b) divert, discontinue or close any public street; culvert or bridge;
- (c) widen, open, enlarge or otherwise improve any public street, culvert or bridge with minimum damage to the neighbouring fields ;
- (d) deepen or otherwise improve waterways;
- (e) with the sanction of the prescribed authority and where a canal exists under the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, with the sanction also of such officer of the Irrigation Department as the State Government may prescribe, undertake small irrigation projects in addition to those specified by order under this section;
- (f) cut any hedge or branch of any tree projecting on a public street;
- (g) notify the setting apart of any public watercourse for drinking or culinary purposes, and prohibit bathing, washing of clothes and animals or doing of other acts likely to pollute the course so set apart;

Provided that nothing shall be done under clause (g) which may affect a canal governed by the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, without the prior permission of the authority prescribed by the State Government in this behalf.

Improvement of sanitation by Gram Panchayat 25

For the improvement of sanitation, a Gram Panchayat may, by notice, direct the owner or occupier of any land or building, taking into consideration his financial position and giving him reasonable time for compliance thereof-

- (a) or close, remove, alter, repair, cleanse disinfect or put in good order any latrine, urinal, water-closet, drains, cesspool or other receptacle for filth, sullage water, rubbish or refuse pertaining to such land or building or to remove or alter any

door or trap or construct any drain for any such latrine, urinal or water-closet which opens on to a street or drain, or to shut off such latrine, urinal or water closet by a sufficient roof and wall or fence from the view of persons passing by or dwelling in the neighbourhood ;

(b) to cleanse, repair, cover, fill up, drain off, deepen or to remove water from a private well, tank, reservoir, pool, pit, depression at excavation therein which may appear to the Gram Panchayat to be injurious to health or offensive to the neighborhood;

(c) to close clear off any vegetation, undergrowth, prickly pear or shrub-jungle ;

(d) to remove any dirt, dung, night soil, manure or any noxious or offensive matter therefrom and to cleanse the land or building ;

Provided that a person on whom a notice under clause (b) is served may, within 30 days of the receipt of the notice appeal to the District Medical Officer of Health against the said notice who may vary, set aside or confirm it.

Rights of Gram Panchayat for maintenance and improvement of schools and hospitals 26

(1) (a) subject to such rules as may be prescribed by State Government concern Gram Panchayat shall be responsible for curriculum, employment and qualification of teachers and supervision of a school, maintain any existing primary school including the buildings and furniture thereof and be responsible for its proper working and may similarly establish and maintain a new school or improve any existing school;

(b) shall subject to such rules as may be prescribed by State Government concern Gram Panchayat regarding the establishment, maintenance and supervision, maintain any existing Ayurvedic, Homoeopathic or Unani hospital or dispensary including the building and equipments thereof and may similarly establish and maintain a new hospital or dispensary for one or more of the systems of medicine mentioned above.

(2) The Zila panchayat and the State Government may make such grants for school, hospital or dispensaries mentioned in sub-section (1) as may be prescribed.

Representation and recommendations by Gram Panchayat 27

A Gram Panchayat may make to the appropriate authority -

(a) any representation concerning the welfare of the persons residing within its jurisdiction, and

(b) any recommendations as to the appointment, transfer or dismissal of an employee of all Department, serving in any area within the jurisdiction of such Gram Panchayat.

Preparation of plans by Gram Panchayat 28

A Gram Panchayat shall prepare every year a development plan in such form as may be prescribed by State Government and submit it to the concerned prescribed authority before such date as may be prescribed.

Rights of Gram Panchayat to frame bye-laws 29

(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and the bye-laws, if any, made by the prescribed authority, a Gram Panchayat may make by-laws, namely-

(a) to prohibit the removal or use of water for drinking purposes from any source which is likely to cause danger to health and to prohibit the doing of anything likely to contaminate any source of drinking water;

(b) to prohibit or regulate the discharge of water from any drain or premises on a public street or into a river, pond, tank, well, or any other place;

(c) to prevent damage of public property and Gram Panchayat property;

(d) to regulate sanitation conservancy and drainage in the area of Gram Panchayat ;

(e) to prohibit or regulate the use of public streets or other public places by shop-keepers or other individuals or collection to market tolls on public streets;

(f) to regulate the manner in which tanks, ponds and cesspools, pasture land, playground, manure pits, land for disposal of dead bodies and bathing places shall be maintained and used;

(g) to regulate any other duties or functions of the Gram Panchayat as may be directed by the prescribed authority.

(2) The draft of bye-laws framed by Gram Panchayats shall be published in the prescribed manner. Any objections received thereto shall be considered at a meeting of the Gram Panchayat and the bye-laws shall then be submitted together with the objections, if any, received and the decisions taken thereon to the prescribed authority. The bye-laws as sanctioned by the prescribed authority shall come into force after they have been published in the prescribed manner;

Provided that the State Government at any time rescind or modify any bye-laws so approved.

Pradhan, Up Pradhan, officers and employees of a Gram Panchayat to be public 30

Pradhan, Up Pradhan, officer and servants, shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860) and the word "Government" provided in section 161 of said Code shall, for the purpose of this section, be

servants		deemed to include Gram Panchayat.
Delegation of powers by the Gram Panchayat	31	Such powers, duties and functions of the Gram Panchayat which are not delegated to the Pradhan under the provisions of this Act, such powers and functions may be delegated by the resolution to any committee of Gram Panchayat or Up Pradhan.
Duties and powers of the Pradhan of Gram Panchayat	32	<p>(1) The duties and powers of Pradhan unless otherwise provided by this Act, shall be as follows-</p> <p>(a) convene and preside the meetings of Gram Sabha and Gram Panchayat and their Committees;</p> <p>(b) preside Gram Sabha, Gram Panchayat or such committees in which he is Chairman under this Act.</p> <p>(2) For the disposal of work in all meetings of Gram Sabha or Gram Panchayat, he/she shall control according to the regulations or rules made for this purpose.</p> <p>(3) Shall supervise on the financial administration of Gram Panchayat and superintendence of Executive Administration and if found any irregularity come to the knowledge of Gram Panchayat and Gram Sabha.</p> <p>(4) shall perform such other duties who is delegated to him by this Act or rules, regulation, byelaws or by other any law time being in force made their under required by him.</p> <p>(5) to updated all records of Gram Panchayat by the Secretary subject to the custody of Gram Pradhan.</p> <p>(6) any member of the Gram Panchayat may submit any resolution in the meeting and can ask question in prescribed method relating to the concerning subject of administration of Gram panchayat from Pradhan or Up Pradhan.</p>
Office of Gram Panchayat	33	The Office of Gram Panchayat shall be located at Panchayat building in public place and any other Government building.
Transfer of its powers by the Pradhan to Up pradhan of Gram Panchayat	34	Pradhan of the Gram Panchayat may make transfer of his duties and powers to the Up pradhan.
Committees of the Gram panchayat	35	Every Gram Panchayat shall constitute such committee or committees as may be notified by the State Government from time to time, to assist the Gram Panchayat in the performance of all or any of its functions within 90 days from the date of constitution of the Gram Panchayat under this Act. The Gram Panchayat may delegate their such powers and functions as it deem fit for the

performance of functions of the Gram Panchayat, its committees and such sub committees and their Chairman, Members, quorum and other provisions shall be such as may be prescribed.

Chapter VI

The officers and employees of the Gram Panchayat and penalties and procedure for violation and infringement of the provisions of the Act

**Officers,
Employees/
Secretary of the
Gram Panchayat** **36**

(1) For every Gram Panchayat or group of the Gram panchayat as may be prescribed by the State Government there shall be a full time Gram Panchayat officer/Secretary. The Gram Panchayat by the special resolution for the conduct of their business may also appoint any other employees with the prior approval of the prescribed officer.

(2) The State Government may by genral or special order, any employee or class of employees serving in connection with the affairs of the State to serve under the Gram Panchayats with such designation as may be specified in the order and such employees shall serve under the control and supervision of Gram Panchayat and follow such duties, which may be specified by the State Government from time to time .

(3) The State Government may direct any other Government servant to assist the said Government servent.

**Power, duties and
functions of the
officers of Gram
Panchayat** **37**

The Powers, duties and functions of the officers and other employees of Gram Panchayat shall have as may be prescribed.

**Dispute between
Gram Panchayat
and Nagar
Panchayat** **38**

If any dispute arises as to the jurisdiction of a Gram Panchayat or between two or more Gram Panchayats or between a Nagar Panchayat, it shall be referred to the prescribed authority whose decision shall be final and shall not be questioned in any court of law.

**Custody and mode
to proof the
record in Gram
Panchayat** **39**

Notwithstanding anything contrary to any other provisions of this Act—

(a) all records of Gram Panchayat shall be in the custody of its Pradhan. The secretary of Gram panchayat shall be liable for the maintenance of the records, which are in the supervision of Gram Pradhan;

(b) the Pradhan shall, on an application and on payment of such fee as may be prescribed, shall give a copy of any such records and certify it as a true copy under his signature and seal of the Gram Panchayat.

(c) The Gram Panchayat shall be maintained such all records as may be prescribed by the State Government from

time to time.

Chapter VII

Fund, property and contracts of Gram Panchayats

Custody or deposit of the Gram Nidhi 40

Under the provisions of this Act as may be determined by the State Government in case of Gram Panchayat the Gram Nidhi shall be deposited in any such Government Treasury and sub Treasury or by such account open in any Nationalized Bank, Local Bank, Cooperative Bank and post office. The drawing and dispersing of the fund shall be made by the Pradhan and Secretary/ Gram Panchayat Officer by joint signatures.

Establishment of Land Management Committee 41

(1) The Gram Panchayat shall also be the Land Management Committee and as such discharge the duties of up-keep, protection and supervision of all property belonging to or vested in or held by the Gram Panchayat under section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable in Utrakhhand State) or under any other provisions of the said Act.

(2) The Pradhan shall respectively be the Chairman of the Land Management Committee, and the Lekhpal of the area comprised in the jurisdiction of the Gram Panchayat shall be its Secretary.

Function of the Land Management Committee 42

(1) The Land Management Committee shall for and on behalf of the Gram Panchayat be charged with the general management, preservation and control of all property referred to-

(a) the settlement and management of land but not including the transfer of any property for the time being vested in the Gram Panchayat under section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable in Utrakhhand State) or under any other provisions of the said Act,

(b) the preservation, maintenance and development of forests and trees;

(c) the maintenance and development of *abadi* sites and village communications;

(d) the management of *hats, bazars* and *melas*;

(e) the maintenance and development of fisheries and tanks;

(f) the conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the Gram Panchayat relating to or arising out of the functions of Samiti ;

(g) the performance of functions specifically assigned to the Land Management Committee under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 1950 (as applicable in Utrakhhand State) or any other enactment ;

(h) any other matter relating to such management, preservation and control as may be prescribed and may exercise all powers of the Gram Panchayat necessary for or incidental to the discharge of such duties.

(2) The Land Management Committee shall function subject to the provisions of U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act.

Property vested in Gram Panchayat 43

(1) Subject to any savings made by the State Government, all property of the kind specified in this section and situated within the Gram, shall vest in and belong to the Gram Panchayat and shall with all other property which may become vested in the Gram Panchayat, be under its direction, management and control and shall be held and applied for the purpose of this Act, that is to say-

(a) all public buildings of every description which have been constructed or are maintained out of the Gram Nidhi ;

(b) all public roads, which have been constructed or are maintained out of the Gram Nidhi and the stones and other materials thereof and also all trees, erections, materials, implements and things provided for such roads;

(c) Public land and other property transferred by Government to the Zila Panchayat, Kshetra Panchayat and Gram Panchayat or transferred by gift, sale or otherwise for local public purposes.

(d) Right to acquire land- Where a Gram Panchayat or a number of Gram Panchayats which have consolidated under the provisions of section 42(a) or 160 require any land to carry out any purpose of this Act, it or they shall first try to have the land by private negotiation and if the parties concerned fail to arrive at an agreement, such Gram Panchayat or Gram Panchayats may make an application in the prescribed form to the Collector to acquire the land and the Collector may acquire such land for such Gram Panchayat or Gram Panchayats.

(e) Disposal of claims- Where any dispute arises as regards to the ownership of any property mentioned in section 43 between a Gram Panchayat and any person, the Gram Panchayat shall give such persons a reasonable opportunity of being heard and then decide whether to treat the said property as the property of the Gram Panchayat or not ?

Preparation and passing of the Budget of Gram Panchayat 44

(1) Every Gram Panchayat shall, within such period and in such manner as may be prescribed, prepare a statement of the estimated receipts and expenditure of the Gram Panchayat for the financial year commencing on the first day of April next following which shall be passed by the Gram Panchayat by a simple majority

of the members present and voting at a meeting of the Gram Panchayat and the quorum for such a meeting shall be more than half of the total number of the members of the Gram Panchayat.

(2) The responsibility of preparing budget of Gram Panchayat shall be on the Secretary of Gram Panchayat.

(3) The Secretary shall forward the passed budget of Gram Panchayat within five days from the date of budget passed by Gram Panchayat to the approval of concerning Kshetra panchayat.

(4) The Kshetra panchayat shall return budget of Gram panchayat up to the fixed date in original or with required modification to the Gram Panchayat. The Gram panchayat as per these modification with prepare budget shall forward again to the Kshetra Panchayat within the determined time and the Kshetra panchayat shall return the passed budget before the determined date to the Gram panchayat. If the Kshetra Panchayat not approve the budget of Gram Panchayat within 15 days then the budget of Gram Panchayat shall be deemed finally passed.

**Audit of Accounts
of the Gram
Panchayat 45**

(1) (a) The Audit of the accounts of the Gram Panchayat shall be made every year in such procedure as may be appointed by local fund account Audit department or other authority who is determined for this purpose by the State Government. A copy of Audit report shall be provided within a month after completion of audit to the concerning Panchayat by the department.

(b) On the receipt of audit report the Panchayat shall remove errors and irregularities found in the audit and compliance report shall forward to the local fund account audit department or other authority within three months, determined for this purpose by the State Government.

(2) The social audit of all plans conducted in the Gram Panchayats shall also be made.

Chapter VIII

Taxation and Levy of Fees, Cess and Tolls

**Tax and other
source of income
of Gram
Panchayat 46**

For the purpose of this Act, the Gram Panchayat may impose following tax and fees under its own jurisdiction;

(1) (a) in areas where the right, title and interest of intermediaries have been acquired under the Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950 the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Refonds Act, 1956 or the Kumaun and Uttara khand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, a tax on land not less than twenty-five paise but not exceeding fifty paise in a rupee on the amount of land revenue payable or deemed to be payable therefor, Provided that where the land is in the actual

cultivation of a person other than the person by whom the land revenue therefor is payable or deemed to be payable, the tax shall be payable by the person in actual cultivation.

(b) areas other than those referred to in clause (a), a tax on land revenue not less than twenty five paise but not exceeding fifty paise in a rupee on the amount of land revenue payable by a tenant, by whatever name he called, under the law in force relating to land tenures;

Provided that where the land is in the actual cultivation of the person other than the person liable to pay land revenue thereof, shall be payable by the person in actual cultivation of such land.

(2) Tax on profession of other types in jurisdiction of the Gram Panchayat except Agriculture and Horticulture.

(3) fee on transfer of property under the jurisdiction of Gram Panchayat.

(4) fee on all type of purchase and sale under the jurisdiction of Gram Panchayat in which purchase and sale of cattle's is also include.

(5) the panchayat may recover fee by making by-laws under its jurisdiction-

(a) fee on vehicles, which are running within the exclusive jurisdiction of the Gram Panchayat;

(b) sanitary fee, if the Gram Panchayat made provisions for sanitary;

(c) fee on drinking water and irrigation, if the Gram Panchayat made provisions for drinking water and irrigation;

(d) fee on Haat market and fairs;

(6) The tax and fee may be imposed by the tri-Panchayat on wedding points, Mandap, resort, entertainment places as such as may be prescribed by the State Government.

(7) The imposition of cess on sale in the shops of Government liquor established within the limit of Gram Panchayat as may be prescribed by the State Government.

(8) The fee imposition on sanctioning maps of building construction and modifications as may be prescribed in the rules by the State Government.

(9) **Building Tax-** imposition of fixation of annual tax on the basis of total area limit within the Gram Panchayat;

Provided that the State Government may change, amend or rescind as determined as per necessity.

(10) In which jurisdiction of Panchayats running work of sand, gravel etc. mining works or functioning under the three level Panchayat, the State Government may direct under the rule for determined share of royalty to the Panchayats.

(11) If any villagers to keep Haat market in the Gram Panchayat, then the concerned Gram Panchayat has right to issue licence of such halt, such provisions may be incorporated, as may be prescribed.

(12) Before issuing license for slaughter house no objection certificate of the Gram Panchayat and imposition of fee etc. accordingly as may be prescribed.

(13) The provisions may be made for surcharge on stamp duty, the State Government may made provisions in the rules by the consultation of the law department.

(14) The powers of imposition of tax on advertisement, holdings etc. in the Panchayat area may be given to the concerning Panchayats. The State Government shall determined separate jurisdiction for Panchayats of tri levels.

(15) In case of misappropriation and encroachment of property etc. of Panchayats, the powers of fine and punishment may be given to the Gram panchayats as may be prescribed.

(16) To collect rubbish, filthiness (cleaning of roads regularly, cleaning of filthiness every day, removal of dead cattle's, dustbin, to collect personal rubbish, to reach upto rubbish depot, dead body of dustbin and cattle's, institutional rubbish, ashes, dust the apace for temporary collection of domestic rubbish and provisions relating to pot holder) from every house and powers of solid vest management may be given to the Gram Panchayat within his jurisdiction.

(17) if cleaning is done by the Gram Panchayat, then a tax may impose for cleaning of private toilets and drains which shall be payable by the owners or occupiers of the house to which the private toilet or drain is attached;

(18) a tax for cleaning and lighting of streets and sanitation.

Powers to borrow 47

The Gram Panchayat may take barrow from Nabard on permission of the State Government for employment, running cottage industry, horticulture to the local peoples.

Share of Gram Panchayat in taxes 48

If the Zila Pachayat by resolution, decides to recover any of its tax, fee or charge through gram Panchayat, then the fix, percentage of recovered amount by the Gram Panchayat under its jurisdiction, which may be fixed by the rules, shall be given to the Gram Panchayat.

Recovery of dues of Gram Panchayat 49

Any sum due to a Gram Panchayat under this Act or under any rule or bye-laws made thereunder and declared by this Act or such rule or bye-law to be recoverable in the manner provided by this chapter shall, mutatis mutandis, be recovered as provided and prescribed as such manner in this chapter.

Part III

Chapter IX

Establishment a Constitution of Kshetra Panchayat, disqualification and Election

Structure and incorporation of Kshetra Panchayat 50

(1) Division of rural areas into Khands- The State Government shall by notification in the Gazette divide the rural area of each district into Khands specifying each Khand by a name and the limits or constituents of its area and may likewise change the names or make modifications in the areas and limits of the Khands by including therein or excluding therefrom areas or create new Khands.

(2) Effect of changes in Khands- When any area is under subsection (3) of section 50 excluded from one Khand and included in another such area shall cease to be subject to the jurisdiction of the Kshetra Panchayat of the Khand from which it has been excluded and become subject to the jurisdiction of the Kshetra Panchayat of the Khand in which it has been included and the rules, notifications, orders, directions and notices applicable thereto and the State Government may place at the disposal of such Kshetra Panchayat such portion of the assets of the Kshetra Panchayat from whose jurisdiction the area has been excluded as it may deem proper and may make such orders and give such directions as it may consider necessary to effectuate the change;

Provided that where the area excluded from the one Khand is included in a new Khand having no Kshetra Panchayat constituted therefor, then until a Kshetra Panchayat is constituted for the new Khand, the Kshetra Panchayat of the Khand from which that area has been excluded, shall continue to exercise Jurisdiction in that area, and anything done or any action taken including any appointment or delegation made, notification, order or direction issued, rule, regulation, from bye-law or scheme framed, permit or licence granted or registration effected under the provisions of this Act in respect of such area by such Kshetra Panchayat, shall with respect to the new Khand, be deemed to have been done or taken by the new Kshetra Panchayat under the provisions of this Act and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any

action taken under this Act.

- (3) There shall be a Kshetra Panchayat for every Khand bearing the name of that Khand and constituted as hereinafter provided. A Kshetra Panchayat shall consist of a Pramukh, who shall be its presiding one Senior Up Pramukh and Junior Up Pramukh, which shall be constituted by-
- (a) elected members, who shall be chosen by direct election from the territorial constituencies in the Panchayat area and for this purpose the Panchayat area shall be divided into territorial constituencies on the basis of population;
 - (b) all the Pradhans of the Gram Panchayats in the Khand;
 - (c) Member of State Vidhan Sabha and Lok Sabha;
 - (d) the members of the Rajya Sabha who are registered as electors within the Khand.

The member of Kshetra Panchayat mentioned in clauses (b), (c) and (d) of sub-section (3) shall be entitled to take part in the proceedings and vote at the meetings of the Kshetra Panchayat except in matters of no-confidence motion against the Pramukh or the senior Up-Pramukh or junior Up-Pramukh;

Provided that on no confidence motion of Pramuks and senior Up Pramuk and Junior Up Pramukh of Kshetra panchayat, the matter shall considered only by elected member of the Kshetra Panchayat.

- (4) Every elected member of the Zila Panchayat representing constituency which comprises, wholly or partly, any Kshetra Paanchayat, shall be entitled to take part and express his views in the meetings of such Kshetra Panchayat as a special invitee but shall have no right to vote in such meetings.
- (5) **Standard for territorial constituencies of the Kshetra panchayat -**
- (a) For constitution of the Kshetra Panchayat according to the provisions made by the Act from time to time shall be under the direction and final delimitation which shall be notified by the State Government.
 - (b) There shall be 20 territorial constituencies in the Khand of hill areas having the population upto 25,000 and 20 territorial constituencies in the Khand of planes areas having the population more than 50,000 in the respective Khand, there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial Panchayat Khand constituencies but shall not exceed 40;

Provided that the proportional population of the territorial constituencies in the releted Khand will be the same as far as practicable;

Provided further that territorial constituency of any constituent village Panchayat in the regional election area of

		any Kshetra panchayat shall not be included partially.
Constitution and reconstitution of a Kshetra Panchayat	51	The State Government shall arrange the constitution or the reconstitution of the present area of Kshetra Panchayat in every districts if any, thereof before the expiry of its term or when otherwise required for the purposes of this Act.
Removal of difficulties in the establishment of Panchayats	52	If, in establishing any Kshetra Panchayat any dispute or difficulty arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any rule made thereunder or any matter arising out of or relating to such interpretation or any matter not provided in this Act, the same shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and conclusive.
Disqualifications for membership of Kshetra Panchayat	53	(1) A person shall be disqualified for being elected as and for being a member of a Kshetra Panchayat, if he-- <ul style="list-style-type: none"> (a) is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of election of the State Legislature; Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years; (b) he have salaried servant of Gram Panchayat/ Kshetra Panchayat / Zila Panchayat; (c) holds any office of profit under a State Government or the Central Government or a local authority or controlled by any State Government or Central Government or any Board, bodies or corporation owned or controlled by any State Government or Central Government in which Aaganbadi Assistant, Attendance, Secretary of Cooperative Committee and salary paid employees and working employees on honorarium under the State and Central sponsored schemes shall be include; (d) has been dismissed from the service of a State Government, the Central Government or a local authority for misconduct; (e) is in arrears of any tax, fee rate or any other dues payable by him to the Kshetra Panchayat for such period as may be prescribed or has inspite of being required to do so by Kshetra Panchayat, failed to deliver to it any record or property belonging to it which had come into his possession by virtue of his holding any office under it ; (f) is Chairman are vice chairman of any Nagar Nikay; (g) is an undischarged insolvent; (h) has been convicted of an offence involving moral

turpitude;

(i) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months for contravention of any order made under the Essential Commodities Act, 1955;

(j) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 or the U.P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947;

(k) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months under the U.P. Excise Act, 1910(As applicable in the State of Uttrakhand);

(l) has been convicted of an offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(m) has been convicted of an election offence ;

(n) has been convicted of an offence under the U.P. Removal of Social Disabilities Act, 1947 or the Protection of Civil Rights Act, 1955;

(o) has been removed from office under section 138 unless such period, as has been provided in this behalf in the said section or such lesser period as the State Government may have ordered in a particular case has elapsed;

Provided that the disqualification under clause (e) shall cease upon payment of arrears or delivery of the record or property, as the case may be;

Provided further that a disqualification under any of the clauses referred to in the first proviso may, in the manner prescribed, be removed by the State Government.

(p) In place of women member/ Pramuks/ senior Pramukh/ junior Up Pramukh of Kshetra Panchayat, if her husband or other family members or relative shall preside the meetings and discharged the duties of Kshetra Panchayat and declared faulty then said women and concerning person who is presiding meetings and discharged the duties, both shall be disqualified for forthcoming general election of three level of Panchayat.

(2) Disqualification due to corruption- An authority competent to decide election disputes under this Act or the rules made thereunder may declare any candidate found to have committed any corrupt practice to be incapable, for any period not exceeding five years from the date of declaration, of being chosen as a member of a Kshetra Panchayat, or elected as a Pramukh of a Kshetra Panchayat

or of being appointed or retained in any office or place in the gift or disposal of a Kshetra Panchayat.

Disqualification as for no-toilets-

(3) (a) If any person convicted by the competent court under the provisions of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, then he shall be disqualified for contesting Panchayat election.

(b) If there is no toilets established in the house of those persons residing in the jurisdiction of concerned Panchayat, they shall be disqualified for the candidature of the Panchayat at election.

(4) Cessation of membership- (i) A member of Kshetra Panchayat shall cease to be such member if the entry relating to that member is deleted from the electoral roll for a territorial constituency of Kshetra Panchayat;

(ii) Where any person ceases to be a member of a Kshetra Panchayat under sub-section (1) he shall also cease to hold any office to which he may have been elected, nominated or appointed by reasons of his being a member thereof.

(5) Decision on question as to disqualification- If any question arises as to whether a person has become subject to any disqualification mentioned in any section of under this Act, the question shall be referred to the prescribed authority for the decision and his decision shall, subject to the result of any appeal as may be prescribed, be final;

Provided that if the name of any person struck off from the electoral roll of Kshetra panchayat by reason of any such disqualification shall forth with be reinstated in that roll, if such disqualification is, during the period of such electoral roll is in force, removed under any law authorizing such removal.

(6) Prohibition of holding more than one seat simultaneously of Panchayats- Any person neither be candidate in the election from one or more territorial constituencies election areas in the Kshetra Panchayat nor he may hold one or more post in the Kshetra Panchayat.

(1) For each territorial constituency of a Kshetra Panchayat, an electoral roll shall be prepared, in accordance with the provisions of this Act, and the rules made thereunder under the superintendence, direction and control of the State Election Commission.

(a) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the State Election Commissioner shall supervise and perform all functions relating to the preparation, revision and correction of the electoral rolls in the State in

**Electoral roll for 54
each
territorial
constituency**

accordance with this Act and the rules made thereunder.

(b) The preparation, revision and correction of the electoral rolls shall be done by such persons and in such manner, as may be prescribed.

(2) The electoral roll for the territorial constituency of a Kshetra Panchayat shall consist of the electoral roll prepared of a Gram Panchayat or Gram Panchayats comprised within the territorial constituency of the Kshetra Panchayat and it should not be necessary to prepare or revise the electoral roll separately for any such territorial constituency of a Kshetra Panchayat :

Provided that any correction, deletion or addition made in the electoral roll after the last date for making nominations for any election to the Kshetra Panchayat and before the completion of that election shall not be taken into consideration for the purposes of that election.

(3) The electoral roll referred to in clause (b) of sub-section (1) shall be published in the prescribed manner and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made in accordance with this Act and the Rules made thereunder be the electoral roll for that territorial constituency prepared in accordance with the provisions of this Act.

(4) Subject to the provisions of clause (a), (b) of sub-sections (1), every person who has attained the age of 18 years on the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared or revised, and who is ordinarily resident in the territorial constituency of a Gram Panchayat shall be entitled to be registered in the electoral roll for the territorial constituency;

Provided that-

(i) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in the territorial constituency on the ground only that he owns or is in possession of, a dwelling house therein.

(ii) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

(iii) A member of Parliament or of the Legislature of the State shall not during the term of his office cease to be ordinarily resident in the territorial constituency merely by reason of his absence from that area in connection with his duties, as such member.

(iv) Any other factors that may be prescribed shall be taken into consideration for deciding as to what persons may or may not be deemed to be ordinarily residents of a particular area at any relevant time.

(v) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case.

(5) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll, if he-

(a) is not a citizen of India; or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with elections.

(6) The name of any person who becomes disqualified under subsection (6) after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included :

(7) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one in any territorial area or more than once in the electoral roll for the same Panchayat.

(8) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any territorial constituency, if his name is entered in any electoral roll pertaining to any city, municipality or cantonment unless he shows that his name has been struck off such electoral roll.

(9) Where “the Electoral Registration Officer or Asst. Electoral Registration Officer” is satisfied after making such inquiry as it may deem fit, whether on an application made to it or on its own motion, that any entry in the electoral roll should be corrected or deleted or that the name of any person entitled to be registered should be added in the electoral roll, it shall subject to the provisions of this Act and rules and orders made thereunder correct , delete or add the entry as the case may be:

Provided that no such correction, deletion or addition shall be made after the last date for making nominations for an election in the Gram Panchayat and before the completion of that election:

Provided further that no deletion or correction of any entry in respect of any person affecting his interest adversely shall be made without giving him reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

(10) The State Election Commission may, if it thinks it necessary so to do for the purposes of a general or by-election, direct a special revision of the electoral roll for any territorial constituency of a Gram Panchayat in such manner as it may think fit:

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the territorial constituency, as in force at the time of issue of any such direction, shall continue to be in force until the

completion of the special revision so directed.

(11) In so far as provisions is not made by this Act or the rules, the State Election Commission may, by order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral roll, namely-

(a) the date on which the electoral roll prepared under this Act shall come into force and its period of operation ;

(b) the correction of any existing entry in the electoral roll on the application of the elector concerned;

(c) the correction of clerical or printing errors in electoral rolls;

(12) the inclusion in the electoral roll of the name of any such person-

(i) whose name is included in the Assembly electoral roll for the area relatable to the territorial constituency but is not included in the electoral roll for that territorial constituency or whose name has been wrongly included in the electoral roll for some other territorial constituency; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly electoral roll but who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll for the territorial constituency; -

(a) the custody and preservation of the electoral rolls;

(b) fees payable on applications for inclusion or exclusion of names;

(c) generally all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

(d) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Election Commission may, for the purposes of preparation of the electoral roll for a territorial constituency adopt the electoral roll for the Assembly constituency prepared under the Representation of the People Act, 1951 for the time being in force so far as it relates to the area of that territorial constituency:

Provided that the electoral roll for such territorial constituency shall not include any amendment, alteration or correction made after the last date for making nomination of such election.

(13) No civil court shall have jurisdiction -

(a) to entertain or adjudicate upon the question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a territorial constituency; or

(b) to question the legality of any action taken by or under the

authority of the State Election Commission or of any decision given by any authority or officer appointed in this behalf in respect of preparation and publication of electoral rolls.

(14) Right to vote etc.- Except as otherwise provided by or under this Act, every person whose name is for the time being included in the electoral roll for the territorial constituency of a Kshettra Panchayat shall be entitled to vote at any election thereto and be eligible for election to the membership or to any office in the Kshettra Panchayat;

Provided that a person who has not completed the age of eighteen years shall not be qualified to be elected as member or office bearer of the Kshettra Panchayat.

Chapter X

Kshettra Panchayat and its office bearer and their election

**Election of 55
Pr mukh, Senior
Up Pr mukh,
Junior Up
pr mukh and
members of
Kshettra
Panchayat**

(1) Elected members of every Kshettra Panchayat shall elect a Pr mukh and a Senior Up Pr mukh and a Junior Up Pr mukh from themselves.

(2) Notwithstanding vacant any post of elected member of the Kshettra Panchayat, the election for the office of the Pr mukh and Up Pr mukh may be made;

Provided that the election of Pr mukh, Up Pr mukh shall be made in prescribed procedure of election according the provisions given in this Act by the elected member of the Kshettra Panchayat from themselves;

Provided further that for the office of the Pr mukh and Up Pr mukh of the Kshettra Panchayat, the provisions of sub section (2) shall be apply mutatis mutandis.

**The provisions of 56
reservation on the
post for the
Scheduled Caste,
Scheduled Tribes,
Backward Classes,
Women in the
Kshettra
Panchayat**

In every Kshettra Panchayat seats shall be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall, as nearly as may be, bear the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Kshettra Panchayat as the population of the Scheduled Castes in the Khand or of the Backward Classes in the Khand bears to the total population of such Khand and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Kshettra Panchayat in such order as may be prescribed ;

Provided that the reservation for the Backward Classes shall not exceed fourteen per cent of the total number of seats in the Kshettra Panchayat;

Provided further that if the figures of population of the

Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.

(a) Not less than one-half of the seats reserved shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, as the case may be.

(b) Not less than one-half of the total number of seats, including the number of seats reserved shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Kshetra Panchayat in such order as may be prescribed.

(c) The reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution.

Explanation—It is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats.

**Term of
Kshetra
Panchayat and
its Office-bearer**

57

(1) Every Kshetra Panchayat shall unless sooner dissolved under this Act, continue for five years the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) Amendment in any level of any law for time being in force shall not dissolve such Kshetra panchayat working before such amendment unless the time as specified in sub-section (1) terminate/ finishes.

(3) Save as otherwise provided in this Act the term of office of a Pramukh or Up Pramukh of a Kshetra Panchayat shall extend up to the term of the related Panchayat.

Mode of election

58

The election for the post of any Member of Kshetra Panchayat shall be made by the secret ballot procedure or EVM which may be prescribed by State Government;

Provided that for Panchayats no bar for unopposed election of the mentioned post holders in this section.

**Superintendence of
the
elections of
Kshetra
Panchayat and
establishment of
State Election
Commission etc.**

59

(1) The conduct, Superintendence, direction and control of the elections to the office of Pramukh, Up-Pramukh and a Member shall be vested in the State Election Commission.

(2) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the State Election Commissioner shall supervise and perform all functions relating to the conduct of the election of Pramukh, Up Pramukh and Members.

(3) The State Government shall, in consultation with the State Election Commission by notification, appoint the date or dates for general

election or bye-election of the Pramukh, Up-Pramukh and Members of a Kshetra Panchayat.

(4) For above purposes, there shall be establishment of State Election Commission at State level.

Chapter XI

Resignation of office bearer, termination, fulfilment of casual vacancies of Kshetra panchayat and internal and external control thereof.

Resignation of office bearers of Kshetra Panchayat 60

(1) A Pramukh Up-Pramukh or a Member of a Kshetra Panchayat may, by writing under his hand addressed to District Magistrate, resign.

(2) If resigning Pramukh, Up Pramukh or member not withdraw his resignation within ten days then after the sanction of Zila Magistrate the resignation by the Pramukh, Up Pramukh or members office shall be deemed vacant from the date of receiving in the office of Kshetra panchayat.

Filling of casual vacancies in Kshetra Panchayat 61

If a vacancy occurs by reason of death or removal, resignation or refusal or otherwise in the office of Pramukh, Up-Pramukh to take oath of an office member of the Kshetra Panchayat, it shall be filled from the date of such vacancy in the manner provided in this Act, for the residue of the term of Panchayat;

Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Panchayats is less than six months, the vacancy shall not be filledup.

Arrangement in absence of Pramukh of Kshetra Panchayat 62

When the Pramukh is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, and the office of Up- Pramukhs are vacant, or when the Up-Pramukh, if, acting under the provisions of this Act, during the vacancy in the office of Pramukh is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the prescribed authority may, by order, in written make such arrangement, as he thinks fit, for the discharge of the functions of the Pramukh, until the date on which the Pramukh as the case may be resumes his duties.

Motion of no confidence in Pramukh, Up-Pramukh, Senior Up Pramukh and Junior Up Pradhan and quoram of meetings 63

(1) A written notice of intention to make the motion on no confidence in such form in Pramukh or Up Pramukh as may be prescribed signed by at least half of the total number of elected members of the Kshetttra Panchayat for the time being together with a copy of the proposed motion, shall be delivered in person, by three of the members signing the notice, to the Chief Development Officer having jurisdiction over the Kshetra Panchayat.

(2) The Chief Development Officer shall thereupon:-

(a) convene a meeting of the Kshetra Panchayat for the

consideration of the motion of no confidence at the office of the Kshetra Panchayat on a date appointed by him, which shall not be later than thirty days from the date on which the notice under sub-section (1) was delivered to him ; and

(b) give to the members of the Kshetra Panchayat notice of not less than fifteen days of such meeting in such manner as may be prescribed.

(3) Related/ Associated Chief Development officer may direct the sub district magistrate or any district level officer to preside such special meeting.

(4) If, within half an hour from the time appointed for the meeting such officer/ sub-district Magistrate is not present to proceed at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and time to be appointed by may prescribed officer.

(5) If the officer/ sub district magistrate mentioned in sub-section (4) is unable to preside at the meeting, he may, after recording his reasons, adjourn the meeting to such other date and time as he may appoint, but not later than 25 days from the date appointed for the meeting subject to sub-section (2). He shall without delay inform the Chief Development Officer in writing of the adjournment of the meeting. The chief Development Officer shall give to the members at least ten days Notice of the next meeting in the manner prescribed under sub-section (2).

(6) Save as provided in sub-sections (4) and (5), a meeting convened for the purpose of considering a motion under this section, shall not be adjourned.

(7) As soon as the meeting convened under this section commences, the Presiding Officer shall read to the motion for the consideration of which the meeting has been convened and declare it to be open for debate.

(8) No debate on any motion under this section shall be adjourned.

(9) Such debate shall automatically terminate on the expiration of two hours from the time appointed for the commencement of the meeting, if it is not concluded earlier, on the expiration of the said period of two hours, whichever is earlier, the motion shall be put to vote which shall be held in the prescribed manner by secret ballot.

(10) The presiding Officer shall not speak on the merits of the motion and he shall not be entitled to vote thereon.

(11) A copy of the minutes of the meeting, together with a copy of the motion and the result of the voting thereon, shall be forwarded forthwith on the termination of the meeting by the Presiding Officer

to the State Government and District Magistrate having Jurisdiction;

(12) If the motion is passed with the support of two-third of the total number of members of the Kshetra Panchayat for the time being-

(a) the Presiding Officer shall cause the fact to be published by affixing a notice thereof on the notice board of the office of the Kshetra Panchayat ;

(b) the Pramukh or Up-Pramukh, as the case may be, shall cease to hold office as such and vacate the same on and from the date;

Provided that-

In computing the period of thirty days specified in this sections, the period during which a stay order, if any, issued by a competent court on a petition filed against the motion made under this section is in force plus such further time as may be required in the issue of fresh notices of the meeting to the member, shall be excluded;

Provided further that motion of any no confidence against the Pramukh, Up Pramukh-

(1) from resuming his office from such date within the period of one year;

(2) from such date in which his period as the case may be ending, within the tenure of preceding six months;

(3) from such date in which the no confidence motion was rejected within the period of one year shall not kept before the Kshetra Panchayat.

Powers of State Government in case of default of Kshetra Panchayat 64

(1) If at any time, upon representation made or otherwise, it appears to the State Government that a Kshetra Panchayat, or joint Committee, or other Committee of the kshetra Panchayat has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any other Act, the State Government may, by order in writing, fix a period for the performance of that duty.

(2) If that duty is not performed with the aforesaid period so fixed, the State Government, may appoint the District Magistrate, or any other competent authority to perform it and may direct that the expense, if any, of performing the duty shall be paid, within such time as may be fixed by the District Magistrate or any other person authorized by the State Government in this behalf, by the Kshetra Panchayat.

(3) If the expense is not so paid, the District Magistrate or any, other person authorized by the State Government in this behalf with the previous sanction of the State Government may, make

an order directing the authority having the custody of the Gram Nidhi, Kshetra Nidhi and Zila Nidhi to pay the expenses from such fund.

External control over Kshetra Panchayat 65

In case of Kshetra Panchayat the District Magistrate shall be prescribed authority and such powers, duties, acts is vest in the director Panchayati Raj, they shall be deemed vest in the District Magistrate in case of such Kshetra panchayat.

Chapter XII

Functions, meetings, duties, rights and administration of Kshetra Panchayat

Meetings and function, duties, powers and administration of Kshetra Panchayat 66

(1) A Kshetra Panchayat shall meet quarterly for the transaction of business minimum four meetings.

(2) The Pramukh, in his absence from the Up-Pramukh, may convene a meeting of the Kshetra Panchayat whenever he thinks fit and shall, upon a requisition made in writing by not less than one-fifth of the members of the Kshetra Panchayat and served on the Pramukh or Up Pramukh or sent by registered post acknowledgment due addressed to the Kshetra Panchayat at its office, must convene a meeting of the Kshetra Panchayat of the service or receipt of such requisition.

(3) A meeting may be adjourned until the next or any subsequent day and adjourned meeting shall be organised within one month.

(4) Every meeting shall be held at the office of the Kshetra Panchayat or at some other convenient place of which notice has been duly given.

(5) The quorum for the meeting of Kshetra Panchayat shall be one third of the total members. For any adjourned meeting the quorum shall be one third but when, quorum of the meeting is not completed second time, then the quorum for next meeting shall be one fifth;

Provided that for convened meeting agenda shall be as it is;

Provided further that in case of necessity the special meeting of the Kshetra panchayats may be conducted.

Procedure of meetings of Panchayats etc.- The following matters relating to meetings of Kshetra Panchayat shall be governed by rules-

- (a) transaction of business at the meeting ;
- (b) quorum for transaction of business ;

- (c) presiding over the meeting in the absence of Pramukh and the Up Pramukh ;
- (d) asking of questions by members;
- (e) notice of meeting;
- (f) maintaining of order at the meeting;
- (g) decision by vote ;
- (h) minute book and resolutions;
- (i) right of government servants, persons authorized by the State Government and other persons to attend and take part in discussions ;
- (j) right of Kshetra Panchayat to require attendance of servants of the State Government to attend its meetings ;
- (k) right of officers of the Kshetra Panchayat in regard to meetings ;
- (l) right of the Kshetra Panchayat to require reports, returns; etc. from the Block Development Officer; and
- (m) other incidental matters which need or ought to be prescribed.

(3) Powers of Kshetra Panchayat to require report, etc. and right of interpellation- The Kshetra Panchayat may require the Pramukh and Secretary / the Block Development Officer produce of any of its meetings-

(a) any return, statement, estimate, statistics or other information regarding any matter pertaining to the administration of the the Kshattra Samiti, as the case may be ;

(b) a report or explanation of any sub-committee; and

(c) any report, correspondence or plan or other document or a copy thereof which is in his possession or control as Pramukh Khand Vikas Adhikari, or which is recorded or filed in the office of the any servant of the Kshetra Panchayat, as the case may be.

(4) Saving in respect of jurisdiction of Kshetra Panchayats- Nothing in this Act shall confer on any Kshetra Panchayat any right in respect of any work or institution carried out and maintained by any agency not under the control of such Kshetra Panchayat, entitle a Kshetra Panchayat to exercise within the limits of any Nagar Mahapalika, municipality, notified area, cantonment or town area any authority which is vested in the Nagar Mahapalika, municipal board, notified area committee, cantonment board, district magistrate, any other magistrate or town area committee, as the case may be, provided that the Kshetra Panchayat may nevertheless,

Provided that Kshetra Panchayat-

(a) construct, maintain and control within the aforesaid limits any school, library, hospital, dispensary, poor house, asylum, orphanage, inspection house or other building or institution which is not maintained exclusively for the benefit of persons residing within the aforesaid limits, and

(b) do anything within the aforesaid limits the doing of which is necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

General powers and duties of the Kshetra Panchayat 67

(1) Conferred under this Act or in relation to acts assigned him by the State Government and with the collection of received project from Gram Panchayat, prepare annual plan and produce before the Zila Panchayat;

(2) To sanction annual plan and Budget of the Gram Panchayat;

(3) To prepare Budget of Kshetra Panchayat and produced before the Zila Panchayat;

(4) To maintain coordination with Gram panchayat and to gives guidelines;

(5) To provide emergency help in the natural calamities; and

(6) To exercise powers and discharge functions assigned or delegated to him by the State Government or Zila Panchayat.

In addition to the said powers and duties every Kshetra Panchayat shall exercise its powers and functions within the block/ Khand as refered in section 74(A).

Preparation of plans by Kshetra Panchayat 68

(1) Every Kshetra Panchayat shall prepare a development plan every year for their own Khand including the development plan of Gram Panchayats of Khand of Kshetra Panchayat.

(2) The plan referred to in sub-section (1) shall be prepared by the Planning and Development Committee with the help of the Secretary/Khand Vikas Adhikari, in the manner prescribed and submit it to the Kshetra Panchayat.

(3) The Secretary/Block Development Officer shall submit the plan as approved by the Kshetra Panchayat to the Zila Panchayat before such date as may be, prescribed.

(4) The State Government shall constitute a District Planning Committee for collection of plans prepared by the Panchayats and Nagar palikas at the district level.

All officers and servants of a Kshetra Panchayat to be public servants 69

Every Pramukh, Up Pramukh, and officer or servant of a Kshetra Panchayat, shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code, 1860, and in the definition-of “legal remuneration” in section 161 of the Code, the word

		"Government" shall, for the purpose of this section, be deemed to include and a Kshetra Panchayat
Performance of powers by the Kshetra Panchayat	70	Such powers, duties and functions of the Kshetra Panchayat which shall be exercised only by Kshetra Panchayat under the provisions of this Act, such powers and functions may be delegate by the resolution to any Pramukh or committee by the Kshetra Panchayat.
Duties and powers of Pramukh of the Kshetra Panchayat	71	<p>(1) It shall be the duty of Pramukh unless provided otherwise by this Act or prevented by reasonable cause -</p> <p>(a) to convene and preside at all meetings of the Kshetra Panchayat and of such of its committees as may be prescribed in this behalf ;</p> <p>(b) otherwise to control in accordance with any regulation made in this behalf the transaction of business at all meetings of the Kshetra Panchayat.</p> <p>(2) to watch over the financial and superintend the executive administration of the Kshetra Panchayat and bring to the notice of the Kshetra Panchayat any defect therein ;</p> <p>(3) The supervision and monitoring of the work to be made performed by the Gram Panchayat and Kshetra panchayat and to receive detailed letters, accounts, representation and copy of instruments, copy of past resolution of Panchayat of their any committee for this purposes.</p> <p>(4) to perform such other duties as are required or imposed on him under this Act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force.</p> <p>(5) during a vacancy in the office of Pramukh the UP Pramukh shall perform all function and exercise all powers of the Pramukh ;</p> <p>(6) at any time perform any duty or function and exercise, when occasion arises, any powers delegated to him by the Pramukh and Kshetra Panchayat;</p>
Office of Kshetra Panchayat	72	The Kshetra Panchayat shall have its office at such place where the headquarter of Kshetra Panchayat is situated or as may be determined by the State Government.
Delegation of powers and duties to the Senior Up Pramukh, Junior Up Pramukh or Panchayats by the Pramukh of Kshetra panchayat	73	The Pramukh of Kshetra panchayat may assigned his duties and powers to the senior Up Pramukh, junior Up pramukh.

**Committees of 74
Kshetra
Panchayat**

Subject to this Act, the Kshetra panchayat shall constitute such Committee or Committees, as may be notified by the State Government from time to time by such mode and for the performance of such duties, which are further mentioned, to provide such kind of assistance in the performance of all or any functions of Kshetra panchayat, panchayats may delegate such of its powers of functions as it may deem fit. The Kshetra Panchayat shall have following committees,--

(A) **Kshetra Panchayat**- kshetra Panchayat has been constituted shall appoint the following six committees in the manner and for performance of duties hereinafter-

- (1) Planning and development Committee;
- (2) Education Committee;
- (3) Health and welfare Committee;
- (4) Construction Committee;
- (5) Administrative Committee
- (6) Water Management and Biodiversity Management,

(B) **Sub-committees -**

- (1) A Committee may appoint one or more sub-committees for examination and report on any matter with which it is concerned or for discharging any of its functions.
- (2) The composition and term of a sub-committee shall be such as may be decided by the Committee.
- (3) The report or action of the sub-committee shall be deemed to be the report or action of the Committee if approved by it.

(C) **Subordination of committees or sub-committees-**

(1) A Kshetra Panchayat may at any time call for from any of its committees and likewise a committee may call for from any of its sub-committees, a report of or extract from the proceedings of such committee or sub-committee or as the case may be, any return.

(2) The committee or sub-committee, as the case may be, shall with all convenient speed, comply with the request made under sub-section (1).

Chapter XIII

The officers and employees of the Kshetra Panchayat and penalties and procedure for the violation and infringement of the provisions of the Act

**officers and 75
employees of the
Kshetra**

(1) There shall be an Executive Officer of every Kshetra panchayat, subject to the Kshetra panchayat, the Block Development Officer,

Panchayat

shall discharge the duties of Secretary of the Kshetra panchayat or as may be prescribed by the State Government.

(2) The State Government by the general or special orders according to the necessity for the every Kshetra panchayat may appoint such other officers and employees as to duties performed under this Act and the services of all officers and employees shall be deemed assigned on such conditions as may be prescribed by the State Government.

(3) Subject to this Act the qualifications, pay-scales, number and conditions of service of officers and servants to be employed with Kshetra Panchayat to enable it to carry out functions of Kshetra panchayat shall be such as the State Government may specify.

Powers, functions and duties of officers and other servants of Kshetra Panchayats 76

(1) The powers, functions and duties of the officers and other servants of and Kshetra Panchayats shall be such as may be provided by or under this Act, by or under any other enactment or by rules.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1) heads of departments of a Kshetra panchayat in the case of officers and other employees working in their respective departments and the Chief Executive Officer in the case of other officers and, employees may assign to them powers, functions and duties and the Block Development Officer may assign powers, duties and functions to officers and employed with the Kshetra Panchayat of which he is the Block Development Officer.

Control over the officers and employees of Kshetra Panchayat 77

(1) The Pramukh shall have general control over the Block Development officer/ Secretary.

(2) All other officers and servants employed with the Kshetra Panchayat shall work under the general control of the Block Development Officer/ Secretary.

(3) Officers and other servants of the Kshetra Panchayat shall work under such immediate control as the State Government may specify

Dispute between Kshetra Panchayat and Nagar Nikay etc. 78

If any dispute arises as to the jurisdiction of a Kshetra Panchayat or between two or more Kshetra Panchayats or between a Nagar Panchayat or Nagar palika and the town area or a Municipality, Municipal corporation, it shall be referred to the prescribed authority whose decision shall be final and shall not be questioned in any court of law.

Custody and mode to proof the record in the Kshetra Panchayat 79

(1) Such records who is maintained necessary in the Kshetra panchayat as may be prescribed by the State Government from time to time shall be maintained.

(2) Such prescribed all records by the State Government shall be maintained in the office of with the custody of concerning Secretary/

Block Development Officer.

(3) On application to the Secretary of Kshetra Panchayat and on payment of prescribed fee in case of demand of any information by any person the copy of records shall be issued by the signature of the Secretary. The Secretary with seal shall certified as a true copy;

Provided that no records shall be maintained other than available financial sources, amounts for the purposes of various works by the state Government or Central Government or any other institutions.

Chapter XIV

Fund, Property and Contracts of Kshetra Panchayats

Custody and investment of Kshetra Nidhi **80**

Subject to the provisions of this Act, as State Government may appoint, Kshetra Nidhi in reference to the Kshetra Panchayat shall be deposited in any Government Treasury or sub-treasury or such any Nationalised Bank, Locl Banks, Cooperative Bank, Post office, with opening the Account.

Property vested in Kshetra Panchayat **81**

(1) Subject to any reservation made by the State Government, all property of the nature specified in this section and situated within the Khand/ district shall vest in and belong to the Kshetra Panchayat and shall, with all other property which may become vested in the Kshetra Panchayat, be under its direction, management and control, for the purposes of this Act, namely-

(a) all public buildings of every description which have been constructed or are maintained out of the Kshetra Nidhi ;

(b) all public roads which have been constructed or are maintained out of the Kshetra Nidhi and the stones and other materials thereof and also all trees, erections materials, implements and things provided for such roads ;

(c) all land and other property transferred to the Kshetra Panchayat by Government, or by gift, sale or otherwise for local purposes; and

(d) all tanks and wells and all adjacent lands, buildings, materials and things connected therewith appertaining thereto within the Khand, not being private property and not being maintained or controlled by any Government or by a local authority other than the Zila Panchayat.

(2) (a) Where a Kshetra Panchayat for the purpose of exercising any powers or performing any duty conferred or imposed upon it under this or any other enactment, desires to acquire permanently, any land or any right in respect of land, it, may request the State Government to acquire at, its cost the same under the provisions of the *the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition*,

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No.30 of 2013), or of any other existing law.

(b) On the acquisition by the State Government of such land or such right under the aforesaid provisions and on payment by the Kshetra Panchayat, as the case may be, to the State Government of the compensation awarded thereunder and of the charges incurred by the State Government in connection with the proceedings, the land or right, as the case may be, shall vest in the Kshetra Panchayat, as the case may be.

(3) (a) The management, control and administration of every public institution maintained exclusively out of the Kshetra Nidhi shall vest in the Kshetra Panchayat, as the case may be.

(b) Any other public institution may also be vested in or placed under the management, control and administration of a Kshetra Panchayat;

Provided that the extent of the authority of the Kshetra Panchayat in respect thereof, may be prescribed by rule.

(c) All property, endowments and funds belonging to an public institution vesting in, or placed under, the management, control and administration of a Kshetra Panchayat, shall be held by the Kshetra Panchayat in trust for the purpose to which such property, endowments and funds were lawfully applicable at the time when the institution became so vested or was so placed;

Provided that nothing in the foregoing provisions of this section shall be held to prevent the vesting of any trust property in the Treasurer of Charitable Endowments under the Charitable Endowments Act, 1890.

Preparation and passing the budget of the Kshetra Panchayat 82

(1) The Secretary of Kshetra Panchayat in help with the Planning and Development Committee prepare before such date as is fixed by rule in this behalf a complete account of its actual and expected receipts and expenditure for the year ending on the 31st day of March next, following such date, together with a budget of its income and expenditure for the year commencing on the 1st day of April next following :

Provided that the grants, received from the State Government towards works of planning and development, shall display separately in the estimated income and it shall also be displayed in the estimates of expenditure that how to expend such grants.

(2) The Pramukh shall send to the Zila Panchayat the account and the budget prepared by the planning and development Committee within seven days of their preparation and the Zila Panchayat shall place the account and the budget before the

planning and development committee for scrutiny and making such recommendations as the planning and development committee may think fit.

- (3) The result of scrutiny by the Planning and development committee and its recommendations shall be communicated to the Kshetra Panchayat before such date as may be specified by rule in this behalf.
- (4) The Kshetra Panchayat shall every year at a meeting called before a date specified by rule for the purpose discuss the account and budget prepared by the planning and development committee and then by resolution pass the budget without any modifications or with such modifications as it may deem fit to make.
- (5) If by the date prescribed for the passing of the budget, the budget of any Kshetra Panchayat has not been passed under sub-section (4) then the budget prepared by the planning and development committee shall be deemed to be the budget under the modification as recommended by planning and development committee rererred in sub-section (3) passed as such and it shall remain in force till the Kshetra Panchayat declares it ineffective after passing the budget under sub-section (4).

**Audit of the
Accounts of the
Kshetra
Panchayat**

83

(1) The Audit of the accounts of the Kshetra Panchayat shall be made every year in such procedure as may be prescribed by local fund accounts Audit department or other authority who is determined for this purpose by the State Government. A copy of Audit report shall be provided within a month after completion of audit to the concerning Panchayat by the department.

(2) On receiving of audit report the Panchayat shall remove errors and irregulatory found in the audit and compliance report shall forward to the local fund account audit department or other authority who is determined for this purpose by the State Government within three month.

Chapter XV

Taxation And Levy of Fees, Cess and Tolls

**Imposition of tax
by Kshetra
Panchayat**

84

A Kshetra Panchayat may, in such manner as may be prescribed, impose—

- (a) water tax, where it constructs or maintains a scheme for providing drinking water, water for irrigation or for any other purposes under its jurisdiction;
- (b) electricity tax, where it provides for and maintains lighting arrangement at a public street or other public places;

and

(c) any other tax which the State Legislature has the powers under the Constitution, including Article 277 thereof, to impose in the State and of which imposition by the Kshettra Panchayat has been authorized by the State Government.

Recovery of dues of Kshettra Panchayat **85**

Any sum due to a Kshettra Panchayat under this Act or under any rule or bye-law made thereunder and declared by this Act or such rule or bye-law to be recoverable in the manner provided by this chapter shall, mutatis mutandis, be recovered as provided in this chapter.

Part IV

Chapter XVI

Establishment and incorporation of Zila Panchayat, disqualification and election

Establishment and incorporation of Zila Panchayats **86**

(1) There shall be a Zila Panchayat for each district.
(2) The Zila Panchayat shall be a corporate body. A Zila Panchayat shall consist of a Chairman who shall be its Chairperson and a Vice Chairman and as following -

(a) Pramukhs of all Kshettra Panchayat in the district;

(b) elected members, who shall be chose by direct election from the territorial constituencies in the Panchayat area and for this purpose the Panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner:

(i) minimum 2 territorial constituencies shall be fixed in the development blocks of hill area having the population upto 24000 and in the development blocks having the population more than 24000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies.

(ii) minimum 2 territorial constituencies shall be fixed in the development blocks of plane area having the population upto 50000 and in the development blocks having the population more than 50000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies;

Provided that as aforesaid determined the proportional population of the territorial constituencies in the development blocks will be the same as far as practicable;

Provided further that in the territorial constituency of a Kshettra Panchayat, shall not be include in the territorial constituency of any Zila Panchayat;

(c) the members of the Lok Sabha and the members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies

which comprise any part of the Panchayat area;

(d) the members of the council of States and the members of the who are registered as elector within the Panchayat area.

(3) Each territorial constituency referred to in clause (b) of sub-section (2) shall be represented by one member.

(4) The members of the Zila Panchayat mentioned in clauses (a), (c) and (d) of sub-section (2) shall be entitled to take part in the proceedings and vote at the meetings of the Zila Panchayat except in matters of election of and on a motion of no-confidence against, the Chairman or the Vice Chairman ;

Provided that on the no confidence motion of Chairman and Vice chairman of Zila Panchayat only the elected member as mentioned in the said sub-section (2)(b), may consider.

Effect of changes in districts

87

Where a new district is created, the Zila Panchayat having jurisdiction in any area therein immediately before the creation of the new district shall continue to exercise such jurisdiction until a new Zila Panchayat is established in that district, and on the establishment of a new Zila Panchayat-

(a) all taxes fees, fines or penalties imposed or levied and all licences Or permits granted on the date, immediately preceding the date on which such Zila Panchayat as established by the Zila Panchayat which had jurisdiction in the area of the new district, shall be deemed to have been imposed, levied or granted by the new Zila Panchayat under and in accordance with the provisions of tills Act and shall, until abolished, modified or changed, continue to be so realizable or effective,

(b) If at any time any area is newly included in any existing district and on the date immediately preceding the date of such inclusion a Zila Panchayat was exercising jurisdiction over such area the provisions of this section shall apply as if the area newly included were a new district and the Zila Panchayat newly constituted for the enlarged district were the new Zila Panchayat for the purpose of this section.

Constitution and reconstitution of Zila Panchayats

88

The State Government shall arrange for the constitution or reconstitution of the Zila Panchayat before the expiry of the term of the existing Zila Panchayat, if any or whenever otherwise required for the purposes of this Act.

Removal of difficulty arises in the establishment of Zila Panchayat

89

If, any dispute or difficulty arises in the establishment or in the working of a Zila Panchayat regarding the interpretation of any provisions of this Act or any rule made thereunder or any matter arising out of or relating to such interpretation or any matter not provided in this Act, the same shall be referred to the State

Disqualifications 90
for
membership of
Zila Panchayat

Government whose decision thereon shall be final and conclusive.

(1) A person shall be disqualified for being chosen as and for being a Chairman, Vice-chairman or member of a Zila Panchayat, if he--

(a) is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of election of the State Legislature :

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;

(b) hold salaried service of the Gram Panchayat/ Kshettra panchayat/ Zila Panchayat;

(c) holds any office of profit under a State Government or the Central Government or a local authority, or controlled by any State Government or Central Government or any Board, bodies or corporation owned or controlled by any State Government or Central Government in which Aaganbadi Assistant, Attendance, Secretary of Cooperative Committee and salary paid employees and working employees on honorarium under the State and Central sponsored schemes shall be include

(d) has been dismissed from the service of a State Government, the Central Government or a local authority for misconduct;

(e) is in arrears of any tax, fee rate or any other dues payable by him to the Zila Panchayat for such period as may be prescribed or has inspire of being required to do so by Zila Panchayat failed to deliver to it any record or property belonging to it which had come into his possession by virtue of his holding any office under it ;

(f) Any Chairman or Vice-chairman of Nagar Nikay;

(g) is an undischarged insolvent;

(h) has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(i) has been sentenced to imprisonment for a term of three months for contravention of any order made under the Essential Commodities Act, 1955;

(j) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946;

(k) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months under the U.P. Excise Act, 1910 (as applicable to the State of Uttarakhand);

- (l) has been convicted of an offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;
- (m) has been convicted of an election offence ;
- (n) has been convicted of an offence under the U.P. Removal of Social Disabilities Act, 1947 or the Protection of Civil Rights Act, 1955 (as applicable to the State of Uttarakhand);
- (o) has been removed unless such period, as has been provided in that behalf in the said section or such lesser period as the State Government may have ordered in a particular case has elapsed;

Provided that the disqualification under clause (e) shall cease upon payment of arrears or delivery of the record or property, as the case may be :

Provided further that a disqualification under any of the clauses referred to in the first proviso may, in the manner prescribed, be removed by the State Government.

- (p) If in place of woman Chairman/ Vice chairman/ Member if her husband or other family members or relative preside the meetings and discharged the duties of Zila Panchayat and he is convicted than said woman and concerning person who is presiding meetings and discharged the duties, both shall be disqualified for forthcoming general election of Zila Panchayat.

(2) **Disqualification due to corruption-** An authority competent to decide election disputes under this Act or the rules made thereunder may declare any candidate found to have committed any corrupt practice to be incapable, for any period not exceeding five years from the date of declaration, of being chosen as or of being appointed or retained in any office or place in the gift or disposal of a Zila Panchayat.

(3) **Disqualification of no toilets-** (a) If any person is convicted by the appropriate court under the provisions of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 than he shall be disqualified to fight Panchayat election.

(b) If there is no toilet established in the house of those persons, residing in the jurisdiction of concerned Panchayat, they shall be disqualified for the condidature of the Panchayat election.

(4) Cessation of membership-

(1) A member of Zila Panchayat shall cease to be such member if the entry relating to that member is deleted from the electoral roll for a territorial constituency of Zila Panchayat

(2) Where any person ceases to be a member of a Zila Panchayat under sub-section (1) he shall also cease to hold any office to which he may have been elected, nominated or appointed

by reasons of his being a member thereof.

(5) Decision on question as to disqualification- If any question arises as to whether a person has become subject to any disqualification mentioned in any section of this Act, the question shall be referred to the prescribed authority for the decision and his decision shall, subject to the result of any appeal as may be prescribed, be final;

Provided that if the name of any person struck off from the electoral roll of Zila Panchayat by reason of any such disqualification shall forthwith be reinstated in that roll, if such disqualification is, during the period such electoral roll is in force, removed under any law authorizing such removal.

(6) Prohibition of holding more than one seat simultaneously- Any person shall not be candidate in the election from one or more territorial constituencies election areas in the Zila Panchayat and nor he may hold one or more post in a Zila Panchayat.

(1) For each territorial constituency of a Zila Panchayat, an electoral roll shall be prepared, in accordance with the provisions of this Act, and the rules made thereunder under the superintendence, direction and control of the State Election Commissions-

(a) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission shall supervise and perform all functions relating to the preparation, revision and correction of the electoral rolls in the State in accordance with this Act and the rules made thereunder;

(b) The preparation, revision and correction of the electoral rolls shall be done by such persons and in such manner, as may be prescribed.

(2) There shall be an electoral roll for each territorial constituency of a Zila Panchayat. The electoral roll for the territorial constituency of a Zila Panchayat shall consist of the electoral rolls for all such territorial constituencies of the Zila Panchayat and it shall not be necessary to prepare or revise separately the electoral roll for any such territorial constituency of Zila Panchayat;

Provided that any correction, addition or deletion made in the electoral roll after the last date for making nominations for an elections to the Zila Panchayat and before the completion of that election shall not be taken into consideration for the purpose of that election.

(3) The electoral roll referred to in clause (b) of sub-section (1) shall be published in the prescribed manner and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made in accordance with this Act and the Rules made thereunder be the

electoral roll for that territorial constituency prepared in accordance with the provisions of this Act.

(4) Subject to the provisions of clause (a), (b) of sub-sections (1), every person who has attained the age of 18 years on the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared or revised, and who is ordinarily resident in the territorial constituency of a Zila Panchayat shall be entitled to be registered in the electoral roll for the territorial constituency;

Provided that-

(i) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in the territorial constituency on the ground only that he owns or is in possession of, a dwelling house therein.

(ii) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

(iii) A member of Parliament or of the Legislature of the State shall not during the term of his office cease to be ordinarily resident in the territorial constituency merely by reason of his absence from that area in connection with his duties, as such member.

(iv) Any other factors that may be prescribed shall be taken into consideration for deciding as to what persons may or may not be deemed to be ordinarily residents of a particular area at any relevant time.

(v) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case.

(5) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll, if he-

(i) is not a citizen of India; or

(ii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(iii) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with elections.

(6) The name of any person who becomes disqualified under sub-section (5) after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included :

(7) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one or more than once in the electoral roll for the

same Panchayat.

(8) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any territorial constituency, if his name is entered in any electoral roll pertaining to any city, municipality, Nagar Panchayat or cantonment unless he shows that his name has been struck off such electoral roll.

(9) Where the Electoral Registration Officer or Assistant Electoral Registration Officer is satisfied after making such inquiry as it may deem fit, whether on an application made to it or on its own motion, that any entry in the electoral roll should be corrected or deleted or that the name of any person entitled to be registered should be added in the electoral roll, it shall subject to the provisions of this Act and rules and orders made thereunder correct, delete or add the entry as the case may be:

Provided that no such correction, deletion or addition shall be made after the last date for making nominations for an election in the Zila Panchayat and before the completion of that election:

Provided further that no deletion or correction of any entry in respect of any person affecting his interest adversely shall be made without giving him reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

(10) The State Election Commission may, if it thinks it necessary so to do for the purposes of a general or bye-election, direct a special revision of the electoral roll for any territorial constituency of a Gram Panchayat in such manner as it may think fit:

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the territorial constituency, as in force at the time of issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.

(11) In so far as provisions is not made by this Act or the rules, the State Election Commission may, by order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral roll.

(12) The date on which the electoral roll prepared under this Act shall come into force and its period of operation ;

(13) The correction of any existing entry in the electoral roll on the application of the elector concerned;

(a) correction of clerical or printing mistakes in electoral roll;

(b) include name in electoral roll of sub person.

(i) whose name is included in the Assembly electoral roll for the area related to the territorial constituency but is not included in the electoral roll for that territorial constituency or whose name

has been wrongly included in the electoral roll for some other territorial constituency; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly electoral roll but who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll for the territorial constituency; -

(a) the custody and preservation of the electoral rolls ;

(b) fees payable on applications for inclusion or exclusion of names;

(c) generally all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

(d) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Election Commission may, for the purposes of preparation of the electoral roll for a territorial constituency adopt the electoral roll for the Assembly constituency prepared under the Representation of the People Act, 1951 for the time being in force so far as it relates to the area of that territorial constituency:

Provided that the electoral roll for such territorial constituency shall not include any amendment, alteration or correction made after the last date for making nomination of such election.

(14) No civil court shall have jurisdiction -

(a) to entertain or adjudicate upon the question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a territorial constituency; or

(b) to question the legality of any action taken by or under the authority of the State Election Commission or of any decision given by any authority or officer appointed in this behalf in respect of preparation and publication of electoral rolls.

(15) Right to vote etc.- Except as otherwise provided by or under this Act, every person whose name is for the time being included in the electoral roll for the territorial constituency of a Zila Panchayat shall be entitled to vote at any election thereto and be eligible for election to the membership or to any office in the Zila Panchayat;

Provided that a person who has not completed the age of eighteen years shall not be qualified to be elected as member or office bearer of the Zila Panchayat.

Chapter XVII

Zila Panchayat and office bearer and their election

**Election of 92
Chairman, Vice
Chairman and
Members of Zila
Panchayat**

(1) In every Zila Panchayat an Chairman and a Vice Chairman shall be elected by the elected members of the Zila Panchayat from amongst themselves.

(2) The election of Chairman and Vice chairman may be held

The provisions of reservation on the post for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, women in Zila Panchayat

93

notwithstanding any vacancy in the office of the elected members of the Zila Panchayat.

In every Zila Panchayat seats shall be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall, as nearly as may be, bear the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Zila Panchayat as the population of the Scheduled Castes or of the Backward Classes bears to the total population of such and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Zila Panchayat in such order as may be prescribed ;

Provided that the reservation for the Backward Classes shall not exceed fourteen per cent of the total number of seats in the Zila Panchayat;

Provided further that if the figures of population of the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.

(a) Not less than half of the seats reserved shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, respectively;

(b) Not less than half of the total number of seats, including the number of seats reserved shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Zila Panchayat in such order as may be prescribed.

(c) The reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution;

Further it is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats.

Term of Zila Panchayat and its Office-bearer

94

(1) Every Zila Panchayat shall unless sooner dissolved under this Act, continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) The term of a member of the Zila Panchayat shall, unless otherwise determined under the provisions of this Act, expire with the term of related Panchayat.

(3) Save as otherwise provided in this Act the term of office of a Chairman or Vice chairman of a Zila Panchayat shall commence upon his election and shall extend up to the term of the Zila Panchayat.

- Mode of election** 95 The election for the post of any Member of Zila Panchayat shall be made by the secrete ballot procedure or EVM, as prescribed by State Government;
- Provided that for Panchayats for unopposed election of the mentioned post holders in this section.
- The superintendence of election of Zila Panchayat and constitution of the State Election Commission etc.** 96
- (1) The Superintendence, direction and control of the conduct of the elections to the office of Chairman, Vice chairman and a Member shall be vested in the State Election Commission.
 - (2) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the State Election Commissioner shall supervise and perform all functions relating to the conduct of the election Chairman, Vice chairman and Member.
 - (3) The State Government shall, in consultation with the State Election Commission by notification, appoint the date or dates for general election or bye-election of the Chairman, Vice chairman and Members of a Zila Panchayat.
 - (4) For above purpose there shall be establishment of State Election Commission at State level.

Chapter XVIII

Resign, removal, fulfilment of the causal vacancies of the Zila Panchayat officer bearers and internal and external control

- Resignation of Chairman , Vice Chairman and Members in case of Zila Panchayat** 97
- (1) A Chairman, Vice Chairman or Member of a Zila Panchayat may by self signature under his hand addressed to Prescribed authority, resign.
 - (2) If resigning Chairman, Vice chairman or member does not withdraw his resignation within ten days than the resignation of Chairman, Vice chairman and member shall be sanctioned by the State Government or Designate Authority. The information of such sanctioned resignation shall be forward to the office of the Zila Panchayat. The office of the such Chairman, Vice chairman or members of the Zila Panchayat shall be deemed vacant from the date of sanctioning of the resign by the State Government or designate authority.
- Filling of casual vacancies in Zila Panchayat** 98
- If a vacancy occurs by reason of death or otherwise in the office of Chairman, Vice chairman or an member of the Zila Panchayat, it shall be filled before the expiration of a period of six months from the date of such vacancy in the manner as the case may be, for the residue of the term of his predecessor :
- Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Zila Panchayat is less than six months, the vacancy shall not be filled.
- Arrangement of** 99 When the Chairman is unable to discharge his functions owing to

**Chairman of Zila
Panchayat**

absence, illness or any other cause, and the office of Vice chairman is vacant, or when the Vice chairman, if any, acting under the provisions of this Act, during a vacancy in the office of Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the State Government by order, make such arrangement, as it thinks fit, for the discharge of the functions of the Chairman, until the date on which the Chairman or Vice Chairman, as the case may be resumes his duties.

**Motion of no- 100
confidence in
Chairman or
Vice Chairman**

(1) A written notice of intent on to make the motion, in such form as may be prescribed, signed by not less than one-half of the total number of elected members of the Zila Panchayat for the time being, together with a copy of the proposed motion, shall be delivered in person, by anyone of the three members of elected members signing the notice, to the District Magistrate, prescribed authority having jurisdiction over the Zila Panchayat.

(2) give to the elected members notice of not less than fifteen days of such meeting in such manner as may be prescribed.

(3) The District Magistrate / Prescribed Authority shall arrange with the District Judge of the district to preside at such meeting.

(4) The District Magistrate/ Prescribed authority -

(a) convene a meeting of the Zila Panchayat for the consideration of the motion of no confidence at the office of the Zila Panchayat on a date appointed by him, which shall not be later than thirty days from the date on which the notice under sub-section (1) was delivered to him;

(b) give to the elected members notice of not less than fifteen days of such meeting in such manner as may be prescribed;

Provided that the District Judge may instead of presiding him- self direct a civil judicial officer not below the rank of a Civil judge subordinate to him to preside the meeting.

(5) If within half an hour from the time appointed for the meeting such officer is not present to preside at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and time to be appointed by him under sub-section (6).

(6) If the officer mentioned in sub-section (3) is unable to preside at the meeting, he may, after recording his reasons, adjourn the meeting to such other date and time as he may appoint, but not later than 25 days from the date appointed for the meeting as referred in sub-section (2). He shall without delay inform the presiding authority in writing of the adjournment of the meeting. The prescribed authority shall give to the elected members at least ten days notice of the next meeting in the manner prescribed under sub-

section 4 (b).

(7) Save as provided in Sub-sections (2) and (6) a meeting convened for the purpose of considering a motion under this section shall not be adjourned.

(8) As soon as the meeting convened under this section commences, the Presiding officer shall read to the Zila Panchayat the motion for the consideration of which the meeting has been convened and declare it to be open for debate.

(9) No debate on the motion under this section shall be adjourned.

(10) Such debate shall automatically terminate on the expiration of two hours from the time appointed for the commencement of the meeting, if it is not concluded earlier. On the conclusion of the debate or on the expiration of the said period of two hours, whichever is earlier, the motion shall be put to vote which shall be held in the prescribed manner by secret ballot.

(11) The Presiding officer shall not speak on the merits of the motion and he shall not be entitled to vote thereon,

(12) A copy of the minutes of the meeting together with a copy of the motion and the result of voting thereon shall be forwarded forthwith on the termination of the meeting by the presiding officer to the State Government, Commissioner and to the District Magistrate.

(13) If the motion is passed with the support of not less than two-thirds of the total number of elected members of the Zila Panchayat for the time being-

(a) the presiding officer shall cause the fact to be published by affixing forthwith a notice thereof on the notice board of the office of the Zila Panchayat; and

(b) the Chairman or the Vice Chairman, as the case may be shall cease to hold office as such and vacate the same and from the date on which the said notice is affixed on the notice board of the office of the Zila Panchayat;

Provided that in computing the period of thirty days specified in sub-section (a), the period during which a stay order, if any, issued by a competent court on a petition filed against the motion made under this section is in force plus such further time as may be required in the issue of fresh notice of the meeting to the members shall be excluded;

Provided further that motion of any no confidence against the Chairman, Vice chairman shall not introduced-

(1) within the period of one year from such date when he join

his office;

(2) within the period of preceding six months from such date when his tenure as the case may be terminate;

(3) from such date in which the no confidence motion was rejected within the period of one year.

Powers of State Government in case of default of Zila Panchayat 101

(1) If at any time, upon representation made or otherwise, it appears to the State Government that a Zila Panchayat, or joint Committee, or other Committee of the Zila Panchayat has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any other enactment, the State Government may, by order in writing, fix a period for the performance of that duty.

(2) If that duty is not performed with the period so fixed, the State Government, may appoint the District Magistrate, or any other competent authority to perform it and may direct that the expense, if any, of performing the duty shall be paid, within such time as may be fixed by the District Magistrate or any other person authorized by the State Government in this behalf, by the Zila Panchayat.

(3) If the expense is not so paid, the District Magistrate or any, other person authorized by the State Government in this behalf with the previous sanction of the State Government may, make an order directing the person having the custody of the Gram Nidhi, Kshettra Nidhi and Zila Nidhi to pay the expenses from such fund.

Consequence of dissolution of Zila Panchayat 102

The following consequences shall follow by the dissolution of Zila Panchayat-:

(a) all members of the Zila Panchayat including the Chairman shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for being elected as a member or as an Chairman under this Act.

(b) such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall so long as the Zila Panchayat is not recomputed exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the Zila Panchayat and shall be deemed to be the Zila Panchayat for all purposes.

Chapter XIX

Meetings and functions, powers and administration of Zila Panchayat

Meetings of Zila Panchayat 103

(1) (a) A Zila Panchayat shall meet for the transaction of business at least once in every three months.

(b) The Chairman or in his absence, the Vice Chairman may convene a meeting of the Zila Panchayat whenever he thinks fit and shall, upon a requisition made in writing by not less than one-fifth of the members of Zila Panchayat and served on the Chairman or sent by registered post acknowledgment due, addressed to the Zila

Panchayat at its office, convene a meeting of the Zila Panchayat within a period of one month from the date of the service or receipt of such requisition.

(c) A meeting may be adjourned until the next or any subsequent day, and an adjourned meeting shall be conducted within a month.

(d) Every meeting shall be held at the office of the Zila Panchayat or at some other convenient place within the boundaries of district of which notice has been duly given.

(e) The quorum for the meeting of Zila Panchayat shall be one third of elected members. For any adjourned meeting the quorum shall be one third but on incomplete quorum of meeting also in second time than the quorum for next meeting shall be one fifth;

Provided that for convened meeting agenda shall be as it is;

Provided further that in case of necessity the special meeting of the Zila panchayats may be conducted.

(2) Procedure of etc. meetings of the Zila Panchayat-

The following matters relating to meetings of Zila Panchayat shall be governed by rules:-

(a) transaction of business at the meeting ;

(b) quorum for transaction of business ;

(c) presiding over the meeting in the absence of Chairman and the Vice Chairman ;

(d) asking of questions by members;

(e) notice of meeting;

(f) maintaining the order at the meeting;

(g) decision by vote ;

(h) minute book and resolutions;

(i) right of government servants, persons authorized by the State Government and other persons to attend and take part in discussions ;

(j) right of officers of the Zila Panchayat in regard to meetings ;

(k) right of Zila Panchayat to require attendance of servants of the State Government to attend its meetings ;

(l) right of the Zila Panchayat to require reports, returns; etc. from the Kshetra Panchayat Secretary, Block development officer and chief officer ; and

(m) other incidental matters which need or ought to be

prescribed.

(3) The Zila Panchayat may require the Chairman or the Chief Officer may require the produce of any in its meetings-

(a) any return, statement, estimate, statistics or other information regarding any matter pertaining to the administration of the Zila Panchayat as the case may be ;

(b) a report or explanation of any sub-committee; and

(c) any report, correspondence or plan or other document or a copy thereof which is in his possession or control as Chairman, Kshetra Panchayat secretary, block development officer and Chief Officer or which is recorded or filed in the office of the Zila Panchayat or the or of any servant of the Zila Panchayat, as the case may be.

(4) entitle a Kshetra Panchayat or Zila Panchayat to exercise within the limits of any Nagar Mahapalika, municipality, notified area, cantonment or town area any authority which is vested in the Nagar Mahapalika, municipal board, notified area committee, cantonment board, District Magistrate, any other magistrate or town area committee, as the case may be, provided that the Zila Panchayat may nevertheless--

(a) construct, maintain and control any school, library, hospital, dispensary, poor house, asylum, orphanage, inspection house or other building or institution within the aforesaid limits which is not maintained exclusively for the benefit of persons residing within the aforesaid limits, and

(b) do anything within the aforesaid limits the doing of which is necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

**Powers,
functions
and
duty of
Panchayat**

104

(1) To prepare annual plan and forward to the District Planning Committee for hold district with the including of the annual planning of Kshetra panchayat and economic development, social justice of the district or programs assigned to him by the State or Central Government.

(2) To monitoring evaluation, monitoring and guiding of activities of the Kshetra panchayat and Gram Panchayat.

(3) To passing annual plans and budget of the Kshetra panchayat.

(4) To participate in the recognized and registered institutions for the public interest works who is operated at the level of Centre and State.

(5) to conduct and manage of symposium for empowerment from public interest and democratic system and exhibitions, fears, training for Panchayat officers for strengthen to the incentive and democratic

procedures related all three levels of Panchayati Raj of the district.

(6) to provide economical and other help to any person, institutions and committees within the work area for related activities of Panchayati Raj.

(7) to keep control on the works, administration and budget of the Panchayat and to distribute allotted money by the Central Government on the basis of prescribed procedure and standard to the Gram Panchayat, Kshetra panchayat and concerning departments.

(8) to classify fairs and festivals, other than those that are or may hereafter be managed by the State Government as fairs, Gram Panchayat, Kshetra Panchayat as Zila Panchayat fairs and festivals for purpose of management and control by Gram Panchayats, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat respectively.

(9) to categorized as a Haat market of Haat of Gram Panchayat and markets and Zila Panchayat Haat markets to working Haat and market of the rural area.

(10)) to categorized as a village road, inter village road and district road respectively for the purposes of management, maintenance and construction by the Gram panchayat , Kshetra panchayat and Zila Panchayat.

(11) to act, subject to the rules made in this behalf, as the main channel of correspondence between the State Government on the one hand and the Kshetra Panchayats and Gram Panchayats on the other.

(12) to perform other duties and powers conferred and delegated by the provisions of this Act, and duties and powers conferred, assigned time to time by the State Government.

**Preparation of 105
plans by Zila
Panchayat**

(1) A Zila Panchayat shall prepare every year a development plan for the district after including the development plans of the Kshetra Panchayats of the district.

(2) The plan referred to in sub-section (1) shall be prepared with the help of Zila Panchayat planning and Development and Administrative Committee by Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer in the manner prescribed and the Chief Executive Officer Additional Chief Executive Officer shall lay such plan before the finance and planning committee of Zila Panchayat which may make such recommendation relating thereto, as it thinks fit.

(3) Approved district plans by the plans and development committee of the Zila Panchayat shall be placed before the Chairman of the Zila Panchayat, the Chairman of the Zila Panchayat if necessary as per need may modify the plan submitted

Powers of Zila Panchayat to make bye-laws 106

before him and shall forward in such form and procedure up to such date before the district planning committee to the final draft by the Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer approved by the Chief Executive Officer by the Zila Panchayat.

(1) A Zila Panchayat may, and where required by the State Government shall, make bye-laws for its own purposes and for the purposes of Zila Panchayats, applicable to the whole or any part of the rural area of the district, consistent with this Act and with any rule, in respect of matters required by this Act to be governed by bye-laws and for the purposes of promoting or maintaining the health, safety and convenience of the inhabitants of the rural area of the district and for the furtherance of the administration of this Act in the Khand and the district.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), a Zila Panchayat may, in the exercise of the said powers, make any bye-laws described in the list below –

A- Construction

(a) Declaring of any specific kind of alteration to be a "material alteration" ;

(b) prescribing that, on payment of fees in accordance with such scale as is specified in this behalf plans and specifications shall be obtainable from the Zila Panchayat ;

(c) fixing with reference to the period for which a sanction shall remain in force;

(d) prescribing the type and description of building which may or may be erected and the purpose for which a building may or may not be erected in any prescribed area or areas within a controlled rural area;

(e) Prescribing the circumstances in which a temple mosque church or other sacred building may or may not be erected, re-erected or altered in a controlled rural, area ;

(f) prescribing with reference to the erection, re-erection or alteration of buildings, or any class of buildings, all or any of the following matters:-

(1) the materials and method of construction to be used for external and party walls, roofs and floor;

(2) the position and, the materials to be used in and method of construction of fire-places, chimneys, drains, latrines, privies, urinals and cesspools ;

(3) the height and slope of the roof of the top floor upon which

human beings are to live or cooking operations are to be carried on;

- (4) the ventilation and space to be left around the building to secure free circulation of air and to facilitate scavenging and for prevention of fire ;
- (5) the level and width of foundation, level of lowest floor and stability of structure :
- (6) the number and height of storeys constructed in the building;
- (7) the means to be provided for, exit from the building in case of fire ;
- (8) any other matter affecting the ventilation or sanitation of building ; and
- (9) the conditions subject to which, sanction for the construction or alteration of a well may be refused or granted, with a view to prevent pollution of water or danger to any person using the well.

(g) Regulating in any manner not specifically provided in this Act, the erection of any enclosure, wall, fence, tent, outhouse, or other structure, of whatsoever kind of nature, on any land within a controlled rural area.

B-Drains, latrines, privies, cesspools, etc.

- (a) Regulating in any manner not specifically provided in this Act, the construction, alteration, maintenance, reservation, cleansing and repair of drains, ventilation shafts and pipes, water closets, privies, latrines, urinals, cesspools and other drainage works ;
- (b) regulating or prohibiting the discharge into drains, or deposit therein, of sewage, sullage, polluted water and other offensive or obstructive matter.

C-Streets

(a) Determining the information and plans to be furnished to the Zila Panchayat;

(b) permitting, prohibiting or regulating the use or occupation of any or all public streets or places by itinerant vendors by or by any person for the sale of articles, or for the exercise of any calling or for the setting up of any booth or stall and providing for the levy of fees for such use or occupation;

(c) regulating the conditions on which permission may be given by the Kshetra Panchayat for projections over streets

and drains and by the Zila Panchayat for the temporary occupation of streets.

D-- Markets, slaughter-houses, sale of food, etc.

(a) Prohibiting the use of any place as a slaughter-house, or as a market or shop for the sale of animals intended for human food or of meat, or of fish, in default of a licence granted by the Zila Panchayat or otherwise than in accordance with the conditions of a licence so granted;

(b) prescribing the conditions subject to which and the circumstances in which, and the areas or localities in, respect of which licences for such use may be granted, refused, suspended or withdrawn;

(c) providing for the inspection of, and regulation of the conduct of business, in, a place used as aforesaid so as to secure Cleanliness therein or to minimize any injurious, offensive or dangerous, effect arising or likely to arise therefrom;

(d) providing for the establishment, and for the regulation and inspection of markets and slaughter-houses, of livery stables, of on-camping grounds, of sarais of flour-mills, of bakeries, of places for the manufacture, preparation or sale of specified article of food or drink, or for keeping or exhibiting animals for sale or hire or animals of which the produce is sold, and of places of public entertainment or resort, and for the proper and cleanly conduct of business therein; and

(e) prescribing the conditions subject to which, and the circumstances in which, and the areas or locality in respect of which, licences for the purposes of sub-head (D) may be granted, refused, suspended or withdrawn, and fixing the fees payable for such licences, and prohibiting the establishment of business places, mentioned in sub-head (D) in default of licence granted by the Zila Panchayat or otherwise than in accordance with the conditions of a licence so granted

E-Offensive trades

(a) Except where and so far as is inconsistent with anything contained in the Petroleum Act, 1934 (Act no 30 of 1934), or in rules made thereunder, prohibiting the use of any place, in default of a licence granted by the Zila Panchayat or otherwise than in accordance with the conditions of licence so granted, as a factory or other places of business-

- (i) for boiling and storing offal, blood, bones, guts or rags,
- (ii) for the manufacture of leather or leather goods,

- (iii) for melting tallow or sulphur,
- (iv) for burning or baking bricks, tiles, pottery or lime,
- (v) for soap-making,
- (vi) for oil-boiling,
- (vii) for storing hay, straw, thatching grass, wood, coal or other dangerously inflammable material,
- (viii) for storing petroleum or any inflammable oil or spirit,
- (ix) for storing and pressing cotton and cotton refuse,
- (x) for any other purpose if such use is likely to Cause a public nuisance or involve risk of fire ;

(b) prescribing (but not so as to derogate from any powers conferred on a Zila Panchayat by sub- section (b) of section 106the circumstances in which and the areas or localities in respect of which licences may be granted, refused, suspended or withdrawn; and

(c) providing for the inspection and regulation of the conduct of business in a place used as aforesaid, so as to secure cleanliness therein or to minimize any injurious, offences or dangerous effect arising or likely to arise therefrom.

F-Public safety and convenience

- (a) Providing for the regulation or prohibition of any description of traffic in the streets where such regulation or prohibition appears, to the Zila Panchayat to be necessary;
- (b) imposing the obligation of taking out licences on the proprietors or drivers of vehicles (other than motor vehicles), boats or animals kept or plying for hire, or .on persons hiring themselves out for the purpose of carrying loads within the limits of the rural area of the district, and fixing the fees payable for such licences and the conditions on which they are to be granted and may be revoked;
- (c) fixing and regulating the use of place at which boats may be moored, loaded and unloaded, and prohibiting the mooring, loading and Unloading of boats except at such places as may be prescribed by the Zila Panchayat;
- (d) providing for the seizure and confiscation of ownerless animals straying within the limits of the rural area of the district ;
- (e) prohibiting or regulating, with a view to promoting the public safety or convenience, any act by which public nuisance arises or is likely to arise and there is no provisions is made under this heading for its prohibition or regulation;

(f) promoting and regulating supply of drinking water.

G-Sanitation and prevention of disease

(a) Controlling and regulating the use and management of burial and burning grounds and fixing the fees to be charged where such grounds have been provided by the Zila Panchayat, and prescribing or prohibiting routes for the removal of corpses to burial or burning grounds ;

(b) regulating sanitation and conservancy ;

(c) providing, in default of a bye-law not made under the preceding sub-head, for the registration and inspection of lodging houses, the prevention of overcrowding, prescribing the notices to be given in the case of any infectious or contagious disease breaking out therein and generally for the proper regulation of lodging houses;

(d) prohibiting or regulating, with a view to sanitation or the prevention of disease, any act which occasions, or which is likely to occasion, a public nuisance and for the prohibition or regulation of which no provisions is made under this heading.

H - Miscellaneous

(a) Prohibiting or regulating any act which occasions is likely to occasion or is public nuisance, for the prohibition or regulation of which no provisions is made elsewhere by, or under this Act;

(b) providing for the registration of births, deaths and marriages, and the taking of census within the rural area and for the compulsory supply of such information as may be necessary to make-such registration or census effective ;

(c) for the protection from injury or interference of. anything within the rural area being the property of Government or of the Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat or being under the' control of the Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat ;

(d) providing for the holding of fairs and industrial exhibitions within the, rural area of the district and under the control of the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat, and fixing the fees to be levied thereat;

(e) requiring and regulation the appointment by owners of buildings and lands in the rural area of the district of persons residing within or near the said area to act as their agents for all or any of the purposes of this act or of any rule or bye-laws;

(f) specifying the records and documents belonging to, or in the possession of, the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat of which inspection may be made or copies given and the charges to

be levied for inspection of copies of such records and documents; and regulating inspection and the giving of copies;

(g) providing for the granting of licences for the sale and for the dispensing of medicinal drugs;

(h) providing for the registration and control of midwives / dias publicly practicing their profession;

(i) providing for the establishment and maintenance of maternity, centres and child welfare clinics ;

(j) providing for establishment, maintenance and grant -in-aid to institutions of physical culture ;

(k) regulating poor houses, orphanages, libraries, asylums, veterinary hospitals, markets, inspection houses, public parks and gardens and other public institutions ;

(l) regulating fairs, cattle markets, agricultural shows and industrial exhibitions held under the authority of a Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat or otherwise, to which the public is allowed access;

(m) prohibiting the obstruction of any streams, channels, or drains under the control of the Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat and providing for the removal of any such obstruction ;

(n) for removing, demolishing, or securing dangerous buildings, trees or places ;

(o) providing for the destruction of unclaimed, diseased or rabid dogs and noxious animals;

(p) prescribing conditions for the inspection of the minute books of the Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat and assessment lists of the Zila Panchayat ;

(q) prohibiting the discharge of the water of any sink, drain, steam engine or boiler, or of any filthy, offensive or injurious matter into any river, tank or other source of water supply, or into any specified portion thereof ordinarily used for drinking or bathing purposes.

Powers and Penalties in Respect of Buildings, Public Drains and Streets, etc.

Regulation of Building

106(b) Definitions- For the purposes of this Chapter-

(a) "Appropriate authority" shall mean the Kshetra Panchayat if the subject comes within the functional jurisdiction of the Kshetra Panchayat and the Zila Panchayat in other cases;

(b) "Kshetra Panchayat" shall, in relation to any part of the

rural area including controlled rural area, mean the Kshettra Panchayat exercising jurisdiction in such part.

106(c) Limitation to application of certain sections of this Chapter-

(1) Without prejudice to any other provisions of this Act, the provisions of sections 106(d), 106(e), 106(f), 106(g), 106(h), 106(i), 106(j), 106(k), 106(l), 106(n), 106(o), 106(p), 106(r), 106(s), 106(t), 106(aa), 106(ac), 106(ad), 106(af), 106(ag), 106(bi), 106(bn) and 106 (bp) of this Chapter shall apply only to those portions of the rural area as have been specified by the Zila Panchayat under this section.

(2) A Zila Panchayat may by resolution declare that the provisions of the sections mentioned in sub-section (1) or anyone or more of them shall apply to any portion of the rural area of the district to be specified in the resolution and thereupon the provisions of the sections mentioned in the resolution shall apply to the area so specified which shall be called controlled rural area;

Provided that public notice of the resolution has been given to the residents of the controlled rural area in such manner as may be prescribed by rules.

106(d) Construction or alteration of building after notice and according to bye-laws-

(1) No erection or re-erection of a building or material alteration in an existing building or making or enlarging a well within a controlled rural area abutting on or adjacent to a public street or place or property vested in Government or in the Zila Panchayat or Kshettra Panchayat shall be carried out except in accordance with the directions of any rule made by Government or bye-law made by the Zila Panchayat and shall not be commenced unless written notice thereof has been tendered to the Kshettra Panchayat not less than of one month in advance, with such details of the proposed construction or alteration as may be required by bye-laws to be furnished alongwith such notice.

(2) An alteration in a building shall, for the purpose of this Chapter and of any rule or bye-laws, be deemed to be material if-

(a) it affects or is likely to affect prejudicially the stability or safety of the building or the condition of the building in respect of drainage, ventilation, sanitation or, hygiene, or

(b) it increases or diminishes the height or area covered by or cubical capacity of the building or reduces the cubical capacity of any room in the building-below the minimum prescribed in any bye-law, or

(c) it converts into a place for human habitation a building or

portion of a building originally constructed for other purposes, or

(d) it is an alteration declared by a bye-law made in this behalf to be material alteration.

Sanction or Refusal of Work by Kshettra Panchayat

106(e) Sanction of work by Kshettra Panchayat-

(1) Subject to the provisions of any bye-law the Kshettra Panchayat may either refuse to sanction any work of which notice has been given under section 47(d) or may sanction it absolutely or subject to-

(a) any written direction that the Kshettra Panchayat deems fit to issue in respect of all or any of the matters mentioned in sub-head (f) of heading 'A' of sub-section (2) of section 106(a), or

(b) any written direction requiring the set-back of the building or part of a building to the regular line of the street, prescribed under section 191, or in default of any regular line prescribed under that section to the line of frontage of any neighboring building or buildings.

(2) In the case of refusal to sanction under sub-section (1), the Kshettra Samiti shall communicate in writing the reasons for such refusal to the person giving notice under section 106(d).

(3) If the Kshettra Panchayat neglect or omit for one month after the receipt of valid notice under section 106(d) to make and deliver to the person who has given such notice an order of the nature specified in sub-section (1) in respect thereof, such person may by written communication call the attention of the Kshettra Panchayat to the omission or neglect, and, if such omission or neglect continues for a further period of one month, the Kshettra Panchayat shall be deemed to have sanctioned the proposed work absolutely.

106(f) Duration of sanction-

(1) A sanction given or deemed to have been given by a Kshettra Panchayat under section 106(e) shall be available for three years or for such lesser period as may be prescribed by bye-law.

(2) After the expiry of the said period the proposed work may not be commenced without a sanction under the foregoing section.

106(g) Inspection of work requiring sanction- The Pramukh, the Block Development Officer and, if authorized in this behalf by resolution of the Kshettra Panchayat, any other member, officer or servant of the Kshettra Panchayat may at any time and without warning inspect any work in respect of which notice is required under section 47(d)-

(a) while under construction, or

(b) inspect within one month of the receipt of a report that it has been completed or in default of such report, at any time after completion.

106(h) Compensation for damage sustained through order passed-

Notwithstanding anything contained in this Act, a person giving notice under section 106(d) shall not be entitled to any compensation for damage or loss sustained by reason of an order passed by a Kshetra Panchayat under section 106(e) unless--

(a) the order is passed on some ground other than that the proposed work would contravene a bye-law or be prejudicial to the health or safety of the public or any person; or

(b) the order not provide a direction of nature or safety of public or any person as specified in clause (a); or

(c) the order not contains a direction, of the nature specified in clause (b) of sub-section (1) of section 106(e), or

(d) the order is an order of refusal to sanction the re-erection of a building on the ground that it is unsuitable in plan or design to the locality or is intended for a purpose unsuitable to the locality, or contravenes a bye-laws.

106(i) Effect of sanction under section 106(e)-

(1) A sanction given or deemed to have been given under section 106(e) shall not, beyond exempting the person to whom the sanction is given or deemed to have been given from any penalty or consequence to which he would otherwise be liable under section 106(j), 106(k) or 106(a k), confer or extinguish any right or disability or operate as an estoppels or admission or affect any title to property or have any other legal effect whatsoever.

(2) In particular, such sanction shall not operate to relieve any person from the obligation imposed by section 106(a a) to obtain separate sanction for any structure referred to therein.

106(j) Illegal erection or alteration of building- Whoever begins, continues or completes the erection or re-erection of, or any material alteration in, a building or part of a building or the construction or enlargement of a well, without giving the notice required by section 106(e) or in contravention of the provisions of an order of the Kshetra Panchayat refusing sanction or any written directions made by the Zila Panchayat any bye-law, shall be liable upon conviction to a fine which may extend to five hundred rupees.

106(k) Powers of Kshetra Panchayat to stop erection and to demolish building erected- The Zila Panchayat may at any time by written notice direct the owner or occupier of any land to stop the erection, re-erection or alteration of a building or part of a building or the construction or enlargement of a well thereon in any case where the considers that such erection, re-erection, alteration construction or enlargement is an offence under section 106(j) and may, in like manner direct the alteration or demolition, as it deems fit, of the building, part of a building or the well, as the case may be.

Public Drains

106(l) Public Drains- The Zila Panchayat may construct within the controlled rural area such drains as it thinks necessary for keeping an inhabited area properly cleansed and drained and may carry such drains through, across or under any street or place, and after reasonable notice in writing to the owner or occupier, into, through or under any building or land;

Provided that compensation estimated in the in manner provided by rules shall be paid to such owner or occupier.

106(m) Alteration of public drains-

(1) The Zila Panchayat may, from time to time, enlarge, lessen, alter the course of, cover or otherwise improve a public drain and may discontinue, close up or remove any such drain.

(2) The exercise of the powers conferred by sub-section (1) shall be subject to the condition that the Zila Panchayat shall provide another and equally effective drain in place of any existing drain of the use of which any person is deprived by the exercise of the said powers

106(n) Use of public drains by private owners-

(1) The owner or occupier of a building or land within the rural area shall be entitled to cause his drains to empty into the drains of the Zila Panchayat ;

Provided that he first obtains the written permission of the Kshetra Panchayat , and that he complies with such conditions consistent with any bye-laws which the Zila Panchayat prescribes as to the mode in which, and the superintendence under which the communications are to be made between drains not vested in the Kshetra Panchayat and drains which are so vested.

(2) Whoever, without the written permission of the Zila Panchayat or in contravention of any bye-law or of any direction or condition made or imposed under sub-section (1), makes or causes to be made, or alters or causes to be altered a connection of a drain belonging to himself or to some other persons with a drain vested in the Zila Panchayat, shall be liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees, and the Zila Panchayat may by written notice require such person to close, demolish, alter, remake or otherwise deal with such connection as it deems fit.

Street Regulations

106(o) Provisions of laying out and making a street before the construction of building on a site which does not abut a public or private street- Except where a site abuts a public or private street, if any person owning or possessing any land in a controlled rural area not thereof used for building purposes intends to utilize, sell lease or otherwise transfer such land or any portion thereof as site for the construction of a building he shall before utilizing, selling, leasing or otherwise transferring such site layout and make a street which shall connect such site with an existing public or private

street.

106(p) Permission to lay out and make a street-

(1) Every person before beginning to layout or make a new private street in a controlled rural area shall submit a application in writing to the Kshetra Panchayat seeking permission to layout or make such street and shall alongwith such. application submit the following particulars :

(a) the proposed level, direction and width of the street,

(b) the street alignment and the building line, and shall also state in the application the arrangement to be made for levelling, paving, medaling, flagging, channeling and draining of the street.

(2) The provisions of this Act and of any rules or bye-laws made thereunder as to the level and width of a public street and the height or a, building abutting thereon shall also apply to the case of a street referred to in that sub-section (1); and all other particulars referred to in that sub-section shall be subject to the approval of the Kshetra Panchayat.

(3) Within sixty days after the receipt of an application under sub-section (1) the Kshetra Panchayat shall either sanction the laying out or the making of the street on such conditions as it may think fit to impose or disallow it or ask for further information with respect to it within a specified reasonable period.

(4) Such sanction may be refused if -

(i) the proposed street would conflict with any arrangements which have been made or which are, in the opinion of the Kshetra Panchayat, likely to be made for carrying out any general scheme of street Improvement; or

(ii) the proposed street does not conform to the provisions of the Act, rules and bye-laws referred to in sub-section (2); or

(iii) the proposed street is not designed so as to connect at least one end with a public street.

(iv) No persons shall layout or make any new private street or road without, or otherwise than in conformity with, the order of the Zila Panchayat. If further information is asked for under sub-section (3) the laying out or making of the street shall not be commencement until orders have been passed on the application after receipt of such information;

Provided that the passing of such orders shall not in any case be delayed by more than thirty days after the Kshetra Panchayat has received all the information which it considers necessary for the final disposal of the application.

106(q) Sanction of the Zila Panchayat to be presumed for laying out

and making a street in certain case- If the Zila Panchayat neglect or omit for sixty days after the receipt of an application under section 106(p) to grant the sanction or if an order has been issued under sub-section (3) of the said section asking for further information fails within a period specified in such order to deliver to the person who has submitted the application, particulars of the information required by the Zila Panchayat such person may by, a written communication call the attention to the omission, neglect or failure and if such omission, neglect or failure continues-for a further period of thirty days, the Zila Panchayat shall be deemed to have sanctioned the laying out and making of the proposed street absolutely:

Provided that nothing contained herein shall be construed to authorize any person to act in contravention of any provisions of the Act or any bye-laws.

106(r) Duration of sanction-

(1) A sanction given or deemed to have been given by the Kshettra Panchayat under section 106(p) and 106(q) shall be valid for one year.

(2) After the expiry of the said period the proposed street may not be commenced without sanction under the foregoing sections.

106(s) Illegal construction of a street- Whoever begins, continues or completes the laying out or construction of a street without giving the notice required by section 106(p) or in contravention of any written direction made by the Zila Panchayat under section 106(q) or any bye-law or any provisions of this Act shall be liable upon conviction to a fine which may extend to five hundred rupees.

106(t) Powers of Kshettra Panchayat to alter unsanctioned street and demolish the same-

(1) If any person lays out or makes any street referred to in section 106(p) without or otherwise than in conformity with the orders of may notwithstanding any prosecution which may have been started against the offender under this Act, by notice in writing-

(a) require the offender to show sufficient cause by a written statement signed by him and sent to the Zila Panchayat on or before such date as may be specified in the notice, why such street should not be altered to the satisfaction of the Kshettra Panchayat or if such alteration be impracticable why such street should not be demolished, or

(b) require the offender to appear before the Kshettra Panchayat either personally or by a duly authorized agent on such day and at such time and place as may be specified in the notice and show cause as aforesaid.

(2) If any person on whom such notice is served fails to show sufficient cause to the satisfaction of the Zila Panchayat than Kshetra Panchayat may pass such order directing the alteration or demolition of the street as it thinks fit.

106(aa) Sanction of Zila Panchayat to projections over streets and drains-

(1) Subject to any rules made by the State Government prescribing the conditions for the sanction by a Zila Panchayat of projections over streets or drains in a controlled rural area, a Kshetra Panchayat may give written permission, where provisions is made by a bye-law for the giving of such permission--

(a) to the owners or occupiers of buildings in or on streets to erect or re-erect open verandahs, balconies, or rooms to project over the street from any upper storey thereof, at such height from the surface of the street, and to such an extent beyond the line of the plinth or basement wall as are prescribed in such bye-laws; and

(b) to the owner or occupier of any building or land to erect or re-erect any projection or structure so as to overhang project into, or encroach on or over a drain in a street to such an extent, and in accordance with such conditions, as are in like manner prescribed.

(2) In giving permission, under clause (a) of sub-section (1) a Kshetra Panchayat may prescribe the extent to which, and the conditions under which any roofs, caves, weather boards, shop-boards and such other like things may be allowed to project over such streets.

106(ab) Penalty for construction of projection over streets or drains without permission- Any person erecting or re-erecting any such projection or structure as is referred to in section without the permission thereby required or in contravention of any permission given thereunder shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees.

106(ac) Powers to remove encroachments and projections over streets and drains- The Zila Panchayat may, by notice, require the owner or occupier of a building to remove, or to alter a projection or structure overhanging, projecting into or encroaching on a street, or into, on or over any drain, sewer or aqueduct therein;

Provided that in the case of any such projection or structure lawfully in existence on or before the commencement of this Act the Kshetra Panchayat shall make compensation for any damage caused by the removal or alteration, which shall not exceed three times the cost of erection and demolition.

106(a d) Powers to require leveling, paying, etc. of streets-

(1) If in the controlled rural area any private street or part thereof is

not, leveled, paved, metalled, flagged, channelled or drained to the satisfaction of the Kshetra Panchayat, the Kshetra Panchayat may by notice require the owners or occupiers of premises fronting, or abutting such street or part thereof to carry out work which in its opinion may be necessary, and within such time as may be specified in such notice.

(2) If such work is not carried out within the time specified in the notice, the Zila Panchayat may, if it thinks fit, execute it and the expenses incurred shall be recovered from the owners or occupiers in default under Chapter VIII according to the frontage of their respective premises and in such proportion as may be settled by the Kshetra Panchayat.

(3) If any street has been leveled, paved, metalled, flagged, channeled and drained under the provisions of the preceding sub-section, such streets shall, on the requisition of not less than three fourths of the owners thereof, be declared a public street.

106(a e) Powers to require the projection of streets during erection of buildings, etc.- (1) No person shall cut down any tree or cut off a branch of any tree, or erect or re-erect or demolish any building or part of a building or alter or repair the outside of any building where such action is of a nature to cause obstruction, danger or annoyance, or risk of obstruction, danger or annoyance to any person suing a street, without the previous permission in writing of the Kshetra Panchayat.

(2) The Kshetra Panchayat may at any time by notice require that any person doing or proposing to do any of the acts referred to in sub-section (1) shall refrain from beginning or continuing the act unless he puts up, maintains and provides from sunset to sunrise with sufficient lighting such hoardings or screens as are specified or described in the notice, and may further at any time by notice require the removal, within a time to be specified in the notice, of any screen or hoarding erected in anticipation or in pursuance of any of the said acts.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees and to a further fine which may extend to fifty rupees for every day on which contravention continues after the date or the first conviction.

106(a f) Powers to require trimming of hedges and trees- The Zila Panchayat may, by notice, require the owner or occupier of any land in a controlled rural area to cut or trim the hedges growing thereon and bordering on a street or any branches of trees growing thereon, which overhang a street obstruct the same or cause danger.

- 106(a g) Powers to remove accidental obstructions-** When a private house, wall or other erection or anything fixed thereto or a tree shall fall down and obstruct a public drain or encumber a street the Kshetra Panchayat may remove such obstruction or encumbrance at the expense of the owner of the same and may recover such expense in the manner provided by Chapter VIII, or may, by notice require the owner to remove the same within a time specified in the notice.
- 106(a h) Regulation of troughs and drain water pipes and drain water pipes affecting a street-** The Zila Panchayat may, by notice, require the owner or occupier of any building or land abutting on a street to put up and keep in good condition proper troughs and pipes for receiving and carrying off the water from the building or land and for discharging the same in such manner as the Kshetra Panchayat may think fit, so as not to inconvenience persons passing along the street.

Public Streets

- 106(a i) Powers to construct, improve and provide sites on public streets-** A Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat may--
- (a) layout and make a new public street and construct tunnels and other works subsidiary to the same ;
 - (b) widen, lengthen, extend, enlarge or otherwise improve any existing public street, if vested in the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat, as the case may be;
 - (c) subject to such conditions as may be prescribed, turn, divert, discontinue or close any public street so vested;
 - (d) provide within its discretion building sites of such dimensions as it thinks fit to abut on or adjoin any public street made, widened, lengthened" extended, enlarged or improved by it under clauses (a), (b) and (c) or by the State Government ,
 - (e) subject to the provisions of any rule prescribing the conditions on which property may be acquired by Zila Panchayat or Kshetra panchayat acquire by agreement with the owner or under *the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No.30 of 2013)*, or any other existing law any land along with the building thereon which it considers necessary for the purpose of any scheme or work undertaken or projected in exercise of the powers conferred by the preceding clauses, and
 - (f) subject to the provisions of any rule prescribing the conditions on which property vested in Zila panchayat it may be transferred Zila Panchayat or Kshetra panchayat lease, sell or otherwise dispose of any property acquired by under clause (e) or any land used by it for a public street and no longer required

therefor, and in doing so impose any condition as to the removal of any building existing thereon, as to the description of any new building to be erected thereon, as to the period within which such new building shall be completed, and as to any other matter that it deems fit:

Provided that in undertaking work under this section the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat as the case may be, shall in no case interfere with or encroach upon any place of worship or religious sanctity.

106(a j) Declaration of a street as a public street-

(1) The Zila Panchayat may at any time, and shall when required by a requisition by public notice posted up in any street that not a public street, or in a part of such street, give intimation of its intention to declare the same a public street, within two months next after such notice has been so posted up, the owner or owners of such street or such part of a street, or of a greater portion thereof may lodge objections addressed to the Kshetra Panchayat against the notice. The Kshetra Panchayat shall consider the objections lodged and if it rejects them, may by further public notice posted up in such street or such part declare the same to be a public street.

(2) Any public notice required under sub-section (1) shall, in addition to being posted up in the street, be published in a local newspaper, if any, or in such other manner as Zila Panchayat thinks fit.

(3) The Zila Panchayat may also exercise the powers conferred by this section in respect of a street or part of a street which it wants to include amongst district roads.

106(a k) Powers to regulate line of buildings on public streets-

(1) Whenever the appropriate authority considers it expedient to define general line of buildings on each or either side of any existing or proposed public street, it shall give public notice of its intention to do so.

(2) Every such notice specify a period in which objections shall be received.

(3) The appropriate authority shall consider all objections received within the specified period and may then pass a resolution defining the said line, and. the line so defined shall be called the regular line of the street :

(4) Thereafter it shall not be lawful for any person to erect, re- erect or alter a building or part of a building so as to project beyond the regular line of the street, unless he is authorized to do so by sanction granted by a permission in writing and the appropriate authority is

hereby empowered to grant such permission under this section.

(5) Any owner of land who is prevented by the provisions of this section from erecting, re-erecting or altering any building on any land may require the appropriate authority to make compensation for any damage which he may sustain by reason of such prevention, and upon the payment of compensation in respect of any land situated within the regular line of the street such land shall vest in the appropriate authority.

(6) The appropriate authority may, by notice, require the alteration or demolition of any building or part of, a building erected, re-erected or altered in contravention of sub-section (4).

106(a l) Duties of appropriate authority when constructing public streets, etc.-

(1) The appropriate authority shall, during the construction or repair of a public street or of any water channel, drain or premises vested in it, or whenever any public street, water channel drain or premises vested in it has, for want of repair, or otherwise become unsafe for use by the public, take all necessary precautions against accident by-

(a) shoring up and protecting adjacent buildings,

(b) fixing bars, chains or posts across or in any street or the purpose of preventing or diverting traffic during such construction or repair, and

(c) guarding and providing with such sufficient lighting from sunset to sunrise any work in progress.

(2) Whoever, without the authority or consent of the appropriate authority, in any way interferes with any arrangement of construction made by the appropriate authority under sub-section (1) or guarding against accident shall be liable on conviction to fine which may extend to fifty rupees or as prescribed.

Protection of sources of water supply

106(a m) Powers to require private watercourse, etc. to be cleaned or closed-

(1) The Kshetra Panchayat may and when so required by the Kshetra Panchayat shall, by notice, require the owner of, or the person having control over a private water-course, spring, tank, well or other place, the water of which is used for drinking, to keep and maintain the same in good condition and to clean the same, from time to time, of silt, refuse or decaying vegetation, and may also require him to protect the Same from pollution in such manner as the Kshetra Panchayat may think fit.

(2) When the water of any such water-course, spring, tank, well or of other place is proved to the satisfaction of the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat, to be inappropriate for drinking, the Zila

Panchayat or the Kshetra Panchayat may, by notice require the owner or person having control thereof to desist from so using such water or permitting others to so use it, and if, after such notice, such water is used by any person for drinking, the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat, as the case may be, may, by notice, require the owner or person having control thereof to close such well, either temporarily or permanently or to enclose or fence such water-course, spring, tank, well or other place in such manner as it may direct so that the water' thereof may not be so used.

- 106(a n) Emergent powers on outbreaks of epidemic-** In the event of the rural area of the district, or any part thereof, being visited with an outbreak of cholera or other infectious disease notified in this behalf by the State Government, the Chairman of the Zila Panchayat or the Pramukh of the Kshetra Panchayat, or any person authorised any them in this behalf, may, during the continuance of the epidemic, without notice and at any time, inspect and disinfect any well, tank or other place from which water is, or is likely to be, taken for the purpose of drinking, and may further take such steps as he deems fit to prevent the removal of water therefrom.
- 106(a o) Removal of latrines, etc. near any source of water supply-** The Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat may, by notice, require an owner or occupier on whose land a drain, privy, latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or refuse exists within fifty feet of a spring, well, tank, reservoir or other source from which water is or may be derived for public use, to remove or close the same within one week from the service of such notice.
- 106(a p) Unauthorized construction, etc. over drain or water work-** (1) Where, on or after the commencement of this Act, any street has been made or any building, wall or other structure has been erected or any tree has been planted without the permission in writing of the Zila Panchayat or the Kshetra panchayat as the case may be, over a public drain or culvert or a water work vested in it, the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat, as the case may be, may-
- (a) by notice required the person who has made the street, erected the structure or planted the tree, or the owner or occupier of the land on which the street has been made structure erected or tree planted, to remove or deal in any other way the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat, as the case may be, thinks fit with the street, structure or tree, or
 - (b) itself remove or deal in any other way it thinks fit with the street structure or tree.
- (2) Any expense incurred by the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat by action taken under clause (b) of sub-section (1) shall be recoverable by the person by whom the street was made,

structure erected or tree planted.

Markets, slaughter houses, sale of food, etc.

106(a q) Place for slaughter of animals for sale-

(1) The Kshetra Panchayat may with the approval of the District Magistrate, fix premises in a controlled rural area for the slaughter of animals, or animals of any specified description for sale, and may, with the like approval, grant and withdraw licences for the use of such premises.

(2) When such premises have been fixed, no person shall slaughter any such animal for sale at any other place within a radius of two miles from such premises.

(3) Whoever slaughter such animal at any other place within the radius of two miles for sale, he shall be liable on conviction to a fine which may extend to two rupees for each animal so slaughtered or as may be prescribed.

106(a r) Powers of district magistrate in respect of animals not slaughtered for sale- Whenever it appears to the District Magistrate to be necessary for the preservation of the public peace or order, he may, subject to the control of the Commissioner of the Division, prohibit or regulate, by public notice, the slaughter anywhere within the rural area of animal or animals of any specified description for purposes other than sale and prescribe the mode and route in and by which such animals shall be brought to and meat shall be conveyed from the place of slaughter.

106(a s) Improper feeding of animals kept for dairy purposes or used for food-

Whoever in the rural area feeds or allows to be fed an animal which is kept for dairy purposes, or may be used for food, on filthy or deleterious substances shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees.

Explanation- Filthy or deleterious food shall mean such food as has been specified by an authority and in the manner prescribed by rules to be filthy or deleterious food.

106(a t) Inspection of places for sale of food, drink drugs- The Chairman, the Chief Executive Officer, the Health Officer, and, if authorized in this behalf by resolution, any other member, officer or servant of the Zila Panchayat and similarly the Pramukh, the Block Development Officer or any other officer of the Kshetra Panchayat authorized in this behalf by the Block development officer may, without notice, at any period of the day or night enter into and inspect a market, shop stall or place used for the sale of food or drink for human being or for the sale of drugs, and inspect and examine an article of food or drink or any drug which may be therein.

106(b a) Seizure of unwholesome articles and removal of deleterious and

expired drugs-

(1) If, in the course of the inspection of a place under the preceding section, an article of food or drink or an animal appears to be intended for the consumption of human being and to be inappropriate therefor, the person inspecting, may seize and remove the same or may cause it to be destroyed, or to be so disposed of as to prevent its being exposed for sale or use for such consumption.

(2) If it is reasonably suspected that a drug has been adulterated or by reason of time or the effect of climate has become inert or unwholesome, or has otherwise become deteriorated in such manner as to lessen its efficiency, or to change its operation, or render it noxious, the person inspecting may remove the same, giving a receipt therefore and may produce it before a Magistrate.

(3) if it appears to a Magistrate before whom a drug has been produced under sub-section (2) that the drug has been adulterated or has become inert, unwholesome, or deteriorated as aforesaid, he may order the same to be destroyed, or to be so disposed of as to him may deem fit, and if any offence appears to have been committed he may proceed to take cognizance thereof.

Nuisance for certain trades and professions

106(b b) Regulation of offensive trades-

(1) If it, is shown to the satisfaction of a Zila Panchayat that any building or place within the limits of the rural area which any person uses or intends to use as a factory or other place of business for the manufacture, storage, treatment or disposal of any article, by reason of such use, or by reason of such intended use, occasions or is likely to occasion a public nuisance, the Zila Panchayat may at its option require by notice the owner or occupier of the building or place-

(a) to desist or refrain, as the case may be, from using, or allowing to be used the building or place for such purpose, or

(b) only to use, or allow to be used, the building or place for such purpose under such conditions or after such structural alterations as the Zila Panchayat imposes or prescribes in the notice with the object of rendering the use of the building or place for such purposes free from objection.

(2) Whoever, after receiving a notice given under sub-section (1) uses or allows to be used any building or place in contravention of the notice shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty rupees or as may be prescribed and to a further fine which may extend to five rupees for every day on which he so uses or allows to be used the place or building after the date of the first conviction or as may be prescribed.

106(b c) Neglect of the rules of the road- Whoever, in driving, leading or

propelling a vehicle along a street in the rural area, fails, except in the case of actual necessity-

(a) to keep to the left, or

(b) when passing a vehicle going in the same direction, to keep to the right of that vehicle, shall be liable on conviction to a fine which may extend to ten rupees or as may be prescribed.

Exception-- This section shall neither apply to the hilly districts of Kumaun of Uttarakhand Divisions nor where the aforesaid failure is an offence punishable under section 122(2) of the Motor Vehicles Act, 1939.

106(b d) Powers to search for inflammable materials in excess of authorised quantity-

(1) The Kshetra Panchayat may, where it appears to be necessary for the prevention of danger to life or property, by public notice prohibit all persons from stocking or collecting, or stocking or collecting beyond a specified quantity, wood, dry grass, straw or other inflammable materials, or from placing mats or thatched huts or lighting fires in any house, building place or within limits specified in the notice.

(2) Where dry wood, grass, straw or other inflammable material is suspected to be stocked or collected in contravention of a prohibition under sub-section (1), or in excess of the quantity permitted to be kept in such house, building or place under the provisions of sub-section (1) or of any bye-laws the any officer or servant of the Zila Panchayat authorized by the Chief executive officer in this behalf may, without notice and at any period of the day or night, enter into and inspect a house or building or place.

(3) If any quantity or excess quantity of such material be found it may be seized and held subject to such order as a magistrate may pass with respect to it.

(4) If the magistrate decides that the material seized was stored in the house, building or place contrary to any prohibition made under sub-section (1) he may pass an order confiscating the same.

(5) Subject to any provisions of or made under this or any other enactment, the material so confiscated may be sold by order of the Magistrate, and the proceeds, after defraying the expenses of such sale shall be credited in the district Fund.

106(b e) Savings in respect of other proceedings- No order of confiscation under section 106 (b d) shall operate to prevent any other criminal or civil proceedings to which the person storing, or collecting or storing or collecting the materials in excess of the permitted quantity may be liable.

106(b f) Displacing pavements etc.-

(1) Whoever displaces, takes up or makes an alteration in or otherwise interferes with, the pavement, gutter, flags or other internals of a public street or the fences, walls or posts thereof, or other such Zila Panchayat or Kshettra Panchayat property therein without the written consent of the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, as the case may be, or other lawful authority, shall be liable on conviction to a fine which may extend to one hundred rupees or as may be prescribed.

(2) Any expense incurred by the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat by reason of the doing of any such thing as is mentioned in sub-section (1) may be recovered from the offender in the manner prescribed.

106(b g) Discharging firearms, etc- Whoever discharges firearms or lets off fireworks or fire- balloons, or engages in a game, in such a manner as to cause, or to be likely to cause, danger to persons passing by or to damage of or dwelling or working in the neighborhood, or risk of injury of life arises or likely to arise or property shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty rupees or as may be prescribed.

106(b h) Powers of the prevention of danger from ruinous buildings, un protected wells, etc.-

(1) A Zila Panchayat may by notice require the owner or occupier of any land or building-

(a) to demolish or to repair in such manner, as it deems necessary by Zila panchayat any building, wall, bank or other structure, or anything affixed thereto, or to remove any tree, belonging to such owner or in the possession of such occupier, which appears to the Zila Panchayat to be in a ruinous condition or dangerous to persons or property, or

(b) to repair, protect or enclose, in such manner as it deems necessary, any well, tank, reservoir, pool or excavation belonging to such owner or in the possession of such occupier, which appears to the Zila Panchayat for be dangerous by reason of its situation, want of repair or other such circumstances.

(2) Where it appears to the Zila Panchayat that immediate action is necessary for the purpose of preventing imminent danger to any person or property, it shall be the duty of the Zila Panchayat itself to take such immediate action and in such case, it shall not be necessary for the Zila Panchayat to give notice, if it appears to the Zila Panchayat that the object of taking such immediate action would be defeated by the delay incurred in giving notice.

106(b i) Obstruction of street-

- (1) Whoever without the written permission of the Zila Panchayat -
- (a) causes or allows any vehicle, with or without an animal harnessed thereto, to remain or stand so as to cause obstruction in any public street in a controlled rural area longer than may be necessary for loading or unloading or for taking up or setting down passengers, or
 - (b) leaves or fastens any vehicles or animal so as to cause obstruction on any such street, or
 - (c) exposes any article for sale, whether upon a stall or booth or in any other manner, so as to cause obstruction in any such street, or
 - (d) deposits, or occasions to be deposited any building materials, box, bale, package or merchandize in any such street, or
 - (e) erects or sets up any fence, rail, post, stall, or any scaffolding made of cloth or wood or any other such fixture in any such street, or
 - (f) in any manner wilfully obstructs or causes obstruction to the free passage of any such street, shall be liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees or as may be prescribed.
- (2) The Zila Panchayat shall have powers to remove any obstruction referred to in sub-section (1) and the expenses of such removal shall be recoverable from the offender in the manner provided by Chapter VIII.
- (3) The powers exercise able by a Zila Panchayat under sub-section (2) to remove obstructions from streets, shall also be exercisable for the removal by the Zila Panchayat of obstructions from any open space, whether vested in the Zila Panchayat or not, which is not private property.
- (4) Nothing contained in this section shall apply to any obstruction of a street permitted by the Zila Panchayat under any section of this Act or any rule or bye-law made or licence granted thereunder.

Sanitation and prevention of disease

- 106(b j) Toilets for factories, schools and places of public resort** - The Zila Panchayat may require by notice any person employing more than twenty workmen or labourers or owning, managing or having control of a market, school or theatre or other place of public resort to provide such latrines and urinals as it may deem fit, and to cause the same to be kept in proper order and to be daily cleaned;

Provided that nothing in this section shall apply to a factory regulated by the Factories Act, 1948 (Act no 63 of 1948).

- 106(b Powers to require removal of nuisance arising from tanks, etc-**

- k) The Zila Panchayat may by notice require the owner or occupier of any land or building to cleanse, repair, coyer, fill up or drain off a private well, tank, reservoir, pool, depression or excavation therein which may appear to the Zila Panchayat to be injurious to health or offensive to the neighborhood ;

Provided that the owner or occupier may require the Zila Panchayat to acquire at its expense, or otherwise provide, any land or rights in land necessary for the purpose of effecting drainage ordered under the foregoing provisions.

- 106(b l) Cleaning filthy land-** If any land is in a filthy or unwholesome state, the Zila Panchayat may, by notice, require the owner thereof to cleanse, or otherwise put in a proper state, the land, and thereafter to keep the same in a clean and proper state.

- 106(b m) Regulation of the disposal of rubbish, night-soil, etc-**

(1) The Zila Panchayat may in any controlled rural area-

(a) provide receptacles and places for the temporary deposit of offensive matter and rubbish;

(b) appoint places for the disposal of night-soil, and other offensive matter and rubbish, and

(c) by public notice issue directions as to the time, manner and conditions at, in and subject to which any offensive matter or rubbish referred to in clauses (a) and (b) may be removed along a street, deposited or otherwise disposed of.

(2) It shall be sufficient notice of the appointment of a place under clause (b) of sub-section (1) that a notice board indicating such appointment is displayed on or near the place appointed.

- 106(b n) Penalty for improper disposal of rubbish, night soil, etc.-** The occupier of any building or land from which any offensive matter, rubbish, or night soil is thrown or deposited on any part of a public drain, or into any drain communicating with a public drain, otherwise than in a place appointed under clause (b) or in a receptacle or place provided under clause (a) of sub-section (1) of section 106(bm), and any person contravening any direction of a Zila Panchayat issued under clause (c) of the said sub-section shall be liable, upon conviction, to a fine not exceeding fifty rupees.

- 106(b o) Penalty for discharging sewage on public street, etc.-** In specified areas, whenever the water of a sink, sewer or cesspool, or any other offensive matter is allowed to flow, drain or be put upon a public street or place, or into a sewer or drain not set apart for the purpose without the permission in writing of the Zila Panchayat or in contravention of any condition prescribed in such permission, the owner or occupier of the land or buildings from which such water or offensive matter flows, drains or is put, shall be liable upon conviction, to a fine which may extend to fifty rupees or as may be

prescribed.

106(b p) Building unfit for human habitation-

(1) In a controlled rural area, should a building, or a room in a building, be in the opinion of the Zila Panchayat unfit for human habitation in consequence of the want of proper means of drainage or ventilation or otherwise, the Zila Panchayat may, by notice, prohibit the owner or occupier thereof from using the building or room for human habitation or suffering it to be so used either absolutely, or unless, within a time to be specified in the notice, he effects such alteration therein as is prescribed in the notice,

(2) Upon failure of a person to whom notice is issued under subsection (1) to comply therewith, it shall be lawful for the Zila Panchayat to require by further notice the demolition of the building or room.

106(b q) Penalty for acts done by persons suffering from certain disorders- Whoever, while suffering from an infectious, contagious or loathsome disorder-

(a) makes or offers for sale an article of food or drink for human consumption or a medicine or drug, or

(b) wilfully touches any such article, medicine or drug when exposed for sale by others, or

(c) takes any part in the business of washing or carrying soiled clothes, shall be liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees or as may be prescribed.

106(b r) Prohibition of cultivation, use of manure, or irrigation injurious to health- If the Director of Medical and Health Services certify that the cultivation of any description of crops or the use of any kind of manure or the irrigation of land in any specified manner.

(a) in a place within the limits of a rural area is injurious or facilitates practices which are injurious to the health of persons dwelling in the neighborhood, or

(b) in a specified place within the rural area is likely to contaminate the water supply of such specified place or otherwise render it unfit for drinking purposes, the Zila Panchayat may by public notice prohibit the cultivation of such crop, the use of such manure or the use of the method of irrigation so reported to be injurious, or impose such conditions with respect thereto as may prevent the injury or contamination;

Provided that when, on any land in respect of which such notice is issued, the act prohibited has been practiced in the ordinary course of husbandry for the last five years next preceding the date of prohibition compensation shall be paid from the Zila Nidhi to all

persons interested therein for damage caused to them by such prohibition.

106(b s) Powers to require owners to clear away noxious vegetation- The Zila Panchayat may, by notice require the owner or occupier of any land to clear away and remove any vegetation or undergrowth which may be injurious to health or offensive to the neighborhood.

106(b t) Powers to require excavation to be filled up or dined- In a rural area for which bye-laws have been made under sub-head (d) of heading "G" of section 106 the Zila Panchayat may by notice, require the owner or occupier of any land upon which an excavation cesspool, tank or pit had been made in contravention of such bye-laws or in breach of the condition under which permission to dig any such excavation, cesspool, tank or pit has been granted, to fill up or drain the excavation, cesspool, tank or pit within a period to be specified in such notice.

106(c a) Powers in respect of burial and burning ground-

(1) The Zila Panchayat may, by public notice order a burial or burning ground which is certified by the civil surgeon or Health officer to be dangerous, or likely to be dangerous, to the health of persons living in the neighborhood to be closed from a date to be specified in the notice and shall in such case and if no suitable place for burial or burning exists within a reasonable distance shall provide a fit place for the said purpose.

(2) Private burial places in such burial grounds may be exempted from the notice, subject to such conditions as the Zila Panchayat may impose in this behalf :

Provided that the limits of such burial places are sufficiently defined, and that they shall be used only for burial of members of the family of the owners thereof.

(3) No new burial or burning ground whether public or private shall be made or formed without the permission in writing of the Zila Panchayat.

(4) No person shall, except with the permission of the Zila Panchayat in writing, bury or burn or cause to be buried or burnt, a corpse in a burial or burning ground closed under sub-section (1) or made or formed in contravention of the provisions of sub-section (3).

(5) Should a person bury or burn, or cause or permit to be buried for burnt, a corpse contrary to the provisions of this section, he shall be liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees as may be prescribed.

Inspection, entry, search, etc.

106(c b) Powers of inspection- The Chairman, the Chief Executive Officer and, if authorized in this behalf by resolution any other member,

officer or servant of the Zila Panchayat and similarly the Pramukh, the Khand Vikas Adhikari or any other officer of the Kshettra Panchayat authorised in this behalf by the Pramukh Block Development Officer may enter into or upon a building or land with or without assistants or workmen, in order to make an inspection or surveyor to execute a work which the Zila Panchayat or as the case may be, the Kshettrs Samiti is authorized by this Act or by rules or bye-laws, to make or execute, or which it is necessary for the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat for any of the purposes or in pursuance of any of the provisions of this Act or of rules or bye-laws, to make or execute;

Provided that-

- (i) except when it is in this Act or in rules or bye-laws otherwise expressly provided, no entry shall be made between sunset and sunrise; and
- (ii) no entry shall be made except when it is under this Act or under rules fram there under or bye-laws otherwise expressly provided, no building which is used as a human dwelling shall be so entered, except with the consent of the occupier thereof, without giving previous written notice to the said occupier not less than four hour's of such intention to make entry, and
- (iii) sufficient notice shall in every instance be given even when, any premises may otherwise be entered without notice to enable the inmates of an apartment appropriated for females to remove to some part of the premises where their privacy need not be disturbed, and
- (iv) due regard shall always be paid to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.

106(c c) Powers of entry- It shall be lawful for a person authorized to make an entry for the purpose of inspection, or of search, to open or cause to be opened a door, gate or other barrier-

(a) if he considers the opening thereof necessary, for the purpose of such entry, inspection or search, and

(b) if the owner or occupier is absent or being present, refuses to open such door, gate, or barrier.

Obstruction to persons employed by Zila Panchayat or Kshettra Panchayat

106(c d) Penalty for obstructing persons employed by Zila Panchayat or Kshetra Panchayat- Whoever obstructs or molests a person employed by, or under contract with, the Zila Panchayat or a Kshettra Panchayat under this Act in the performance of his duty or in the fulfillment of his contract, or removes a mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorized by this Act, shall be liable to

All office bearers of a Zila Panchayat to be public servants	107	<p>conviction to imprisonment upto three months or fine up to fifty rupees or both as may be prescribed.</p> <p>Every Chairman , Vice -Chairman, officer or servant of a Zila Panchayat, shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code, 1860, and in the definition of legal remuneration in section 161 of the Code, the word "Government" shall, for the purpose of this section, be deemed to include Zila Panchayat.</p>
Exercise and performance of powers by the Zila Panchayat	108	<p>Except such any powers and functions which are exercised and performed only by Zila Panchayat and reserve for Chairman such all or any powers and functions which are conferred by this Act to him and made provisions for that purpose than by passing special motion may be delegate to any Committee.</p>
Duties and powers of Chairman of the Zila Panchayat	109	<p>A (1) It shall be the duty of Chairman unless provided otherwise by this Act or prevented by reasonable cause-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) to convene and preside at all meetings of the Zila Panchayat and of such of its committees as may be prescribed in this behalf ; (ii) otherwise to control in accordance with any regulation made in this behalf the transaction of business at, all meetings of the Zila Panchayat ; <p>(2) to watch over the financial administration and superintend the executive administration of the Zila Panchayat, and bring to the attention of the Zila Panchayat if any, defect therein;</p> <p>(3) shall supervise and control the head of the departments and other employees of the Zila Panchayat through the Chief Executive Officer;</p> <p>(4) shall supervise and inspect of the works of the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat or Zila Panchayat and receive copies of the detail letters, accounts, representation and instruments for this purpose;</p> <p>(5) to perform such other duties as are required of or imposed on him under this Act or the rules made thereunder of any other law for the time being in force.</p> <p>B (1) In case of any kind of vacancy of the Chairman perform all such powers and functions exercise by the Chairman which are mentioned in section 108.</p> <p>(2) To exercise and performed such powers and functions provided to the Vice Chairman by Chairman or Zila Panchayat.</p>
Office of Zila Panchayats	110	<p>The headquarter of Zila Panchayat shall be at such place where the headquarter of Zila Panchayat is situated or the State Government prescribed.</p>

Delegation of powers and duties to Vice chairman or Panchayats by Chairman of Zila Panchayat 111

The Chairman may delegate his own duties and powers to Vice-chairman of Zila Panchayat.

Committees in Zila Panchayats 112

Subject to this Act, the Zila Panchayat shall constitute such committee or committees as may be notified by the State Government from time to time, to assist the Zila Panchayat in the performance of all or any of its functions by such method and for the performance of such duties which are further provided and may delegate such of its powers or functions as it may deem fit. There shall be following committees for Zila Panchayat-

(A) for the performance of duties in Zila Panchayat shall constitute of six committees which shall be as follows-

(1) Planning and Development Committee (2) Education Committee (3) Health and Welfare Committee (4) Construction Committee (5) Administrative Committee (6) Water Management and Biodiversity Management Committee. The Chairman, Vice chairman and member of members in above said committees shall be that as may be prescribed.

(B) (1) A Committee may appoint one or more sub-committees for examination and report on any matter with which it is concerned or for discharging any of functions.

(2) The composition and term of a sub-committee shall be such as may be decided by the Committee.

(3) The report or action of the sub-committee shall be deemed to be the report or action of the Committee if approved by it.

(C) (1) A Zila Panchayat may at any time call for from any of its committees and likewise a committee may call for from any of its sub-committees, a report of or extract from the proceedings of such committee or sub-committee or as the case may be, any return.

(2) The committee or sub-committee, as the case may be, shall with all convenient speed, comply with the request made under sub-section (1).

Chapter XX

The officers and employees of the Zila Panchayat and penalties and procedure of violation and infringement of the provisions of the Act

Officers and Employees of the Zila Panchayat 113

(1) Every Zila Panchayat shall have a Chief Executive Officer who shall be appointed for the purpose to perform the functions of Zila Panchayat under this Act by the State Government.

(2) For the performance of functions of the Zila Panchayat the following posts of the other officers and employees in the Zila

Panchayat-

- (i) Additional chief officer;
- (ii) Finance officer;
- (iii) Executive officer;
- (iv) Engineer;
- (v) Tax officer;
- (vi) Junior Engineer;
- (vii) District level officers of the all concerning department the subject elaborate in 11th Schdule of the Constitution.

(3) The State Government may appoint the employees under the Zila panchayat, who are working in relation to the activities of State, by such disignation as may be specified in order, for the Zila panchayat, as it may deem fit.

(4) (a) The qualifications of persons to be appointed to the posts of Finance Officer, Executive Officer, Engineer, Junior Engineer, and Tax officer created under sub-section (2) of section 113 of that section shall be as may be prescribed.

(b) The emoluments and other conditions of service of officers and other servants of the Zila Panchayat shall be such as may be prescribed

(5) (i) Subject to any rules made in this behalf, the State Government may-

(a) at the request of the Zila Panchayat and for such time and on such terms as may be agreed to place at the disposal of the Zila Panchayat the services of any of its servants; and

(b) whenever the work of any Government office is transferred to a Zila Panchayat , by order in writing require the Zila Panchayat to employ on such posts and on such terms as may be specified in the order either the entire staff of the office of Government connected with that work or such of the servants in that office as may be designated or nominated by the State Government and the services of such staff or servants shall thereupon be deemed to have been placed at the disposal of the Zila Panchayat for the time being ;

Provided that a servant so employed with a Zila Panchayat may at any time be recalled by the State Government.

(ii) The salaries and allowances of servants referred to in sub-section (1) shall be paid out of the Zila Nidhi as if they were servants of the Zila Panchayat.

(6) The Finance Officer of the Zila Panchayat shall be appointed by the State Government in the manner provided by rules.

(7) (i) Appointments to the posts of Executive Officer, Engineer, Junior Engineer and Tax officer carrying such pay scales as the State Government may, by notification, fix shall be made by the Zila Panchayat in consultation with the State Public Service Commission or such other Commission or Selection Board as may be constituted by the State Government in this behalf for all Zila Panchayats or any groups of Zila Panchayats separately (in either case here-after referred to as the Commission) in the manner prescribed;

Provided that if there is a difference of opinion between the Commission and the Zila Panchayat the matter shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding.

(ii) Except in the case of such other class of posts which the State Government may specify, appointments to posts connected with any department of the Zila Panchayats specified by rules carrying such pay scales as the State Government may, by notification, fix shall be made by the Chief Officer.

(iii) Except as otherwise provided in this Act, appointments to posts under the Zila Panchayat , other than those covered by sub-sections (i) and (ii), shall be made by the Chairman ---

(a) in the case of others, on the advice of the election committee by Chairman;

Provided that if in any case the Chairman is of opinion that the advice of the election committee is improper or unfair, he may make a reference to the Commissioner of the Division whose decision in the matter shall be final and binding.

(iv) Notwithstanding anything in the preceding sub-section- --

(a) if the State Government has made any order under sub-section (2) of section 113, that order would prevail, and

(b) the State Government may at any time require a Zila Panchayat to take in its own service any such Government servant whose services have been placed at the disposal of the Zila Panchayat under of sub-section (2) of section 113 and who has given his consent in that behalf and upon being so taken in the service of the Zila Panchayat such servant shall cease to be Government servant and shall become a servant of the Zila Panchayat.

(8) The State Government may create or abolish any post of officer except mentioned posts in sub section (1).

(9) (i) Where an authority specified in sub section (2) of section 113, fails within a reasonable time to make an appointment to a post created thereunder, whether in the manner provided or in pursuance of an order, the State Government may, after giving such authority a reasonable opportunity to make the appointment and consulting the Commission, if necessary make appointment

thereto and such appointment shall be deemed to have been made in accordance with this Act.

- (ii) Where Zila Panchayat fails to provide staff under sub-section (2) of section 113, to any Kshetra Panchayat the State Government may provide such staff out of the staff of the Zila Panchayat and such staff shall be deemed to have been placed on deputation with the Kshetra Panchayat under the said sub-section.

Central transferable cadre of certain classes of employees of Zila Panchayat

114

(A) The State Government may at any time create a central transferable cadre of executives, engineers, finance officers and other officers and where any such cadre has been created, appointment to the posts of executives, engineers, finance officers or other officers aforesaid, as the case may be, shall be made out of the persons of the cadre concerned in such manner and on such terms as may be prescribed by rules, and notwithstanding anything elsewhere in this Act, selection of persons to any such cadre and the transfer and punishment of officers of the cadre shall be regulated by rules.

(B) (1) Notwithstanding anything in sections 113(2) officiating and temporary appointments to posts mentioned may be made by the appointing authority specified or in the rules without consulting the Commission, but no such appointment shall, except as provided in sub-section (2), continue beyond a period of one year save after consultation with the commission.

(2) The appointments made under sub-section (1) may, in special circumstances and where the appointing authority is the Zila Panchayat, with the approval of the State Government be continued without consulting the commission for a period not exceeding two years.

(C) The punishment of officers and other servants employed with the Zila Panchayat or with any Kshetra Panchayat including appeals from orders or punishment, the powers of revision, if any, of appellate orders and suspension pending enquiry shall be regulated by rules;

Provided that the authority which is given the powers to dismiss remove from service or reduce in rank any officer or servant shall not be lower in rank than the appointing authority for the post held by such officer or servant;

Provided also that in the case of employees whose appointment is required to be made in consultation with the State Public Service Commission, it shall be necessary for the punishing authority to consult the Commission in the manner prescribed before passing an order for the dismissal, removal or reduction in rank of any such employee.

Powers, functions and duties of officers and other servants of Zila

115

(1) The powers, functions and duties of the officers and other servants of Zila Panchayats shall be such as may be provided by or under this Act, by or under any other enactment and by rules.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1) heads of departments of a Zila Panchayat in the case of officers and other

Panchayats

Control over the officers and servants of Zila Panchayat 116

servants working in their respective departments and the Chief Officer in the case of other officers and, servants may assign to them powers, functions and duties.

(1) (a) The Zila Panchayat shall exercise such control over the Chief Officer and other Heads of Departments as may be prescribed and the Chairman shall have a right to send every year his assessment of the work and conduct of the Chief officer to the authority which is required to record periodical entries about the work and conduct of the Mukhya Adhikari as a Government servant.

(b) The authority aforesaid shall in addition to recording any other entry about the work and conduct of the said Government officer record also the assessment sent by the Chairman under clause (a).

(2) The Chief officer shall have administrative control over all officers and servants employed with the Zila Panchayat and in particular, he shall have the right to send every year to such authority, if any, which is required to record periodical entries about the work and conduct of each such officer or servant as a Government servant his assessment of the work and conduct of the officer or servant. Such authority shall, in addition to recording an entry about the work and conduct of the said Government servant, also record the assessment sent by the Chief officer.

(3) Heads of departments of the Zila Panchayat shall have immediate control over officers and servants working in their respective departments.

Dispute between Zila Panchayat and Nagar Nikay etc. 117

If any dispute arises as to the jurisdiction of a Zila Panchayat or between two or more Zila Panchayat or Nagar Panchayat or the Municipality or a Municipal corporation, it shall be referred to the prescribed authority whose decision shall be final and shall not be questioned in any court of law.

Custody and mode to proof the records of Zila Panchayat 118

(1) Such records which are necessary to maintain in the Zila panchayat as may be prescribed by the State Government from time to time shall be maintained.

(2) Such prescribed all records by the State Government shall be maintained in the Office.

(3) On application to the Zila Panchayat and on payment of prescribed fee in case of demand of any information by any person the copy of records shall be issued by the signature of the prescribed authority;

Provided that no records shall be maintained other than available financial sources, amounts for the purposes of various works by the state Government or Central Government or any other institutions.

Chapter XXI

Fund, Property and contracts of Zila Panchayat

Custody and deposit of Zila Nidhi 119

Subject to the provisions of this Act, the Zila Nidhi, in reference to the Zila Panchayat, shall be deposited in such Treasury or sub-treasury or in such Nationalized Banks, Local Banks, Cooperative Banks and post office after opening account therein decided by as State Government.

Property vested in Zila Panchayat 120

(1) Subject to any saving made by the State Government, all property of the nature specified in this section and situated within the khand/district, shall vest in and belong to the Zila Panchayat and shall with all such other property which may become vested in the Zila Panchayat, be under its direction, management and control and shall be held and applied for the purpose of this Act, that is to say-

(a) all public buildings of every description which have been constructed or are maintained out of the Zila Nidhi ;

(b) all public roads, which have been constructed or are maintained out of the Zila Nidhi and the stones and other materials thereof and also all trees, erections, materials, implements and things provided for such roads; and

(c) all land and other property transferred to the Zila Panchayat by Government, or by gift, sale or otherwise for local public purposes.

(d) all tanks and wells and all adjacent lands, buildings, materials and things connected therewith appertaining thereto within the district/ Khand, not being private property and not being maintained or controlled by any Government or by a local authority other than the Zila Panchayat.

(2)(a) Where a Zila Panchayat for the purpose of exercising any powers or performing any duty conferred or imposed upon it under this or any other enactment, desires to acquire permanently or temporarily, any land or any right in respect of land, it, may request the State Government to acquire at, its cost the same under the provisions of the *the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No.30 of 2013)*, or of any other existing law.

(b) On the acquisition by the State Government of such land or such right under the aforesaid provisions and on payment by the Zila Panchayat, as the case may be, to the State Government of the compensation awarded thereunder and of the charges incurred by the State Government in connection with the proceedings, the land or right, as the case may be, shall vest in the Zila Panchayat or the, as

the case may be.

(3) Public institution-

(a) The management, control and administration of every public institution maintained exclusively out of the Zila Nidhi shall vest in the Zila Panchayat.

(b) Any other public institution may also be vested in or placed under the management, control and administration of a Zila Panchayat:

Provided that the extent of the authority of the Zila Panchayat in respect thereof, may be prescribed by rule.

(c) All property, endowments and funds belonging to an public institution vesting in, or placed under, the management, control and administration of a Zila Panchayat, shall be held by the Zila Panchayat in trust for the purpose to which such property, endowments and funds were lawfully applicable at the time when the institution became so vested or was so placed :

Provided that nothing in the foregoing provisions of this section shall be held to prevent the vesting of any trust property in the Treasurer of Charitable Endowments under the Charitable Endowments Act, 1890(Act no 6 of 1890).

Preparation and passing the budget of the Zila Panchayat 121

(1) The Zila Panchayat shall, with the help of Planning and development Committee, in the manner prescribed and with due regard to the provisions prepare every year before such date as is fixed by rule in this behalf, a complete account of its actual and expected receipts and expenditure for the year ending on the thirty-first day of March next following such date, together with a budget estimate for the year commencing on the first day of April next following.

(2) In preparing the budget estimate under sub-section (1) the estimate of income shall show separately grants from the State Government towards planning and development activities and the estimate of expenditure shall show separately how such grants are proposed to be expended.

(3) The Chairman shall thereafter lay at a meeting of the Zila Panchayat before a date to be fixed by rule in this behalf the account and budget estimate prepared under sub-section (1).

(4) The Zila Panchayat shall, at the meeting referred to in sub-section (3) discuss and then by a special resolution-

(a) pass the budget as a whole, or

(b) pass the budget with any modifications, which it may deem fit, or

(c) remit the budget to the planning and Development Committee for fresh preparation.

(5) Where the Zila Panchayat has remitted a budget under clause (c) of sub-section (4), the Planning and Development Committee shall prepare a fresh budget and the Chairman shall put such budget in the meeting of Zila Panchayat and the Zila Panchayat shall discuss it and by special resolution either pass it as a whole or after such amendment as it thinks fit.

(6)(a) The Chairman shall submit to the State Government the original budget and the amended budget, if any and the budget, as passed by the Zila Panchayat and the State Government may, the budget as passed by the Zila Panchayat as a whole or with any such alteration in respect of that portion which relates to expenditure out of grants made by the State Government towards planning and development activities as he may think fit to make for giving effect to the purposes of such grant and may in respect of the remaining portion make such recommendations as he thinks fit;

(b) If the State Government does not make any recommendations within one month under clause (a) the budget with the modification, if any, made by it under the said clause, shall be deemed to have been finally passed. If the State Government made any recommendation under clause (a) the same shall be laid by the Chairman before the meeting of Zila Panchayat which may make changes in the budget in pursuance of the recommendation. The budget with alterations, if any, made by the State Government of the division under clause (a) and the change, if any, made by the Zila Panchayat under this clause shall then be deemed to have been finally passed;

(c) If before such date as may be fixed by rule in this behalf the Zila Panchayat has not passed or has not been deemed to have passed the budget or if the Chairman has not submitted any budget or budgets under the provisions of clause 6(b), the State Government, may call upon the Chairman to furnish such information as he may require and may prepare a budget for the Zila Panchayat and such budget shall be deemed to have been finally passed by the Zila Panchayat.

(d) If before such date as may be fixed by rule in this behalf the recommendations of the State Government are not placed before the Zila Panchayat as required under clause 6(b) or the Zila Panchayat has not taken any decision thereon, the budget shall be deemed to have been finally passed with modifications as recommended by the State Government.

(7) The Zila Panchayat may, in consultation with the Planning and

Development Committee, vary from time to time as circumstances may render desirable the budget deemed to have been finally passed:

Provided that every variation of the budget by the Zila Panchayat shall be submitted by the Chairman to the State Government and such variation shall be as possible subject to the provisions of sub-section (5), a copy of passed budget finally by the Zila Panchayat according as above in sub section (5) the Chairman shall forward to the State Government for sanction. The State Government shall intimate to the Zila Panchayat within 30 days of his sanctioned related to the budget. if sanctioned is not received after this period than in such case budget shall be deemed passed suo motto.

(8) In framing of a budget, a executive committee shall provide for the maintenance of such minimum closing balance, if any, as the State Government may, by order, prescribe.

(9) Every Zila Panchayat shall submit a copy of its budget as finally passed to the commissioner of the division and another copy to the State Government.

(10) (a) Where a budget or revised budget of a Zila Panchayat has been finally passed under this Act, the Zila Panchayat shall not incur any expenditure under any of the heads of the budget, other than the head providing for the refund of taxes, in excess of the amount passed under that head, without making provisions for such excess by the variation or alteration of the budget.

(b) Where any expenditure under any head providing for the refund, of taxes is incurred in excess of the amount approved or sanctioned under that head, provisions shall be made without delay for such expenditure by the variation or alteration of the budget.

(11) The certain provisions relating to the budget of Zila Panchayat shall be applicable on the budget of Kshetra panchayat. The provisions of sections 83 shall *mutatis mutandis* apply to the budget of a Kshetra Panchayat.

Audit of Accounts of the Zila Panchayats 122

(1) The Audit of the accounts of the Zila Panchayat shall be made every year in such procedure as may be appoint by local fund accounts Audit department or other authority who is determined for this purpose by the State Government. A copy of Audit report shall be provided within a month after completion of audit to the concerning Panchayat by the department.

(2) On receipt of audit report the Panchayat shall remove errors and irregularity found in the audit and acompliance report shall be forward to the local fund account audit department or other authority within three month determined for this purpose by the State Government.

XXII

Taxation and Levy Of Fees , Cess and Tolls

- Taxes which may be imposed by the Zila Panchayat** **123** (1) The taxes which the Zila Panchayat may impose or continue the imposition of for the purpose of this Act shall be the following; namely -
- (a) any other tax which the State Legislature has the powers under the Constitution of India, including Article 277 thereof, to impose in the State and of which imposition by the Zila Panchayat has been uthorized by the State Government.
- (2) The taxes shall be assessed and levied subject to the provisions of Article 285 of “the Constitution of India” and in accordance with the provisions of this Act and rules, regulations and bye-laws framed thereunder.
- (3) fee and other fee under the provisions made otherwise under this Act.
- (4) fee of vehicles registration;
- (5) fee on assessment.
- Powers of State Government to sanction or refuse proposals of Zila Panchayat** **124** (1) When the Zila Panchayat has finally settled its proposal, it shall submit them alongwith the objections, if any, make in connection therewith to the prescribed authority, who shall submit the proposals and objections, if any, to the State Government.
- (2) The State Government after considering the said objections, if any, may either refuse to sanction the proposals or return them to the Zila Panchayat for further consideration, or sanction them without modification or with such modification, not involving any increase of the amount to be imposed, as it deems fit. When the State Government has sanctioned the proposals of the Zila Panchayat under section 90, it shall, after taking into consideration the draft rules submitted by the Zila Panchayat, proceed forthwith in to make such rules in respect of the tax as for the time being it considers necessary.
- Resolution of Zila Panchayat directing imposition of tax** **125** (1) Upon receipt of the copy of the rules sent under the preceding section, the Zila Panchayat shall by special resolution direct the imposition of the tax with effect from a date, to be specified in the resolution, not less than six weeks from the date of such resolution.
- (2) A copy of the resolution passed by the Zila Panchayat shall be submitted to the State Government.
- (3) Upon receipt of the copy of the resolution, the State Government shall notify in the Gazette the imposition of the tax from the date specified under section 93(2) and the imposition of a tax shall in all cases be subject to the condition that it has been so notified-

(a) Notwithstanding anything in the State Government may, by rule, prescribe such other or modified procedure for the imposition and alteration of any tax mentioned in sub-section (3) as it may deem fit;

(b) (i) A Zila Panchayat may exempt, for a period not exceeding one year, any person from the payment of a tax or any portion of a tax imposed under this Act, any person who is, in its opinion, by reason of poverty, unable to pay the same, and may renew the same exemption as often as it deems necessary.

(ii) A Zila Panchayat may, by a special resolution confirmed by the prescribed authority exempt from the payment of a tax, or any portion of a tax, imposed under this Act, any person or class of persons or any property or description of property.

(iii) The State Government may, by order, exempt from the payment of a tax, or any portion of a tax, imposed under this Act, any persons or class of persons or any property or description of property.

(b) Sanction the bye-laws for any Gram Panchayats within the district under section 29 and 106 of the said Act shall as from the appointed date vest in and belong to the Zila Panchayat of the district.

Part- V

Chapter XXIII

Rules, Regulation and Bye-laws

**Powers of State
Government to
make rules 126**

(1) The State Government may by notification in the *Gazette* make rules consistent with this Act in respect of any matter or matters for which the powers of making rules is expressly or by implication conferred by this Act, and may also make rules which are otherwise requisite for carrying out the purposes of this Act.

(2) Any rule made under sub-section (1) may be general for all Zila Panchayats or all Kshetra Panchayats, all Gram Panchayat and special for any one or more Zila Panchayats or Kshetra Panchayats to be specified.

(3) All rules made under this Act shall, thereafter as soon as, it shall be laid before House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the State Legislature may during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Powers to make regulations as to conduct of business etc. 127

(1) A Zila Panchayat, Kshetra Panchayat and Gram Panchayat may, by special resolution, make regulations consistent with this Act and with any rule, and with any regulation made by the State Government as to all or any of the following matters : -

(a) the time and place of its meetings;

(b) the manner of convening meetings, and of giving notice thereof;

(c) the conduct of proceedings including the asking of questions by members at meetings, and the adjournment of meetings ;

(d) the establishment of committees other than advisory committees, for any purpose and the determination of all matters relating to the constitution and procedure of such committees ;-

(e) the delegation of powers, duties or functions, to:

(i) Chairman of the Zila Panchayat or Pramukh of Kshetra Panchayat;

(ii) a committee constituted under clause (d) ;

(iii) a chairman of such committee ;

(iv) the Chief Development Officer, Additional Development Officer or any other servant of the Zila Panchayat ;

(f) the allowances of the servants employed by a Zila Panchayat including the servants placed at the disposal of the Kshetra Panchayat or other allowances;

(g) the amount and nature of the security to be furnished by a servant of a Zila Panchayat including a servant placed at the disposal of any Kshetra Panchayat from whom it is deemed expedient to require security;

(h) the grant of leave to servants of a Zila Panchayat, and the remuneration to be paid to the persons, if any, appointed to act for them whilst on leave ;

(i) the conditions of service, including period of service of all servants of a Zila Panchayat including servants placed at the disposal of any Kshetra Panchayat and the conditions under which such servants, or any of them, shall receive gratuities, annuities or compassionate allowances on retirement or on their becoming disabled through the execution of their duty, and the amount of such gratuities, annuities or compassionate allowances and the conditions under which any gratuities, annuities or compassionate allowances may be paid to the

surviving relatives of any such servants whose death has been caused through the execution of their duty;

(j) the payment of contribution, at such rates and subject to such conditions, as may prescribed in such regulations, to a pension. or provident fund established by the Zila Panchayat, or with the approval of the Zila Panchayat by the said servants;

(k) principles and manners, of recruitment in, respect of the servants of the Zila Panchayats including servants placed at the disposal of any Kshetra Panchayat ;

(l) procedure to be followed, in making documents available to the Finance officer for audit and the action to be taken upon observations made by him ;

(m) procedure to be followed in filling casual vacancies of officers and servants ;

(n) manner in which the functions transferred to the Zila Panchayat under section 108 shall be performed:

Provided that the regulations framed in the foregoing clause shall be in conformity with any, general or special orders of instructions issued by the State Government ;

(o) the conditions subject to which sums due to a Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat may be written off as irrecoverable, and the conditions subject to which the whole or any part of a fee chargeable for distress, may be remitted;

(P) all matters similar to, those set forth in clause (e) to (o) or in respect of which powers to make regulations is conferred expressly or by implication in this Act and not otherwise provided for in this sub-section; and

(q) all matters similar to those set forth in clauses (a) to (d) and not otherwise provided for in this sub-section.

(2) The State Government may, if it thinks fit, make regulations consistent with this Act in respect of any of the matters specified in clauses (e) to (m) and (o) to (q) of sub-section (1) and any regulation so made shall have the effect of rescinding any regulation made by the Zila Panchayat under the said sub-section in respect of the same matter or in consistent therewith.

(3) In addition to foregoing subject in the preceding sub sections for the Gram Panchayat the State Government of in direction of the State Government the designate authority may make rules.

(1) The State Government may by notification in the Gazette

**Panchayats by the
State Government**

make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for-

(i) any matter for which powers to make provisions is conferred expressly or by implication on the State Government by this Act,

(ii) the establishment of Gram Sabha or the constitution of Gram Panchayat;

(a) qualifications for the Pradhan, Up-Pradhan and Members;

(b) presentation and disposal of election petitions and applications for revision;

(c) taking of oath by Pradhan, Up-Pradhan, members of Gram Panchayats ;

(d) filing of resignation by Pradhan, Up-Pradhan, members of Gram Panchayats;

(e) holding of general elections and bye-elections

(f) the nomination of Pradhan and Members of Gram Panchayat;

(g) the carrying out of duties of the Pradhan and the Up-Pradhan in their absence for any cause ;

(3) the time and place of the meetings of Gram Sabha, and Gram Panchayat, the manner of convening meetings and giving notice thereof;

(4) the conduct of proceedings including the asking of questions by members at meetings and the adjournment of meetings and also minute books of meetings ;

(5) the establishment of committees and the determination of all matters relating to the constitution and procedure of such committees;

(6) the suspension and removal of office-bearers ;

(7) the records and registers that shall be maintained by Panchayats and the form in which they are to be ;

(a) periodical revision and amendment of Gram Sabha and Gram Panchayat registers;

(8) the action to be taken on the occurrence of a vacancy lies in committee as mentioned in section 112;

(9) the authority by which disputes in relation to appointments to executive committee, joint committee any other committee may

be decided and the procedure to be followed therein;

(10) the amount and nature of security to be furnished by a servant of the Gram Panchayat from whom it is deemed expedient to require security;

(11) appointment, qualifications, supervisions, dismissible discharge, removal or other punishment and other matters relating to the conditions of service, leave, transfer, pay and privileges of the servants of the Gram Panchayat and their rights to appeal;

(12) management and regulation of provident fund for the servants of Gram Panchayats if the system of provident fund is adopted by any Gram Panchayat ;

(13) the establishment, maintenance and management of primary schools and the construction and repair of buildings thereof;

(14) the establishment, administration and control of libraries, reading rooms, dispensaries entrusted to a joint committee, the construction and repairs of buildings connected therewith and the supply of medicine and medical assistance to the poor inhabitant of the Panchayat area;

(15) the discovery, removal and destruction of water hyacinth, grass, weed or other wild growth on any land, premises or water, the construction of fences and barriers for checking its movements and the cost incurred in carrying out such work;

(16) (a) action in regard to the sanitation, conservancy, drainage, buildings, public streets and water supply and the prohibition of public nuisance ;

(b) the carrying out of functions and duties of Gram Panchayat as mentioned in sections 37, 38 and 39;

(17) the framing of annual estimates of income and expenditure and ear-marking of fund for specific purposes;

(18) the returns to be submitted by Gram Panchayat, the form in which they are to be, the authorities to which and the time when they shall be submitted ;

(19) the levy of taxes and licence fees, the authority, by which and the manner in which the taxes may be assessed and the authority to which an appeal from an assessment order may be made;

(a) collection of State and other dues by Gram Panchayats and remuneration to be paid therefor ;

(20) the method and time of payment of taxes and other dues,

the procedure of recovery and the authority whose assistance may be taken by Gram Panchayats in the recovery of taxes and dues ;

(21) the method of account keeping of Gram Panchayats;

(22) the maintenance of public buildings and nazul land,

(23) the formalities to be observed when transferring any property and the manner in which a deed of contract may be executed by a Gram Panchayat;

(24) powers of auditors, inspectors and superintending authorities to hold inquiries, summoning and examining witnesses, compelling the production of documents and all other matters connected with audit inspection and superintendence,

(25) the powers that may be exercised by Zila Panchayat or any prescribed authority on the discharge of their obligations under this Act and the manner in which such powers may be exercised ;

(26) the procedure to be observed in the making of by-laws by prescribed authority for Gram Panchayats or by Gram Panchayats ;

(27) the prescribing and printing of forms and registers generally relating to any matter under this Act or rules made thereunder;

(28) the submission for approval of plans, designs, specifications and estimates ;

(29) the duties, powers and functions of village volunteer force;

(30) the submission of annual reports by Gram Panchayats and their review ;

(31) persons, other than members of Gram Panchayats, who may be present in an advisory capacity in meetings of Gram Panchayats ;

(32) channel of correspondence between Gram Sabha and a Gram Panchayats;

(33) disposal of assets and liabilities of Gram Sabhas and Gram Panchayats on its abolition ;

(34) the action to be taken on the inclusion of the whole or part of the local area of Gram Panchayat to any City municipality, notified area, town area or cantonment, and the manner in which the assets and liabilities of the Gram Panchayat may be disposed of in circumstances ;

(35) subject to the conditions which sums due to a Gram Panchayat may be written off as irrecoverable and generally for the guidance of Gram Panchayats, joint committees, or the committees,

servants of the Crown and other authorities in any matter connected with the carrying out of the provisions of this Act;

(36) the regulation of the election of the members of the Gram Panchayat in order to secure the adequate representation of the Scheduled Castes;

(37) assistance to be given by the Gram Panchayat to Government servants on any matter affecting the general administration ;

(38) borrowing and lending of money by Gram Panchayats;

(39) the matters which are to be and may be prescribed; and

(40) any matter in respect of which powers is conferred in this Act on the prescribed authority to frame bye-laws for a Gram Panchayat.

Part VI- Chapter XXIV

Miscellaneous Provisions

Miscellaneous Provisions

129

(1) The forest Panchayats with coordinate to the Gram Panchayat shall implement their business. The State Government for such business shall makes such provisions as may be prescribed with the consent of forest department.

(2) The State Government shall delegate the financial and administrative powers of the Pradhan, Up pradhan of Gram Panchayat, Pramukh, senior Up Pramukh, Junior Up pramukh of the Kshetra Panchayat and Chairman, Vice chairman, Chief Executive officer and other officers of the Zila panchayat as such as may be prescribed.

(3) The State Government shall transfer 29 subjects mentioned in the 11th Schedule of the Constitution to the Panchayat as may be prescribed.

(4) The State Government shall determined as may be prescribed such three separate Schedule for duties and responsibilities of the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat as mentioned in the 29 subject in sub section (3).

(5) The State Government has right to cancel or bar the meetings of the three tiers Panchayats resolutions, made out of jurisdiction and aganist the porvision of this Act and the rules made their under till further order.

(6) The State Government for aggregation of planning prepared by Panchayats and Nagar Palika at the level of district shall constitute district planning committee. The district planning committee shall Act under the Act /rule made for this purposes.

Chapter XXV

Division of 130 territorial consciences of three Panchayat and ratio of delimitation numbers

Miscellaneous

(1) For the purpose of election of members of Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat every Panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the member of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the Panchayat area.

(2) each territorial constituency of a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat shall be represented by member in the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat.

(3) the territorial constituency of a Gram Panchayat, Kshetra panchayat and the Zila Panchayat may be delimited in the prescribed manner by the Government-

(a) Any Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat shall, unless sooner dissolved continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer;

(b) An election to constitute a Gram Panchayat, Kshetra panchayat and Zila Panchayat shall be completed-

(i) before the expiry of its duration specified in clause (a);

(ii) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution :

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this sub-section for constituting the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat;

(4) Any Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat constituted upon the dissolution of a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Gram Panchayat would have continued under clause (4) had it not been so dissolved;

(5) The constitution of a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat shall be notified in such manner as may be prescribed and thereupon the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat shall be deemed to have been duly constituted, any vacancy therein notwithstanding :

Provided that the constitution of a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat shall not be notified till the Pradhan, Pramukh, Chairman and at least two-thirds of the members of the

Panchayat have been elected.

(6) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where, due to unavoidable circumstances or in public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Gram Panchayat before the expiry of its duration, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, appoint an consisting of such number of persons qualified to be elected as members of the Gram Panchayat, as it may consider proper or an Administrator and such the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as may be specified in the said order and all powers, functions and duties of the Gram Panchayat, its Pradhan Kshetra panchayat, its Pramukh , Zila Panchayat its Chairman and the powers and function of all three levels of panchayat Committees shall vest in and be exercised, performed and discharged by such Administrator, as the case may be.

**Other provisions 131
related to the
electoral**

(1) Subject to the supervision and control of State Election Commission, the District Magistrate shall supervise the conduct of all elections of Chairman and Vice-chairman and members of Panchayats in the district and shall perform all related functions to it.

(2) Every local authority and the management of every educational institution receiving grant-in-aid from the State Government in the district shall, when so required by the District Magistrate make available to him or to any other officer appointed by the District Magistrate as Nirvachan Adhikari, Sahayak Nirvachan Adhikari in accordance with the directions issued by the State Election Commission, such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with such election.

(3) The State Election Commission may likewise require all or any of the local authorities and the managements of all or any of such institutions as aforesaid in the State to make available to any officer referred to in sub-section (2) such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with such elections and they shall comply with every such requisition.

(4) Where any employee of any local authority or institution referred to in sub-section (2) or sub-section (3) is appointed to perform any duty in connection with such elections he shall be bound to perform such duty.

(a) (1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty, he shall be punishable with fine which may extend Rs.250 (two hundred fifty) rupees.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as afore said.

(4) The persons to whom this section applies are the Nirvachan Adhikaris, Sahayak Nirvachan Adhikaris, Presiding Officer, Matdan Adhikaris and any other person appointed to perform any duty in connection with the receipt of nominations or withdrawal of candidature, or the recording or counting of votes at an election, and the expression official duty shall for the purpose of this section be constructed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act.

(4)(b) (1) If it appears to the District Magistrate and State election commission that in connection with an election under this Act within the district—

(i) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling place or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken; or

(ii) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling place, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election, he may, by order in writing, requisition such premises or such vehicles, vessels or animal, as the case may be and make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning;

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of the polling at such election.

(2) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the District Magistrate and State election commission to be the owner or person in possession of the property and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-section (b), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.

(4) In this section--

(a) “premises” means any land, building or part of a building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof;

(b) “vehicle” means any vehicle used or capable of being used for the purpose or road transport, whether propelled by

mechanical powers or otherwise.

(c) Whenever in pursuance of section 131(4)(b) the District Magistrate and State election commission requisitions any premises, there shall be paid to the persons interested compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the following; namely—

(i) the rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;

(ii) if in consequence of the requisition of the premises the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change;

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes and application within the prescribed time to the District Magistrate, the state election commission for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the District Magistrate may determine:

Provided further that where there is any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of that amount of compensation, it shall be referred to an arbitrator appointed in this behalf for determination and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator.

(iii) Whenever in pursuance of section 131(4)(b) the District Magistrate, and State election commission requisitions any premises, there shall be paid to the person interested compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration by the arbitrator appointed under this section as the case may be;

Provided that the expression “person interested” means the person who was in actual possession of the premises or vehicle requisitioned under section 131(4)(b) immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner of such premises or vehicle.

(d) The District Magistrate and state election commission may with a view to requisitioning any property under section 131(4)(b) & 4(c) or determining the compensation payable under section 131(4)(b) by order, require any person to furnish to such authority as may be specified in the order such information in his possession relating to such property as may be so specified.

(e) Any person authorized in this behalf by the District

Magistrate and State election commission may enter into any premises and inspect such premises and any vehicle, vessel or animal therein for the purpose of determining whether and if so in what manner, an order under section 131(4)(d) should be made in relation to such premises vehicle, vessel or animal or with a view to securing compliance with any order made under that section.

(f) Any person remaining in possession of any requisitioned premises or vehicle in contravention of any order made under section 131(4)(d) may be summarily evicted from the premises by any officer empowered by the District Magistrate in this behalf. Any officer so empowered may, after giving to any woman not appearing in public reasonable warning and facility to withdraw, remove or open any lock or bolt or break open any door of any building or do any other act necessary for effecting such eviction.

(g) (1) When any premises or vehicle requisitioned under section 131(4)(d) are to be released from requisition, the possession thereof shall be delivered to the person from whom possession was taken at the time when the premises were requisitioned, or if there were no such person to the person deemed by the District Magistrate from all liabilities in respect of such delivery, but shall not prejudice any rights in respect of the premises or vehicle which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom possession of the premises or vehicle is so delivered.

(2) Where the person to whom possession of any premises or vehicle requisitioned under section 131(4)(d) is to be given under sub-section (3) cannot be found or is not readily ascertainable or has no agent or any other person empowered to accept delivery on his behalf, the District Magistrate shall cause a notice declaring that such premises or vehicle are released from requisition to be affixed on some conspicuous part of such premises or vehicle and publish the notice in the Official Gazette.

(3) When a notice referred to in sub-section (2) is published in the Official Gazette, the premises or vehicle specified in such notice shall cease to be subject to requisition on and from the date of such publication and be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof and the District Magistrate shall not be liable for any compensation or other claim in respect of such premises or vehicle for any period after the said date.

(h) (1) The election of a person, Chairman or as members of a Panchayat shall not be called in question except by an application presented to such authority within such time and in such manner as may be prescribed on the ground;

Provided that the election has not been a free election by reason that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election, or

(2) that the result of the election has been materially affected-

(i) by the improper acceptance or rejection of any nomination; or

(ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the rules framed thereunder.

(2) The following shall be deemed to be corrupt practices of bribery or undue influence for the purposes of this Act.

(A) (1) Bribery, follows-

(a) a person to stand or not to stand as or to withdraw from being a candidate at an election; or

(b) an elector to vote or refrain voting at an election; or as a reward to-

(i) a person for having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidature; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting or reward to vote in its favour.

(a) to propose or promise of any gift or reward on the part of a candidate or any other person, whosoever with the connivance of the candidate, as reward.

(b) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or of any other person with the connivance of the candidate with the free exercise of any electoral right :

Provided that without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who-

(1) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or an elector is interested with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community ; or

(2) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or will, be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause,

(3) The application under sub-section (b) may be presented by any candidate at the election or any elector and shall contain such particulars as may be prescribed;

Provided that Any person, who filed a nomination paper at the election whether such nomination paper was accepted or rejected, shall be deemed to be a candidate at the election.

(4) The authority to whom the application under sub-section (1) is made shall, in the matter of-

(i) hearing of the application and the procedure to be followed at such hearing,

(ii) setting aside the election or declaring the election to be void or declaring the applicant to be duly elected or any other relief that may be granted to the petitioner have such powers and authority as may be prescribed.

(5) Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (1)(b) the rules may be provided for the hearing and disposal of an application under sub-section (1).

(6) Any party aggrieved by an order of the prescribed authority upon an application under sub-section (1) may, within thirty days from the date of the order, apply to the District Judge for revision of such order or any one or more on the following grounds; namely : -

(a) that the prescribed authority has exercised a jurisdiction not vested in it by law ;

(b) that the prescribed authority has failed to exercise a jurisdiction so vested ;

(c) that the prescribed authority has acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity.

(7) The District Judge may dispose of the application for revision himself or may assign it for disposal to any Additional District Judge, civil Judge or Additional Civil Judge under his administrative control and may recall it from any such officer or transfer it to any other such officer.

(8) The revising authority mentioned in sub-section (6)(a) shall follow such procedure as may be prescribed, and may confirm, vary or rescind the order of the prescribed authority or remand the case to the prescribed authority for re-hearing and pending its decision pass such interim orders as may appear to it to be just and convenient.

(9) The decision of the prescribed authority, subject to any order passed by the revising authority under this section, and every decision of the revising authority passed under this section, shall be final.

- (k) (1) section 10-A, 11-A and section 123 of Chapter 1 and sections 125,126,127,127A,128,129,130,131,132,133,134,134A,135, 135A, 135C, and 136 of Chapter 3 of Part VII of Representation of People Act, 1951 shall be applicable as they were-
- (a) In relation to any election use direction under this Act the made by direction of election;
- (b) The words ‘the election of Pradhan, Up Pradhan and Members of Gram panchayat shall be placed in place of ‘election area’.
- (c) The words ‘State Election Commission’ shall be placed in place of ‘Chief Election Officer’ in sub-clause (1) of Clause (b) of sub-section (2) of section 127(A) of the Representation of People Act, 1951.
- (d) The word “by or under Uttarakhand Panchayat Raj Act, 2016 shall be substituted in place of “ By or under this Act” in section 134 and 136 of the Representation of People Act, 1951.
- (2) The words “ election of member, Pramukh, Up pramukh of Kshetra Panchayat and Member, Chairman and Vice chairman” shall be substituted by words “election area” of Zila Panchayat.
- (3) Regarding election made under this Act and regulation where there is no provisions in relation to election there shall be used as necessity of the provision of Representation of people Act 1951 of the State of Uttrakhand.
- (L) (1) Every person elected on any post in Gram Panchayat, Khetra panchayat and Zila Panchayat shall, be entering upon any office referred to in the sections make and subscribe before such authority as may be prescribed on oath or affirmation and put his signature in the form to be prescribed.
- (2) Any member who declines or otherwise refuses to make and subscribe an oath or affirmation and refuses to singnature as aforesaid shall be deemed to have vacated the office forthwith.

Jurisdiction of Civil courts in election matters barred 132

No Civil Court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or any decision given by an officer or authority appointed under this Act, in connection with the conduct of elections thereunder.

Inspections, etc. of prescribed authority over Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila 133

- (1) with the limits of its jurisdiction or district boundaries, as the case, may be prescribed of State Government-
- (a) **Director**- Within the jurisdiction of the State Director shall be designated authority of the Zila Panchayat and inspect, or cause to be inspected, any movable property used or occupied by a Zila Panchayat or any committee or joint committee thereof, or any work

Panchayat

in progress under the direction of any of them .

- (b) by written order call for and inspect a book or documents in, the possession or under the control of a Panchayats or any committee or joint committee thereof.
- (c) by written order require a Panchayats , or any committee or joint committee thereof to furnish such statements, accounts, reports (including monthly reports of progress) or copies of documents, relating to its proceedings or duties as he thinks fit to call for ; and
- (d) record in writing, for the consideration of Panchayats, or any committee or joint committee thereof any observations he thinks proper in regard to its proceedings or duties.

(2) **District Magistrate-** (a) shall be the Prescribed Authority in Kshettra Panchayat located in district. Inspect, or cause to be inspected, any movable property used or occupied by a Kshettra Panchayat or any committee or joint committee thereof, or any work in progress under the direction of any of them.

- (b) by written order call for and inspect a book or documents in, the possession or under the control of a Kshettra Panchayat or any committee or joint committee thereof.
- (c) by written order require a Kshettra Panchayat, or any committee or joint committee thereof to furnish such statements, accounts, reports (including monthly reports of progress) or copies of documents, relating to its proceedings or duties as he thinks fit to call for ; and
- (d) record in writing, for the consideration of Kshettra Panchayat, of any committee or joint committee thereof any observations he thinks proper in regard to its proceedings or duties.

(3) **Zila Panchayat Raj Adhikari-** (a) shall be the Prescribed authority of Gram Panchayat located in the district. Inspect, or cause to be inspected, any movable property used or occupied by a Gram Panchayat or any committee or joint committee thereof, or any work in progress under the direction of any of them.

- (b) by written order call for and inspect a book or documents in, the possession or under the control of a Gram Panchayat or any committee or joint committee thereof.
- (c) by written order require a Gram Panchayat, or any committee or joint committee thereof to furnish such statements, accounts, reports (including monthly reports of progress) or copies of documents, relating to its proceedings or duties as he thinks fit to call for ; and
- (d) record in writing, for the consideration of Gram Panchayat, of

any committee or joint committee thereof any observations he thinks proper in regard to its proceedings or duties.

Other Powers and duties of State Government in reference of Panchayat 134

(1) The State Government may, from time to time, call after reasonable notice, a meeting of itself, the Chairman and the Mukhys Adhikari, Additinal Mukhya Adhikari/officer and if considered necessary also the Finance Officer, to discuss matters relating to expenditure from the budget grant of the Zila Panchayat relating to planning and development.

(2) The Chief Executive Officer, Chief Development Officer through District Magistrate shall furnish quarterly report to the State Government about the progress of development work.

Inspection of the work of constructed and institution by prescribed authorities 135

A work, or institution, constructed or maintained in whole or part, at the expense of as Zila Panchayat , and all registers, books, accounts or documents relating thereto shall at all times be opened to inspection by such officers as the State Government appoints in this behalf.

Powers of prescribed authority to suspend action under the Act 136

(1) The prescribed authority may, within the limits of its jurisdiction by order in writing, prohibit the execution or further execution of a resolution or order passed or made under this or any other enactment by a Zila Panchayat, or committee of a Zila Panchayat, or a joint committee, or servant of a Zila Panchayat or a joint committee, if in its opinion such resolution or order is patently illegal or Ultra virus or inconsistent with any order or direction given by the State Government under this Act or is Of a nature to cause or tend to cause obstruction, annoyance or injury to the public or to any class or body or persons lawfully employed, or danger to human life, health or safety, or a riot or affray and may prohibit the doing or continuance by any person of any act in pursuance of or under cover of such resolution or order.

(2) Where an order is made under sub-section (1) a copy thereof, with a statement of the reasons for making it, shall forthwith be forwarded by the prescribed authority to the State Government which may after calling for an explanation from the Zila Panchayat and considering the explanation, if any, made by it, rescind, modify or confirm the order.

(3) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section (2) and continuing in force, it shall be the duty of the Zila Panchayat or the committee of the Zila Panchayat or the joint committee or any officer or servant of the Zila Panchayat, or of the committee of the Zila Panchayat or to the joint Committee, if so required by the authority making the order under the said sub-section, to take any action which it would have been entitled to take, if the resolution or

Extraordinary powers of State Government towards Panchayat in case of emergency 137

order had never been made or passed, and which is necessary for preventing any person from doing or continuing to do anything under cover of the resolution or order of which the further executions prohibited.

(1) In case of emergency the District Magistrate may provide for the execution of any work, or the doing or any act which the Zila Panchayat or Committee or Joint Committee thereof is empowered to execute or do, and the immediate execution or doing of which is, in his opinion, necessary for the safety or protection of the public, and may direct that the expenses of executing the work or doing the Act shall be forthwith paid by the Zila Panchayat.

(2) If the expense is not so paid the District Magistrate may make an order directing the person having the custody of the Zila Nidhi to pay the expense from such fund and such person shall act upon such direction.

(3) The District Magistrate shall forthwith send a report to the Zila Panchayat or to the prescribed authority in which cases he uses the powers conferred on him by this section.

Separation from their posts to the officers of the three tiers Panchayat 138

(1) The State Government may remove a member of the Panchayats on any of the following grounds-

(a) that he has acted as a member of the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat or member of any committee by voting or taking part in the discussion of any matter in which he has directly or indirectly, a personal interest or in which he is professionally interested on behalf of a client, principal or other person;

(b) that he has become physically or mentally incapacitated for performing his duties as such member, Pradhan, Up Pradhan, Pramukh, Up pramukh, Chairman, Vice- Chairman;

(c) that he has been guilty, whether in his present or an earlier term of office, of misconduct in the discharge of his duty as such member, Pradhan, Up pradhan, Pramukh, Up pramukh, Chairman, Vice-chairman or has contravened any of the provisions of this Act or caused loss or damage to the fund or property of Panchayats and such misconduct, contravention or causing of loss or damage renders due to conduct of work as unauthorised in place by women representative, her husband or family members or relatives, such women shall be in eligible as member, Pradhan Up-pradhan, Pramukh, Up-pramukh, Chairman, Vice-chairman, in such case they may be suspended upto the departmental final enquiry and their work and duties may be hand over to a committee of three elected members of the concerning Panchayat. In addition to the disciplinary action also may be taken against the departmental

employees/ officer, if found guilty in the enquiry.

(2) Notwithstanding anything in any other enactment, where a member specified in any member, Pradhan, Up Pradhan, Pramukh, Up Pramukh, Chairman and Vice chairman in clause (c) of sub-section (1) of section 29 is removed from membership under this section he shall with effect from the date of publication of notification of removal under sub-section (c), cease to hold the office of member, Pradhan, Up- Pradhan, Pramukh Up- Pramukh, Chairman and Vice- chairman respectively and a vacancy shall be deemed to have been created in that office.

(3) A person who has been removed from membership of the Panchayat under clause (a) or clause (c) of sub-section (1) shall be disqualified for being chosen a member of the Panchayat and being elected a member, Pradhan, Up Pradhan, Pramukh, Up Pramukh, Chairman, Vice- chairman of a Panchayats for a period of five years from the date of his removal :

Provided that the State Government may, at any time by order, remove the disqualification.

(4) **Suspension-** (a) If after the preliminary enquiry, the Pradhan, Up pradhan, Pramukh, Up pramukh, Chairman, Vice chairman found guilty in prima facie than till the final enquiry, the State Government may suspend him.

(b) If it is proved that the meeting of Gram Sabha/ Gram Panchayat is convened in the house of Pradhan/ Up Pradhan than after enquiry against the concerning person, the State Government may suspend him;

Provided that no order shall be passed adversely affecting an person by the State Government/ designated authority unless such person has been given an opportunity of making his representation;

Provided further that the preliminary inquiry shall be completed within one month and the final inquiry shall be completed within six months, positively.

Powers of State Government to dissolve Panchayats **139**

If at any time, upon representation made, or otherwise, it appears to the State Government that a Panchayat^s makes default in the performance of any duty imposed on it by or under this or any other enactment, or exceeds or abuses its powers, the State Government may, after calling for an explanation from the Panchayats and considering any objection made by it to action being taken under this section, and upon being satisfied that resort to such action is desirable by an order, With the reasons for making it published in the Gazette, dissolve the Panchayats.

Exercise of powers and **140**

(1) Every Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat shall exercise the powers and perform the functions

performance of functions under the Act

conferred and entrusted or delegated to it by or under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this or any other law for the time being in force Kshettra panchayat or Zila Panchayat may entrust to Gram Panchayat or Zila Panchayat to Kshettra panchayat any of the function for the time being performed to such extent as prescribed and may withdraw the function so entrusted like wise, the State Government may, at any time, entrust to any Kshettra Panchayat or all Kshettra Panchayats or to any Zila Panchayat or all Zila Panchayats any of the functions for the time being performed by any of its departments below or at the district, level and to withdraw the function so entrusted.

(3) Where the State Government entrusts any function to the Gram Panchayat, Zila Panchayat or Kshettra Panchayat under subsection (2), it may direct that any scheme, plan or project of the concerned department shall also be transferred to, and implemented by or under the control the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, as the case may be.

Powers to enquire and report about the misconduct of certain officials

141

On receiving a complaint from any person residing within the jurisdiction of a Gram Panchayat about any misconduct in the discharge of his official duties by any ameen process-server, vaccinator, village chaukidar, patwari, patrol and tube-well operator of the Irrigation Department, forest guard, forest chaukidar, teacher of a primary school, pound-keeper, village stockman, Gram Vikas Adhikari, Aaganbadi Karyakatri, Shayeka, Asha Karyakatri or peon of any Government department etc. , such Gram Panchayat may, if there be prima facie evidence, forward the complaint to the proper authority with its own report. The authority shall, after such further enquiry as may be required take suitable action and inform the Gram panchayat of the result.

Bar of constitution of the parallel institutions in the Panchayats

142

- (a) The parallel institutions for perform the duties and exercise the powers may not be constituted under the provisions of this Act, which powers and duties assigned to the Panchayats.
- (b) If any voluntary institution want to take welfare and development related programes under any Panchayat area than the selection of planning of such institutions and for their conduct, as resolution of consent of the concerning Panchayat shall be taken.

Powers of Panchayats to cooperate with other authorities and to assist institutions not managed by it

143

The Panchayats may, subject to any rules made in this behalf-

- (a) unite with any other' Panchayats as the case may be, or other local authority in works or undertakings which benefit all the areas controlled by it and such authority;
- (b) contribute to any work or institution.

Exercise of powers and performance of functions of Panchayat 144

The powers, duties and functions specified in with the exception of those against which an entry is shown in the that Scheduled may be exercised and shall be performed by a Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat by resolution passed at a meeting and not otherwise.

Powers and duties of Committees 145

The duties and powers of establish Committees of the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat shall be following-

- (1) **Planning and Development Committee** shall perform duties and exercise powers of the concerning works from following subjects-
 - (a) to keep knowledge on the financial subject of the concerning panchayat and creation the source of income;
 - (b) to prepare annual work planning for the concerning Panchayat;
 - (c) to place for sanction with prepare expenditure of the concerning panchayat;
 - (d) to implementation of the concerning programs of Agriculture, Animal husbandry and poverty abolishen;
 - (e) related matters to the rural fairs and festivals;
- (2) **Education Committee** shall perform duties and exercise powers of the concerning works from following subjects-
 - (a) Basic education, Adult education, informal education and literacy work;
 - (b) to maintain valuation of school buildings constructions/ repairing and selection of land for School buildings;
 - (c) entry number 17, 18, 19, 20 and 21 related matters of 11th schedule of the Constitution.
- (3) **Construction Committee** shall perform duties and exercise powers of the concerning works from following subjects-
 - (a) to maintain all types of construction work;
 - (b) to ensure valuation of construction work of all types under the concerning Panchayat;
 - (c) related to the essential labour contribution.
- (4) **Health and welfare Committee** shall perform duties and exercise powers of the concerning works from following subjects-
 - (a) entry number 23, 24, 25, 26 and 27 related matters of 11th

			<p>schedule of the Constitution,</p> <p>(b) to implementation of the concerning programmes related to medical, health and family planning and social welfare specially women and child welfare, Aaganbadi, PHC/CHC.</p> <p>(5) Administrative Committee shall perform duties and exercise powers of the concerning works from following subjects-</p> <p>(a) all related matters to the establishment of employees of the concerning Panchayat,</p> <p>(b) related matters to the public distribution system.</p> <p>(6) Water Management and Bio-diversity Management Committee shall perform duties and exercise powers of the concerning works from following subjects-</p> <p>(a) to, proper conduct and maintain of tube well and drinking water schemes;</p> <p>(b) to, remedy of environmental safety in the population area,</p> <p>(c) to, maintain different type of lands, traditional mattes and cultivation. to knowledge of storing of cattle's and minor lives and diversity related matters.</p>
Delegation of powers by State Government	146		The State Government may delegate all or any of its powers under this Act to any officer or prescribed authority subordinate to it Gram panchayat, Kshetra panchayat and Zila Panchayatsubject to such conditions and restrictions as it may deem fit to impos.
Penalty for infringement of the provisions of the Act	147		Whoever contravenes variour section or any provisions of this Act shall be punishable, unless otherwise prescribed, with fine, which may extend to five hundred rupees (Rs.500), or as may be prescribed and when the breach is a continuing one with a further fine which may extend to fifty rupees or as may be prescribed for every day after the first conviction during which an offender is proved to have persisted in the offence.
Penalty for contravention of any order regarding requisition	148		Whoever contravenes any order made under variour sections of this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two year or with fine or with both.
Infringement of rules and bye-laws	149		(a) While making rules the State Government and prescribed authority and while making a bye-laws may direct to Gram Panchayat that a breach by any person shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and, when the

breach is a continuing breach with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day after the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the offence, or, in default of the fine, with an imprisonment which may extend to three months or as may be prescribed.

(b) (1) The powers of the State Government to make regulations under this Chapter is subject to the condition of the regulations being made after previous, publication and of their not taking effect until they have been published in the Gazette.

(2) Any regulation made by the State Government may be general for all divisions or districts or for all divisions or districts not expressly excepted from its operation, or may in special for the whole or any part of any one or more than one division or district as the State Government direct.

(c) (1) The powers of a Zila Panchayat to make regulations shall be subject to the condition of the regulations not taking effect until they have, been confirmed by the State Government.

(2) The powers of a Zila Panchayat to make bye-laws shall be subject to the conditions of the bye-laws being made after previous publication and of their not taking effect until they have been confirmed by the prescribed authority and, published in the Gazette.

(3) The prescribed authority in confirming a bye-law, or the State Government in confirming regulation, may make any change in its form that appears necessary.

(4) No alteration or rescission for regulation made shall have effect unless and until it has been confirmed by the State Government and likewise to alteration or rescission of by-law by a Zila Panchayat shall have effect unless and until it has been confirmed by the prescribed authority.

(5) The State Government may, after previous publication of its intention, rescind any regulation or the prescribed authority may similarly rescind any bye-law, which it has confirmed and, thereupon, the regulation or bye-law shall cease to have effect.

(d) Where any notice issued under any section of this Act or under any rule or bye-laws requires an act to be done, for which no time is fixed by such section or rule or bye-law, the notice shall specify a reasonable time for doing the same; and It shall rest with the court to determine whether the time so specified was a reasonable time within the meaning of this section.

(e) (1) Every notice or bill issued or prepared under any section of this Act or under any rule or bye-law shall, unless it is in such section or rule or bye-law otherwise expressly provided, be served

or presented -

- (a) by giving or tendering the notice or bill, or sending it by post, to the person to whom it is addressed, and
- (b) if such person is not found, then by leaving the notice or bill at his last known place of abode, if within the jurisdiction of the Zila Panchayat or the concerned Kshetra Panchayat, as the case may be, or by giving or tendering notice or bill to some adult male member or servant of his family, or by causing the notice or bill to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which the notice or bill relates.

(2) When a notice under this Act or under a rule or a bye-law is required or permitted by or under this Act, or under a rule or a bye-law to be served upon an owner or occupier of a building or land, the service thereof, in cases not otherwise specially provided for in this Act, shall be effected either-

- (a) by giving or tendering the notice or sending it by post, to the owner or occupier, of if there be more owners or occupiers than one, to anyone of them, or
- (b) if no such owner or occupier is found, then by giving or tendering the notice to an adult male "member" or servant of his family, or causing the notice to be fixed on some conspicuous part, of the building or land to which the same relates.

(3) Whenever the person on whom a notice or bill is to be served is a minor, service upon an adult male member or servant of his family shall be deemed to be service upon the minor.

(f) No notice or bill shall be invalid for defect of form.

Penalty for tampering with the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat property **150**

(1) Whoever removes, displaces or makes an alteration in or otherwise interference with any pavement, gutter or other material of a public street, or any fence, wall or post thereof, or a lamp post or bracket, direction post, stand post, hydrant, or other such property of the Gram Panchayat, without in written sanction of Gram Panchayat or other lawful authority, shall be punishable With fine which may extend to fifty (Rs.50) rupees or as may be prescribed .

(2) If through any act, neglect, or default on his part, a person has incurred a penalty imposed by sub-section (1) and has caused any damage to the property of a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat the person-incurring such penalty shall be liable to make good such damages as well as to pay Such penalty, and the damages may be recovered from the offender in the prescribed manner.

Disobedience to notice issued 151

(a) If a notice has been given to a person under the provisions of this Act or of any rule or bye-law made thereunder to a person requiring him to execute a work in respect of any property, movable or immovable, public or private, or to provide or do or refrain from doing anything within a time specified in the notice, and such person fails to comply with the notice, then-

(1) the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat may cause such work to be executed or such thing to be provided or done, and may recover all expenses incurred by it on such account from the said person in the prescribed manner as arrears of land revenue;

(2) such person shall also be liable on conviction for the fine which may extend to five hundred rupees and in case of continuing breach, of a further fine which may extend to ten rupees for each day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the offence or as may be prescribed;

Provided that no notice shall be invalid for defect in form or something has been missed.

(b) Unless otherwise expressly provided, no court shall take cognizance of any of the offences punishable under this Act or under any rule or bye-law, except on the complaint of, or upon information received from, the Zila Panchayat or the concerned Kshetra Panchayat or some person authorized by the Zila Panchayat or the concerned Kshetra Panchayat by general or special order in this behalf.

Appeals 152

(1) Any person aggrieved by an order or direction made by a Gram Panchayat, Kshetra panchayat and Zila Panchayat under the Act or under any rule or by-law may, unless otherwise prescribed, within 30 days from the date of such direction or order, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof appeal to the prescribed authority which may vary, set aside or confirm the said order or direction and may also award costs to or against the person filing the appeal.

(2) The prescribed authority may, if it thinks fit, extend the period allowed by sub-section (1) for appeal,

(3) The decision of the prescribed authority under sub-section (1) shall be final and shall not be questioned in any Court of law.

Suspension of prosecution in certain cases 153

When an appeal has been filed against an order or direction any proceeding to enforce such order or direction and any prosecution for the breach thereof may, by order of the prescribed authority, be

**Powers
compound
offences**

to 154

suspended pending the decision of the appeal, and if such order or direction is set aside on appeal, disobedience thereof shall not be deemed to be an offence.

(A) (1) Subject to any rule made in this behalf a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat may, either before or after the institution of any criminal case, compound an offence against this Act or any rule or bye-laws made thereunder on payment of such sum in cash to the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat as may be prescribed.

(2) When an offence has been compounded the offender, if is in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence so compounded.

All sums paid by way of composition under this section shall be credited to the Gram Fund, Kshetra Fund and Zila Fund.

(b) If through an act, neglect or default on account where of a person has incurred a penalty imposed by or under this Act or any damage to the property of the Zila Panchayat or any Kshetra Panchayat has been caused, the person incurring such penalty shall be liable to make good such damage as well as to pay such penalty and the amount of damage shall, in case of dispute, be determined by the magistrate by whom the person incurring such penalty is convicted, and on nonpayment of such amount on demand the same shall be levied by distress; and such magistrate shall issue his warrant accordingly.

(c) (1) No order or direction referred to in section 67 shall be questioned in any other manner or by any other authority than is provided therein.

(2) The order of the appellate authority confirming, setting aside or modifying any such order or direction, shall be final :

Provided that it shall be lawful for the appellate authority, upon application, and after giving notice to the other party, to review any order passed by him in appeal by a further order passed within three months from the date of his original order:

Provided further that in case any order or direction referred to in section 67 infringes the civil right of any person, he shall be entitled to question the said order or direction in any civil court having jurisdiction in the matter.

(d) (1) If a dispute arise about the amount of compensation which the Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat is required by this Act to pay, it shall be settled in such manner as the parties may agree, or in default of agreement by the collector upon application made to him by the Zila Panchayat, the Kshetra Panchayat or the

person claiming compensation.

(2) Any decision of the collector awarding compensation shall be subject to a right of the applicant for compensation to require reference to the district judge in accordance with the procedure set forth in section 18 of *the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No.30 of 2013)*.

(3) In those cases, in which compensation is claimed with regards to land, the collector and the district judge shall, as far as fallow such procedure or for proceedings in respect of compensation for the acquisition of land acquired for public purpose prescribed under the Act.

(e) (1) If a dispute arise between a Zila Panchayat or a Kshettra Panchayat and any other local authority on any matter in which they are jointly interested, such dispute shall the referred to the State Government whose decision shall be final.

(2) The State Government may regulate by rule the relations to be observed between Zila Panchayats and Kshettra Panchayat and other local authorities in any matter in which they are jointly interested.

**Civil suits against
Gram Panchayat,
Kshettra
Panchayat and
Zila Panchayat,
their officers or
servants** 155

(A) (1) No suit or other legal proceeding shall be instituted against a Gram Panchayat or Land Management Committee , Kshettra panchayat or Zila Panchayat or against any member or officer or servant thereof or against any person acting under the direction of any of these bodies or persons for anything done or purporting to have been done in official capacity under this Act, Until the expiration of two months next after notice in writing has been given, in the case of gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat delivered in or left at the office of the Gram Panchayat, kshettra Panchayat, Zila Panchayat concerned and in the case of a member, officer or servant or any person acting under his direction or the direction of the, Gram Panchayt, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat delivered to him or left at his office or place of abode, explicitly stating the cause of action, the nature of the relief sought, the amount of compensation, if any claimed and the name and place of abode of the intending plaintiff and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

(2) No action such as is described in sub-section (1) shall be commenced otherwise than within six months next after the accrual of the cause of action.

(3) No civil case or prosecution shall be entertained in any court against a Gram Panchayat or any member or officer thereof or any person acting under its or his direction in respect of anything in

good faith done or intended to be done under this Act or any rule or bye-laws made thereunder.

(B) No civil court shall, in the course of any suit, grant any temporary injunction, or made any interim order prohibiting temporary injunctions by civil courts against Zila Panchayat, Kshettra Panchayat or their officers –

(1) restraining any person from exercising the powers or performing the functions or duties of a member, Chairman, Vice Chairman, officer or servant or of a committee or sub-committee of a Zila Panchayat or Kshettra Panchayat on the ground that such person has not been duly elected, co-opted or appointed as such member, Chairman , Vice-chairman, officer or servant; or

(2) restraining any person from exercising the powers and performing the functions and duties of a member, Pramukh, Up-Pramukh, officer or servant, of Kshettra Panchayat or of a committee or sub-committee of a Kshettra Panchayat on the ground that such person has not been duly elected, co-opted or appointed such member, Pramukh, Up-Pramukh, officer or servant; or

(3) restraining any person or persons, or any Zila Panchayat or Kshettra Panchayat or committee or sub-committee of a Zila Panchayat, or a Kshettra Panchayat from holding any election, or from holding any election in any particular manner.

Validity of proceedings

156

Except as otherwise provided under this Act, a Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat or any committee thereof, shall have powers to act, notwithstanding any vacancy in the membership or defect or irregularity in the enrolment of a member thereof, shall be valid notwithstanding that there was any defect or irregularity in the enrolment of any member or that some person, who was not entitled so to do, was present or voted or otherwise took part in the proceedings, provided, however, that at least two-thirds of the persons present at the time of the act being done were not disqualified to be members.

Powers and duties of police in respect of offences and assistance to Panchayats

157

Every police officer shall give immediate information to Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat of an offence coming to his knowledge which has been committed against this Act or any rule or bye-laws made there under and shall assist all members and servants of the Gram Panchayat , Kshettra Panchayat and Zila Panchayat in the exercise of their lawful authority.

Finance commission Fund and of Panchayats

158

(A) Finance Commission- (1) The Governor shall, as soon as may be within one year from the commencement of the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992 and thereafter at the expiration of every fifth year, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat and to make recommendations to the

Governor as to –

(a) the principles which should govern—

(i) the distribution between the State and the Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and Zila Panchayats of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them and the allocation between the Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and Zila Panchayats of their respective shares of such proceeds ;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by the Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and Zila Panchayats;

(iii) the grants in aid to the Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and Zila Panchayats from the consolidated fund of State;

(b) the measures needed to improve the financial position of the Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and Zila Panchayats;

(c) any other matter referred to the Finance Commission by the Governor in the interest of sound finance of the Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and Zila Panchayats.

(2) The Finance Commission shall consist of a Chairman and two other members who shall possess such qualifications and shall be selected in such manner as may be prescribed.

(3) The Finance Commission shall determine its own procedure.

(4) The Chairman or a member of the Finance Commission may resign his office by writing under his hand addressed to the Governor but shall continue in his office till the resignation is accepted.

(5) A casual vacancy in the office of the Chairman or a member of the Finance Commission may be filled for the remaining period of his predecessor.

(6) The Finance Commission shall have the following powers for their performance of its functions; namely –

(a) call for any record from any officer or authority;

(b) summon any person to give evidence or to produce a record; and

(c) such other powers as may be prescribed.

(7) The Governor shall cause every recommendation made by the Finance Commission under this section together with an

explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before both the Houses of the State Legislature.

(B) There shall be established for each Gram Panchayat a fund called Gram Nidhi for each Gram Panchayat.

(1) All amounts received from Gram Panchayat or in his behalf in which loan taken from the State and Central Government or Kshetra panchayat or Zila Panchayat and all income of all following type of taxes shall be deposited in the village fund.

(2) The following received amount shall be credited to the Gram Fund-

- (a) The proceeds of any tax imposed under this Act;
- (b) All sums ordered by a court or required under any law to be placed to the credit of the Gram Fund;
- (c) The sale-proceeds of all dust, dirt, dung or refuse including the dead bodies of animals, collected by the servants of the Gram Panchayat;
- (d) Such portion of the rent or other proceeds of nazul property as the State Government may direct to be placed to the credit of the Gram Fund;
- (e) Sums contributed to the Gaon Fund by any Zila Panchayat or other local authority;
- (f) All sums received by way of loan or gift;
- (g) Such other sums as may be assigned to the Gram Fund by any special or general order of the State Government;
- (h) All sums received by way of grants-in-aid from the Consolidated Fund of the State.

(3) All withdrawal of moneys from the Gram Fund and disbursement thereof shall be made jointly by the Pradhan and the Secretary of the Gram Panchayat.

(C) There shall be established for each Kshetra Panchayat a fund called Kshetra Nidhi.

(1) All amounts received by the Kshetra Panchayat or in his behalf in which loan taken from the State and Central Government by these Panchayats or subsidiary allocation is also be include shall be deposited in the fund;

Provided that a Kshetra Panchayat or a Zila Panchayat shall earmark parts of the fund received by it for a particular purpose for that purpose and shall expend the same in carrying out that purpose.

(2) Nothing in this section shall affect any obligations of a Kshetra Panchayat arising from a trust legally imposed upon or accepted by it.

(3) A Kshetra Panchayat may receive such contributions in cash or in kind as may be made by any persons for any work of public utility and the Kshetra Panchayat shall, there upon, utilize the same together with its contributions, wherever necessary, in executing such work.

(4) Drawing and dispersing of all types of amount depositing of the Kshetra Fund and all works on behalf of Kshetra panchayat and reasonability of the proper disposal of constitutional powers shall be Block development Officer inter alia as may be appointed by the State Government from time to time.

(D) There shall be established for each Zila Panchayat a fund called Zila Nidhi.

(1) All amounts received from Zila Panchayat or in his behalf in which loan taken from the State and Central Government or Kshetra panchayat or Zila Panchayat and all income of all following type of taxes shall be deposited in the District fund.

Provided that a Zila Panchayat shall earmark parts of the fund received by it for a particular purpose for that purpose and shall expend the same in carrying out that purpose.

(2) Nothing in this section shall affect any obligations of a Zila Panchayat arising from a trust legally imposed upon or accepted by it.

(3) A Zila Panchayat may receive such contributions in cash or in kind as may be made by any persons for any work of public utility and the Zila Panchayat shall, there upon, utilize the same together with its contributions, wherever necessary, in executing such work.

(E) A Zila Panchayat shall be deemed to be a local authority as defined in the Local Authorities Loans Act, 1914, (Act no 9 of 1914) and shall be subject to all its provisions and the rules made thereunder for the purpose of borrowing money under that Act.

(F) **Application of fund-** (1) The Zila Nidhi and all property vested in a Zila Panchayat and the Kshetra Nidhi and all property vested in a Kshetra Panchayat shall be applied for the purposes, express or implied, for which, by or under this or any other enactment, powers are conferred or duties so or obligations are imposed upon the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat, as the case may be.

(2) A Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat shall not incur any expenditure for acquiring or renting land beyond the limits of the district or the Khand, as the case may be or for constructing any work beyond such limits except--

(a) with the previous sanction of the State Government;
and

(b) on such terms and conditions as the State Government may impose.

(3) the fund and property of a Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat shall be applied in the following order of priority--

(a) liabilities and obligations arising from a trust legally imposed-upon, or accepted by the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat ;

(b) the payment of establishment charges including contributions to pension, provident fund and leave allowances;

(c) all sums due to the Government ;

(d) the repayment of, and the payment of interest on any loan incurred under the provisions of the Local Authorities Loans, Act, 1914 ;

(e) any sum ordered to be paid from the Zila Nidhi or the Kshetra Nidhi; and

(f) the carrying on of the duties and obligations imposed upon this Act or under any other enactment.

**Function of the 159
Land
Management
Committee**

(1) The Land Management Committee shall for and on behalf of the Gram Panchayat be charged with the general management, preservation and control of all property referred to in section 79 including-

(a) the settling and management of land but not including the transfer of any property for the time being vested in the Gram Panchayat under section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable of Utrakhand State) or under any other provision of that Act,

(b) the preservation, maintenance and development of forests and trees;

(c) the maintenance and development of *abadi* sites and village communications;

(d) the management of *hats, bazare* and *melas*;

(e) the maintenance and development of fisheries and tanks;

(f) the conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the Gram Panchayat relating to or arising out of the functions of Samiti ;

(g) the performance of functions specifically assigned to the Land Management Committee under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable in Utrakhand state) or any other enactment ; and

(h) any other matter relating to such management, preservation and control as may be prescribed and may exercise all powers of the Gram Panchayat necessary for or incidental to the discharge of such duties.

(2) The Land Management Committee shall function subject to the provisions of U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

Members and Officers not acquire interest in contracts, etc. with Land Management Committee **160**

(1) No member or office bearer of a Gram Panchayat or, Land Management Committee shall, knowingly acquire or attempt to acquire or stipulate for or agree to receive or continue to have himself or through a partner or otherwise any share or interest in any licence, lease, sale, exchange, contract or employment with, by or on behalf of the Samiti concerned other than permission in writing of the District Magistrate/ Pargna Magistrate.

Provided that a person shall not be deemed to acquire or attempt to acquire or continue to have or stipulate for or agree to receive any share or interest in any contract or employment by this reason only-

(a) having acquired any interest or share before he became a member or office-bearer ;

(b) having a share or interest in the occasional sale through the Samiti concerned of an article in which he regularly trades up to a value not exceeding Rs.5000 in anyone year.

(2) No Court or other authority shall enforce at the instance of any person's claim based upon a transaction in contravention of the provisions of sub-section (1).

Joint Committee **161**

(1) Subject to such rules as may be prescribed, two or more Gram Panchayats may combine by means of a written instrument to appoint a joint committee consisting of their representatives, for the purpose of transacting any business in which they are jointly interested and may-

(a) delegate to such powers to the committee powers, with such conditions as they may think proper to impose, to frame any scheme binding on each such Gram Panchayat as to the construction and maintenance of any joint work and as to the powers which may be exercised by any such Gram Panchayat in relation to such scheme;

(b) frame or modify rules regarding the continuation of such committee and the term of office, members thereof and the method of conducting proceedings and correspondence.

(2) If any difference of opinion arises, between the Gram Panchayats acting under this section, it shall be referred to the prescribed authority whose decision thereon shall be final.

powers to transfer property 162

(3) Where the prescribed authority so directs, two or more Gram Panchayats shall appoint a Joint Committee under this section for the joint discharge of any of the functions specified in Sub-section (1).

(4) Where the prescribed authority so directs, two or more Gram Panchayats shall appoint a Joint Committee under this section for the joint discharge of any of the functions specified in Sub-section (3).

(A) (1) Subject to any restriction imposed by or under this Act, a Zila Panchayat a Kshettra Panchayat or Gram Panchayat may transfer by sale, mortgage, lease, gift, exchange or otherwise any property vested in it, not being property held by it in trust, the terms of which are inconsistent with the right so to transfer.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a Zila Panchayat, Kshettra Panchayat or Gram Panchayat may, with the sanction of the State Government, transfer any property vested in it to the Government, but not so as to affect any trust or public rights to which the property is subjected.

(B) (1) Whoever makes any encroachment on any land belonging to a Zila Panchayat in the territorial area of the Zila Panchayat, except construction of steps over drain in any public street, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees as may be prescribed.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be bailable and cognizable.

(C) A Zila Panchayat or a Kshettra Panchayat may make compensation out of its fund to any person sustaining damage by reason of the exercise of any powers conferred or the performance of any duty imposed by or under this Act or any other enactment, by it or by any person acting on its behalf under this Act, and shall make such compensation where the person sustaining the damage was not himself in default.

(D) (1) When special police protection is asked for from the State Government by a Zila Panchayat or a Kshettra Panchayat on the occasion of any fair, agricultural show or industrial exhibition managed by the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat or of a cattle market or cattle fair controlled and regulated by the Zila Panchayat or the Kshettra Panchayat, the State Government may provide such protection and the said Zila Panchayat or Kshettra Panchayat shall pay the whole charges thereof or such portion of such charges as the State Government consider equitably payable by it.

Contracts by Gram Panchayat, Zila Panchayat and Kshetra Panchayat 163

(2) If the sum charged is not paid, the prescribed authority may make an order directing the person having the custody of the Zila Nidhi or the Kshetra Nidhi, as the case may be to pay the expense from such Nidhi and the person shall pay it accordingly.

(A) (1) Subject to the provisions of this Act a Zila Panchayat, a Kshetra Panchayat and a Gram Panchayat shall have powers to enter into contracts which may be necessary or expedient for any purpose of this Act.

(2) All matters relating to the sanction, execution, variation and discharge of contracts including the preparation and sanction of plans, estimates and projects therefor shall be regulated by rules.

(3) If a contract is executed otherwise than in conformity with the provisions of this Act or any rules framed for the purpose, it shall not be binding on the Zila Panchayat, Kshetra Panchayat and Gram Panchayat.

(B) The following matters shall be governed by rules, namely-

(1) making of grants and loans ;

(2) the accounts to be kept by a Gram Panchayat, Zila Panchayat or Kshetra Panchayat;

(3) manner of consolation of the Finance Committee of the Zila Panchayat by its Karya Samiti and of the Finance and development committee, the Education Committee and the Samata Samiti of the Kshetra Panchayat by its Karya Samiti in regard to budget;

(4) the manner in which such accounts shall be audited and published and the powers of auditors about disallowance and recommending against members and officers or servants of the Zila Panchayat or the Kshetra Panchayat in respect of loss, waste or misuse of any fund or property of the Zila Panchayat or Kshetra Panchayat occasioned by the negligence of misconduct of such member, officer or servant;

(5) the date before which a meeting shall be held for the sanction of the budget;

(6) the methods and forms to be adopted in the preparation of budgets;

(7) the returns, statements and reports to be submitted by the Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat; and

(8) travelling allowance including daily allowance that may be paid to Chairman , Vice Chairman , Pramukh Up-Pramukh and members of Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat.

**Continuance of 164
imposition of
Circumstances
and property Tax**

(1) Where immediately before the appointed date there was any tax in force on Circumstances and Property in any district, which is imposed or continue under the United Provinces District Boards Act, 1922 (Act no 10 of 1922) such tax shall until abolished or altered with the previous sanction of the State Government, continue to be levied by the Zila Panchayat at the same rates and under the same conditions at and under which it was being levied under the Act aforesaid and notwithstanding anything, all rules regulations and bye-laws, all orders and notifications and all appointments relating to the levy of such taxes in force on the appointed date shall continue in force as if they have been made under this Act and may be cancelled, altered or modified in accordance with the provisions of this Act.

(2) Where a tax on Circumstances and Property is already in force in a district immediately before the appointed date, the Zila Panchayat of that district may impose such tax in the manner hereinafter provided.

(3) The recovery of any arrears of the tax on Circumstances and Property may be made under section 179, the manner of recovery of such taxes and other dues shall be recover as arrears of land revenue in the discretion of the Zila Panchayat.

**Conditions and 165
restrictions for
tax on
Circumstances
and property**

The powers of a Zila Panchayat to impose a tax on Circumstances and Property shall be subject to the following conditions and restrictions, namely-

(a) the tax may be imposed on any person residing or carrying on business in the rural area provided that such person has so resided or carried on business for a total period of at least six months in the financial assessment year;

(b) no tax shall be imposed on any person whose total taxable income is less than fifty thousand rupees per annum;

(c) the rate of tax or the maximum limit of annual income, as fix by the State Government and communicate to the Zila Panchayat thereafter it may be imposed by the Zila panchayat in such case only;

(d) the total amount of tax imposed on any person shall not exceed such maximum estimated amount, if any, which may be prescribed by the State Government by rule;

Provided that for the purpose of this section taxable income means estimated income but shall not include income of the following classes : --

(1) "agricultural income" as defined in the Indian Income Tax Act ;

(2) income on which any tax has previously been imposed of

		the United Provinces Municipalities Act, 1916, by any municipal board or any notified area committee.
Collection of circumstances and property tax through Gram Panchayats	166	A Zila Panchayat may recover circumstances tax or other taxes, if any, fee etc. through the Gram Panchayat. In such case, the appropriate percentage of the recovered amount of tax etc. as per the decision of Zila Panchayat, which may be fixed by the rules shall be payable to Gram Panchayat. It shall be the duty of the Gram Panchayat to remit the realizations to the Zila Nidhi within one week of such collection.
Framing of proposals for imposition of tax	167	<p>(1) When a Zila Panchayat desires to impose a tax, it shall, by special resolution, frame proposals specifying-</p> <p>(a) the tax, being one of the taxes described in section 179 which it desires to impose ;</p> <p>(b) the persons or class of persons to be made liable and the description of the property or other taxable thing or circumstance in respect of which they are to be made liable, except where and in so far as any such as or description is already sufficiently defined under clause (a) or by this Act ;</p> <p>(c) the amount or rate leviable from each such person or class of persons;</p> <p>(d) any other matter referred to in section 126 which the State Government requires by rule to be specified.</p> <p>(2) The Zila Panchayat shall also prepare a draft of the rules which it desires the State Government to make in respect of the matters referred to in section 128.</p> <p>(3) The Zila Panchayat shall, thereupon, publish in the manner prescribed by rules the proposals framed under sub-section (1) and the draft rules framed under sub-section (2) alongwith a notice in such form as the Zila Panchayat may, by regulation, prescribe.</p>
Procedure subsequent to framing proposals	168	<p>(1) Any person who ordinarily residing or carrying on business in the district within which the Zila Panchayat desires to impose a tax, may, within thirty days from the publication of the said notice, submit to the Zila Panchayat an objection in writing, to all or any of the proposals framed under the preceding section and the Zila Panchayat shall take any objection so submitted into consideration and pass orders thereon by special resolution.</p> <p>(2) If any Panchayat desires to modify its proposals or any of them it shall publish modified proposals and, if necessary, revised draft rules, alongwith a notice indicating that the proposals and the rules, if any, are in modification as proposals and rules previously published for objections.</p>
Resolution of Zila Panchayat	169	(1) Upon receipt of the copy of the rules sent under the preceding section, the Zila Panchayat shall by special resolution direct the

**directing
imposition of tax**

imposition of the tax with effect from a date, to be specified in the resolution, not less than six weeks from the date of such resolution.

(2) A copy of the resolution passed by the Zila Panchayat under section 168 shall be submitted to the State Government.

(3) Upon receipt of the copy of the resolution, the State Government shall notify in the Gazette the imposition of the tax from the date specified under section 168 and the imposition of a tax shall in all cases be subject to the condition that it has been so notified.

(a) Notwithstanding anything in this Act, the State Government may, by rule, prescribe such other or modified procedure for the imposition and alteration of any tax mentioned in sub-section (3) as it may think fit.

(b) Exemption- (1) A Zila Panchayat may exempt, for a period not exceeding one year, from the payment of a tax or any portion of a tax imposed under this Act, any person who is, in its opinion, by reason of poverty, unable to pay the same, and may renew the same exemption as often as it deems necessary.

(2) A Zila Panchayat may, by a special resolution confirmed by the prescribed authority exempt from the payment of a tax, or any portion of a tax, imposed under this Act, any person or class of persons or any property or description of property.

(3) The State Government may, by order, exempt from the payment of a tax, or any portion of a tax, imposed under this Act, any persons or class of persons or any property or description of property.

Powers of State Government to remedy or abolish a tax 170

(1) Whenever it appears, on complaint made or otherwise to the State Government that the levy of any tax imposed by a Zila Panchayat is contrary to the public interest or that any tax is unfair in its incidence, the State Government may, after considering the explanation of the Zila Panchayat, by order require the Zila Panchayat to take measures, within a time to be specified in the order, for the removal of any defect which it considers to exist in the tax or in the method of assessing or collecting the tax.

(2) Upon the failure or inability of the Zila Panchayat to comply, to the satisfaction of the State Government with an order made under sub-section (1), the State Government may, by notification, suspend the levy of the tax, or of any portion thereof or may abolish or reduce the tax until the defect is removed.

Obligation to disclose liability 171

(A) (1) A Zila Panchayat may, through communication by written order to any person specified in aforesaid sections, to furnish such information as may be necessary in order to ascertain--

(a) whether such a person is liable to pay a tax assessed on his Circumstances and Property;

(b) at what amount he should be assessed; and

(c) the annual value of the building or land, which he occupies and the name and address of the owner.

(2) In respect of any other tax, a Zila Panchayat may, through communication, by written order require any person who may appear to be liable to payment of such tax and such information to furnish as may be prescribed by rule.

(3) If the person so called upon to furnish the information omits to furnish it, or furnishes information which is untrue, he shall be liable upon conviction to a fine which may extend to one thousand rupees.

(B) Subject to the conditions and restriction in this section, Chairman of Zila Panchayat and Chief officer and any other member, officer or servant of the Zila Panchayat by the resolution, hereby authorised to enter into any building to inspect, measure and evaluate it.

Appeal relating to tax 172

(1) An appeal against an assessment or any alteration of any assessment, of a tax on Circumstances and Property may be made to, and decided by the prescribed authority in such manner as may be prescribed by rules.

(2) In the case of any tax imposed by the Zila Panchayat under the powers conferred by sub-section (1) of section 169 the State Government shall provide by rules authority to whom an appeal may be made against assessment or any alteration of an assessment of the tax and the manner in which such appeal is to be made and decided.

Limitation and preliminary deposit of tax claimed 173

No such appeal shall be heard and determined unless -

(a) the appeal is brought within thirty days next after the date of the receipt of notice of assessment or alteration of assessment, or, if no notice has been given within thirty days next after the date of the first demand under the assessment or alteration of assessment ; and

(b) where any amount is claimed from the appellant as may be prescribed by State Government, half of that amount has been deposited by him in the office of the Zila Panchayat.

Costs 174

(1) In every appeal made under section 171, the appellate authority as prescribed under the rule shall have powers to provide cost of appeal in its discretion.

(2) Costs awarded under this section to the Zila Panchayat shall be recoverable by the Zila Panchayat in the manner provided by section 172.

		(3) If the Zila Panchayat fails to pay the costs awarded to the appellant within twenty days after the date of the communication to the Zila Panchayat of the order for payment thereof the officer awarding the costs may order the person having the custody of the balance of the Zila Nidhi to pay the amount and the person shall pay it accordingly.
Bar to jurisdiction of civil and criminal court in matters of taxation	175	<p>(1) No objection shall be taken for any valuation or assessment from such other manner or by such authority, which is not provided by or under this Act or for the assessment or imposition of the tax on any person.</p> <p>(2) The order of the appellate authority confirming, setting aside or modifying an order in respect of calculation or assessment or liability to assessment or taxation shall be final;</p> <p>Provided that it shall be lawful for the appellate authority, upon application or on his own motion, to review any order passed by him in appeal by further order passed within three months from the date of his original order.</p>
Savings	176	No assessment list or other list, notice, bill or other such document specifying or purporting to specify with reference to any tax, charge, rent or fee to any person, property, thing or circumstances shall not be invalid by reason only of a mistake in the name, residence, place of business or occupation of person or in the description of the property, thing or circumstances, or by reason of any clerical error or defect of form; and it shall be sufficient that the person, property, thing or circumstance is described sufficiently for the purpose of identification and it shall not be necessary to name the owner or occupier of any property liable in respect of a tax.
Rules as to assessment, collection or other matter	177	<p>The following matters shall be governed by rules except in so far as provisions therefor is made by this Act, namely-</p> <p>(a) the assessment and collection of taxes;</p> <p>(b) the prevention of evasion of taxes ;</p> <p>(c) the system by which refund of taxes shall be allowed and paid;</p> <p>(d) the fees for notice demanding payments on account of tax on Circumstances and Property and for the execution of warrants of distress ;</p> <p>(e) the rates to be charged for maintaining livestock distained;</p> <p>(f) any other matter relating to taxes in respect of which this Act makes no or insufficient provisions and which is in the opinion of the State Government necessary; and</p> <p>(g) the powers relating to allotment of number of building to</p>

Share of Gram Panchayat in taxes **178**

the established buildings in the area.

If the Zila Panchayat decides to recover its any tax, fee or fine through the Gram Panchayat by resolution then by the Gram Panchayat within its jurisdiction determined percentage of recovered amount which is fixed by the rules shall be given to the Gram panchayat.

Fees and tolls fees for use, otherwise than under a lease of property of a Zila Panchayat , a Kshettra Panchayat and Gram Panchayat **179**

(1) A Zila Panchayat, a Kshettra Panchayat and Gram Panchayat may charge fees to be fixed by bye-laws or by public auction or by agreement for the use or occupation (otherwise than under a lease) of any immovable property vested in, or entrusted to the management of, the Zila Panchayat , the Kshettra Panchayat and Gram Panchayat , as the case may be, including any public road or place of which it allows the use or occupation whether by allowing a projection thereon or otherwise.

(2) Such fees may either be levied along with the fees charged for the sanction, licence or permission or may be recovered in the manner prescribed.

(a) A Zila Panchayat a Kshettra Panchayat or Gram Panchayat may charge a fee to be fixed by bye-law for any licence, sanction or permission which it is entitled or required to grant by or under this Act.

(b) With the previous sanction of the State Government, a Gram Panchayat, Zila Panchayat and Kshettra Panchayat may fix and levy school fees, fee for the use of libraries and Sarais and Paras, fees for the use of, or benefits derived from, any of the works or institutions constructed and maintained by the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat or Zila Panchayat, originally under-taken as famine preventive or relief works fees for the service of bulls and stallions, and for registration of animals, and fees at fairs, markets, agricultural shows, and industrial exhibitions held under its authority or otherwise, to which the public is allowed access and at which the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat provides sanitary and other facilities for the public and tolls for the use of bridges constructed, repaired or maintained by the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat.

(c) Licence fees and tolls in respect of markets- Subject to any rule made by the State Government in this behalf, a Zila Panchayat, a Kshettra Panchayat and Gram Panchayat may impose in any market established, maintained or managed by it anyone or more of the following fees or tolls :

- (1) licence fees on brokers, commission agents, weighmen or measurers practicing their calling within such markets;
- (2) toll on vehicles, pack animals or porters bringing goods for

Recovery of Taxes and certain other claims 180

sale into such a market;

(3) market fees for the right to expose goods for sale in such market or for the use of any building or structure therein;

(4) fees on the registration of animals sold in market.

(d) realization of recovery imposed on fee and tolls by Panchayats-

(1) Any unpaid fees and tolls referred to in Zila Panchayat and Kshetra Panchayat may be recovered in the manner prescribed .

(2) Methods of Taxes and dues recoverable of Gram Panchayat- All dues on account of the taxes imposed and other sums payable to a Gram Panchayat under this Act shall be recovered as arrears of land revenue.

(A) Mode of recovery of taxes and other dues- Unless otherwise provided by this Act, taxes and other dues referred to in this Act may be recovered by the Zila Panchayat by distress, and sale of a defaulter's movable property in the manner hereinafter provided.

(B) Presentation of bill- (1) As soon as a person becomes liable for the payment of-

(a) any sum on account of a tax imposed by the Zila Panchayat, or

(b) any other sum declared by or under this Act or by any rule or bye-law made under the Northern India Ferries Act, 1878 to be recoverable in the manner provided by this Chapter, the Zila Panchayat shall, with all convenient speed, cause a bill to be presented to the person so liable.

(2) Unless otherwise provided by rule, a person shall be deemed to become liable for the payment of every tax and licence fee upon the commencement of the period in respect of which such tax or fee payable.

(C) Every such bill shall specify-

(1) the period for which, and the property, occupation, circumstance or thing in respect of which, the sum is claimed,

(2) the penalty enforceable in default of payment, and

(3) the time within which an appeal, if any, may be preferred as provided in section 98.

(D) If the sum for which a bill has been presented as aforesaid is not paid, into the office of the Zila Panchayat, or to a person empowered by a regulation to receive such payments, within fifteen days from the presentation thereof, the Zila Panchayat may cause to be served upon the person liable for the payment of the above said sum, a notice of demand in such form as the Zila Panchayat may by regulation prescribe

(E) (1) If the person liable for the payment of the said sum does not,

within thirty days from the service of such notice of demand either—

(a) pay the sum demanded in the notice, or

(b) show cause to the satisfaction of the Zila Panchayat or of such officer as the Zila Panchayat by regulation may appoint in this behalf why he should not pay the same, such sum with all costs of the recovery may be recovered, under a warrant caused to be issued by the Zila Panchayat in such form as the Zila Panchayat may by regulation, prescribe, by distress and sale of the movable property of the defaulter.

(2) Every warrant issued under this section shall be signed by the Chairman or by an officer to whom the Zila Panchayat has delegated this powers by regulation.

(F) It shall be lawful for an officer of the Zila Panchayat, to whom warrant issued under section 180(E) is addressed, to break open at any time between sunrise and sunset, any outer or inner door or window of a building in order to make the distress directed in the warrant, in the following circumstances and not otherwise--

(a) If the warrant contains a special order authorizing him in this behalf; and

(b) if he has reasonable grounds for believing that the building contain property which is liable to seizure under the warrant; and

(c) if, after notifying his authority and purpose and duly demanding admittance, he cannot otherwise obtained admittance;

Provided that such officer shall not enter or break open the door of an apartment appropriated for women until he has given any woman therein an opportunity to withdraw.

(G) (1) It shall also be lawful for the officer mentioned to distain, wherever It may be found within the rural area, any movable property of the defaulter, subject to the provisions of sub-section (a).

(2) The following property shall not be distained-

(a) the necessary wearing apparel and bedding of the defaulter, his wife and children, and his necessary cooking utensils;

(b) when the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry, seed, grain, and such cattle as may be necessary to enable him to earn his livelihood.

(3) The distress shall not be excessive, that is to say, the property distained shall be as nearly as possible equal in value to the amount recoverable under the warrant, and if any articles have been distrained which, in the opinion of a person authorized by to

sign a warrant, should not have been so distrained they shall all forthwith be returned.

(4) The officer shall, on seizing the property, forthwith make an inventory thereof, and shall, before removing the same, give to the person in possession thereof at the time of seizure a copy of the inventory signed by him and a written notice in such form as the Zila Panchayat may, by regulation, prescribe that the said property will be sold as specified in such notice.

(H) (1) When the property seized is subject to speedy and natural decay, or when the expense of keeping in custody together with the amount to be recovered is likely to exceed its value, the Chairman or other officer by whom the warrant was signed shall at once give notice to the person in whose possession the property was seized to the effect that it will be sold at once and shall sell it accordingly unless the amount named in the warrant be forth- with paid.

(2) If not sold at once under sub-section (1) the property seized or sufficient portion thereof, may, on the expiration of the time specified in the notice served by the officers executing the warrant be sold by public auction under the order of the Zila Panchayat, unless the warrant is suspended by the person who signed it or the sum due from the defaulter is paid together with all costs incidental to the notice, warrant and distress and detention of the property.

(3) The surplus if any shall forthwith be remitted by money order, less postal commission, to the person from whose possession the property was taken. If the amount so remitted is returned to the Zila Panchayat by the post office it shall be credited, notice of such credit being given at the same time to the said person, and, if the same be claimed by written application to the Zila Panchayat within one year from the date of the service of the notice, a refund thereof shall be made to such person. Any sum not claimed within one year from the date of service of such notice shall be the property of Zila Panchayat.

**Procedure in
case of execution
of warrant
against property
outside the rural
area**

181

(a) If no sufficient movable property belonging to a defaulter can be found within the rural area, the district magistrate may, on the application of the Zila Panchayat, issue warrant to an officer of his court-

(1) for the distress and sale of any movable property or effect belonging to a defaulter within any other part of the jurisdiction of the magistrate, or

(2) In the case of action being taken under sub-section (a) the other magistrate shall endorse the warrant so issued or and cause it to be executed, and any amount recovered to be remitted to the magistrate issuing the warrant, who shall send

same to the Zila Panchayat.

(b) A fee for every notice issued under section 105(d) and distress made under section 105(g) or 106(a) and the cost of maintaining any livestock seized under the said sections shall be chargeable at the rates respectively specified in such behalf in rules made by the State Government and shall be included in the costs of recovery to be levied under section 105(e).

(c) No distress or the sale made under this Act shall be deemed unlawful, nor any person making the same be deemed a trespasser on account of an error, defect or want of form in the bill, notice, warrant of distress, inventory or other proceeding relating thereto.

Alternative powers of bringing suit or recovering as arrears of land revenue	182	(1) Instead of proceeding by distress and sale or in case of failure to realize thereby the whole or any part of the demand, the Zila Panchayat may sue the person liable to pay the same in any court of competent jurisdiction. (2) In the case of an arrear of tax on Circumstances and Property a Zila Panchayat may in addition to the powers to take recourse make under rules but subject to and in accordance with rules made in this behalf recover them as arrears of land revenue.
Recovery of rent on land	183	Where any sum is due on account of rent from a person to a Zila Panchayat in respect of the land vested in or entrusted to the management of the Zila Panchayat, the Zila Panchayat subject to and in accordance with rules made in this behalf may recover any such arrear as arrear of land revenue.
Recovery of rent or arrears for other immovable property	184	Any arrears or rent due on any person on any account to the Zila Panchayat in respect of immovable property, other than land vested in or entrusted to the management of the Zila Panchayat, shall be recovered in the manner prescribed.
Delegation of powers by State Government	185	The State Government by notification in Gazette may delegate any powers or more powers vested under this Act to prescribed authority or of the Zila Panchayat or Zila Panchayats or Kshettra Panchayat or Kshettra Panchayats or Gram Panchayats.
Facility of inspection of minute books and tax assessment lists	186	The minute books of the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat and the assessment lists of the Zila Panchayat shall be open for free of charge inspection by any tax payer under conditions to be prescribed by bye-laws in this behalf.
Mode of proof of records of Panchayats	187	A copy of any receipt, application, map, notice, order, entry in a register or other document in the possession of a Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat shall, if duly certified by the legal keeper thereof or other person authorized in this behalf, be received as <i>prima facie</i> evidence of the existence of the entry or document and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded in every case where and to the same

		extent as, the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove in such matters.
Restriction on the summoning of servants of Panchayats to produce documents	188	No officer or servant of a Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat shall in any legal proceeding to which the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat is not a party, be required to produce any register or document, the contents of which can be proved under the preceding section by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by the order of the court made for special cause.
Inspection of construction works and registers of Panchayats by members	189	Any member of a Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat may inspect any construction work or institution constructed or maintained, in whole or part, the expense of the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat, as the case may be, and with the previous sanction of the Chairman any register, accounts book, or other documents in the office of the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat as the case may be.
Sums due	190	All sums due to the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat, whether they are due on account of any tax or in any other account, the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat, as the case may be, shall be competent to such act or such proceeding for the purpose of such recovery.
Establishment of Nyaya Panchayat	191	The State Government or the prescribed authority shall divide Gram Panchayat of a district into circles, each circle comprising as many areas subject to the jurisdiction of the Gram Panchayats as may be expedient, and establish a Nyaya Panchayat for each such circle; Provided that the areas of Gram Panchayats within each circle shall, as far as possible, be contiguous. The State Government shall determine the number of members, election tenure etc. of the Nyaya Panchayat as prescribed manner; Provided further that the Legislature of State may provide to develop as a village court to the Nyaya Panchayat as he deem fit.
Honoraria and allowances	192	The Gram Pradhan, Up Pradhan, Members of Gram Panchayat, Chairman and Vice Chairman and Members of a Zila Panchayat and the Pramukh and Senior Up-Pramukhs, junior Up Pramukh and Members of a Kshettra Panchayat shall receive such honoraria and such allowances as may be prescribed.
Surcharge	193	(1) Every Pradhan or Up-Pradhan of a Gram Panchayat, or member of a Gram Panchayat or of a Joint Committee or any other committee constituted under this Act shall be liable to surcharge for the loss, waste or misappropriation of money or property belonging to the Gram Panchayat as the case may be, if such loss, waste or misappropriation is direct consequence of his neglect or misconduct

while he was such Pradhan, Up-Pradhan, Member.

(2) The prescribed authority shall fix the amount of the surcharge according to the procedure that may be prescribed and shall certify the amount to the collector who shall, on being satisfied that the amount is due, realise it as if it were an arrear of land revenue:

(3) A person aggrieved by the order of the prescribed authority fixing the amount, of surcharge may, within thirty days of such order, appeal against the order to the State Government or such other or appellate, authority as may be prescribed.

(4) Where no proceeding for fixation and realisation of surcharge as specified in sub-section (2) taken by the State Government or prescribed authority may institute a suit for compensation for such loss, waste or misappropriation, against the person liable for the same.

Repeal

194

(1) The Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 and Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Act, 1961 (as applicable in Uttrakhand State) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said enactment shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Reason and Object

The Uttar Pradesh Panchayati Raj Act, 1947 for Gram Panchayat and the Uttar Pradesh Kshetra panchayat and Zila Panchayat Act, 1961 for dealing with the connected matters from Kshetra Panchayat and Zila Panchayat, were applicable in the former State Uttar Pradesh. Both mentioned Acts are applicable with certain amendments in the State of Uttarakhand subject to section 86/ 87 of Uttar Pradesh reorganization Act, 2000.

2. After the enactment of such Acts, there were done swirling efforts for the matters connected with such Acts, to make them strong by making required amendments in the Constitution of India. It has been also emphasized to make Panchayats more powerful of the consequent of such amendments.

3. The Uttarakhand is more sensitive than the former State Uttar Pradesh in various matters of Panchayats. Apart from this, it has been suggested by the Government of India to maintain minimum laws in place of plenty of laws. It shall be a big achievement in own to have minimum law in sensitive matters like Panchayat. The challenge to keep the U.P. Panchayati Raj Act, 1947 for Gram Panchayat and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Act, 1961, which are applicable in Uttarakhand with certain amendments, in one statute, while working in this direction, it, has been accepted by the State Government and Thus, for dealing with the connected matters of Gram Panchayats, Kshetra Panchayat and Zila panchayat, after preparing only one Act, it is introduced for the consideration of Honorable Vidhan Sabha.

4. The proposed Bill achieves the aforesaid objects.

No. 138/XXXVI(3)/2021/25(1)/2021

Dated Dehradun, May 20, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021' (Act No. 12 of 2021).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 18 May, 2021.

The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021

(Uttarakhand Act No. 12 of 2021)

An

Act

further to amend the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016,

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:-

- | | | |
|------------------------------|----|--|
| Short title and commencement | 1. | (1) This Act may be called the Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021. |
| | | (2) It shall come into force at once . |
| Amendment of section 4 | 2. | In the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 (hereinafter referred to as the principal Act), the sub-section (3) of section 4 shall be omitted. |
| Amendment of section 8 | 3. | In section 8 of the principal Act-
(A) in sub-section (1)-
(j) in clause (e) after the words "Gram Panchayat" the words "or Kshettra Panchayat or Zila Panchayat" shall be inserted. |

(ii) clause (f) shall be substituted as follows, namely-

“(f) he is Chairman, Vice-chairman, Councilor, Ward Member or Member of any Municipal body.”

(iii) Clause (j) shall be substituted as follows, namely-

“(j) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1947 or U.P. Control of Supplies(Temporary Powers) Act, 1947.”

(iv) clause (s), shall be substituted as follows, namely-

“(s) If he or his family member or his legal heir is in unauthorized possession of Government/ Panchayati raj land or get benefit from such unauthorized possession.”

(B) The sub-section (4) shall be substituted as follows and shall be deemed to have been substituted from 4th April 2016, namely-

“(4) if the entry related to any member is removed from the territorial electoral roll or territorial constituency is partly completely included in any municipal body, the member/ office bearer shall remain on his office/ post till the cessation of tenure of the concerned Panchayat.”

**Amendment of
section 10-A**

4. In section 10-A of the principal Act-

(i) in sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely-

“Provided further that if the figures of population of Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.”

(ii) in sub-section (5), the following explanation shall be inserted, namely-

“Explanation: Nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved places/ constituency.”

- Amendment of section 21** 5. In section 21 of the principal Act, after the words "Nagar Palika" wherever they occur, the words "Parishad" shall be inserted.
- Amendment of section 22** 6. In section 22 of the principal Act, in proviso of clause (2) & explanation, for the words "Patwari" the words "Revenue Sul inspector(Patwari)/ Lekhpal" shall be substituted.
- Insertion of new** 7. After section 35 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely-
- Appointment of women member as Chairman in Education Committee and Health and Welfare Committee*
- "35-A. The woman member shall be appointed as Chairman in the Education Committee and Health and Welfare Committee of Gram Panchayat, as may be prescribed in the rules."
- Amendment of section 38** 8. In section 38 of the principal Act, after the words "Nagar Panchayat" the words "Nagar Palika Parishad, Nagar Nigam, Cantonment Board, Notified Area or Town Area" shall be inserted.
- Amendment of section 42** 9. In section 42 of the principal Act, after clause (h) of the sub-section (1), the following clause shall be inserted, namely-
- "(i) to assist in the land holding process."
- omission of section 48** 10. In the principal Act, section 48 shall be omitted.
- Amendment of section 50** 11. In section 50 of the principal Act-
- (i) The sub-section (2) shall be substituted as follows, namely-
- "(2). When any area is excluded from one Khand and included in another under sub-section (1), such area shall cease to subject to the jurisdiction of the Kshetra Panchayat of the Khand from which it has been excluded and become subject to the jurisdiction of the Kshetra Panchayat of the khand in which it has been included and to the rules, notifications, orders, directions and notices applicable thereto and the State Government may place at the disposal of such Kshetra

Panchayat such portion of asset of the Kshetra Panchayat from whose jurisdiction the area has been excluded as it may deem proper and may make such temporary orders and direction as it may consider necessary to effectuate the change:

Provided that where the area excluded from the one Khand is included in a new Khand having no Kshetra Panchayat constituted thereof, then until a Kshetra Panchayat is constituted for the new Khand, the Kshetra Panchayat of the Khand from which that area has been excluded, shall continue to exercise Jurisdiction in that area, and anything done or any action taken including any appointment or delegation made, notification, order or direction issued, rule, regulation, form bye-laws or scheme, order or direction, permit or licence granted or registration effected under the provisions of this Act in respect of such area by such Kshetra Panchayat, shall with respect to the new Khand, be deemed to have been done by the new Kshetra Panchayat under the provisions of this Act and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under this Act.

(ii) Clause (a) of sub-section (3) shall be substituted as follows, namely-

“(a) The elected members, who shall be elected by the direct election from the territorial constituencies of the Panchayat area and for this purpose the Panchayat area shall be divided into territorial constituencies in the following manner-

(1) There shall be 20 territorial constituencies in the development blocks of hill area having the population upto 25000 and in the blocks having the population more than 25000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies but shall not exceed 40.

(2) There shall be 20 territorial constituencies in the development

blocks of plane area having the population upto 50000 and in the development blocks having the population more than 50000 there shall be gradual proportional increase in the number of the territorial constituencies but shall not exceed 40:

Provided that the proportional population of the territorial constituencies in the blocks will be the same as far as practicable:

Provided further that a part of the territorial constituency of the Gram Panchayat shall not be included in the territorial constituency of any Kshetra Panchayat.

(iii) Sub-section (5) shall be omitted.

Amendment of
section 53

12 In section 53 of the principal Act-

(A) in sub-section (1),

(i) in clause (e) after the words "Kshetra Panchayat" the words "Gram Panchayat or Zila Panchayat" shall be inserted.

(ii) Clause (f) shall be substituted as follows, namely-

"(f) he is Chairman, Vice-chairman, councilor, ward member or member of any Municipal body."

(iii) clause (s) shall be substituted as follows, namely-

"(s) If he or his family member or his legal heir is in unauthorized possession of Government/ Panchayati raj land or get benefit from such unauthorized possession."

(B) Sub-section (4) shall be substituted as follows, namely-

"(4) if the entry related to any member is removed from the territorial electoral roll or its territorial constituency is partly/ completely included in any municipal body, the member office bearer shall remain on his office/ post till the cessation of tenure of the concerned Panchayat.

Amendment of
section 55

13. In section 55 of the principal Act, in marginal head the words "and member" shall be omitted.

- Amendment of section 55-A** 14. In section 55-A of the principal Act-
- (i) in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely-
- “Provided also that if the figures of population of Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.”
- (ii) in sub-section (4), the following explanation shall be inserted, namely-
- “**Explanation:** Nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved places/ constituency.”
- Amendment of section 63** 15. In sub section (12) of section 63 of the principal Act, the word “if the motion is passed with the support of two-third of the total number of members of the Kshettra Panchayat for time being” the word “if the motion is passed with the support of two-third of the total number of the elected members of the Kshettra Panchayat for time being” shall be substituted.
- Amendment of section 68** 16. In section 68 of the principal Act, the sub-section (4) shall be omitted.
- Amendment of section 77** 17. In section 77 of the principal Act, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely-
- “(4) The transfer and recording of periodic entries in the character book of the officers and other servants employed in the Kshettra Panchayat and grant of casual leave to them shall be governed by the rules made herewith by the State Government.
- Amendment of section 78** 18. In section 78 of the principal Act, for the words “Nagar Palika, Nagar Nigam”, the words “Nagar Palika Parishad, Nagar Nigam, Cantonment Board, notified area or town area” shall be substituted.

- Amendment of section 90** 19. In section 90 of the principal Act-
- (A) in sub-section (1)-
- (i) in clause (e) after the words "Zila Panchayat" the words "Gram Panchayat or Kshetra Panchayat" shall be inserted.
- (ii) Clause (f) shall be substituted as follows, namely-
- "(f) he is Chairman, Vice-chairman, councilor, ward member or member of any Municipal body."
- (iii) clause (s) shall be substituted as follows, namely-
- "(s) If he or his family member or his legal heir is in unauthorized possession of Government/ Panchayati raj land or get benefit from such unauthorized possession."
- (B) Sub-section (4) shall be substituted as follows, namely-
- "(4) if the entry related to any member is removed from the territorial electoral roll or its territorial constituency is partly /completely included in any municipal body, the member/ office bearer of Zila Panchayat shall remain on his office/ post till the cessation of tenure of the concerned Panchayat."
- Amendment of section 92** 20. In section 92 of the principal Act, in marginal head the words "member" shall be omitted.
- Amendment of section 92-A** 21. In section 92-A of the principal Act-
- (i) in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely-
- "Provided also that if the figures of population of Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner."
- (ii) in sub-section (4), the following explanation shall be inserted, namely-

“**Explanation:** Nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved places/ constituency.”

Amendment of
section 105

22. In section 105 of the principal Act, sub-section (2) and (3) shall be substituted as follows, namely-

“(2) The plan referred in sub-section (1) shall be prepared by the planning and development committee of the Zila Panchayat and the Chief Executive officer shall put that plan before the remaining five committees mentioned in section 112 of the Act, which may make such recommendation regarding it, as it may deem proper.

(3) The Chairman shall put the plan before the Zila Panchayat with the recommendation if any of the five committees mentioned in sub-section (2) who may approve it in such a manner as it may deem proper and shall produce it to District Planning Committee mentioned in article 243 Z D of the Constitution of India upto such date as may be prescribed.”

Amendment of
section 106

23. In section 106 of the principal Act in sub section (1) for the words “Zila Panchayat” the words “Kshettra Panchayat” shall be substituted.

Amendment of
section 106(e)

24. In section 106(e) of the principal Act in sub-section (1)-

(i) for the words and number “47(d)” the words and number “106(d)” shall be substituted.

(ii) in clause (b) for the words and number “section 191”, the words and number “section 106 (a k)” shall be substituted.

Amendment of
section 106(g)

25. In section 106(g) of the principal Act, for the words and number “47(d)”, the word and number “106(d)” shall be substituted.

Amendment of
section 106(n)

26. In section 106(n), for the words “Zila Panchayat” wherever they occur, the words “Kshettra Panchayat” shall be substituted.

Amendment of
section 106(a t)

27. In section 106(a t) of the principal Act, as follows shall be substituted, namely-

“106 (a t). **Inspection of places for sale of food, drink, drugs etc.**- The Chairman, the Chief Executive Officer, the Health Officer and any member officer or servant of Zila Panchayat authorized herewith by resolution and similarly the Pramukh, Block Development Officer or any other officer of the kshetra Panchayat authorized herewith by the Block Development Officer may, without notice at any time of day or night enter into and inspect any such market, shop, stall or place used for the sale of food or drink or as slaughter house or for the sale of drugs and examine an article of food or drink or animal or drugs which may be therein.”

Amendment of section 121

28. In section 121 of the principal Act-
- (i) in sub-section (8), for the words “**executive committee**” the words “**planning and development committee**” shall be substituted.
- (ii) in sub-section (11), for the words and figures “**section 83**” the words and figures “**sub-section (8),(9) and (10)**” shall be substituted.

Amendment of section 127

29. In section 127 of the principal Act, in clause (f) of sub section (1), the following clause shall be substituted as follows, namely-

“(f) The absentee or other allowances of the servants employed by the Zila Panchayat including the servants placed at the disposal of the Kshetra Panchayat.”

Amendment of section 143

30. In section 143 of the principal Act, the clause (b) shall be substituted as follows, namely-

“(b) Contribute in such work or institution, which benefits block or district, in spite of the work done outside the block or district, whether institution is reserved outside the block or district or it is within the area of any Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Nagar Panchayat, Cantonment Board, notified area, town area.”

Amendment of section 149

31. In clause (a) of Section 149 of the principal Act, after the words “**Gram Panchayat**” the words “**Kshetra Panchayat or Zila Panchayat**” shall be inserted.

- Amendment of section 154** 32. In section 154 of the principal Act, in clause (c)-
- (i) in sub-clause (1), for the figures "67", the figures "152" shall be substituted.
- (ii) in sub-clause (2), in second proviso, for the figure "67", the figure "152" shall be substituted.
- omission of section 159** 33. In the principal Act, section 159 shall be omitted.
- Amendment of section 163** 34. In section 163 of the principal Act, the sub-clause (3) of clause (B) shall be substituted as follows, namely-
- "(3) The manner of consultation by Zila Panchayat Planning and Development Committee with the remaining five committees mentioned in section 112 and by Kshetra Panchayat Planning and development committee with the remaining five committees mentioned in section 74 of the Act."
- Amendment of section 164** 35. In section 164 of the principal Act-
- (i) in sub-section (1), for the words " have been made under this Act and may be cancelled, altered or modified in accordance of the provisions of this Act" the words "have been made, given or done under this Act and may be cancelled, altered or modified in accordance of the provisions of this Act" shall be substituted.
- (ii) in sub-section (2) for the words " already in force" the words " not in force" shall be substituted.
- (iii) in sub-section (3) for the words and figures "section 179" the words and figures "section 180 to 184" shall be substituted.
- Amendment of section 179** 36. In section 179 of the principal Act, the sub section (2) shall be substituted as follows, namely-
- "(2) Such fee may either be levied along with the fee charged for the sanctioned license or permission taken under the clause (a) of sub section (2) of section 179 or may be recovered in the manner prescribed in section 180 to 184."

Amendment of
section 180

37. In section 180 of the principal Act,

(A) in clause (C)-

(i) The following title shall be added-

"Things to be specified in the bill"

(ii) in sub clause (3), for the words and figures "section 98", the words and figures " section 173" shall be substituted.

(B) In clause (D), the following title shall be inserted, namely-

"Demand Notice"

(C) in clause (E), the following title shall be inserted, namely-

"Issuance of warrant"

(D) in clause (F), the following title shall be inserted, namely-

" Forceful entry for execution of the warrant"

(E) in clause (G), the following title shall be inserted, namely-

"Manner of execution of the warrant"

(F) In sub-clause (2) of clause (G), after para (b), the para (c) and (d) shall be inserted as follows, namely-

"(c) Tools of artisans"

(d) Books of Account"

(G) in clause (H)-

(i) the following title shall be inserted, namely-

" Sale of goods under warrant and application of proceeds"

(ii) sub-clause (3) shall be substituted as follows, namely-

"(3) The surplus if any, shall forthwith be remitted by money order, less postal commission, to the person from whose possession the property was taken. If the amount so remitted is returned to the Zila Panchayat by the post office, it shall be credited to Zila Nidhi, notice of such credit being given at the same time to the said person,

and if the same be claimed by written application to the Zila Panchayat within one year from the date of service of the notice, a refund thereof shall be made to such person. Any sum not claimed within one year from the date of such notice shall be vested in Zila Panchayat."

**Amendment of
section 181**

38. In section 181 of the principal Act-

(A) in clause (a), the title shall be inserted as follows, namely-

"Issuing of warrant in respect of acquisition of movable property of the defaulter"

(B) in clause (b)-

(i) title shall be inserted as follows, namely-

" Fee and expenditure"

(ii) for the words and figures "section 150(d)", the words and figures "section 180(d)" shall be substituted.

(iii) for the words and figures "section 105(g)", the words and figures "section 180(g)" shall be substituted.

(iv) for the words and figures "section 106(a)", the words and figures "section 181(a)" shall be substituted.

(v) for the words and figures "section 105(e)", the words and figures "section 180(e)" shall be substituted.

(C) In clause (c), the title shall be inserted as follows, namely-

"Saving"

**Amendment of
section 182**

39. In the section 182 of the principal Act, the sub section (2) shall be substituted as follows, namely-

"(2) In the case of an arrear of tax on circumstances and property, the Zila Panchayat may in addition to take proceeding under the provisions of clause (b) of section 180 or sub section (1) of this section, but subject to and in accordance with the rules made in this behalf may recover as arrears of land revenue."

Amendment of
section 187

40. In the principal Act, section 187 shall be substituted as follows, namely-

"A copy of any receipt, application, plan, notice, order, entry in a register or other document in the possession of Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat shall, if duly certified by the legl keeper thereof or other person authorised in this behalf, be admitted as prima facie evidence of the entry or existence of such document and the matter and transactions therein recorded in every case wherein to the same extent as, the original entry or document would, if produced have been admissible to prove such matters."

Amendment of
section 190

41. In the principal Act, section 190 shall be substituted as follows, namely-

"All sums due to any Gram Panchayat, Kshetra Panchayat or Zila Panchayat, whether on account of any tax or any other account shall be recovered by the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat or Zila Panchayat, as the case may be, and for the purpose of such recovery Gram Panchayat, Kshetra Panchayat or Zila Panchayat, as the case may be shall be competent to take any measure or institute any proceeding which if would have been open to the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat or Zila Panchayat to take or institute, if the Uttar Pradesh Panchayat Law (Amendment) Act, 1994 had not come in to force."

Amendment of
section 193

42. In section 193 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely-

"Provided that such liability shall cease after the expiry of ten years of such loss, waste or misappropriation or after the expiry of five years from the date when the debtor ceases to his post, whichever is later."

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of Objects and Reasons


The Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 (Act No. 11 of 2016) was enacted by the State Government. It is inevitable to amend the section 4, 8, 10-A, 21, 22, 35-A, 38, 42, 50, 53, 55, 55-A, 63, 68, 77, 78, 90, 92, 92-A, 105, 106, 106(e), 106(h), 106(a t), 121, 127, 143, 149, 154, 159, 163, 164, 179, 180, 181, 182, 187, 190 and 193.

2- The proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

Arvind Pandey
Minister.

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
चम्पावत।

ADM/04/महि-बेरी सह.
Kindly put up
on web site. 

सेवा में,

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चम्पावत।
3. अपर मुख्य अधिकारी, चम्पावत।



14 MAY 2024

पत्रांक 63 / पं0रा0वि0 / सू0प्रे0 / 2024-25 दिनांक: 14 मई 2024.

विषय— उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2024 संबंधी सूचना का प्रेषण।
महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 202 / 171 / ix-
PN / 2024 दिनांक: 03 / 05 / 2024 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज
(संशोधन) अधिनियम, 2024 संबंधी सूचना की प्रतियाँ निम्नासुर प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है।

क0सं0	स्तर	प्रतियों की संख्या
01.	जिलाधिकारी कार्यालय हेतु	02
02.	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय हेतु	02
03.	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय हेतु	04
04.	अपर मुख्य अधिकारी कार्यालय हेतु	02
	कुल	10

अतः महोदय उक्त के परिपालन में उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2024 संबंधी
सूचना की प्रतियाँ उक्तानुसार प्रेषित की जा रही हैं। कृपया प्राप्ति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्न—उक्तानुसार।

भवदीय,


(रामपाल सिंह)

जिला पंचायतराज अधिकारी,
चम्पावत।

प्रतिलिपि—निदेशक पंचायतीराज, महोदय उत्तराखण्ड देहरादून

जिला पंचायतराज अधिकारी,
चम्पावत।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 16 मार्च, 2024 ई0

फाल्गुन 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 115/XXXVI (3)/2024/11(1)/2024

देहरादून, 16 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘ उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2024 ’ पर दिनांक 16 मार्च, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 06, वर्ष-2024 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2024)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 8 का संशोधन

- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है :

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक बच्चे पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।”

धारा 53 का संशोधन

- मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक बच्चे पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।”

धारा 90 का संशोधन

- मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के

खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक बच्चे पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।”

आज्ञा से,
नितिन शर्मा,
प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

दो से अधिक जीवित जैविक संतान के व्यक्तियों के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों की सदस्यता के लिए अनर्हता संबंधी प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 8, धारा 53 एवं धारा 90 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सतपाल महाराज
मंत्री।

No. 115/XXXVI(3)/2024/11(1)/2024
Dated Dehradun, March 16, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2024' (Act No. 06 of 2024).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16th March, 2024.

Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2024

(Uttarakhand Act No. 06 Year 2024)

An

Act

further to amend the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the seventy-fourth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called as **Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act, 2024.**

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 8 2. Clause (r) of sub-section (1) of section 8 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 (hereinafter referred to as the principal Act) shall be substituted as follows, namely :-

“(r) He has more than two living biological children :

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after the first child.”

Amendment of Section 53

3. Clause (r) of sub-section (1) of section 53 of the principal Act shall be substituted as follows, namely :-

“(r) He has more than two living biological children:

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after the first child.”

Amendment of Section 90

4. Clause (r) of sub-section (1) of section 90 of the principal Act shall be substituted as follows, namely:-

“(r) He has more than two living biological children.

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after the first child.”

By Order,

NITIN SHARMA,
Principal Secretary.

Statement of Objectives and Reasons

It is necessary to amend the section 8, section 53 and section 90 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 to substitute the provision related to disqualification for membership of three-tier Panchayats for persons having more than two living biological children.

2- The proposed bill fulfills the above objectives.

Satpal Maharaj

Minister